खण्ड-388, अंक-5
शुक्रवार, 15 आश्विन, शक संवत् 1910
(7 अक्टूबर, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 388 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	[illegible]
प्रश्नोत्तर	[illegible]
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	91
जिला बांदा की नगरपालिका अतर्रा के सफाई मजदूरों के असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
जिला आजमगढ़ की तहसील सदर, फूलपुर और लालगंज में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा खैर क्षेत्र में पलवल हरियाना को जोड़ने वाले बांध से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में पदोन्नतियों में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
बस्ती जिले में ड्रेनेज खण्ड प्रथम, की नहरों के टूटे होने के कारण सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
इटावा—कानपुर प्रखण्ड, की नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद बरेली की फरीदपुर तहसील में बाढ़ राहत कार्यों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रियदर्शनी नगर व एकतानगर कालोनी के निर्माण में अधोमानक सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94—95
पीलीभीत के जिला सूचनाधिकारी के विरुद्ध अवांछनीय गतिविधियों में भाग लेने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
जनपद कानपुर के थाना अनवरगंज की चौकी कुलीबाजार के इंचार्ज द्वारा नागरिकों की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95—96
उत्तर प्रदेश सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों की प्रतिनियुक्ति अवधि न बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96

विषय	पृष्ठ संख्या
सहकारी चीनी मिलों में प्री हार्वेस्ट केन मेच्यूरिटी सर्वे सर्टीफिकेट अप्राप्त वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
सहकारी चीनी उद्योग की ऋण और अलाभकारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के गजट संख्या 3158 दिनांक 15-7-82 के अनुरूप कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
डी0 सी0 यू0 द्वितीय बस्ती, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97—98
जिला बहराइच के जिलाधिकारी द्वारा कथित रूप से चकबन्दी कर्मियों एवं अन्य विभागों के कर्मियों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
बलिया जनपद में बाढ़ से हुई क्षति एवं जल निकासी व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
जिला फैजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98—99
जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
नगरपालिका शाहजहाँपुर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
आगरा के जमुनापार क्षेत्र में इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
प्रदेश के इण्टरमीडिएट व हाई स्कूलों के एडहाक अध्यापकों की सुविधाओं के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
स्टेट वेयर हाउस देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित समिति की जांच रिपोर्ट के क्रियान्वयन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100—101
जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज के पुरुष चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
फारेस्ट रिसर्च इस्टीट्यूट के निदेशक को फारेस्ट रेंजरों को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने की संस्तुति के क्रियान्वयन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101—102
जिला वाराणसी में फर्जी संस्कृत विद्यालयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला सहारनपुर के साढ़ौली कदीम ब्लाक के 15 ग्रामों को सरसावा गन्ना सोसायटी के सदस्य बनाकर गन्ना सप्लाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102—103
जिला फैजाबाद के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद आगरा की तहसील किरावली के कीठम ग्राम के हरिजनों का वर्षा से घर बर्बाद होने से पलायन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जिला वाराणसी में वरुणा नदी पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
जिला आजमगढ़ के थाना मेहनगर के निवासी श्री राजेन्द्र प्रसाद सेठ की पुत्री को जलाकर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा दायर मुकदमें की सी0 आई0 डी0 जांच में उच्चाधिकारियों द्वारा दखलन्दाजी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
कानपुर महानगर में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
जिला मेरठ की नगरपालिका सरधना वोटर लिस्ट में की जा रही गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105—106
जिला वाराणसी में संग्रह अमीनों की नियुक्ति में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
सीतापुर नगर में पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जिला लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों को लगवाने में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री भगवान सिंह के भवन मानचित्र न पारित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107—108
जिला गोरखपुर के थाना निचलौल के थानाध्यक्ष द्वारा जनता के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
जिला जौनपुर के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
सत्र के अन्तिम दिन नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी शेष सारी सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	108—109

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं भूतपूर्व मंत्री श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर के निधन पर शोकोद्गार ..	109--113
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम निहोरे के निधन पर शोकोद्गार ..	113--115
प्रदेश में चल रही ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल की समाप्ति की सूचना ..	115
श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग ..	115--116
कतिपय विश्वविद्यालयों के कोर्ट के चुनाव के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	116--121
कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गये विषयों को न सुने जाने के संबंध में श्री हृदय नरायन दीक्षित का व्यवस्था का प्रश्न ..	121--122
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नियम 299 में (क) जोड़ने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	122--123
श्री उपाध्यक्ष को दिये गये ज्ञापन के संबंध में ध्यान आकर्षण (जारी) ..	123--124
गन्ने के भाव की घोषणा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ..	124
श्री उपाध्यक्ष को दिये गये ज्ञापन के संबंध में ध्यान आकर्षण (क्रमागत) ..	125--126
गन्ने के भाव की घोषणा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत) ..	126--131
डी0 एम0 बलिया के विरुद्ध आयुक्त द्वारा जांच न किये जाने तथा सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा राजस्व परिषद् के सदस्यों द्वारा जांच कराये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	132--134
माननीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 88 को चमड़ा मजदूरों के संबंध में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिये गये निर्णयों के विपरीत शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	134
दिनांक 4 अप्रैल, 88 को सदन में प्रश्नोत्तर के समय एतमादपुर में डकैतों को पुलिस के संरक्षण के संदर्भ में तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा डी0 आई0 जी0 से जांच कराये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	135--136
शासन द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	136--137
सदन में बुनकरों की समस्या के बारे में बैठक करके हल निकालने की घोषणा किये जाने के बावजूद शासन द्वारा समस्या का हल न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	137--141

विषय	पृष्ठ संख्या
सिंचाई मंत्री से सियोल ओलम्पिक खेलों में भारत की हार के कारण तथा इसमें सुधार हेतु सदन को जानकारी देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	142—145
विधान सभा के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र (दिनांक 23 फरवरी, 1988 से 2 मई, 1988 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया) ..	145
उत्तर प्रदेश चिट फन्ड नियमावली, 1988 (पटल पर रखी गयी) ..	145—146
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं वर्ष 1980-81 (पटल पर रखा गया) ..	146
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1985-86 (वाणिज्यिक) (पटल पर रखा गया) ..	146
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988 (पटल पर रखी गयी) ..	146
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1983-84 एवं 1984-85 (पटल पर रखा गया) ..	146
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लखनऊ की 24 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1981-82 एवं स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा 1981-82, 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 (पटल पर रखा गया) ..	146
उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	147
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	147
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	148—149
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित) ..	149—154
श्री भगौती सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	154
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित) ..	154—171

विषय		पृष्ठ संख्या
गणपूर्ति के लिए व्यवस्था का प्रश्न	..	171
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अनुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 (जारी)	..	171—172
आज की कार्यसूची की मद संख्या 23 से 31 तक स्थगित किये जाने की मांग (अस्वीकृत)	..	172
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अनुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक 1988 (क्रमागत) (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित	..	173—176
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	..	176—186
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	..	186—187
श्री भगौती सिंह, सदस्य विधान सभा की रिहाई की सूचना	..	188
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घन्टे की चर्चा	..	188—199
प्रदेश में बाढ़ से धन-जन की भारी हानि तथा पर्याप्त राहत कार्य के अभाव के संबंध में सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, सूर्य प्रताप शाही एवं आंसान सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर एक घंटे की चर्चा	..	199—206
प्रदेश के देवरिया गोरखपुर, बस्ती बहराइच गोण्डा आदि जनपदों में अगस्त, 1988 से अब तक 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के संबंध में सरकार द्वारा की गई लापरवाही और उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री आंसान सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा	..	206—209
सदन में कोरम के अभाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	..	209
नोटिसें	..	211—226

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 7 अक्तूबर, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री	फतेहपुर
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गौरी शंकर, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
जमवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
जोहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़

निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़,
बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री	बुलन्दशहर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
बैजनाथ, श्री	देवरिया
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री	बस्ती
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लाल चन्द्र निषाद, श्री	गोरखपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विनोद कुमार, श्री	पीलीभीत
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शशि शर्मा, श्रीमती	देवरिया

शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु कृत कार्यवाही

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्य कर्मचारियों के वेतन आदि में जो परिवर्तन/बढ़ोत्तरी हाल में ही घोषित की गई है उसके बारे में शासन को प्राप्त विसंगतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करना विचाराधीन है ? क्या सरकार वेतनमानों में किये गये संशोधनों पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न असंगति के मामलों के परीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन असंगति समिति का गठन दिनांक 24-9-88 को कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वेतन समिति की जो रिपोर्ट आयी उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उसने अपनी एक रिपोर्ट भी दे दी । उसके बाद वेतन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । जो रिपोर्ट है उससे उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों आदि में व्यापक असन्तोष है । इस असन्तोष के कारण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, सचिवालय महासंघ तथा अन्य संगठनों ने सामूहिक रूप से 10 अक्तूबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है । मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कोई मुख्य सचिव को नीति संबंधित कोई निर्देश भी दिये हैं, क्योंकि इन विसंगतियों को दूर करने के लिये आपने उन्हीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित की है जिनकी अध्यक्षता में पहले यह समिति गठित की गयी थी और जिसने वेतन समिति की रिपोर्ट पर विचार करके अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार और राज्य कर्मचारियों के मध्य 29 नवम्बर, 1986 को जो समझौता हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि दिये जायेंगे तथा अन्य जो सभी सुविधायें जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती है राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दी जायेगी, उनका पालन क्यों नहीं हुआ और क्या इसके पालन हेतु सरकार ने मुख्य सचिव को ऐसे निर्देश दिये है कि वो इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिये कार्यवाही करें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जहां तक नवम्बर, 1986 के समझौते का जो उल्लेख माननीय गुप्ता जी ने अभी किया उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जहां तक सम्भव होगा वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इन संभावनाओं का परीक्षण किया जायेगा । श्रीमन्, जो विसंगतियां हैं उनको अपने संसाधनों को देखते हुए ही दूर किया जायेगा । जहां तक केन्द्रीय सरकार के बराबर वेतनमान दिये जाने की बात माननीय गुप्ता जी ने कही है, एक-दो वेतनमानों को छोड़कर करीब-करीब हमने अधिकतर वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार के बराबर किया है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गयी है उसको क्या कोई नीति परक आदेश भी शासन ने जारी किये हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान आदि निर्धारित किये जायें ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैंने इसी का उत्तर अभी दिया था । वेतन समिति ने जो पे-स्केल घोषित किये हैं उनमें एक-दो जगह को छोड़कर अधिकांश में न केवल केन्द्रीय सरकार के बराबर, बल्कि उनसे बेहतर वेतनमान दिये हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सरकार की यह घोषित नीति है कि समान कार्य के लिये वेतन होगा । इस पार्टी की घोषित नीति भी यही है । तो क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार अर्थात् समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने की कार्यवाही करेगी और यह कार्य कब तक सरकार समाप्त कर लेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कार्य कर चुका हूं, उसे और करने के लिये क्या आश्वासन दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, शासन ने अभी घोषित किया था कि 7 दिन में वेतन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जायेगी । जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से किसी भी विभाग में इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है । कर्मचारियों और अधिकारियों में असन्तोष है, सरकार के आदेशों के खिलाफ कमर कस कर खड़े हो गये हैं । सरकार और कर्मचारियों के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह था कि नये वेतनमान जनवरी, 1986 से लागू किये जायेंगे, लेकिन उनको 1987 से लागू किया गया है । यह तो उनके साथ विश्वासघात किया गया है और साफ-साफ जानने की जरूरत है कि न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनका वेतनमान कम हो गया है । विधान सभा कर्मचारियों पर भी वेतन समिति की रिपोर्ट लागू होगी । उनको 13 महीने का वेतन मिलता था और एक महीने का वेतन काट दिया गया और उनके वेतनमान पहले से कम कर दिये गये हैं । मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बतायेगी कि जो समझौता हुआ था कि

केन्द्र के समान पैरिटी कर दी जायेगी, जिसको कि नहीं किया गया है और उसी कारण से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है, क्या सरकार आश्वासन देगी कि जो कमेटी अब बनाई गयी हैं असंगतियों को दूर करने के लिये, वह इस तरह से दूर की जायेगी कि केन्द्र और प्रदेश के वेतनमानों में पैरिटी कर दे ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जो पहला सवाल किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1986 वाले समझौते में स्पष्ट है कि सूचकांक 608 पर वेतन निर्धारण का कैलकुलेशन करेंगे, वह 1 जनवरी, 1986 का है, तो जो वेतन का स्लैब निर्धारित किया गया है, यह उसी पर किया गया है और 1987 से लागू किया है और आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, असंगति वाला, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पे स्केल 750 रुपया से स्टार्ट होता है और केन्द्र सरकार में भी 750 रुपये से स्टार्ट होता है । यह पे स्केल केन्द्र में 940 रुपया तक जाता है और यहां पर 1020 तक जाता है । इसके बीच में दो सेलेक्शन ग्रेड दिये गये हैं : 10 साल पर 810 से 990 और 16 साल पर 775 से 1020 का दिया गया है : वहां पर केवल 750 से 940 है, सेलेक्शन ग्रेड नहीं है, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्र के वेतनमान से बेहतर यहां मिल रहा है । दूसरा स्केल 775 से 1020 का है यहां पर । 775 से 1020 का वहां पर नहीं है । 775 वाले स्केल में दो सेलेक्शन ग्रेड दिये गये हैं, जो केन्द्र सरकार ने नहीं दिये हैं । 10 साल में एक स्केल 855 से 1080 का और 6 साल के बाद दूसरा 850 से 1130 का है : 775 वाला स्लैब 1130 तक जाता है और उनका 1020 तक सीलिंग हो जायेगा । तो मान्यवर, यहां पर पे स्केल उनसे बेहतर हैं । तो इस प्रकार से जो हमारे पे स्केल हैं, वह अधिकांश पे स्केल केन्द्र के वेतन मानों के बराबर हो गये हैं, यह बेहतर हो गये हैं, केवल एक वेतनमान ऐसा है. . . .

(श्रीमती कृष्णा रावत के उच्च स्वर में बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृष्णा जी, आप सदन में शान्ति बनाये रखें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सदन में यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया आसन ग्रहण करें । . . . (व्यवधान) माननीया कृष्णा जी, कृपया शांत रहें । . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों के मामले में प्रश्न चल रहा था, इन्होंने जानबूझकर संसदीय कार्य मंत्री से कुश्ती करा दी है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ सदस्य के आपस में बात करने पर)

श्री राम शरण दास—

आप लोग अपना झगड़ा अपने दफ्तर में बैठकर तय करो । यहां व्यवधान क्यों डाल रहे हो ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, यह कहना कि इससे राज्य कर्मचारियों या अन्य वर्गों में असन्तोष है, सही नहीं है । एक गलतफहमी उत्पन्न क्रियेट हो गई थी या की गई थी उसी को दूर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कौंसिल की एक उप समिति घोषित की है और उसके सामने राज्य कर्मचारियों की बातचीत हुई । जो बातें थीं वह एक दूसरे के आमने-सामने बैठकर तय हुई और उससे उनमें सन्तोष हुआ । अगर कहीं कोई बात रह गयी है तो उसके लिये एक विसंगति कमेटी का निर्माण किया गया है जिससे जहां कहीं एकाध इन्डीविजुअल जगह पर किसी स्केल में कोई असंगति रह गई हो तो उसको दूर करने के लिये शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है ।

कुमारी अलमेलू अम्माल—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रकार सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के लिये भी आप उनके ही समान वेतन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, यह इससे सम्बन्धित सवाल नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र और प्रान्त के राज्य कर्मचारियों के लिये समान काम के लिये समान दाम देने की बात प्रश्नकर्ता की तरफ से कही जा रही है और मंत्री जी इसकी ताईद करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आप केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों को समान वेतन की बात मानते हैं तो आप अपने ही प्रदेश में सचिवालय कर्मी, कलेक्ट्रेट के कर्मी, नगरपालिका, म्यूनिसिपल बोर्ड या जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनमान में भेद क्यों है ? क्या आप समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार अपने प्रदेश में इस विषमता को दूर करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जहां तक आपने सचिवालय और अन्य विभागों के कर्मचारियों की बात कही उसके बारे में मैंने अभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात कही और एक उदाहरण दिया कि सचिवालय का इस श्रेणी का जो स्केल 750 रुपये से स्टार्ट होता है वही अन्य राज्य कर्मचारियों और जिला परिषदों आदि में भी स्टार्ट होता है तो उसमें ऐसी विसंगति नहीं है । यहां पर कहीं यह स्थिति है कि जैसे केन्द्र में वह पद है ही नहीं और यहां पर है ..... (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

लिपिक वर्ग में जो पे-स्केल सचिवालय में हैं वह कलेक्टरेट में और जिला परिषद् में जो लोग काम करते हैं उनमें कितनी समानता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी जवाब देते समय वेतन के साथ-साथ डियरनेस और अन्य सुविधाओं के ऊपर भी प्रकाश डालते रहें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

डी० ए० तो हमने केन्द्र के बराबर पहले ही तय कर लिया । एच० आर० ए० उनके बराबर ही होगा । अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर ही हम सुविधा दे दें तो प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपये मासिक का घाटा हो जायेगा क्योंकि हम केन्द्र से बेहतर उन्हें दे रहे हैं ।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नये वेतनमान के हिसाब से अब सरकार को कुल कितना वेतन देने में खर्च करना पड़ेगा और उसके पहले सरकार को कितना खर्च करना पड़ता था ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

नये वेतनमान के हिसाब से 2630 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा और पहले 2400 करोड़ रुपया था ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन वेतन विसंगतियों के कारण आज राज्य कर्मचारियों में असंतोष है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि 10 तारीख से हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है । तो उन विसंगतियों को हल करने के लिये सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है जिससे वह हड़ताल 10 तारीख से न हो सके ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट उप समिति इसके लिये बनाई है जो कर्मचारियों में गलतफहमी थी वह दूर हो उसके लिये हम लोगों से बात-चीत हुई है, अच्छा वातावरण बना हुआ है । इस तरह की कोई बात नहीं है । कुछ स्केल्स में जहां विसंगतियां रह गयी है उसको दूर किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ-साफ नहीं कहा जो मैंने मूल बात पूछी थी वेतन समिति की रिपोर्ट आई उसको मुख्य सचिव को पेश किया गया उसके बाद भी उसमें विसंगति आई अब फिर उन्हें रिफर कर दिया गया । तो क्या शासन की जो नीति है और जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गयी है उसको कोई निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र के समान वेतन देने के लिये इन विन्दुओं को मान कर फैसला करें । तो क्या मुख्य सचिव या मंत्रिमंडल की उप समिति को यह निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र के समान सभी स्तरों पर एक समानता लाई जाय, जो भी उपलब्धियां हैं उनमें समानता लाई जाय । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर जो असंतोष कर्मचारियों में फैला हुआ है उसको समाप्त करने का क्या रास्ता सरकार निकाल रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यह देखते हुये कि सरकारी कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग हैं । सरकार शब्द प्रत्येक कर्मचारी में निहित है क्योंकि वह शासन का उतना ही अभिन्न अंग है, जितना

हम सब हैं । वह अपरिहार्य है कि उसके कर्मचारी पूरे विश्वास के साथ और सहयोगी बन कर उसके साथ अनुशासन की परिधि के अन्तर्गत काम करते रहे और यह प्रदेश के हित में आवश्यक है और जनहित में है । पिछले कई वर्षों से यह प्रश्न उठता रहा है पहले महंगाई भत्ते का प्रश्न उठा जो केन्द्र के समान है । फिर वेतन क्रमों का प्रश्न उठा । उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहे हैं ।

शनैः-शनैः इस वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार भी, भले ही यह घोषित न किया गया हो कि वेतनमान समकक्षता में लाये गये हैं । बिना ऐसा किये बहुत से वेतनमान जिनका उल्लेख मेरे सहयोगी मंत्री जी ने किया न केवल समकक्षता है बल्कि उससे कुछ अधिक ही उपलब्धियां हमारे कर्मचारियों को मिल रही हैं । अभी वेतन समिति का समता रिपोर्ट के अनुसार तमाम स्केल फिक्स होने बाकी हैं, अभी ये मिलना शुरूनहीं हुई है क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है जब नये वेतनमान उस सिद्धांत के अनुसार मिलने लगेंगे बात साफ होगी । जो हमारी इस समय बातचीत चल रही है कैबिनेट सब-कमेटी तथा दूसरी समिति बनाई है कर्मचारी संगठन हैं उनमें आपस में बातचीत चल रही है । उसमें यह बात स्पष्ट हो रही है । हमारी मंशा साफ है । जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कुछ श्रेणियां हैं उनमें अभी तुलनात्मक दृष्टिकोण में कमी बनी हुई है । हमने निर्णय सिद्धांततः ले लिया है जिन राज्य कर्मचारियों में इस प्रकार की कमी है जो वेतनमान दिये हैं, जो केन्द्रीय कर्मचारियों के लगभग अनुरूप हैं उसके अनुसार उनका स्केल मिल जाय । लेकिन वह कैसे हो उसके बारे में बातचीत जारी है चूंकि उसके अलग-अलग पहलू हैं । महाराष्ट्र में इक्यूवलेन्स कमेटी है, गुजरात में एक कमेटी इस संबंध में है और कहीं पर एनामली कमेटी है । यहां भी एनामली कमेटी है जिसका हमने उल्लेख कर दिया है और एनामली कमेटी कर सकती है । इस तरह से हमारी मंशा साफ है । कर्मचारी हमारे अविभाज्य अंग हैं उन पर हमारा पूरा विश्वास है और विश्वास के साथ ही प्रदेश में जनहित के कार्य हो सकते हैं, इसलिये हमारा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में यह मसला चूंकि हर प्रकार से हम चाहते हैं, मंशा हमारी साफ है और कहीं-कहीं तो हम केन्द्रीय वेतनमानों से भत्ता मिलाकर कुल परिलब्धियां अधिक दे रहे हैं और कहीं-कहीं कम हैं । कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां हैं केन्द्र में नहीं हैं और कुछ केन्द्र में हैं यहां नहीं हैं चूंकि उनकी कार्यप्रणाली अलग है तो इसको मिलाने में कठिनाई हो रही है । महाराष्ट्र में इक्यूवलेन्स कमेटी को वेतनमान लागू करने में 7 साल का समय लगा तो हमारे यहां भी कुछ समय इसमें लग सकता है कि पद भिन्न हों तो स्केल के आधार पर क्या हो सकता है और क्या नहीं ? सिद्धान्तः मानते हुए उसको अलग-अलग श्रेणियों में तुलनात्मक दृष्टि से मिलाना कठिन है और इसमें समय लगेगा, इसमें बातचीत चल रही है । मुझे विश्वास कर्मचारियों पर है कि ऐसा अवसर नहीं आयेगा जिससे आंदोलनात्मक परिस्थिति पैदा हो । बातचीत आज भी हो रही है और जारी रहेगी जब तक इसका एक संतुलित समाधान इस सिद्धान्त के अन्तर्गत न निकल आये ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न संख्या-2

(व्यवधान)

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, जो उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दिया उससे मामला और उलझ गया है । वह वाकपटु और अपने मधुर जाल में फंसाना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि कहीं वेतनमान केन्द्र के समकक्ष नहीं हैं, कहीं अधिक हैं और कहीं कमी है । तो जहां कमी रह

गयी है, विसंगति पैदा हो गयी है, तो क्या आपत्ति है कि जहां कमी रह गयी है उसके संबंध में घोषणा करें कि केन्द्र के समान करेंगे । जब आप देने के लिए तैयार हैं तो स्पष्ट घोषणा करें, यह क्या कि लगभग समान हो गया है कहीं अधिक हो गया है और कहीं कमी रह गयी है, इसलिये सदन में स्पष्ट रूप से केन्द्र के समकक्ष वेतनमान करने की घोषणा करें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जाल को माननीय सदस्य न देखें बल्कि शब्दों को देखें । मैंने कहा कि हमारे ही द्वारा जो वेतनमान दिये हैं उनमें संतुलन हो गया है, जिनमें नहीं है उनको संतुलित किया जायेगा, यह मैं कह चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, राज्य मंत्री और मुख्य मंत्री ने जो नीति स्पष्ट किया है उससे हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता है, इसलिये शासन की नीति के खिलाफ मैं अपने दल के सहित सदन का बहिर्गमन करता हूं । चूंकि सभी कर्मचारियों को समान वेतन किया जायेगा इसको सिद्धान्ततः सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग किया ।)

जनपद फैजाबाद, मुमताज नगर की तालाबन्द अभियोदय पेपर मिल लि0 को चलाने हेतु कृत कार्यवाही

**2—श्री मित्रसेन—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभियोदय पेपर मिल लि0, मुमताज नगर, जनपद फैजाबाद में अवैधानिक तालाबन्दी चल रही है ? यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मिल चलाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो मिल कब तक चलने की सम्भावना है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री बृजेन्द्र पाल सिंह)—

जी नहीं ।

पिकप द्वारा दिनांक 27-5-87 से इस प्रतिष्ठान का भौतिक कब्जा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत लिये जाने के फलस्वरूप बन्दी की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे अवैधानिक तालाबन्दी की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिल के चलाने के सम्बन्ध में पिकप द्वारा प्रबन्धकों आदि के चयन एवं उससे सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है । औपचारिकतायें पूर्ण होते ही आशा की जाती है कि इकाई पुनः चालू हो सकेगी ।

श्री मित्रसेन—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके भौतिक कब्जे के आधार पर अभी सवा साल ही हुआ, किन्तु उसके पहले से कब से मिल मालिक ने इसको बन्द कर रखा था, कब से यह बन्द है ? मंत्री जी ने कहा कि प्रबन्धक का चयन किया जा रहा है,

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, इसमें 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे । यह भी बात सही है कि कब्जा लेने से पहले भी कई बार इस यूनिट के मालिक इसे किसी न किसी बहाने से बन्द करते रहे थे, ले-आउट करते रहे थे और इस प्रकार वह बराबर मजदूर हितों की उपेक्षा करते रहे थे । 25-8-86 के पहले भी अवैध ले-आउट किये गये थे । इसीलिये अक्तूबर, 86 में इनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी, जो अभी तक न्यायालय में लम्बित है । इसके अलावा इनको नोटिस दिया गया था और जब नोटिस दिया गया, उस बीच में इस यूनिट का कब्जा यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा ले लिया गया । कब्जा लेने के बाद भी तलाश इस बात की रही कि किस प्रकार इसको चलाया जाये और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अब सारी की सारी तैयारियां इस सम्बन्ध में पूरी हो चुकी है और नये मालिक जिनके साथ समझौता हो चुका है, सम्बन्धित सर्टीफिकेट जारी कर दिया जायेगा । जैसे ही सारी औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी इसको चला दिया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

इस सम्बन्ध में मैं आपसे केवल एक आश्वासन चाहूंगा कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे और अब बेकार हो गये है, नये मालिक उन्हीं मजदूरों को इसमें पुनः रखेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

इसमें जहां तक आश्वासन की बात है, हमारे लेबर लाज है, जो अधिनियम है, जो विधि है, उसके अनुसार जो उसके लिये पात्र होंगे, उनको लिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल—

उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में विफल रही है प्रबन्धकों पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने के लिये । जब मन आता है, उत्तर प्रदेश के मिल मालिकान मनमाने ढंग से अपने कारखाने बन्द कर देते है और मजदूरों को भूखों मरने के लिये विवश कर देते है । जब चाहे मनमाने ढंग से मिल मालिक तालाबन्दी कर देते है । यह बीमारी फैजाबाद ही नहीं सारे प्रदेश में व्याप्त है, अभी उन्नाव की अभ्युदय पेपर मिल के बारे में भी सवाल भेजा गया है । इसके सन्दर्भ में श्रम विभाग का 31 अगस्त का जो गजट है, उसमें राज्यपाल ने कहा था कि मगलारा में जो जयश्री फर्टिलाइजर फैक्टरी है, उसमें 20-8-86 से जो तालाबन्दी चल रही है, वह तालाबन्दी गैर कानूनी है उसको चला दिया जावे । लेकिन आज तक उक्त मिल तालाबन्द पड़ी है और उसके 500 मजदूर बेकार घूम रहे है । तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद ही नहीं, उन्नाव की जयश्री फर्टिलाइजर ही नहीं, पूरे प्रदेश में मिल मालिक जब चाहते है मिल बन्द कर देते है, तो क्या सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करेगी, कठोर कार्यवाही करेगी जिससे उनके इन अवैध कार्यों पर नियंत्रण लग सके और हजारों मजदूरों की रोजी सुरक्षित रह सके ?

श्री हुकुम सिंह—

चाहे फैजाबाद हो, चाहे उन्नाव हो, पूरे प्रदेश में ही जहां पर भी मजदूरों के हितों की उपेक्षा होगी या मालिकान अनियमित तरीके से ले-आउट करेंगे, कानूनी आधार पर मजदूरों को सारा संरक्षण दिया जायेगा और दिया जा रहा है ।

(श्री मनोहर लाल के पुनः प्रश्न करने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मनोहर लाल जी, उन्होंने जवाब दे दिया है, जो कुछ नियमों के अन्तर्गत होगा, किया जायेगा । अब आप बैठिये ।

श्री मनोहर लाल—

यही तो मैं कह रहा हूं, राज्यपाल ने कहा तालाबन्दी गैर कानूनी है, फिर भी उसका कुछ नहीं किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें उन्नाव की कोई सूचना नहीं है, इसका जवाब वह कैसे दे दें ?

श्री मनोहर लाल—

आप कौन सी नियमावली पढ़ते है मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं फैजाबाद के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं जब तालाबन्दी गैर-कानूनी है तो सरकार इसमें कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मित्रसेन जी को बुला लिया है । आप बैठ जायें ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मजदूरों की रोटी का सवाल है, जब से भौतिक कब्जा ले लिया गया है तब से अब तक मजदूरों के बकाये का भुगतान करायेंगे ? दूसरी बात इन्हीं मजदूरों को, जो पहले काम करते थे प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा ? तीसरी बात मिल को आप कब से चालू कर रहे है ? यह तीन बातें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह—

मेसर्स सुदर्शन लिमिटेड कानपुर जो है । 1 लाख 40 हजार पर, उनकी परि-सम्पत्तियां अर्जित की गयी है । जितनी औपचारिकतायें शेष है उनको पूर्ण कर दिया जायेगा । आपकी जो भावनायें है उनको देखते हुये तथा मजदूरों के हितों को देखते हुये इसमें जो हो सकता है वह किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 1-1-88 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के भू0 पू0 प्रबन्ध निदेशक की सेवा विस्तार एवं उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की सतर्कता विभाग द्वारा जांच

*2—श्री बलरुद्र प्रकाश (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक जो 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् दिनांक 30-9-87 को सेवा निवृत्त होने वाले थे, को 6 माह की अवधि के लिये दिनांक 31-3-88 तक उनकी सेवा विस्तार का निर्णय शासन ने दिनांक 30-9-87 को इस आधार पर लिया है कि उक्त तिथि से पूर्व भी बिना किसी नोटिस अथवा कारण बताये उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ? क्या यह

सच है कि मौजूदा प्रबन्ध निदेशक के द्वारा रु0 30 करोड़ की मशीनरी की खरीद तथा अन्य गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं एवं फेरा के उल्लंघन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सतर्कता विभाग के माध्यम से कोई जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति के सेवा विस्तार तथा पद पर बने रहने का क्या औचित्य है ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री बृजेन्द्र सिंह जो दिनांक 30-9-87 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, को कुल 8 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था ।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कतिपय आरोपों की सतर्कता विभाग द्वारा गोपनीय छानबीन करायी जा रही है, जिसमें रु0 30 करोड़ की मशीनरी के क्रय में अनियमितता एवं फेरा के उल्लंघन के बिन्दु भी निहित हैं ।

दिनांक 31-5-88 के पश्चात् सेवा विस्तार स्वीकृत नहीं किया गया है ।

[शुक्रवार, दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 ई0 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में तमसा (मड़हा) नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठे मंगलवार के नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर मिझौड़ा-नन्सा बाजार मार्ग पर यिभौरा के पास तमसा (मड़हा) नदी पर स्वीकृत पुल का विस्तृत आगणन बनवाकर यथाविधि उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासकीय एवं प्राविधिक स्वीकृति अभी तक न प्रदान करने का कारण क्या है और उक्त सारी औपचारिकतायें पूरी कराकर उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने में सरकार की क्या कठिनाई है ? उक्त पुल के निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत सेतु के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1819 ई/23-सा0 नि0 अनु0—11-74 ई/88, दिनांक 30-3-88 द्वारा प्रदान की गयी है । पुल के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण एवं स्थल चयन वर्षा ऋतु के बाद किया जायेगा । तत्पश्चात ही बोरिंग, स्वायल टेस्टिंग तथा परिकल्पना का कार्य करके विस्तृत आगणन बनाया जा सकेगा एवं प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी । आगणन स्वीकृत होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा । सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही उसके पूर्ण कर दिये जाने का लक्ष्य दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि 30 मार्च को राजाज्ञा भी जारी हो गयी और धन का भी आवंटन कर दिया गया उसके बावजूद दो महीने तक उसमें औपचारिकता पूरी नहीं की गयी, तो माननीय मंत्री जी बतायें कि सारी औपचारिकतायें पूरी कराकर कब तक वह काम शुरू करा देंगे, काम शुरू होने की निश्चित अवधि बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें वर्षा ऋतु के बाद तुरन्त सर्वे करायेंगे इसमें हमने सम्मानित सदस्य से बात भी की थी और अभियन्ताओं से भी कहा है कि हम इसी सत्र में 31 मार्च तक इसको शुरू करा देंगे ।

श्री लाता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से फंजावाद की समस्या के बारे में तिवारी जी ने कहा, उसी तरह से विभिन्न जगहों पर सर्वेक्षण हो गया है धन का आवंटन हो गया है । बस्ती में 5 पुल बनने हैं सब कार्यवाही हो गयी है लेकिन पुल नहीं बन रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि निश्चित अवधि में पुल का निर्माण हो सके ।

श्री अम्मार रिजवी—

आप पुल के नाम लिखकर दे दीजियेगा इसको शीघ्र ही कराने की कोशिश करेंगे ।

जनजातियों के विकास हेतु नवगठित निदेशालय द्वारा चलायी जा रही योजनायें

*2—श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन व समाज कल्याण निदेशालय से जनजातियों के लिये अलग निदेशालय बनाने के लिये कब किन उद्देश्यों से शासनादेश जारी किया गया ? जनजातियों के उत्थान के लिये अलग निदेशालय बनाये जाने के बाद से इस निदेशालय द्वारा किन-किन जनजातियों के वास्तविक आर्थिक उत्थान की क्रमशः कौन-कौन योजनायें बनायी व क्रियान्वित की गयी हैं ? यदि नहीं, तो मात्र प्रशासनिक व्यय बढ़ाने के लिये अलग निदेशालय के अन्तर्गत ही विभिन्न मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालय खोलने का क्या औचित्य है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)—

जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों के त्वरित एवं सफल संचालन के उद्देश्य से पृथक् जनजाति विकास निदेशालय के गठन हेतु शासनादेश दिनांक 6-11-84 को जारी किया गया ।

नवगठित जनजाति विकास निदेशालय के अन्तर्गत थारू, बुक्सा, भोटिया तथा जौनसारी जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु एकीकृत जनजाति विकास परियोजनायें चलायी गयी हैं । आदिम जनजाति राजी के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से योजनायें चलायी गयीं, साथ ही केन्द्र सरकार की सहायता से ही बिखरी आबादी वाली जनजाति (थारू) के आर्थिक विकास हेतु परिवारोन्मुखी योजनायें संचालित की गयीं । शैक्षिक क्षेत्र में पूर्व से चल रहे आश्रम पद्धति विद्यालय में से ढिढोरा का उच्चीकरण किया गया, लखीमपुर खीरी जिले के थारू जनजाति हेतु उन्नति कृषि विधियों के विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार आदि की आपूर्ति

*3—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1985 से अब तक कई करोड़ रुपये के पुष्टाहार एवं अन्य खाद्य-सामग्री की आपूर्ति का ठेका किसी एक ही व्यक्ति को निरन्तर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आपूर्ति वांछित समय में नहीं हो पा रही है और मार्केट रेट से अधिक दर पर की जा रही है ? यदि हां, तो शासन समयबद्ध आपूर्ति एवं उचित दर हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं, प्रदेश में संचालित 199 बाल विकास परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों से पुष्टाहार की आपूर्ति की जा रही है जैसे :—

1—विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा ।

2—जिला स्तर पर क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ।

3—गेहूं पर आधारित पुष्टाहार भारत सरकार द्वारा ।

जी नहीं, जिला क्रय समितियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम, गेहूं आधारित पुष्टाहार की आपूर्ति समय से कराई जा रही है । विश्व खाद्य कार्यक्रम में पुष्टाहार मुफ्त प्राप्त हो रहा है, जिला क्रय समिति द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती है तथा गेहूं आधारित पुष्टाहार में गेहूं भारत सरकार से प्राप्त होता है ।

उपरोक्तानुसार

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जो सामान मिलता है वह मुफ्त मिलता है इसी तरह से केन्द्र सरकार से जो पुष्टाहार मिलता है वह भी भारत सरकार के खर्चे पर मिलता है । यहां पर जिला क्रय समितियों के जरिये से पुष्टाहार खरीदते है । इसी सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी संस्थायें हैं जिनसे जिला क्रय समितियां सामान खरीदती हैं । दूसरी बात यह है कि क्या निदेशालय द्वारा भी इस प्रकार की खरीद की जाती है । तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन संस्थाओं से यह सामान खरीदा जाता है वह यह सामान खुद उत्पादित करती हैं या किसी से खरीद कर सप्लाई करती हैं ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, जिला क्रय समितियां पी0 सी0 एफ0, मण्डलीय विकास निगम और इशेंसियल कमोडिटीज कारपोरेशन के माध्यम से यह सामान खरीदती हैं । निदेशालय नहीं खरीदता है । सरकार के जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके माध्यम से पुष्टाहार लिया जाता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह संस्थायें स्वयं यह काम करती हैं या यह संस्थायें टेंडर करके ठेका देकर सामान लेती हैं । दूसरी बात यह है कि क्या निदेशालय स्तर से भी यह कार्य किया जाता है ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, यह क्रय समितियां कभी-कभी टेंडर भी करती हैं लेकिन टेंडर के जो मानक रेट्स हैं आम रेट्स हैं उन पर लिया जाता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, गत वर्ष की आदरणीय सदन में भूतपूर्व मंत्री जी ने घोषित किया था कि व्यक्तिगत लोगों से पुष्टाहार की खरीद नहीं होगी और यह पी0 सी0 एफ0 आदि संस्थाओं से ही लिया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि पी0 सी0 एफ0 आदि से जो सामान लिया जाता है क्या वह बाजार भाव से अधिक रेट पर होता है और आपके अधिकारी प्राइवेट फर्मों से आपूर्ति करवा देते हैं और कमीशन स्वयं खा लेते हैं । क्या इस दिशा में अंकुश लगाने के लिये कोई कदम उठायेंगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, यह जो पी0 सी0 एफ0 और मंडलीय विकास निगम से जो क्रय किया जाता है यह मानक रेट पर किया जाता है । एक नियम के तहत लिया जाता है । अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि सही नहीं हो रहा है तो उसकी आप जानकारी दे दें । उसकी जांच हम करवा लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, यह मंडलीय विकास निगम सरी हुई संस्थायें हैं जिन्होंने साधारण जनता का लाखों रुपया खा लिया है चाहे गन्ना मिल के नाम पर या उद्योग के नाम पर । इनके पास अब कोई कारोबार नहीं रह गया है । यह बाजार से टेंडर पर सामान खरीदती है और उसको ज्यादा पैसों पर आपको सप्लाई करती है । क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पुष्टाहार जो खरीदा जाय वह ओपेन टेंडर पर खरीदा जाय जिसमें व्यापारी और मंडलीय विकास निगम अपना टेंडर दे सकें और उचित दर पर पुष्टाहार की खरीद हो सके ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, माननीय सदस्य को अगर कहीं पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई हो, तो वह हमें इसकी सूचना दे दें, मैं उसकी जानकारी करा लूंगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, ओपेन मार्केट में आप क्यों नहीं टेण्डर इनवाइट कराती हैं, ताकि सबको मौका मिल सके ?

श्री कौशिक रमाशंकर—

श्रीमन्, ये जो संस्थायें हैं, एग्रो0, पी0 सी0 एफ0, मंडल विकास निगम तथा आवश्यक वस्तु निगम, ये स्वयं कारोबार नहीं करती हैं । ये ठेका लेकर दूसरे व्यापारियों को ठेका दे देते हैं, नतीजे में दो-दो स्थान पर कमीशन और मुनाफे के कारण सरकार पर वित्तीय भार बढ़ जाता है । क्या माननीया मंत्री जी जिला क्रय समिति के माध्यम से खुले टेण्डर डलवायेंगी, जिसमें व्यापारियों और इन संस्थाओं को भी अधिकार ठेका लेने का रहे । इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर 1985-86, 86-87, 87-88 और 88-89 का 20 करोड़ के लगभग की आपूर्ति पी0 सी0 एफ0 को दे दी गयी और यह सभी धनराशि पी0 सी0 एफ0 को अग्रिम दे दी गयी, जिसे पी0 सी0 एफ0 के एम0 डी0 ने बैंक में जमा करके काफी ब्याज भी लिया है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है । मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत एक साथ चार वित्तीय वर्षों का ठेका दे दिया गया और कुल धनराशि का अग्रिम भुगतान कैसे कर दिया गया और इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या माननीया मंत्री जी निदेशक स्तर तथा सचिव स्तर से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो है, उसकी जांच करा लूंगी और पहला प्रश्न जो आया है, उसमें जो सुझाव आये हैं, उसको भी दिखवा लूंगी ।

श्री हरदेव—

मैं माननीया मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि गेहूं की दलिया जो बच्चों को दी जाती है, वह दलिया बच्चों को नुकसान करती है, क्योंकि जो सड़ा-गला गेहूं होता है, उसको दलिया बना कर बच्चों को दी जाती है, उसके खाने से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है । हमारे जनपद दलिया में जो पिछले साल दलिया दी गयी थी, वह सड़े हुये गेहूं को लेकर दलिया बनवा कर बच्चों को दी गयी थी, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था । तो मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से निवेदन है कि बच्चों को जो दलिया दी जाती है, उसके स्थान पर अन्य कोई चीज देने की कृपा करेंगी, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, माननीया हरदेव जी मुझे एक सूचना दे दें कि कहां पर ऐसा हो रहा है, तो मैं अवश्य ही उस पर जांच करा लूंगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि मण्डलीय विकास निगम ने पिछले वर्ष आजमगढ़ में एक सप्लाई का ठेका लिया था और सहकारी समिति, फरेंदा को दिया था जिसमें लाखों रुपये की गड़बड़ी पायी गयी थी । टेन्डर डालकर और ठेका लेकर के वह दूसरे लोगों से भारी मुनाफा लेकर निगम को अपने मुनाफे के अतिरिक्त कमीशन ले करके इस प्रकार से यह सप्लाई किया जाता है जैसे बस्ती में उपभोक्ता मंडल के माध्यम से इसे कराया गया था तो क्या इस मामले की जांच कराके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगी और इसमें सुधार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, अवश्य करेंगे ।

जनपद हरदोई, गंगा नदी के मेंहदी घाट पर गाइड बांध के निर्माण पर व्यय धन एवं अनियमितताओं की जांच

*4—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहदी घाट जनपद हरदोई में गंगा नदी पर बनने वाले गाइड बांध की अनुमानित प्राथमिकता लागत क्या थी तथा अब इस गाइड बांध के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया जा रहा है ? इस बढ़ी हुई लागत के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की सौगन्ध ले ली है । यह प्रश्न मैंने पिछले बजट सत्र में अल्पसूचित प्रश्न के रूप में पूछा था निरन्तर इसका उत्तर देने में टालमटोल की जाती रही और इसका उत्तर नहीं आने दिया गया । इस प्रश्न को मैंने पुनः पुनर्जीवित किया और यह प्रश्न आज एजेन्डे में आया है तो आज उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मेरी निश्चित जानकारी है कि सारी सूचना माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है लेकिन इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिये उत्तर दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, इसका प्रारम्भिक इस्टीमेट 2 करोड़ 21 लाख रुपये का वर्ष 87 में था और उसके अनुरूप कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था और मिट्टी का कार्य 12 लाख रुपये में पूरा करा लिया गया था तथा पत्थरों की आपूर्ति होनी थी जो कि विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर मंडल के निहित स्वार्थ के कारण नहीं की जा सकी उन्होंने स्वीकृत निविदायें अस्वीकृत कर दीं जिससे कि वर्ष 88 में जब पुनः इस गाइड बांध के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया तो वह 6 करोड़ 11 लाख रुपये का था । एक वर्ष के अन्दर कीमतों में इतनी वृद्धि गम्भीर चिन्ता का कारण है और पत्थरों के मूल्य में एवं मिट्टी के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करके भुगतान किया गया है जो पत्थर गाइड बांध के दूसरी तरफ फर्रुखाबाद में खरीदा गया उसका भुगतान 190 रुपये प्रति घनमीटर से किया गया तथा जो हरदोई में खरीदा गया उसका भुगतान 380 रुपये प्रति घनमीटर से किया गया पूरे जनपद में मिट्टी के कार्य का भुगतान 10 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब से किया गया परन्तु गाइड बांध पर इसका भुगतान 45 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से किया जा रहा है । इतना ही नहीं अधिकारियों की सांठगांठ से 20 लाख रुपये का बोल्डर चोरी दिखा दिया गया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मैंने इन गम्भीर अनियमितताओं के बारे में 2 मार्च, 88 को माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उसके बाद हमने प्रश्न पूछा था उसमें सारे अनियमितताओं के बारे में पूछा गया उसकी सारी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है और यह कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 87 में जब इसका प्रारम्भिक आगणन 2 करोड़ 21 लाख रुपये का बना तो उस पर 6 करोड़ 11 लाख का व्यय कैसे हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाइड बांध पर मिट्टी का भुगतान किन दरों पर किया गया तथा बोल्डर की आपूर्ति किन दरों पर की गयी । इससे पूर्व इस गाइड बांध पर जो बोल्डर एवं मिट्टी पूर्व आगणन के आधार पर आपूर्ति करायी गयी उसका मूल्य क्या था क्या माननीय मंत्री जी पूरे गाइड बांध की निष्पक्ष जांच कराकर तथा मौके पर कितने बोल्डर गाइड बांध में लगे तथा कितने घनमीटर मिट्टी गाइड बांध में लगी उसकी नाप कराकर तथा पूरे तथ्यों की जांच कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वाजपेयी जी से मेरी खुद वार्ता हुई थी और उन्होंने मुझे पत्र भी दिया था, इसमें कोई सन्देह नहीं है । मान्यवर, भ्रष्टाचार को छिपा नहीं रहे हैं जब वाजपेयी जी का पत्र मिला तो उसमें मैंने सारे बिन्दुओं पर जांच का आदेश दिया जो जांच का रिजल्ट होगा वह अगर सदन होगा तो सदन के पटल पर रखेंगे वर्ना इनको सूचित करेंगे और सारे प्रकरण के पूरे बिन्दुओं की जांच करायी जायेगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा चाहे वह कितने ही उच्च स्तर का क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप कृपया प्रश्न को देखें । प्रश्न गाइड बांध के बारे में है । गाइड बांध का आगणन 2 करोड़ 21 लाख रुपये का था और बाद में 6 करोड़ 11 लाख का हो गया और उसमें डिटेल्स माननीय वाजपेयी जी ने दिया वह भयावह स्थिति है । तो इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है, मैं नहीं समझता । इसमें आप निर्णय दें । इसका इस्टीमेंट मंगवा लिया होता । केवल एक गाइड बांध का ही तो मामला है । मंगा लिया होता तो मालूम हो जाता कि पहले कितना इस्टीमेट था और अब उसमें कितना बदल दिया है । श्रीमन्, इसमें घपला है । संसदीय कार्य मंत्री योग्य हैं, लेकिन अब हमें इनके बारे में विचार बदलना पड़ेगा । यह सक्षम हैं, सही जवाब मंगवा सकते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से जवाब आ रहा है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । इस बार हरदोई में जो बोल्डर लगाये गये हैं वह 280 रुपये प्रति घन मीटर लगाये गये हैं, जबकि फरुर्खाबाद में उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 190 रुपये प्रति घन मीटर लगाये गये हैं । मिट्टी में 10 रुपये घन मीटर फरुर्खाबाद में भुगतान हुआ, जबकि वहां पर 45 रुपये घन मीटर हुआ । एक ही पुल के किनारे पर इतना तिगुना अन्तर । इससे बड़ा और भ्रष्टाचार का क्या सबूत मिलेगा । इस पर माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से पर्दा डाल रहे हैं । मार्च में मा0 मंत्री जी को पत्र लिखा गया और उसके बाद भी सूचना नहीं है । यह इस बात का प्रमाण है, यह पत्र मेरे पास है, आप देख लें । इसमें पूरा ब्यौरा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग और संसदीय कार्य मंत्री जानबूझ कर पर्दा डाल रहे हैं । भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं । वह सदन को गुमराह कर रहे हैं । जिस सदन का संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह करेगा, वह सदन कैसे चलेगा । आप कोई व्यवस्था नहीं देंगे, कड़ा कदम नहीं उठायेंगे तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये तो आपको और वाजपेयी जी को बुलवा दिया ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने 301 में बलिया का एक मामला उठाया । संसदीय कार्य मंत्री ने उसको जांच के लिये भेजा, जांच हुई । नापतौल हुई । कमी पकड़ी गयी । उसने यहां आ कर सिफारिश की । मंत्री जी ने कहा कि मैनेजर सिंह जी का मामला है, दबा नहीं पाऊंगा । उसके बाद ए0 ई0 ने लिख दिया कि विस्तृत जांच की जरूरत है । इसमें डेढ़ महीना लगा । इसके बाद दूसरे को जांच सौंपी गयी, उसमें भी लिख दिया गया कि विस्तृत जांच की जरूरत है । एक सड़क की पर्त नापने में कितनी कमी आयी होगी । इसका आकलन पूरे एक रकबे से लिया जा सकता है । आपके चीफ इंजीनियर क्या कर रहे हैं । आपके यहां ईमानदार चीफ इंजीनियर धर्मवीर बैठा है । उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा या नहीं । सचिव से तीन बार कहा । चीफ इंजीनियर सचिव से मिलते हैं । इसी तरह

कल कहा एक जे0 ई0 जिस पर चार्जशीट हो गयी है, उसका तीन बार स्थानान्तरण हुआ, इस बार उसे क्यों रायबरेली प्रतापगढ़ कर रहे हैं । रिपोर्ट क्यों नहीं दिलवा रहे हैं । बार-बार सचिव से कहा । आप इस विभाग को क्या बनाना चाहते हैं । क्या यह भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं । भाषण कराना हो तो नियम 49 में चर्चा की मांग कर लीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह—

इस सवाल में क्या था जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं । मैं बेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं वह कदम उठाऊंगा जो आपके लिये खतरनाक होगा । मैं धरना दूंगा, अनशन करूंगा आपके यहां । इस प्रकार गैर जिम्मेदारी से काम होगा ? इस तरह से विभाग में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मैनेजर सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत से सत्य बताये । हमें बड़ी खुशी है कि कोई बात कहते हैं तो कुछ न कुछ मार्ग-दर्शन अवश्य देते रहते हैं । मैं हृदय से आभारी हूं ।

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने दो बातें कहीं, इस प्रश्न के बारे में जो सदन के सामने प्रस्तुत है, उसके बारे में मैंने निवेदन किया कि जब माननीय बाजपेयी जी मिले थे और पत्र दिया था तो उसी पत्र पर मैंने जांच के आदेश दिये थे । वह जांच पूरी होने के बाद, पूरे तथ्य उनके सामने भी रखेंगे, अगर मान्यवर, सदन चल रहा होगा और आज्ञा देंगे तो सदन के पटल पर भी रखेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

बाजपेयी जी को कमरे में तथ्य बता देते हैं, सदन को नहीं बता रहे हैं, यह तो और साजिश है ।

श्री विजय सिंह राणा—

कमरे में तथ्य बतायेंगे लेकिन यहां तथ्य छिपायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं अभी खड़ा हुआ हूं, पूरी बात तो सुन लें । मैं कह रहा हूं कि जांच के जो आदेश दिये हैं, उसमें जो भी तथ्य सामने आयेंगे, अगर सदन चल रहा होगा तो सदन के सामने रखेंगे, अगर नहीं चल रहा होगा तो माननीय बाजपेयी जी को सूचित करेंगे ताकि विलम्ब न हो ।

(श्री रामशरण दास, श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी बैठें, माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, दूसरी बात रेट्स के बारे में, बोल्डर्स के बारे में, माननीय मैनेजर सिंह ने कहीं, मान्यवर, सारे प्रकरण की जांच करा रहे हैं । मान्यवर, मुझे भी प्राइ-माफेसी केस ऐसा लगा, इसी वजह से तुरन्त जांच के आदेश दिये । इसके बाद माननीय मैनेजर सिंह जी ने अपने क्षेत्र के बारे में, जिले के बारे में, कुछ बातें कहीं, वे इससे पहले भी उसे बता चुके हैं, मैंने कहा था कि किसी समय मैं आपसे उस संबंध में बात कर लूंगा ताकि पूरा ब्यौरा लेकर उस पर उचित कार्यवाही करूं । फिर उनसे बात कर लूंगा, जो कुछ भी इस सिलसिले में किया जा सकता है, वह किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह और माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न के द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया । मान्यवर, प्रश्न में इसकी प्रारम्भिक अनुमानित लागत और बाद की बढ़ी हुई लागत पूछी गयी, वह तो सूचना आपके पास होगी ही, फिर उसमें सूचना के एकत्र होने की बात क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, इसमें पहले 2 करोड़ 22 लाख 3 हजार रु0 थी लागत, उसके बाद जो बढ़ी है, वह 5 करोड़ 92 लाख है । जो बढ़ोत्तरी है, उसी की जांच की जा रही है कि यह कैसे सारी चीजें हुई ।

श्री राम शरण दास—

इतना गंभीर भ्रष्टाचार का प्रश्न सदन के सामने है । इससे जीता जागता भ्रष्टाचार का सबूत और क्या हो सकता है कि गंगा नदी के उस किनारे पर मिट्टी की ढुलाई का रेट 10 रु0 और उधर के किनारे पर 45 रु0, साफ-साफ 35 रु0 का अंतर है । मंत्री जी मामले की जांच करा रहे हैं, किस बात की जांच करा रहे हैं, यह बात क्या सही नहीं है ? मैं तो कहना चाहता हूं कि जिन इंजीनियरों ने अधिकारियों ने इस तरह की अनियमितताएं की हैं, उन्हें तुरन्त सस्पेंड कर दीजिये । मान्यवर, इस प्रश्न पर हाउस में चर्चा करायी जाय, सवाल जवाब से यह मामला तय नहीं होगा, चर्चा में इसकी पोल खुल जायेगी । पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर इस प्रदेश को गिरा रहे हैं और आप बैठे मान्यवर हाथ हिला रहे हैं । चर्चा करायी जाय इस मामले में ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर के भेज दीजिये ।

श्री रामशरण दास—

माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो आपके पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई और बिजली विभाग के इंजीनियर्स हैं, इन्हें ठीक कीजिये अगर प्रदेश को बचाना है । नहीं तो आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यह प्रदेश बरबाद होता चला जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि दो करोड़ की जगह 6 करोड़ लागत आई है और कहा है कि जांच करायेंगे । यह बड़े-बड़े इन्जीनियरों के बीच का घपला है, यह वही इन्जीनियर हैं, जिन्होंने गलत अनुबन्ध स्वीकार किये, तो क्या इन्हीं इन्जीनियरों से इसकी जांच करवायेंगे, जो स्वयं भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी समूचे प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें किसी के ऊपर कोई परदा डालने की बात नहीं है । अगर माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी और अन्य माननीय सदस्य सतर्कता जांच से संतुष्ट हैं, तो इसकी जांच सतर्कता विभाग से ही कराई जायेगी ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, दिनांक 2-3-88 को मैंने एक पत्र पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर को दिया था, जिस पर उन्होंने मुख्य अभियन्ता (परिवाद) को जांच के लिए आदेश दिये थे और 3 दिन के अन्दर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा था । वह जांच आख्या 3 दिन के अन्दर मंत्री जी को उपलब्ध हो गयी थी उसके बाद उसे टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने के लिए आदेश दिया गया था । इस समय स्थिति यह है कि सारी रिपोर्ट मंत्री जी के पास फाइलों में बन्द है । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, कृपया बताने का कष्ट करें ?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सतर्कता से जांच की बात कही गयी है, उन्हीं को आप जांच दे दें, वहां से रिपोर्ट आ जायगी ।

ग्रामपद ललितपुर में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या

*5—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में कितनी गरीब निराश्रित महिलाओं, पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ? 60 रुपये प्रतिमाह की उक्त पेंशन उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त न होने के कारण क्या शासन इसको कम से कम 100 रु0 प्रतिमास करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (सैयद सईदुल हसन)—

जनपद ललितपुर में 323 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।
प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिलहाल वृद्धि सम्भव नहीं है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई के गंगा नदी के मेंहदीघाट स्थित पुल के गाइडबांध व पहुंच मार्ग पर कराये मिट्टी के कार्य का निरीक्षण

*6—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि वर्ष 1985-86 में हरदोई जिले की विलग्राम तहसील के गंगा नदी के मेंहदीघाट स्थित पुल के गाइड बंध (बांध) एवं पहुंच मार्ग पर लगभग दस लाख की मिट्टी का कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी मिट्टी गंगा में बह गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के हरिजन विद्यालयों के भवन निर्माण की योजना

*7—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हरिजन विद्यालयों (प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल) के भवन निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या योजना है और उस पर कब तक अमल किया जाने वाला है ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

उक्त विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, प्रदेश में जो हरिजन विद्यालय संचालित हैं, उनमें कहीं भी भवन नहीं है, बहुत से विद्यालय छप्पर के नीचे चलते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिनमें खुले आसमान के नीचे लड़के पढ़ते हैं । ऐसे विद्यालयों के लिए मंत्री जी को भवन बनवाने में क्या कठिनाई है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, हमारी जो हरिजन पाठशालायें हैं और उनमें जो पढ़ने वाले गरीब हरिजन छात्र हैं, उनको हम छात्रवृत्ति के माध्यम से मदद देते हैं, लेकिन उन हरिजन विद्यालयों के भवन बनवाने का हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है ।

समेकित बाल विकास योजना में सी0 डी0 पी0 ओ0 व मुख्य सेविका के रिक्त पदों को भरने हेतु कृत कार्यवाही

*8—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समेकित बाल विकास योजना में 120 पद (सी0 डी0 पी0 ओ0) तथा 60 मुख्य सेविका के पद पिछले पांच साल से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो अभी तक प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए इन पदों के न भरे जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार जनहित में इन पदों को तत्काल भरे जाने का कोई निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

वर्तमान में सी0 डी0 पी0 ओ0 के 82 पद रिक्त हैं तथा मुख्य सेविका के कोई पद रिक्त नहीं हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण सी0 डी0 पी0 ओ0 पद पर तदर्थ नियुक्तियां नहीं हो सकीं । पदोन्नति से भरे जाने का मामला प्रगति पर है । लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन हेतु अधियाचन भेजा गया है ।

उत्तर उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कार्य

*9—श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में विकास खण्ड बृजमनगंज अन्तर्गत सोनावन्दी-महाव-गुजरौलिया मार्ग, बृजमनगंज-सहजनवां बाबू मार्ग तथा लेहड़ा-बरडाड़ मार्ग पर 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य कितने पुल सा0 नि0 वि0 द्वारा बनवाये गये ? क्या संबंधित पुलों में से अधिकांश निर्माण के पश्चात् अत्यन्त अल्प समय में निम्न स्तरीय निर्माण कार्य एवं सीमेन्ट की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त होने वाले पुलों की कुल संख्या कितनी है तथा इनके क्षतिग्रस्त होने से कितने सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ है ? क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत मार्गों पर 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य सा0 नि0 विभाग द्वारा किसी पुल का निर्माण नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम नरायनपुर के किसानों की बाबागंज-बख्शी का तालाब-बाबागंज मार्ग निर्माण में अध्याप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान

*10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कई वर्ष पूर्व बाबागंज जनपद बाराबंकी बख्शी तालाब, जनपद लखनऊ की सड़क निर्माण करते समय ग्राम नारायनपुर, पो0 कुर्सी, जनपद बाराबंकी के कई किसानों की भूमि सड़क में ली गयी थी और इन्हें मुआवजा भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो किन किसानों की कितनी भूमि सड़क में ली गयी थी और उन्हें अब तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ?

*श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बाराबंकी के ग्राम नारायनपुर में 5.20 एकड़ भूमि पर भू-स्वामियों की सहमति से वर्ष 1979 से 1985 के बीच बख्शी का तालाब-बाबागंज मार्ग का निर्माण कराया गया था । अभिलेखों में मुआवजे के भुगतान हेतु भू-स्वामियों को आश्वासन देने की कोई बात उपलब्ध नहीं है । उक्त ग्राम में सड़क निर्माण में ली गई भूमि का विवरण

संलग्न है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है । जिसके अन्तर्गत धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 4 (1) की अधिसूचना शासकाय गजट में प्रकाशन हेतु राजकीय प्रस, इलाहाबाद भेज दी गयी है । अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ही भू-स्वामियों का नाम बताना सम्भव हो पायेगा । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है ।

(देखिये नत्थो 'क' आगे पृष्ठ 211 पर)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, दुःख इस बात का है कि यह उत्तर माननीय श्री अम्मार रिजवी द्वारा दिया जा रहा है । जमीन ले ली गई, प्लाट नम्बर संलग्न किये गये हैं, लेकिन भू-स्वामी कौन है, इसकी जानकारी नहीं है । यदि कोई दूसरा मंत्री होता तो हमें कोई अफसोस नहीं होता । अब तो ऐसा लगता है कि डाक्टर अम्मार रिजवी भी विभाग पर पूर्णतया निर्भर हैं । मेरा पहला प्रश्न यह है कि लोगों की जमीन ले ली गई और प्लाट नम्बर दर्ज हैं तो फिर भू-स्वामियों के बारे में न बताने का क्या कारण है ? दूसरा यह कि यह सड़क 1985 में बन गई थी और आज 1988 हो गया है, अब आप यह मुआवजा कब तक लोगों को दे देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, प्लाट नम्बर की सूचना हमारे पास है, परन्तु नाम नहीं है । लेकिन जहां तक मुआवजे का संबंध है, अभी 21 सितम्बर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने हमसे 1,95,360 रुपये मांगे थे, पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा इसका चेक भेज दिया गया है । इसी के साथ ही यह भी आदेश दिये गये हैं कि तुरन्त मुआवजा दिलवाने में कोई कानूनी कठिनाई तो नहीं है, यदि है तो एक महीने के अन्दर कार्यवाही करके उससे अवगत कराया जाय ।

श्री मनोहर लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री अम्मार रिजवी जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि किसानों की जमीन चाहे पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा ली जाय या किसी अन्य विभाग के जरिये ली जाय, उसको एक्वायर तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसकी जमीन का उस समय के बाजार भाव से मुआवजे का भुगतान नहीं हो जाता है । तो क्या वह इस प्रकार का कोई आदेश जारी करेंगे कि किसानों की तब तक कोई जमीन एक्वायर नहीं की जाय, जब तक कि उसका बाजार भाव के हिसाब से मुआवजे का भुगतान न हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस जमीन का एक्वीजिशन मेरे राजस्व मंत्री होने से पहले का है और घोषणा बाद की है । जो रेट्स लागू हैं, जो तय हुआ है किसानों के साथ, वही कीमत उन्हें दी जायेगी ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, उस समय वह राजस्व मंत्री हों या न हों लेकिन सदन में उन्होंने जो आश्वासन दिया था, क्या उस आश्वासन को वह पूर्ण करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो जमीन ली गई है और जो मुआवजा उनको दिया जा रहा है, वह उनकी सहमति से ही दिया जा रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जब गवर्नमेन्ट का शासनादेश है कि किसानों को मुआवजा बाजार भाव के हिसाब से दिया जायेगा और यदि कहीं पर इसका उल्लंघन किया जा रहा हो और वह चीज माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लायी जाती है तो क्या वह उस शासनादेश के तहत अपने वचन को पूरा करेंगे कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अवश्य करेंगे ।

चीनी उद्योग में लागू "संविदा श्रमिक" प्रथा समाप्त करने की मांग

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी उद्योग में लागू श्रमिक हित विरोधी "संविदा श्रमिक" प्रथा समाप्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह—

चीनी उद्योग में लागू संविदा श्रमिक प्रथा श्रमिक हित विरोधी न होने के कारण समाप्त किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री जी अपनी पार्टी की नीति को ही नहीं जानते हैं । इसी आदरणीय सदन में शासन की ओर से अनेक बार इस बात की घोषणा की गई कि सरकार ठेकेदारी प्रथा को मिलों से समाप्त करेगी । तो क्या सरकार चीनी उद्योग में लागू श्रमिक हितों के विरोधी "संविदा श्रमिक" प्रथा को समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? श्रमिक संविदा समाप्त करने के लिए मिल मालिक, मिल मजदूरों को श्रमिक कानून का फायदा न मिलने पाये, उनके ऊपर लाइबिलिटी न फिक्स हो पाये, इसीलिए ठेकेदार को दे देते हैं । ठेकेदार अपने मजदूर ले जाता है, उनकी सेवा की शर्तें कोई नहीं हैं, उनसे मनमाना काम लेता है । इसको देखते हुए क्या आप लेबर काण्ट्रेक्ट समाप्त करने की कृपा करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्रमिक विरोधी नहीं हैं । किसी मिल में जो श्रमिक काम करते हैं उनको जो सुविधायें मिलती हैं, लेबर कान्ट्रेक्ट के अन्दर जो ठेकेदार के मजदूर बनकर उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या उनको वही सुविधायें, सेवा शर्तें और वेतनमान मिलेंगे जो मिल में काम करने वाले अन्य मजदूरों को मिला करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या वही वेतनमान और सुविधायें उन श्रमिकों को भी मिल रही हैं जो ठेकेदार के हैं, जो सुविधायें मिल के मजदूरों को मिल रही हैं, मैं सहमत हूं कि नहीं मिल रही है । दोनों की सुविधाओं और सेवा शर्तों में

अन्तर है । इसके लिए जो उत्तर दिया गया है, मैं उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं । यह केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है । इसमें तीन वर्ग हैं—मजदूर वर्ग, मिल मालिक और सरकार का पक्ष । 1957 में एक समिति का गठन किया गया था । यह त्रिदलीय समिति थी चीनी मिलों के श्रमिक, मिल के मालिकान और सरकार के श्रम विभाग का पक्ष, तीनों को मिलाकर कमेटी का गठन किया गया था । कमेटी ने विचार करने के बाद 71 में रिपोर्ट दी, उसके आधार पर राजाज्ञा जारी की गयी । उसमें निश्चित किया गया कि कौन-कौन से काम केवल रेगुलर लेबर से ही करायेंगे, यह राजाज्ञा जारी कर दी गयी कि ऐसे काम हम तय करते हैं जो कान्ट्रेक्ट लेबर से कराए ही नहीं जा सकते हैं, शेष काम करा सकते हैं । इसी दिशा में यह एक कदम था कि मिल मालिक मनमाने ढंग से कान्ट्रेक्ट लेबर से काम न करायें । इसको सुनिश्चित कर दिया गया । श्रमिकों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है इसलिये आगे विचार नहीं हो सका । यदि कोई ऐसी बात आयगी तो बराबर प्रयास यह रहेगा कि कान्ट्रेक्ट लेबर की प्रथा को कैसे समाप्त करें ताकि यह सारी सुविधायें उनको भी मिलने लगें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जिस त्रिपक्षीय बातों का उल्लेख किया है, उसके "मिनट्स" को मैंने भी देखा है । मजदूरों की तरफ से कहा गया कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिये लेकिन मिल मालिकों और सरकार की तो दुरभि-संधि है । कभी-कभी मजदूरों को अपनी मजबूरी से समझौता करना पड़ता है । एक समझौता हुआ जिसमें कुछ चीजें छोड़ दी गयीं । मजदूर ने गलती की जो स्वीकार कर लिया । इसके बाद अनेक रिप्रजेन्टेशन्स जो दिये गये हैं, उनकी तरफ से मांग की जाती रही है कि जो लेबर कान्ट्रेक्ट के मजदूर हैं, यह प्रथा समाप्त की जाय और अगर प्रथा रखनी है तो जो मिल के मजदूरों को मिलता है, वही मिलना चाहिए । अगर एक फैसला हो गया और वह उन्हीं के लिए है तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए मेरे इस प्रश्न के सन्दर्भ में क्या माननीय मंत्री जी इस नीति पर पुनर्विचार करेंगे कि किसी भी चीनी मिल में लेबर कान्ट्रेक्ट समाप्त कर दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—

इसमें जो व्यवस्था अभी हमारे सामने है, उसके अन्तर्गत पूर्णतया समाप्त करना सम्भव नहीं होगा । जो सूची है उसमें 23 कार्य हैं जिसमें कान्ट्रेक्ट लेबर और रेगुलर लेबर मिलकर काम करते हैं । काम करने की जो प्रवृत्ति है, उसको अगर आप देखें, कान्ट्रेक्ट लेबर को केवल वही काम दिया गया है जो कि कम अवधि का है या कम अवधि से संबंधित है । जैसे कि चीनी को लोड करने का प्रश्न है, अब कब ट्रक आयेगा और कब चीनी लोड की जायेगी यह निश्चित नहीं होता है इसलिये इसके लिये लेबर रखना सम्भव नहीं है यह कार्य रेगुलर लेबर को ही दिया गया है इसके लिये कान्ट्रेक्ट लेबर इम्पलाय नहीं किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण

*12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 में दैनिक वेतन पर टाईपिस्ट, स्टेनो, लेखा सहायक एवं कार्यालय सहायक के रूप में

कार्यरत कर्मचारी जो कि 3 से 10 वर्षों से बन्धुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनकी सेवाओं का नियमितीकरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं इनको नियमित कब तक किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसकी सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यदि इसकी कोई निश्चित अवधि मैं बतला दूं तो माननीय वर्मा जी कहेंगे कि तब तक सत्र समाप्त हो जायेगा लेकिन फिर भी मैं यह सूचना 15 दिन के अन्दर दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

कुछ तो सूचना आयी होगी थोड़ी, बहुत ? क्योंकि अब सत्र समाप्त हो जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं इसकी सूचना आपको भिजवा दूंगा ।

जिला गोरखपुर में सरयू नदी पर कम्हरिया घाट पर पुल निर्माण

*13—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री गोरखपुर जिले की खजनी तहसील के दक्षिणांचल की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कि उस क्षेत्र की जनता को सरकारी, न्यायिक तथा शैक्षिक कार्यों एवं तीर्थ आदि के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या तथा काशी स्थानों पर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, सरयू (घाघरा) नदी पर कम्हरिया घाट पर पुल बनवाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र की बड़ी उचित समस्या का उल्लेख करके माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि इन क्षेत्रों को सुविधा मिल जायेगी । गोरखपुर में खजनी तहसील के दक्षिणांचल पर सरयू (घाघरा) के किनारे-किनारे इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी तथा काशी आदि स्थानों को जाने के लिये लगभग 200 किमी0 का चक्कर काट कर जाना पड़ता है । यह मामला मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह के सामने भी उठाया था तो उन्होंने कहा था कि कम्हरिया घाट पर या बड़हलघाट पर पुल बनवा दें ?

तो मैंने कहा था कि जहां आप चाहें बनवा दें । आज मंत्री जी कह रहे हैं कि "प्रश्न ही नहीं उठता है" । मैं अपनी बात पर बल देते हुए फिर कहता हूं कि यदि और कुछ न हो सके तो पहले ही की तरह से वहां पीपे का पुल कम्हरिया घाट पर बनवा दें जिससे कि वहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा प्राप्त हो सके ।

श्री अम्मार रिजवी—

जो माननीय हरीश जी बात कह रहे हैं, यह सत्य है कि वह बहुत पिछड़ा इलाका है । हमारे पास जो सूचना थी उसी के आधार पर मैंने यहां यह बात कही थी और माननीय हरीश जी का भी कोई पत्र मुझे इस सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुआ था । लेकिन अब जो बात विधायक जी ने कही है इसे हम दिखवा लेंगे यदि पीपे उपलब्ध होंगे, हम दिखवा लेंगे, यदि यह काम हो सकता है तो इसे करवा दिया जायेगा ।

आत्मा राम इण्टर कालेज बलिया बरेली में क्षतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के मद में शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच

*14—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में आत्माराम इन्टर कालेज बलिया बरेली में क्षतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के मद में परगनाधिकारी आंवला बरेली ने जांच के समय शासकीय धन का दुरुपयोग पाया था ? यदि हां तो परगनाधिकारी की जांच आख्या के अनुसार कितने रुपये की शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी तथा प्रधानाचार्य दोषी हैं ? उक्त मामले के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बरेली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु किन-किन तिथियों में किस अधिकारी को आदेश पारित किये हैं ? क्या उस अधिकारी के आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

जांच आख्या में दुरुपयोग हुयी वास्तविक धनराशि का उल्लेख नहीं है जांच अधिकारी की जांच आख्या पर शासन द्वारा अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है ।

जिलाधिकारी, बरेली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली को दिनांक 26-9-87 को आदेश दिये गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे यह बतला दें कि वहां कितने रुपये का गबन हुआ और कौन-कौन लोग इसमें इन्वाल्व थे ?

श्रीमती दीपा—

माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है इसमें वास्तविक धनराशि का उल्लेख इसमें नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

लखनऊ नगर में विकासदीप आदि के भवन निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को आवंटित धनराशि

*15—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में विकासदीप व नियोजन भवन के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को कब और कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन भवनों के निर्धारित समय से न तैयार हो पाने के कारण सरकार को इन भवनों में चलने वाले कार्यालयों हेतु करोड़ों रुपया किराया के रूप में देना पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार (मुख्यालय) अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल विकासदीप के भवन का निर्माण कार्य निर्माण निगम को सौंपा गया था जिसके लिये समय-समय पर निर्माण निगम को उपलब्ध कराई गयी धनराशियों के विवरण संलग्न तालिका† में उल्लिखित है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में चीनी मिलों में कार्य करने वाले दैनिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

*16—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों में काम करने वाले दैनिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है ? यदि हां, तो वह न्यूनतम मजदूरी कितनी है ? क्या चीनी मिलों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किये जाने की शिकायत स्थायी श्रम सलाहकार समिति की बैठक में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण करा कर चीनी मिलों द्वारा न्यूनतम निर्धारित मजदूरी दिलाने को सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों में कार्य करने वाले दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अलग से निर्धारित नहीं है ।

श्रम स्थायी समिति की बैठक में माननीय विधायक सदस्य ने सरैया चीनी मिल सरदारनगर में लोडिंग का कार्य करने वाले दैनिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये जाने की शिकायत की थी । जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि लोडिंग करने वाले श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित किये जाते हैं जिन्हें रु0 45 प्रति 100 कुन्तल की दर से लोडिंग का भुगतान किया जाता है ।

---

†देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 212 पर ।

*17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

मल्लाह जाति के लोगों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया जाना

*18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नदियों, पानी में जीवनयापन करने वाले मल्लाह जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इनके पिछड़े जीवन को ध्यान में रखते हुए इनको भी अन0 जनजाति वर्ग में शामिल करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मैयद सईदुल हसन—

जी नहीं ।

जी नहीं । इन्हें पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया है तथा आगरा, अलीगढ़, बलिया, बुलन्दशहर, इटावा, मैनपुरी, मिर्जापुर, गोरखपुर तथा मथुरा के जनपदों में स्थायी रूप से निवास करने वाली विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है । इन्हें तदनुसार सुविधायें प्राप्त हैं ।

जनपद जौनपुर के ग्राम जमदहां में कब्रिस्तान भू0 नं0 51 व मस्जिद की भूमि पर लिंक मार्ग का निर्माण

*19—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्राम जमदहां में कब्रिस्तान भू0 नं0 51 व मस्जिद की भूमि नं0 484 पर अवैध तरीके से लिंक मार्ग बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कब्रिस्तान व मस्जिद की भूमि से लिंक मार्ग हटाकर बनाये जाने के समुचित आदेश देंगे ? क्या उक्त अपराध में लिप्त ज0 इंजीनियर को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त भण्डार नाइकों के कार्य व अधिकारों सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

*20—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में स्टोर कीपरों की नियुक्ति वित्तीय हस्त पुस्तिका प्रस्तर-6 पैरा 194 में निहित अधिकारों के तहत की गई है ? यदि हां, तो इसे बिना परिवर्तन किये हुए 14 अगस्त, 1981 से इन्हें कार्यों एवं अधिकारों से वंचित क्यों कर दिया गया है, जिससे लगभग 300 स्टोर कीपरों के अधिकारों एवं कार्यों का हनन हो रहा है और वे बिना कार्य के वेतन ले रहे हैं ? क्या यह सच है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-8-87, 31-12-87 एवं

2-1-88 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा कि विधीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के उक्त प्रस्तर में प्राविधानित है, भण्डारों पर भण्डार नायकों की नियुक्ति भण्डारों के कार्यभार को देखते हुए की जाती है । इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्तर में भण्डार नायकों के कर्तव्यों का निर्धारण मात्र किया गया है ।

प्रस्तर 194 अथवा उक्त हस्त पुस्तिका के किन्हीं और प्राविधानों के अन्तर्गत भण्डार नायकों को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार भण्डारों से सम्बन्धित कोई भी विभागीय कार्य सौंपे जा सकते हैं । अतः उनके कर्तव्यों के निर्धारण मात्र से हैं । जनहित में सौंपे गये कार्य उनसे लिये जा रहे हैं और वे बिना कार्य के वेतन नहीं ले रहे हैं ।

जी हां ।

उक्त पत्रों में व्यक्त किये गये माननीय सदस्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मामले में विचार किया गया, परन्तु भण्डारों पर, जिनका आकार बहुत बृहत् हो चुका था, सम्यक् नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासनादेश द्वारा की गयी व्यवस्था को बनाये रखना ही श्रेयस्कर समझा गया ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया में वर्ष 1984-85 से 86-87 में विकलांगों एवं विधवाओं को स्वीकृत पेंशन

1—डा० शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में कितने विकलांगों व कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ?

श्रीमती दीपा—

बलिया जनपद में निम्न वर्षों में विकलांगों एवं विधवाओं को निम्न प्रकार अनुदान स्वीकृत किया गया है :—

	वर्ष 1984-85	वर्ष 1985-86	वर्ष 1986-87
विकलांगों की संख्या	650	650	650
विधवाओं की संख्या	2050	2050	2050

जिला बलिया के सुदर्शन कृषक विद्यालय, किरिहड़ापुर के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति हड़पने सम्बन्धी पत्र पर कृत जांच व कार्यवाही

2—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि सुदर्शन कृषक विद्यालय, किरिहड़ापुर, जिला बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने की जांच व कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के कितने पत्र वर्ष

1985-86, 1986-87 में शासन को प्राप्त हुए हैं तथा विभागीय सचिव ने कितनी बार जांच व कार्यवाही हेतु आदेश दिया है और उक्त गम्भीर प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

विभागीय सचिव से माननीय सदस्य विधान सभा मिले और उनकी शिकायत के आधार पर विभागीय सचिव ने प्रश्नगत मामले में दिनांक 22-7-1987 को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को जांच करने के आदेश दिये थे तथा दिनांक 11-8-1987 को अनुस्मारक पत्र निदेशक को जांच आख्या भेजने के विषय में प्रेषित किया था। इस सम्बन्ध में शासन को यह अवगत कराया गया है कि जांचकर्ता को संस्था के प्रधानाचार्य ने कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। अतएव प्रधानाचार्य के विरुद्ध 1 मार्च, 1988 को एफ0 आई0 आर0 पुलिस थाने में दर्ज करा दी गयी है। विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारी संघ की वर्ष 1976 की याचिका नं0 7304 के निर्णय का प्रकाशन

3—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारी संघ के वर्ष 1976 में याचिका नम्बर 7304 पर अपना निर्णय दिया था और 29-1-85 को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था एवं दिनांक 11-10-86 को चीफ स्टैन्डिंग कौंसिल को भी अवगत करा दिया था ? यदि हां, तो 20 नवम्बर, 1987 तक सरकार द्वारा उक्त निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त निर्णय को तुरन्त गजट में प्रकाशित कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद मुईदुल हसन—

रिट याचिका संख्या 7304/86 य0 पी0 राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारी संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य से संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम), मेरठ द्वारा अभिदेशवाद संख्या 168/72 में दिया गया निर्णय दिनांक 2 फरवरी, 1987 को ही औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम) मेरठ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दिया गया है। अब औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये एवार्ड का प्रकाशन राजकीय गजट में न कर संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर ही होता है।

जनपद आजमगढ़ के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधवापार को स्वीकृत छात्रवृत्ति में अनियमितता की जांच

4—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधवापार, जनपद आजमगढ़ को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा 1979 से 1983-84 तक किस-किस कक्षा के कितने-कितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ? क्या यह सत्य है कि स्वीकृत की गयी छात्रवृत्ति में ऐसे भी छात्र हैं जो विद्यालय में पंजीकृत नहीं

है ? संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नगद किया गया अथवा चेक से और क्या उक्त अनियमितता की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजमणि मेंठ अस्थाई खण्ड 2, मा0 नि0 वि0, फैजाबाद को हसकर-टाण्डा रोड पर गिट्टी चोरी की सूचना पर जांच

5—श्री अलगू यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजमणि-मेठ अस्थाई खण्ड 2, मा0 नि0 वि0, फैजाबाद ने माह अक्टूबर, 1987 में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता कार्यालय में हसकर-टाण्डा रोड पर गिट्टी चुराये जाने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा मौकेपरान्त कौन दोषी पाया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

गिट्टी चोरी के तथ्यों को छुपाने तथा एफ0 आई0 आर0 दर्ज न कराने के संबंध में जांच कराकर अभिलेख सहित जांच आख्या प्रस्तुत करने के आदेश मुख्य अभियन्ता (फैजाबाद क्षेत्र) को भेजे जा चुके हैं । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच व कृत कार्यवाही

6—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 नि0 वि0 में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच किस स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जाती है ? 1 अप्रैल, 1984 से कितने अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई, किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गयी है ? कितनी शिकायतों पर निर्णय लिया जा चुका है, क्या-क्या दण्ड दिये गये हैं और कितनी शिकायतें लम्बित हैं ? नियमानुसार किसी जांच के लिये शासन द्वारा कितना समय अपेक्षित है, निर्धारित समय में कितनी शिकायतों की जांच की जा चुकी है ? जिन अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में जांच नहीं की गयी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) तथा मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच प्रमुख अभियन्ता द्वारा की जाती है ।

अब तक अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध 135 तथा मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (परिवाद) द्वारा तथा मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच प्रमुख अभियन्ता द्वारा करायी गयी है ।

जांच आख्यायें विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं । अभी 36 शिकायतों पर जांच लम्बित है ।

जांच पूरी होने के लिये 6 सप्ताह का समय अपेक्षित होता है और निर्धारित समय के अन्दर ही जांच आख्या भेजने का प्रयास किया जाता है ।

निर्धारित प्रक्रिया के पालन करने में समय लगता है तथा जांच की संख्या अधिक होने के कारण निर्धारित समय से भी अधिक समय लग जाता है । अतः जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लखनऊ एवं 47 वां वृत्त, मुरादाबाद द्वारा आशुलिपिकों को ठेकेदारों के बीजक भुगतान हेतु गोपनीय रजिस्टर खोलने के दिये आदेश व शासनादेश का रा0 मा0 के खण्डों में अनुपालन की कार्यवाही

7—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4294/74-23-सा0 नि अनु0-9, दिनांक 15-10-74 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 550/ एम0 टी0 जी0/45-एम-21-74, दिनांक 29-12-83 में निहित आदेशों से चतुर्थ वृत्त, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 28-1-84 एवं 47 वां वृत्त, मुरादाबाद ने पत्र दिनांक 7-4-84 से ठेकेदारों के बीजक भुगतान हेतु गोपनीय रजिस्टर आशुलिपिकों को खोलने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो रा0 मा0 के खण्डों में कब से शासनादेश लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-12-87 सचिव, सा0 नि0 वि0/प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

शासनादेश संख्या 4294/74-23-सा0 नि0-9, दिनांक 15-10-74 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 550/एम0 टी0 जी0-45-एम-21-74, दिनांक 29-12-83 में आदेश जारी किये गये और उन्हीं के आधार पर चतुर्थ वृत्त, लखनऊ में पत्रांक 1-एम/4 एम-4/84, दिनांक 28-1-84 तथा 47 वां वृत्त, मुरादाबाद द्वारा पत्रांक 1698/49-एम-47/84, दिनांक 7-4-84 को ठेकेदारों के बीजक भुगतान हेतु गोपनीय रजिस्टर आशुलिपिकों को खोलने के आदेश दिये हैं ।

राष्ट्रीय मार्ग क्षेत्र के अन्तर्गत यह आदेश पहले से ही लागू है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-87 सचिव, सा0 नि0 वि0/प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस पर कार्यवाही किये जाने का कोई अवसर नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में गोरखपुर–सोनौली मार्ग को फरेन्दा से सोनौली तक चौड़ा करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

8—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में गोरखपुर–सोनौली मार्ग को फरेन्दा से सोनौली तक चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 52 ज0 पा0-87,

दिनांक 7-1-1987 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया गया है । विश्व बैंक परियोजना में स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर के मुख्यालय स्थित सा0 नि0 वि0 के डाक बंगलों के कक्षों में ठहरे व्यक्तियों की सूचना

9—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के मुख्यालय स्थित सार्व0 निर्माण विभागों, डाक बंगलों में कुल कितने कक्ष हैं ? इन कक्षों को 15 अगस्त, 1986 से 31 अगस्त, 1986 के मध्य किन-किन व्यक्तियों के नाम आवंटित किया गया था एवं इस दौरान कौन व्यक्ति वहां ठहरे थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो डाक बंगले बने हैं जिनमें प्रत्येक में तीन कक्ष हैं । प्रान्तीय खण्ड के डाक बंगले में एक कमेटी रूम भी है । दोनों डाक बंगलों के कक्षों को दिनांक 15 अगस्त, 1986 से 31 अगस्त, 1986 के मध्य जिन-जिन व्यक्तियों के नाम आवंटित किया गया था एवं इस दौरान जो-जो व्यक्ति वहां ठहरे थे, उनकी सूची संलग्न† है ।

राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के वर्तमान पद पर नियुक्ति के विरुद्ध ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

10—श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के वर्तमान पद नियुक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ अधीक्षण अभियन्ताओं व प्रोजेक्ट आफिसर्स द्वारा दिसम्बर, 1987 के अन्त में शासन को कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

दिसम्बर, 1987 के अन्त में इस प्रकार का कोई ज्ञापन शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र रारी में सड़क एवं पुल निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही तथा सई नदी पर पुल बनवाने की मांग

11—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-85 जो कि रारी विधान सभा क्षेत्र, जौनपुर में सड़क एवं पुल निर्माण के सम्बन्ध में था, प्राप्त

---

†देखिये नत्थी 'ग' आगे पृ0 213 पर ।

हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुख्य मंत्री ग्राम कलीचाबाद सराय त्रिलोकी सिकन्दरा, बाबा परमहंस एवं नदी के नालों पर बरई पार से उसरा बाजार मार्ग पर सई नदी में पुल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

शासन के सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-11 के पत्र दि0 10 अप्रैल, 86 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, स0 नि0 वि0, वाराणसी से उल्लिखित मामलों में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया एवं प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जौनपुर को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी ।

ग्राम कलीचाबाद, सराय त्रिलोकी, सिकन्दरा, बाबा परमहंस मंदिर क्षेत्र में पड़ने वाले प्रस्तावित पुल जिला योजना से सम्बन्धित कार्य हैं, जिनकी स्वीकृति एवं निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति पर निर्भर है । बरई पार से उसरा बाजार मार्ग पर सई नदी पर प्रस्तावित सेतु अन्य जिला मार्ग की श्रेणी पर पड़ने वाला एक दीर्घ सेतु है, जिसका निर्माण राज्य सेक्टर के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड सौरिख के मुख्यालय पर विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि व ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही

12—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या स0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड सौरिख के मुख्यालय पर खण्ड विकास अधिकारी टाइप भवन 1, सहायक विकास अधिकारी टाइप भवन 3, लिपिक वर्गीय टाइप भवन 1, चतुर्थ श्रेणी टाइप भवन 1, जीप गैराज टाइप भवन 1 का निर्माण स0 नि0 विभाग, फर्रुखाबाद द्वारा प्रारम्भ कराया गया था ? यदि हां, तो शासन का उक्त निर्माण में कितना धन व्यय हुआ ? क्या उक्त भवन स0 नि0 विभाग, फर्रुखाबाद द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । प्रश्नगत निर्माण वर्ष 1968-69 में प्रारम्भ किया गया था ।

बीस वर्ष पुराने अभिलेख, कार्यों के एक खण्ड से दूसरे खण्ड में स्थानान्तरित किये जाने के कारण हर सम्भव प्रयास करने पर भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं जिससे निश्चित आंकड़े देना सम्भव नहीं हो पा रहा है । प्रश्नगत आवासीय भवनों के निर्माण पर वर्ष 1968-69 से 1970-71 के बीच में अनुमानतः लगभग रुपये 48,576 व्यय हुआ था । यह जानकारी करने के लिये कि ये भवन ग्राम्य विकास विभाग को क्यों हस्तान्तरित नहीं किये जा सकें, उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है, भवनों की खराबियां, उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी तथा भवनों की मरम्मत के आगणन तैयार करने के लिये दो अधीक्षण अभियन्ताओं की एक जांच समिति गठित की गयी है जिसकी आख्या के प्राप्त होने के बाद निश्चित स्थिति सामने आ सकेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद एटा की काली नदी के लोन घाट पर पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच

13—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 18-7-86 जो कि जनपद एटा की काली नदी के लोन घाट पर निर्मित पुल में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के तथ्यों को माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

समस्त तहसील मुख्यालयों व विकास खण्ड मुख्यालयों पर प्रशासकीय ढांचे को विकेन्द्रित करने हेतु पत्र के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में कार्यालयों की स्थापना

14—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम स्वरूप, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या 1536 ई0 सी/23-सा0 नि0 वि0 अनुभाग—5-86 लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 1986 द्वारा समस्त तहसील मुख्यालयों पर व विकास खण्ड मुख्यालयों पर विभागीय प्रशासकीय ढांचे को विकेन्द्रित किये जाने सम्बन्धी पत्र जारी किया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ व इस तहसील में स्थित विकास खण्डों पर कौन-कौन से कार्यालय स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन कब तक तहसील मुख्यालय व विकास खण्ड मुख्यालय पर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लागू करके कार्यालय स्थापित करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

छिबरामऊ तहसील पर उपखण्ड स्थापित किया जा चुका है । इस तहसील के 4 विकास खण्डों में से 2 विकास खण्डों छिबरामऊ एवं सौरिख में अवर अभियन्ता के मुख्यालय इस समय हैं । शेष दो विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं के मुख्यालय रखने हेतु वांछित कार्यभार नहीं है । अतः इन पर अवर अभियन्ता का मुख्यालय रखना आवश्यक नहीं है । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति पहले से ही लागू है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में वर्ष 1986, 1987 व वर्ष 1988 के जनवरी माह तक विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियां

15—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम में वर्ष 1986-1987 एवं वर्ष 1988 के माह जनवरी में दैनिक वेतन, एडहाक तथा नियमित रूप में किन-किन पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न इकाइयों पर निगम द्वारा की गयी हैं ? क्या इन नियुक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालय से मांगे गए अथवा विज्ञापन किया गया ? यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों का ब्यौरा क्या रहा ? क्या ये समस्त नियुक्तियां सी0 एन0 वी0 एक्ट तथा शासन के विभिन्न आदेशों के अनुरूप की गयी हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम में वर्ष 1986,87 एवं वर्ष 1988 के माह जनवरी में प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न इकाइयों में दैनिक वेतन, एडहाक तथा नियमित रूप से विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों का विवरण माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

नियमित रूप से जिन पदों पर बाहर से नियुक्तियां की गयी हैं, के सम्बन्ध में विज्ञापन दिया गया तथा सेवायोजन को सूचित किया गया । लेकिन निगम में लम्बी अवधि से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, एडहाक तथा दैनिक वेतन पर की गयी नियुक्तियों (एक मामले को छोड़ कर) के सम्बन्ध में न तो विज्ञापन दिया गया और न ही सेवायोजन कार्यालय को सूचित किया गया ।

नियमित रूप से की गयी नियुक्तियों का स्रोत निगम में लम्बी अवधि से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तथा विज्ञापन/सेवायोजन कार्यालय था । एडहाक रूप में की गयी नियुक्ति का स्रोत निगम में कार्यरत अप्रेन्टिस अभियंता थे । दैनिक वेतन पर की गयी नियुक्तियों का स्रोत प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आवेदन-पत्र था । इकाइयों में मुख्यतः श्रमिक श्रेणी नियुक्तियां की गयीं जिनका स्रोत स्थानीय स्तर तथा छंटनीशुदा कर्मचारी रहे ।

दफ्तरी, चपरासी, जमादार, फर्राश, स्वीपर तथा वाचमैन आदि के पदों पर नियुक्ति हेतु सी0 एन0 बी0 एक्ट के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । इन पदों के अतिरिक्त जिन पदों पर दैनिक वेतन, एडहाक पर नियुक्तियां की गयी तथा निगम में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया गया है, के संबंध में सी0 एन0 बी0 एक्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है । भविष्य में सी0 एन0 बी0 एक्ट के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निगम को निर्देश दिये जा रहे हैं । मा0 मंत्री जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विवरण में वर्ष 1987 में लेखा लिपिक के जिन 33 पदों पर नियमित नियुक्तियां की गयी हैं, सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1987 की निगम में प्राप्ति के पूर्व की गयी हैं ।

सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

16—श्री बदरीनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम मंगलवार को अता0 प्र0 सं0—37 में मुख्य अभियन्ता म0 अ0 ने अपने पत्रांक 5101 सी जेड ई दिनांक 29-5-85 से 10 दिनों में जांच पूर्ण करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो किन शासनादेशों के अंतर्गत ? क्या जांच अधिकारी श्री वीर भद्र सिंह ने 10 दिनों में जांच पूर्ण की ? यदि हां, तो सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री सुरेन्द्र कुमार जांच अधिकारी द्वारा 3 वर्ष में दी गयी जांच आख्या अपूर्ण थी ? यदि हां, तो तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता से पुनः जांच पूर्ण करने के आदेश दिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में गौरी नदी के गौरी घाट पर पुल निर्माण हेतु पीपों की आपूर्ति एवं पीपों के नदी में डूबने के फलस्वरूप दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु कार्यवाही

17—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गौरी नदी के गौरी घाट पर गत वर्ष कितने पीपों की आपूर्ति की गयी तथा कितने पीपे पुल निर्माण में लगाये गये ? क्या इनमें से 4 पीपे पिछले बाढ़ में बह गये अथवा नदी में डूबकर धस गये ? यदि नहीं तो उक्त पीपे कहां हैं ? क्या बाढ़ के पूर्व पीपे जोड़े नहीं गये, तो जिससे बाढ़ के पानी से बहकर उक्त पीपे नदी में डूबे और गर्मी में नदी का पानी सूखने के बाद भी पीपे जमीन के अन्दर से बाहर नहीं निकाले गये ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

गौरीघाट पर गत वर्ष 1987 में पीपों की कोई आपूर्ति नहीं की गयी । वर्ष 1984 में प्रश्नगत घाट पर कुल 14 पीपों की आपूर्ति की गयी थी । इन 14 पीपों में से वर्ष 1985 में 10 पीपे प्रयोग में आये, वर्ष 1986-87 में 10 पीपों का उपयोग पुल के निर्माण में किया गया एवं वर्ष 1987-88 में पुल के निर्माण में 11 पीपों को उपयोग में लाया गया ।

वर्ष 1985 में गौरी नदी में बाढ़ आई थी, जिसमें 4 पीपे नदी में डूब गये थे । वर्ष 1985 में वर्षा ऋतु के पूर्व सभी पीपे नदी के किनारे बांधे गये थे, परन्तु अचानक अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण कुल पीपों में से 4 पीपे उलट गये और पानी भर जाने के कारण ये पीपे पानी में डूब गये । डूबे हुए पीपों में से 3 पीपे नदी के बाहर निकाले जा चुके हैं । शेष एक पीपा अभी नदी के तल में फंसा हुआ है तथा इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है ।

यद्यपि पीपों के डूबने की घटना दैवी आपदा के कारण हुई परन्तु प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20 जून, 1985 को अचानक बाढ़ में पीपों के टेढ़े होने की सूचना सहायक अभियन्ता को न देने एवं सहायक अभियन्ता द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व निरीक्षण न करने का दोषी पाया गया, जिसके लिये मुख्य अभियन्ता द्वारा अवर अभियन्ता को निन्दित करने एवं सहायक अभियन्ता को चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है ।

श्री एन0 ए0 हनफी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता अकबरपुर के विरुद्ध कोतवाली में लिखाई गयी प्राथमिक रिपोर्ट

18—श्री शेर बहादुर सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 118 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अकबरपुर, फैजाबाद कोतवाली में किस व्यक्ति द्वारा किस धारा में और क्या रिपोर्ट लिखाई गई है तथा अब तक विवेचना पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री एन0 ए0 हनफी तत्कालीन सहायक अभियंता अकबरपुर के विरुद्ध श्री जियाराम पुत्र श्री मुनेश्वर द्वारा कालेपुर-बाकरगंज-महुअल मार्ग के किमी0 2 में कराये गये

भुगतान के संबंध में धारा 420 के अन्तर्गत अकबरपुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गयी थी। लिखाई गयी प्राथमिक रिपोर्ट में क्या दिया गया है यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है और न ही यह ज्ञात है कि विवेचना पूरी हुई या नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान आदि सम्बन्धी पत्र पर आख्या की मांग

19—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 11 के उत्तर के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-9-86 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों को वेतनमान आदि दिये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में मांगी गयी आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

आख्या *संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 कानपुर द्वारा चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के रिक्त पदों हेतु किये साक्षात्कार का परिणाम घोषित न होना

20—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, दिसम्बर, 1987 में कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 कानपुर द्वारा चिकित्साधिकारी (होम्योपैथ) के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार किया गया था ? क्या यह सही है कि परिणाम लगभग 6 माह बाद भी घोषित न हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां। यह सही है कि उसका परिणाम घोषित नहीं हो सका है क्योंकि उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच में विवादग्रस्त है।

जनपद लखनऊ में राजकीय निर्माण निगम द्वारा सरकारी भवन व आवासीय आवास बनाने के प्रस्ताव हेतु आवंटित धनराशि व स्वीकृत अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराने हेतु कृत कार्यवाही

21—श्री विजय सिंह राणा, श्री अचल सिंह, श्री आंसान सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में राजकीय निर्माण निगम द्वारा लखनऊ जनपद में कितने सरकारी भवन एवं आवासीय आवास के बनाये जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए विभाग द्वारा कितना धन आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है ? क्या

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 214 पर)

सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में स्वीकृत कितने भवन अभी तक बनकर पूर्ण नहीं हो पाये हैं, उसका क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा यू0 पी0 अपट्रान भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

लखनऊ जनपद में 3 सरकारी भवन तथा 55 आवासीय भवन (19 मोटर गैराज तथा 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास) बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए कुल 68.99 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में राजकीय निर्माण निगम द्वारा जनपद लखनऊ में बनाने हेतु कोई भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था ।

निर्माण निगम द्वारा यू0 पी0 अपट्रान के तीन भवन लखनऊ में बनाये जा रहे हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत् है :—

(1) यू0 डी0 एस0 एल0 फैक्ट्री, अपट्रान, गोमतीनगर लखनऊ :—कार्य 30-12-87 से प्रारम्भ किया गया था जिसके 15-10-89 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(1) आर0 एण्ड डी0 ब्लाक, गोमतीनगर, लखनऊ :—1-6-88 से प्रारम्भ हुए कार्य के 30-12-88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(3) कन्ट्रोल सिस्टम फैक्ट्री, चिनहट देवा रोड, लखनऊ :—कार्य अक्तूबर, 87 में प्रारम्भ कराया गया । इस कार्य को 30-11-88 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

जिला बस्ती, ग्राम साथा के श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव की मेंहदावल सोहरसना मार्ग के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने हेतु कृत कार्यवाही

22—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-5-88 को जो कि श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम साथा, तहसील-बांसी, जिला-बस्ती की मेंहदावल-सोहरसना मार्ग के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि के मुआवजे के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम साथा, तहसील-बांसी, जिला-बस्ती की मेंहदावल सोहरसना मार्ग में ली गयी भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का कोई पत्र दिनांक 28-5-88 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला सीतापुर, ग्राम-माखूबेहड़ में सड़क निर्माण हेतु ली गयी कृषि योग्य भूमि का प्रतिकर देने की कार्यवाही

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-माखूबहेड़, परगना-तम्बौर, जिला-सीतापुर में सर्वश्री पवन कुमार तथा श्रीमती गोमती देवी की कृषि भूमि खसरा नं0 528 तथा

278 सड़क निर्माण में चली गयी ? यदि हां, तो उसका प्रतिकर अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? सड़क निर्माण के पूर्व प्रतिकर क्यों नहीं दिया गया ? प्रतिकर कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद सीतापुर में ग्राम यासूबहेड़ से लहरपुर-तम्बौर मार्ग पूर्व में जिला परिषद मार्ग था जिसके संरक्षण पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी एवं कंकर सोलिंग का कार्य कराया गया था । इस मार्ग में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्री पवन कुमार तथा श्रीमती गोमती देवी की कोई भूमि नहीं ली गई थी । अतः उन्हें प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के लोगों के हरिजन समाज कल्याण विभाग की इंचार्ज बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने व स्थानान्तरण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

24—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माइन एरिया औरास, जनपद उन्नाव के मोती लाल द्विवेदी, शिव मंगल, आर0 बी0 द्विवेदी आदि एक सौ से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव को मई 1987 में भेजकर हरिजन समाज कल्याण विभाग की इंचार्ज बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनको अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीना—

जी नहीं ।

श्रीमती चन्द्र किरण राव को मगदा जनपद मिर्जापुर स्थित बाल विकास परियोजना में स्थानान्तरित किया गया है ।

जनपद झांसी में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जानकारी

25—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में वर्ष 85-86, 86-87 एवं 87-88 की दशमोत्तर (हरिजन) अनुसूचित जातीय छात्र/छात्राओं अनिवार्य छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने के संबंध में जिले के किस-किस विद्यालय ने कितने छात्र/छात्राओं के फार्म भर करके किस दिनांक को दिये हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, झांसी को भेजे गये तथा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ने किस विद्यालय को किस दिनांक को कितने छात्र/छात्राओं की किस वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर सूचना दी ? हरिजन छात्र/छात्राओं की अनिवार्य छात्रवृत्ति जिस वित्तीय वर्ष की है, उसी वर्ष में उन्हें उपलब्ध न कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर भविष्य में जिस वर्ष की छात्रवृत्ति हो उसी वर्ष में उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

प्रश्नगत मामले में वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 एवं 87-88 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में संबंधित विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव ।

वाराणसी के काशी कृषक इन्टर कालेज के अनुसूचित, जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति जमा करने हेतु स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने के लिए निर्देश का अनुपालन

26—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी कृषक इन्टर कालेज, वाराणसी के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्र-वृत्ति के संबंध में स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खाता खोलने से इनकार करने से उत्पन्न कठिनाई के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-3-88 के उत्तर में उनके पत्र संख्या 305/एम/88 दिनांक 15/16-3-88 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त छात्रों की कठिनाई दूर करने के निमित्त खाता खोलने के लिए स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक को दिए गये उनके निर्देश का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो समस्या का निराकरण कब तक हो जायगा ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र की विधवा महिलाओं हेतु पेंशन की व्यवस्था

27—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में विधवा महिलाओं का सर्वेक्षण कराकर उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं । क्योंकि विधवाओं को पेंशन देने की शासन की कोई योजना नहीं है, अपितु वर्षानुवर्ष पात्र निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण हेतु 60 रु0 प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है ।

28—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[दूसरे बुधवार में आ0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक स्थित अशरफपुर बरवा में सेन्ट्रल बैंक की शाखा खोलने तथा गौहनियां—अकबरपुर मार्ग को पक्का करने की मांग पर कृत कार्यवाही

30—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में स्थित ग्राम अशरफपुर बरवा में सेन्ट्रल बैंक की शाखा खोलने में आ रही कठिनाइयों के विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 13 मई, 1988 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा 1 फरवरी, 1988 को जारी किये गये सरकुलर द्वारा मुख्य सचिव से किये गये अनुरोध को स्वीकार करके गौहनियां-अकबरपुर मार्ग को गौहनियां की तरफ से कम से कम बन्दनपुर से अशरफपुर बरवा ग्राम तक लेपन स्तर तक पक्की कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रस्तावित मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का कराये जाने के संबंध में, जिला योजना के इस कार्य पर शासन के सा0 नि0 अनुभाग-11 के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । अतः प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति एवं निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति पर निर्भर है ।

राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके परिवार के आवास की जांच की कार्यवाही

31—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक का या उनके परिवार का इन्दिरानगर, लखनऊ में कोई निजी भवन है ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा अपने भवन में अपने अधीनस्थ निगम का कोई कार्यालय (खण्डीय) भारी किराये पर खोल रखा गया है और स्वयं सरकारी आवास में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री जगदीश चन्द्र तायल का अपना या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई निजी मकान इन्दिरानगर, लखनऊ में नहीं है । श्री तायल सरकारी आवास संख्या-पी0 डब्लू0-4, दिलकुशा कालोनी, लखनऊ में रहते हैं ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठना ।

जनपद वाराणसी व सम्पूर्ण कालीन मजदूरों की मजदूरी की दरों का निर्धारण

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही जनपद वाराणसी व सम्पूर्ण कालीन मजदूरों के हित में सरकार सहित त्रिदलीय कमेटी द्वारा मजदूरी की दर निर्धारित की

गई है ? यदि हां, तो क्या श्रम कानून के तहत 8 घंटा प्रतिदिन के आधार पर प्रतिमाह में प्रत्येक मजदूर की कितनी दर निर्धारित की गई है ?

संसदीय श्री सईदुल हसन—

जी हां । उत्तर प्रदेश के उन्नी कालीन उद्योग के कर्मकारों की मजदूरी दरों का निर्धारण किया गया है ।

श्रम कानून के तहत 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करने वाले कर्मकारों के लिये अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (1960=100) के 600 अंकों पर कालानुपाती न्यूनतम मासिक दरें जून 1983 से विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिये रु0 525.00 से रु0 750.00 तक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये रु0 605.00 से रु0 700.00 निर्धारित की गई है । सूचकांक के 600 अंकों के ऊपर 75 पैसे प्रति अंक प्रतिमास की दर से महंगाई भत्ता भी देय है ।

बुनकरों, क्लिनरों, इम्बासर्स तथा वाइन्डरों के लिये मात्रानुपाती दरें भी निर्धारित की गई हैं ।

जनपद एटा के सा0 नि0 वि0 कासगंज के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र पर जांच

33—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 18-3-88 जो कि अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 कासगंज जनपद एटा के द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच कब तथा किस अधिकारी से कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

शिकायती-पत्र दिनांक 18-3-88 नहीं, वरन् 1-3-88 प्राप्त हुआ है । मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र आगरा को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद गोण्डा की विभागीय निर्माण इकाई प्रथम सा0 नि0 वि0 में कार्यरत अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

34—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विभागीय निर्माण इकाई प्रथम सा0 नि0 वि0 गोण्डा में कार्यरत अवर अभियन्ता, श्री एल0 एन0 सिंह व श्री मुनीर अहमद पिछले 18 वर्षों से एक ही जनपद में नियुक्त हैं और बीच में थोड़े समय के लिये इनका स्थानान्तरण करके पुनः उसी स्थान पर इसी जनपद में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ? क्या मंत्री जी इनका स्थानान्तरण नियमानुसार अन्यत्र करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

श्री एल0 एन0 सिंह, अवर अभियन्ता विगत 18 वर्षों में से लगभग 15 1/2 वर्ष तक जनपद गोण्डा एवं लगभग 2 1/2 वर्ष अन्यत्र कार्यरत रहे । श्री मुनीर अहमद खां,

अवर अभियन्ता विगत लगभग 12 वर्षों में से 10 वर्ष जनपद गोण्डा एवं लगभग 2 वर्ष अन्यत्र कार्यरत रहे ।

ऐसा जनहित में किया गया ।

श्री एल0 एन0 सिंह, अवर अभियन्ता का कार्यकाल जनपद गोण्डा में पुनः 5 वर्ष पूर्ण न होने के कारण इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है । श्री मुनीर अहमद खां, अवर अभियन्ता का वर्तमान खण्ड/जनपद में कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो चुका था, अतः इनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिनांक 30-5-88 को राष्ट्रीय मार्ग सर्किल खण्ड नं0-1, लखनऊ को किया जा चुका है, इन्हें दिनांक 5-8-88 के अपराह्न से कार्यमुक्त भी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर में पी0 पी0 गंज से सिसई मार्ग पर स्थित गोबरहिया नाले पर पक्का पुल बनाने हेतु कृत कार्यवाही

35—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 अप्रैल, 1987 को प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पी0 पी0 गंज गोरखपुर में पी0 पी0 गंज से सिसई मार्ग पर स्थित गोबरहिया नाले पर पक्का पुल बनाने की घोषणा जनता की मांग पर की थी ? यदि हां, तो अब तक दिनांक 21-3-88) क्या कार्यवाही की गयी ? कब से पुल का निर्माण शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सेतु निर्माण के प्रस्ताव हेतु सर्वेक्षण कराया गया । सेतु स्वीकृत हो गया है । शीघ्र ही स्थल चयन की कार्यवाही करायी जायेगी और तदुपरान्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

जनपद गोण्डा के कार्य अधीक्षक अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 के विरुद्ध शिकायत पर जांच एवं कृत कार्यवाही

36—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्य अधीक्षक अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 गोण्डा के विरुद्ध माननीय विधायक श्री उमेश्वर प्रताप सिंह ने करनैलगंज, गोण्डा द्वारा की गयी गम्भीर शिकायत पर मुख्य अभियन्ता फैजाबाद ने जांचोपरान्त दिनांक 16-3-88 को उक्त कार्य अधीक्षक के स्थानान्तरण करने की संस्तुति की है ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री उ0 प्र0 ने दिनांक 5-1-88 को इनके स्थानान्तरण करने का आदेश सचिव सा0 नि0 वि0 को दिया ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या यह भी सही है कि इन्होंने दिनांक 26 जनवरी, 1988 के राष्ट्रीय पर्व पर झण्डा नहीं फहराया था ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

इनका स्थानान्तरण माह जुलाई, 88 में रानीखेत कर दिया गया है ।

जी हां ।

"निन्दित" करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

37—श्री विजय सिंह राणा—

[दिनांक 3-10-88 को अना0 प्र0 सं0 182 द्वारा उन्तरित]

38—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दूसरे बुधवार में अना0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशालाओं एवं हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को अनावर्ती सहायता की व्यवस्था

39—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशालाओं एवं हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को मिलने वाली अनावर्ती सहायता विगत कई वर्षों से न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार बच्चों व अध्यापकों की कठिनाइयों को देखते हुए अवर्ती अनुदान की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

धनाभाव ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा अतर्रा व नरैनी नगर में मेहतर जाति के लोगों हेतु आश्रम पद्धति का राजकीय विद्यालय खोलने की मांग

40—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा नगर में तथा नरैनी नगर में मेहतर (बाल्मीकी) जाति के लोगों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी आबादी का सर्वेक्षण कराकर आश्रम पद्धति का राजकीय स्कूल खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि जनपद बांदा में पहले से ही तीन आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं ।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति व अर्हता

41—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में लोक सेवा आयोग परिधीय पदों (फोरमैन एवं प्रिंसिपल) पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्ति पद के निमित्त निर्धारित अर्हताओं को परिपूर्ण नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें हटाकर योग्य एवं 1984 में लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीना—

जी नहीं । प्रधानाचार्य के दो पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नत अधिकारी कार्यरत हैं । प्रधानाचार्य के तीनों पदों पर नियमित चयन हेतु आयोग को अभियाचन भेजा जा चुका है । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाने पर उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया जायगा । फोरमैन के चार पदों पर विभागीय पदोन्नति से अस्थायी तदर्थरूप से नियुक्त कर्मचारी कार्यरत हैं । इसमें से एक पद लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित किया जा चुका है । शेष पदों पर भी नियमित नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यरत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तदर्थ पदोन्नति के लिये चयनित हैं व निर्धारित अर्हता रखते हैं ।

42—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[तीसरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद झांसी के 19वां वृत्त कार्यालय सा0 नि0 वि0 तथा अधीनस्थ खण्डों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की संख्या

43—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19वां वृत्त कार्यालय सा0 नि0 वि0 झांसी तथा उसके अधीनस्थ अस्थाई एवं स्थाई खण्डों में वर्ष 1986-87 में कितने कनिष्ठ लिपिक कार्यरत थे और वर्ष 87-88 में कितने कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत कार्यालयों में वर्ष 1986-87 में 73 एवं वर्ष 1987-88 में 63 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत थे ।

चीनी मिलों द्वारा स्थाई तथा सीजनल कर्मकारों की परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न त्रिदलीय सम्मेलन पर आधारित पंच निर्णय राजाज्ञा संख्या 384/एम0 आई0-1/36-2-132/एच0 आई

1/87 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 1988 के अनुसार परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के भुगतान की जो बकाया राशि स्थायी तथा सीजनल कर्मकारों को देय है उसका भुगतान अभी तक किन-किन चीनी मिलों द्वारा नही किया गया है ?

सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई में राजघाट पुल के पास गाइड बांध हेतु स्वीकृत एवं व्यय धनराशि तथा बोल्डरों की आपूर्ति में घोटाले के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

45—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में गंगा नदी पर बने राजघाट पुल के पास गाइड बांध हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या यह सही है कि बांध के लिए आपूर्त बोल्डरों में भारी घोटाला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हरदोई में गंगा नदी पर राजघाट नही, अपितु मेंहदीघाट पर बने पुल के लिए गाइड बांध के कार्य हेतु रुपये 222.03 लाख की धनराशि को स्वीकृति दी गयी थी तथा अगस्त, 1988 तक इस कार्य पर कुल 528.44 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है ।

जी हां ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता के हरिजन छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

46—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का 23 मार्च, 1988 का पत्र श्री मयंक मोहन गुप्त प्रधानाचार्य के प्रार्थना-पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? जो हरिजन छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति से संबंधित है ? क्या मंत्री जी यह आदेश करेंगे कि भविष्य में जिस वर्ष की छात्रवृत्ति हो उसकी उसी वित्तीय वर्ष में वितरित किया जाय ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

छात्रवृत्ति के स्वीकृति के वर्ष में भुगतान करने के आदेश पहले से ही हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक निर्माण अनु0 6, दिनांक 16 अप्रैल, 1988 को भेजे पत्र पर की गयी कार्यवाही

47—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री डाक्टर अम्मार रिजवी के अ0 शा0 प0 सं0 1397/23—6-17-एक्यू-88-सा0 नि0 वि0 अनुभाग-

6, दिनांक 16 अप्रैल, 1988 के अन्तर्गत उल्लिखित विस्तृत जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, परन्तु सामग्री की कमी का मूल्यांकन तथा संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों के पारस्परिक उत्तरदायित्व का निर्धारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और तत्संबंधी जांच अभी जारी है ।

48- श्री मैनेजर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

माननीय विधायक श्री राम सजीवन के दिनांक 4-5-1988 के मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

49—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक श्री राम सजीवन, अध्यक्ष, उ0 प्र0 सा0नि0 वि0 श्रमिक संघ, 7 विशेषर नाथ रोड, लखनऊ का पत्रांक 95/श्रमिक-88, दिनांक 4-5-88 मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में की गई शिकायतों की जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कुमाऊं मण्डल के उपनिदेशक के प्रति शिकायतों की जांच

51—श्री कनक सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विभाग के उप-निदेशक कुमाऊ मण्डल (वर्तमान) का स्थानान्तरण गढ़वाल मण्डल से शिकायतों के आधार पर हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है ? क्या सरकार उन शिकायतों की जांच कराकर उक्त अधिकारी को निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

जी हां । शिकायती-पत्र की प्रति संलग्न है ।

इन शिकायतों की जांच कराई जा रही है और जांच शीघ्र पूर्ण होने की आशा है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निलम्बित करने या न करने के लिए निर्णय लिया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 217 पर)

अकार्यकारी खण्डों में तैनात अधिशासी अभियन्ताओं की संख्या

52—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अधिशासी अभियन्ता अकार्यकारी व भवन खण्ड में तीन और पांच वर्ष से ऊपर लगातार तैनात हैं ? क्या इन अभियन्ताओं को कार्यकारी खण्ड में तैनात करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

अकार्यकारी खण्डों में सात अधिशासी अभियन्ता 3 वर्ष से ऊपर कार्यरत हैं जिनमें से केवल एक अधिशासी अभियन्ता 5 वर्ष से ऊपर कार्यरत है ।

भवन खण्डों में 5 अधिशासी अभियन्ता 3 वर्ष से ऊपर लगातार कार्यरत हैं । इन अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच आदि की स्थिति तथा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी खण्डों में तैनात किये जाने पर आगामी स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद में बीकापुर स्थित हाट मिक्स को रोकने तथा विद्युत/यांत्रिक खण्ड का आडिट

53—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25-5-88 बीकापुर स्थित हाट मिक्स प्लांट को रोकने तथा भ्रष्ट अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को हटाकर विद्युत/यांत्रिक खण्ड सा0 नि0 वि0, फैजाबाद का स्पेशल आडिट कराने के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद व मुख्य अभियंता, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्लांट रोकने के आदेश होने के बाद क्या संबंधित अधिकारियों को हटाकर खण्ड का स्पेशल आडिट कराने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 मई, 1988 जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा मुख्य अभियन्ता फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ।

फैजाबाद से स्थानान्तरित किये गये हाट मिक्स प्लांट के स्थान पर, फैजाबाद के कार्यों हेतु, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, इलाहाबाद में कार्यरत एक मिक्सर बैटरी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, फैजाबाद को स्थानान्तरित कर दी गई है ।

विशिष्ट आरोपों के अभाव में अधिकारियों को हटाने तथा स्पेशल आडिट कराने का कोई अवसर नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

54—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर (फैजाबाद) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1987-88 में किन-किन सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य हेतु एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि कब-कब अवमुक्त की गई और सड़कों पर काम करने वाले दैनिक मजदूरों की मजदूरी कब-कब कितने दिन बाद बांटी गई है ? उपलब्धता के बावजूद भी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य अब भी अधूरा तथा उक्त सम्पर्क मार्गों पर पुलियों का निर्माण अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत प्रकरण में वांछित विवरण माननीय मंत्री सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय विधायक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

इन मार्गों के निर्माण हेतु भूमि काश्तकारों से उनकी स्वेच्छा से प्राप्त करनी होती है, जिससे मार्गों के निर्माण में कुछ समय लग जाता है तथा जब तक मिट्टी का कार्य पूरी लम्बाई में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित न हो जाये तब तक पुलियों के निर्माण की व्यवस्था करना उचित नहीं होता है । अब मिट्टी के कार्य के पश्चात् पुलियों का निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अभी तक डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा पूरी धनराशि भी अवमुक्त नहीं की गई है जिसके कारण भी पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

जनपद फैजाबाद में तमसा व बिसुही पर स्टेट सेक्टर से पुलों का निर्माण

55—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद में विभाग द्वारा स्टेट सेक्टर से किन-किन नदियों पर पुलों के निर्माण की प्राथमिकताएं हैं ? तमसा नदी तथा बिसुही नदी पर स्टेट सेक्टर से पुलों के निर्माण संबंधी प्राथमिकताएं क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश में पुलों के निर्माण की प्राथमिकता नदियों के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56—श्री सुखपाल पाण्डे—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

वनस्पति तेल उद्योग में नियोजित कर्मगारों के लिए गठित त्रिदलीय समिति का निर्णय

57—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि वनस्पति तेल उद्योग में नियोजित कर्मगारों के लिए गठित त्रिदलीय समिति के निर्णय पर आधारित शासन के श्रम अनुभाग (1) द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 1987 को जारी की गयी अधिसूचना संख्या 4027 (एस0 टी0)/

36-1-546 (एस0 टी0) 81 में उल्लिखित अकुशल, अर्द्धकुशल, अतिकुशल, पर्यवेक्षक, लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक आदि वर्गीकरणों की परिभाषा क्या है अर्थात् किस-किस स्तर के कर्मचारी किस श्रेणी में लिए जायेंगे ?

सैयद सईदुल हसन—

वनस्पति तेल उद्योग में नियोजित कर्मकारों के लिए गठित त्रिदलीय समिति के निर्णय के अनुसार जारी अधिसूचना संख्या 4027 (एस-टी)/36-1-546 (एस-टी)-81, दिनांक 14 दिसम्बर, 1987 में अकुशल, अर्द्धकुशल, अतिकुशल, पर्यवेक्षक लिपिक एवं ज्येष्ठ लिपिक के वेतनमान निर्धारित किये गये हैं परन्तु इन वर्गों की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है और न ही वनस्पति तेल उद्योग के लिए गठित त्रिदलीय समिति द्वारा इस संदर्भ में कोई अनुशंसा ही की गई है ।

प्लाईवुड प्रोडक्ट्स लि0, सीतापुर में कार्यरत मजदूरों का वर्गीकरण

58—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्लाईवुड प्रोडक्ट्स लि0, सीतापुर में कार्यरत मजदूरों का वर्गीकरण किये जाने संबंधी उनकी मांग, जो शासन को चालू वर्ष में अनेक बार संदर्भित की जा चुकी है, पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सैयद सईदुल हसन—

प्लाईवुड प्रोडक्ट्स लि0, सीतापुर में कार्यरत मजदूरों का वर्गीकरण किये जाने संबंधी मांग प्राप्त हुई है परन्तु पूर्ण ब्योरा उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी । प्रतिष्ठान में कार्यरत प्लाईवुड कर्मचारी संगठन से विवरण सितम्बर 1988 में ही प्राप्त हुए हैं जिसका परीक्षण किया जा रहा है तदोपरान्त वर्गीकरण संबंधी विवाद को सन्दर्भित किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति द्वारा निर्गत आदेश

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1985 में चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्गत स्थायी आदेश अब तक राजाज्ञा के रूप में प्रकाशित न किये जाने का क्या कारण है ? राजाज्ञा कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

सैयद सईदुल हसन—

चीनी उद्योग के लिये निर्मित स्थायी आदेश शासकीय अधिसूचना संख्या 5692 (एच0 आई0)/36-2-110 (एच0 आई0)-77, दिनांक 27 सितम्बर, 1988 द्वारा लागू किये जा चुके हैं ।

संजय गांधी मेमोरियल बाल गृह, उरई (जालौन) को सहायता

60—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी मेमोरियल बाल गृह, उरई (जालौन) को अब तक किस-किस मद में क्या-क्या सहायता दी जा चुकी है और 6 मार्च, 1986 को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ ने उक्त संस्था को किस कारण से काली सूची में अंकित कर दिया था ?

श्रीमती दीपा—

संजय गांधी मेमोरियल बाल गृह, उरई (जालौन) को निराश्रित बालकों की सुरक्षा एवं देखभाल की योजना के अन्तर्गत 5,726 रुपये का अनुदान दिया गया था और संस्था का संचालन ठीक न होने से इसे काली सूची में अंकित कर दिया था ।

61—देवेन्द्र कुमार सिंह—

[दिनांक 29-3-88 को अता0 प्र0 सं0 64 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर में आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन में कार्यरत लिपिकों की पदोन्नति

62—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 एवं सेवायोजन कार्यालयों में विगत 20-20 वर्षों से कौन-कौन से कनिष्ठ लिपिक किस-किस कार्यालय में कार्यरत हैं जिनकी प्रोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो एक ही पद पर रखे जाने का क्या औचित्य है ? क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किस-किस आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन कार्यालयों में किस-किस माह से वरिष्ठ लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का पद रिक्त है ? यदि रिक्त है, तो अब तक प्रोन्नति न दिये जाने का क्या कारण रहा ?

सैयद सईदुल हसन—

गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित आई0 टी0 आई0 एवं सेवायोजन कार्यालय आते हैं :—

अ—आई0 टी0 आई0

(1) देवरिया (2) आजमगढ़
(3) गोरखपुर (4) बस्ती
(5) बहराइच (6) फैजाबाद
(7) गोण्डा (8) पडरौना ।

ब—सेवायोजन कार्यालय

(1) देवरिया (2) आजमगढ़
(3) गोरखपुर (4) बस्ती
(5) फैजाबाद (6) गोण्डा
(7) बहराइच (8) यू0 ई0 वी0, फैजाबाद
(9) यू0 ई0 वी0, गोरखपुर

उपरोक्त कार्यालयों में से केवल निम्नलिखित कार्यालयों में उनके समक्ष उल्लिखित कर्मचारी ही 20-20 वर्षों से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं जिनको पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक पद पर नहीं की गयी है :—

1—क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर

सर्वश्री—

(1) खैरुल्लाह खां (2) हीरा लाल यादव

2—जिला सेवायोजन कार्यालय, गोण्डा

(1) श्री एस0 एन0 त्रिपाठी

गोरखपुर क्षेत्र में वरिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है, पद उपलब्ध होने पर उसे नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर क्षेत्र में वरिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है, केवल क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर में कार्यालय अधीक्षक परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ सहायक का एक पद दिनांक 24-7-87 से रिक्त है । यह पद स्थायी वरिष्ठ लिपिकों में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं । अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची (राज्य स्तर पर) तैयार की जा रही है जिसे अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति से उक्त रिक्त पद की पूर्ति सम्भव हो सकेगी ।

जनपद गोरखपुर में आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन में मुख्य लिपिक का कार्य वरिष्ठ लिपिक से लिया जाना

63—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन कार्यालयों में मुख्य लिपिक का पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो मुख्य लिपिक के पद पर किस-किस आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन कार्यालयों में कौन-कौन से वरिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं तथा उनसे मुख्य लिपिक का कार्य किस आधार पर लिया जा रहा है ?

सैयद सईदुल हसन—

गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आई0 टी0 आई0 तथा सेवायोजन कार्यालयों में पूर्व में स्वीकृत मुख्य लिपिक के पदों का पदनाम परिवर्तित करके वरिष्ठ लिपिक कर दिया गया है । अतः मुख्य लिपिक का अब कोई पद अस्तित्व में नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी (देवरिया) के श्रमिकों तथा उप श्रमायुक्त के मध्य समझौता

64—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई छितौनी (देवरिया) ने श्रमिकों के मांग पत्र पर उप-श्रमायुक्त गोरखपुर में गत माह मई चार के अन्तर्गत समझौता किया था ? यदि हां, तो समझौता के बिन्दु क्या थे ? क्या समझौते का पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

समझौते में श्रमिकों के फिटमेन्ट किये जाने, मृतक के वारिसों को नौकरी पर रखे जाने, प्रोवेशनल श्रमिकों को स्थायी किये जाने, भूतपूर्व सैनिक कोटे के गनमैनों को स्थायी किये जाने, वर्ष 1985-86-87 का 20 प्रतिशत बोनस दिये जाने, ठेकेदार के श्रमिकों से क्वार्टर खाली करा कर स्थायी श्रमिकों को क्वार्टर दिये जाने, कैजुअल तथा दैनिक वेतन-भोगी श्रमिकों के नामों की सूची प्रकाशित करने और उनका नाम फार्म-12 पर अंकित करने श्रमिकों को वरिष्ठता तथा कार्य क्षमता के आधार पर स्थायी किये जाने, कार्य न करने योग्य श्रमिकों के वारिसों को कार्य दिये जाने तथा श्रमिकों के पुराने पैसे के भुगतान किये जाने के बिन्दु थे ।

श्रमिकों के फिटमेन्ट किये जाने, ठेकेदार श्रमिकों से क्वार्टर खाली कराये जाने एवं मौसमी श्रमिकों को पद रिक्त होने पर वरिष्ठता एवं कार्य-क्षमता के आधार पर स्थायी घोषित किये जाने वाले बिन्दुओं को छोड़कर समझौते के शेष बिन्दुओं का प्रतिपालन हो चुका है ।

फिटमेन्ट से संबंधित वाद औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद में अभिनिर्णय हेतु विचाराधीन है । मौसमी कर्मचारियों के कुछ रिक्त क्वाटरों में वर्तमान मरम्मत-सत्र के ठेकेदारों के श्रमिकों को शरण दी गई है जिन्हें मौसमी कर्मचारियों के आने के पहले रिक्त करा लिया जायेगा । पद रिक्त न होने के कारण मौसमी कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबन्धक द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन

65—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबन्धकों ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी अनेक शासनादेशों का उल्लंघन कर तथा शासन द्वारा गठित चयन समितियों की उपेक्षा करते हुए वर्ष 1983 से अब तक क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा उप परियोजना प्रबन्धकों के पदों पर तैनाती तथा प्रोन्नतियां की हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा वर्ष 1983 से लेकर अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर तैनात किया गया है :—

1—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल

2—श्री मोहन लाल पिंजानी

3—श्री प्रेम दयाल गुप्ता

4—श्री योगेन्द्र कुमार जैन

5—श्री दागेश्वर प्रसाद

6—श्री गोकर्ण सिंह

उप परियोजना प्रबन्धक की तैनाती/प्रोन्नतियों में किसी शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है । अतः उनके संबंध में विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

66—श्री राजकिशोर सिंह—

[दिनांक 26-2-88 को अता0 प्र0 सं0 42 द्वारा उत्तरित]

67—श्री राजकिशोर सिंह—

[दिनांक 26-2-88 को अता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद में धिरूआ नाले पर पुल का निर्माण

68—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में स्थित भारीडीहा सम्पर्क मार्ग का भारोडीहा ग्राम तक निर्माण कार्य पूरा करके तथा धिरूआ नाले पर पुल का निर्माण करके उसे जनसाधारण के प्रयोग के लिए कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है जिसमें से 3.00 किमी0 भाग मिट्टी, पुलिया एवं खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत है । स्वीकृत सम्पूर्ण 3 किमी0 लम्बाई में मिट्टी पुलिया तथा 2 किमी0 लम्बाई में खड़ंजा का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष एक किमी0 लम्बाई में खड़न्जा का कार्य जो वर्ष 1988-89 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है, प्रगति में है ।

मार्ग का शेष 1 किमी0 भाग एवं धिरूआ नाले पर पुल का निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं है । स्वीकृति के उपरान्त ही उनका निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

69—श्री रामचन्द्र वक्श सिंह—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

आई0 सी0 डी0 एस0 विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में स्थानान्तरण

70—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय तथा समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय अलग-अलग कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के आई0 सी0 डी0 एस0 विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी पूर्णरूप से हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में स्थानान्तरित हो गये हैं ? यदि हां तो इनकी संख्या क्या थी ? क्या यह सही है कि अभी कुछ कर्मचारी अपने मूल पद पर अपर निदेशक के संरक्षण में स्थानान्तरित नहीं हुए ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उनके मूल विभाग में तुरन्त स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

मुख्यालय स्तर पर केवल 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें आई0 सी0 डी0 एस0 निदेशालय में स्टाफ कम होने के कारण निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण की सहमति प्राप्त कर कुछ समय के लिए रोका गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था

71—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87, 87-88 तथा जून, 88 तक इलाहाबाद जनपद में कितने शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज कराये और कितने लोगों को शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किये गये व कितनों को अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराया गया ? बाकी शेष के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद मईदुल हसन—

जनपद इलाहाबाद के रोजगार कार्यालय में वर्ष 1986-87 में 26068, वर्ष 87-88 में 24335, तथा माह अप्रैल, 1988 से जून, 88 तक 11203 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया । जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद से प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 173, 87-88 में 296 तथा माह अप्रैल, 88 से जून, 88 तक 14 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान कराया गया । जनपद इलाहाबाद में वर्ष 86-87, 87-88 तथा माह अप्रैल से जून, 88 तक क्रमशः 263, 323 तथा 166 शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को अन्य सेवाओं में नियुक्त कराया गया । सवेतन रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सम्प्रेषित किये जाते हैं । स्वतः नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वयं का रोजगार करने हेतु प्रेरित किया जाता है । समाज के कमजोर व्यक्तियों को नौकरियों के योग्य बनाने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

प्रदेश में सुनार का कार्य करने वाले व्यक्तियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना

72—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश भर में सुनार का काम करने वाले व्यक्तियों को पिछड़ी जाति घोषित किया गया है किन्तु गढ़वाल मण्डल में इसी जाति के (असवाल, चौहान, लिंगवाल, पवार, बुटोला, सजवाण, नेगी, रावत) आदि व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त वर्णित व्यक्तियों को भी पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र देने हेतु मण्डल के जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं । केवल सुनार जाति पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित है । सुनार का काम करने वाले सभी व्यक्तियों को सुनार जाति का नहीं माना जा सकता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

गढ़वाल मण्डल की अस्वाल, लिंगवाल, चौहान, पवार बुटोला, संजवाण, नेगी, रावत आदि जातियां पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है । अतः इन जातियों के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सकते है ।

विकलांग व्यक्ति को पेंशन का प्राविधान

73—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग व्यक्ति जिसका मात्र एक पैर अथवा एक हाथ न हो, पेंशन पाने के लिए विकलांग नहीं माने जाते है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

विकलांग व्यक्ति को पेंशन दी जाने की शासन की कोई योजना नहीं है, अपितु विकलांग निराश्रित व्यक्तियों का भरण-पोषण हेतु रु0 60 प्रतिमाह, अनुदान दिये जाने की योजना है । अनुदान पाने के लिये विकलांग व्यक्तियों का तात्पर्य उस व्यक्ति से ही नहीं होता है जिसका मात्र एक पैर अथवा एक हाथ न हो बल्कि उस व्यक्ति से है जिसकी शारीरिक अक्षमता ऐसी स्थायी प्रकार की हो, कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिये अयोग्य हो गया है ।

अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी लखनऊ में कार्यरत दैनिक मजदूरों तथा अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों का वेतनमान

74—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में अनुमन्य न्यूनतम वेतन क्या है तथा अमीरूद्दौला पब्लिक लाईब्रेरी में इतना कम वेतन दिये जाने का क्या कारण है ? न्यूनतम वेतन की दर कब से लागू कर दी जायेगी ।

सैयद सईदुल हसन—

लखनऊ जिले के लिए अलग से कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है । न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित विभिन्न नियोजनों में पूरे प्रदेश के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की जाती है । अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी उक्त अनुसूचित नियोजनों में सम्मिलित नहीं है । यह एक दातव्य संस्था है ।

प्लाईवुड मजदूर संघ, सीतापुर के देय वार्षिक विवरण-पत्र

75—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे

कि क्या 29-2-88 तक विवरण प्राप्त हुआ कि नहीं ? यदि नहीं, तो रजिस्ट्रेशन किस तिथि को रद्द कर दिया ?

सैयद सईदुल हसन—

प्लाईवुड मजदूर संघ, सीतापुर का वर्ष 1986 का वार्षिक विवरण दिनांक 29-2-88 से पूर्व ही प्राप्त होने के कारण यूनियन का रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं किया गया है ।

76—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 184 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद में सा0 नि0 वि0 में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया जाना

77—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में 31 मार्च, 88 तक लेपित तथा इण्टर कोड मार्गों की लम्बाई कितनी है ? क्या 3 वर्ष से मस्टर रोल में कार्यरत मजदूरों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में और 3 वर्ष कार्य प्रभारित अधिष्ठान में पूरा करने वाले श्रमिकों को नियमित अधिष्ठान में लेने का सरकार का आदेश है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का पूर्णरूपेण पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

विभाग के 23वें वृत्त के अधीन जनपद फैजाबाद में लेपित मार्गों की लम्बाई 861 किमी0 तथा इण्टर कोड मार्गों की लम्बाई 55 किमी0 है ।

जी नहीं, शासन द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ फैजाबाद के पत्र पर कार्यवाही

78—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मंत्री उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ, फैजाबाद का पत्रांक 32/श्रमिक-88, दिनांक 4-5-88 अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में राजकीय आश्रम पद्धति का स्कूल खोलने की योजना

79—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 श्री राम सनेही आदि के पत्र के साथ जो हरिजन मुहल्ला बंगाली पुरा ग्राम बदौसा तहसील नरैनी जनपद बांदा में राजकीय आश्रम पद्धति का स्कूल खोलने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्थान में हरिजन बस्ती की बाहुल्यता को ध्यान में रखकर राजकीय आश्रम पद्धति का स्कूल खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में पहले से ही तीन आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं ।

बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याण परिषद् का गठन

80—हाजी मोहम्मद हयात—

प्रथम सत्र 1986 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 141 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीड़ी श्रमिकों हेतु कल्याण परिषद् का पुनर्गठन हो गया है ? यदि हां, तो कब और क्या उसमें अमरोहा तथा रामपुर को प्रतिनिधित्व दे दिया गया है ? यदि हां, तो अमरोहा तथा रामपुर से कौन-कौन प्रतिनिधि लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा परिषद् का कब तक पुनर्गठन किया जायेगा ?

सैयद सईदुल हसन—

प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि सलाहकार समिति का पुनर्गठन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31-7-87 द्वारा कर दिया गया है । इस समिति में अमरोहा या रामपुर का कोई सदस्य नहीं है ।

81—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित बीड़ी मजदूरों की राज्य सलाहकार समिति ने गुरसहाय गंज तथा अमरोहा में बीड़ी श्रमिकों हेतु अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को मान लिया था । यदि हां, तो बीड़ी श्रमिकों की राज्य सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1985-86 में कितनी बैठकें की गईं और उन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिए गये तथा अमरोहा में अस्पताल स्थापित करने हेतु राज्य सलाहकार समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि सलाहकार समिति ने वर्ष 1985 में इस प्रस्ताव को मान लिया था, लेकिन इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही दी जाती है । प्राप्त सूचना के अनुसार अभी गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में 10 शय्याओं वाले चिकित्सालय का ही प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वर्ष 1985-

86 में उक्त समिति की एक बैठक दिनांक 4-9-85 को हुई थी । उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) बीड़ी श्रमिकों के पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की प्राविधानित धनराशि में बढ़ोत्तरी की जाय ।

(2) समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजा जाय ।

(3) इलाहाबाद, गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद), अमरोहा (मुरादाबाद) में अस्पताल स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय ।

(4) बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् के माध्यम से कराया जाय ।

जनपद मैनपुरी में आवश्यक सड़कों पुलियों का पक्का कराया जाना

82—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्या मैनपुरी जनपद की कतिपय आवश्यक सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु राज्यपाल की आकस्मिकता निधि से 1982-83 में धन देकर प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या वे सड़कें, मिट्टी व पुलियों के कार्य पूर्ण हो जाने पर अब नष्ट हो रही है ? क्या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अत्यावश्यक सड़कों को पक्का कराने की स्वीकृति तथा आदेश देने पर सरकार विचार करेगी ? शासन द्वारा स्वीकृत सड़कों को अधूरा छोड़ देने अथवा जिला योजना के बहाने पूरा न कराने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1982-83 में राज्य आकस्मिकता निधि से निम्नलिखित 6 मार्ग मिट्टी व पुलिया स्तर तक स्वीकृत है ।

1—जसराना औछा मार्ग का छूटा भाग ।

2—औछा से मैनपुरी वाया उझैया कपूरपुर ।

3—भारोल ताख मार्ग का छूटा भाग ।

4—दन्नाहार-टिन्डोली रेलवे स्टेशन से कुचैला ।

5—देवी मार्ग रोड से मैनपुरी ज्योति मार्ग ।

6—मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग । मार्ग मिट्टी व पुलिया स्तर तक पूर्ण हैं, मार्ग की दशा ठीक है ।

प्रश्नगत मार्गों को पक्का कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के भुगतान की कार्यवाही

83—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद में वर्ष 1987 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत अस्थायी खण्ड प्रथम सा0 नि0 वि0

फैजाबाद द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कितना-कितना कराया गया इस कार्य हेतु धन कार्यदायी संस्था को कब प्राप्त हुआ और मजदूरों को भुगतान कब-कब किया गया है ? क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों के भुगतान में भारी विलम्ब और घपला किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत प्रकरण में वांछित विवरण माननीय मंत्री जी सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय विधायक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

भुगतान में कोई घपला नहीं हुआ है । भुगतान में विलम्ब हेतु संबंधित सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद पिथौरागढ़ के लस्कर नदी पर कोकला पुल का निर्माण

84—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सा0 नि0 मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 930/86, दिनांक 2-6-86 द्वारा श्री उपेन्द्र सिंह युवक मंगल दल सीपू तहसील धारचूला जनपद पिथौरागढ़ का सीपू एवं मौछी के मध्य लस्कर नदी में कोकला पुल निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता विषयक सूचना प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में दिनांक 10-1-88 तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ के सीपू एवं मौछी के मध्य लस्कर नदी पर प्रश्नगत कोकला पुल जिला परिषद् के मार्ग पर पड़ता है एवं जिला परिषद् द्वारा ही निर्मित किया गया है । अतः इसका पुनः निर्माण एवं मरम्मत जिला परिषद् द्वारा ही किया जा सकता है ।

85-86—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

[दिनांक 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 185--86 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग के प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की मांग

87—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में क्या सरकार कांच और उससे संबंधित उद्योग के प्रशिक्षण के लिए आई0 टी0 आई0 और ग्लास टेक्नालोजी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण कार्य जुलाई, 1988 में आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

फिरोजाबाद जनपद आगरा में कांच और उससे संबंधित उद्योग के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अभी शासन के विचाराधीन है ।

ग्लास टेक्नालोजी प्रशिक्षण संस्थान की अलग से स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद बरेली के अभयपुर रिठौरा मार्ग के निर्माण कार्य का स्थानान्तरण

88—**डा0 दिनेश जौहरी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के भोजीपुरा विकास खण्ड के अन्तर्गत अभयपुर रिठौरा मार्ग के निर्माण का कार्य अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई अस्थायी खण्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पूर्व खण्ड द्वारा इसका चार्ज दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

89—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दिनांक 5-10-88 को अता0 प्र0 सं0 198 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर में विकास क्षेत्र धुधली के निर्माण विभाग में कथित फर्जी मस्टर रोल से भुगतान

90—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने माह फरवरी में इस बात की शिकायत उन्हें एवं अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर को दी है जिसमें आरोप है कि पचरुखिया-बरवाइन गईनिया विकास क्षेत्र धुधली (गोरखपुर) के निर्माण में फर्जी मस्टररोल से भुगतान हुआ है, ठेकेदारों से काम कराया गया एवं तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में मोरवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्थिति

91—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी भदोही मार्ग पर मोरवा नदी पर पहले के पुल के बगल में निर्माणाधीन नये पुल का कार्य विगत छः महीनों से रुका पड़ा है और यातायात के लिए निर्मित अस्थायी उप मार्ग के अत्यन्त तंग होने से हर क्षण खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

निर्माण कार्य मार्च, 1988 तक न्यायालय के स्थगनादेश के कारण रुका हुआ था । स्थगनादेश समाप्त होने पर कार्य पुनः आरम्भ किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

अस्थायी मार्ग की चौड़ाई 2.5 मीटर है । अतः दुर्घटना की सम्भावना का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

पुल का निर्माण कार्य 12/88 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है । प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड नं0 2 सा0 नि0 वि0 फैजाबाद के नाम उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ के कथित शिकायती पत्र पर जांच

92—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ का पत्रांक-112 श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86 गोपनीय व 113/श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86, गोपनीय व 114 श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86 गोपनीय, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड नं0-2 सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से बिन्दु थे और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों में की गई शिकायतों की बिन्दुवार सूची संलग्न है । शिकायतों की जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(दोसिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 219 पर)

जनपद हरदोई में म्योरा-बिरनी मार्ग का जीर्णोद्धार

93—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के म्योरा-बिरनी मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए कोई प्रयास न किये जाने के क्या कारण है और जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग के 5 किलोमीटर में खड़ंजा लगाया जा चुका है । शेष भाग पर खड़ंजा एवं लेपन का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखनऊ के बख्शी तालाब बाबागंज मार्ग के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की जांच

94—श्री भगौती सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में बख्शी तालाब बाबागंज मार्ग के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 22 दिसम्बर, 86 को उन्हें लिखे गये पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? शिकायत की किसने जांच की और कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग को पूरा न करने का क्या कारण है और कब तक उसे पूरा करके चालू कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 22-12-86 में उल्लिखित अनियमितताओं की अधीक्षण अभियंता, चतुर्थ वृत, सा0 नि0 वि0, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

भूमि तथा पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध न हो पाने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग का निर्माण रुका हुआ है, जिसके उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

95—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देहरादून में राजकीय आश्रम पद्धति अ0 मा0 विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव का निलम्बन

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि उनके मंत्रालय के अधीन जनपद देहरादून में राजकीय आश्रम पद्धति अ0 मा0 विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव को सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 शासन ने शासनादेश संख्या 4826/26-1-84-2 (जी) 28-2-79 लखनऊ, 8 अगस्त, 1984 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 7/2/1978 कार्मिक-1 दिनांक 31 मई, 1984 के अनुसार निलम्बित प्रधानाचार्य श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव को निलम्बन के छः माह के अन्दर आरोप-पत्र न दिये जाने पर सेवा में बहाली न करने का क्या कारण था ? इस पर निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 935/1-1-20/52/ह0 स0 क0 स्था0-1, दिनांक 29-11-85 के द्वारा श्री श्रीवास्तव के अंतिम निर्णय करने के लिये भेजी पत्रावली पर शासन ने फरवरी, 1988 तक क्या कार्यवाही की है ? उपरोक्त पत्रावली के बाद 5 फरवरी, 1987 को श्री श्रीवास्तव को दिये गये आरोप पत्र में साक्ष्य के रूप में सरकार ने क्या-क्या तथ्य/प्रमाण दिये हैं यदि नहीं, तो श्री श्रीवास्तव का निलम्बन तुरन्त रद्द करने हेतु शासन शीघ्र कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन सम्बन्धी गम्भीर आरोप होने के कारण सेवा में बहाल नहीं किया गया । श्री श्रीवास्तव को दिये गये आरोप-पत्र दिनांक 5-2-87 में निम्नलिखित अभिलेख साक्ष्य के रूप में दिये गये :—

(1) नाशवान वस्तुओं की भण्डार एंजिका ।

(2) निर्गत सम्परीक्षा आख्या दिनांक 9-8-85 ।

(3) बिल संख्या-61/83-84, दिनांक 30-3-84 तथा उस धन की प्राप्ति रसीद दिनांक 31-3-84 एवं प्रश्नगत रोकड़ बही ।

(4) श्री शिवमूर्ति, काष्ठ कला प्रशिक्षक एवं श्री संकठा लाल श्रीवास्तव, स्टोर कीपर के बयान दिनांक 12-6-84 एवं 29-5-84 ।

श्री श्रीवास्तव की जांच में अधिक विलंब उनके द्वारा जांच कार्यवाही में सहयोग न देने के कारण हुआ ।

श्री श्रीवास्तव को शा0 आ0 दिनांक 20-6-88 द्वारा आवश्यक दण्ड देकर सेवा में पदारूढ़ किया जा चुका है ।

जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति आदि के व्यक्तियों/लड़कियों की शादी तथा पशुपालन हेतु ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या

97—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में किन-किन अनुसूचित जाति, जनजाति विमुक्त जाति के व्यक्तियों को इलाज, लड़की की शादी, पशुपालन के लिए एकमुश्त सहायता दी गयी है ? क्या मंत्री जी उनकी सूची नाम पते सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज के प्रसार अध्यापक को मकान किराये का भुगतान

98—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रसार अध्यापक/सहायक अधीक्षक छात्रावास का पद आवासीय पद है ? यदि हां, तो उक्त प्रसार अध्यापक को गत अक्तूबर, 86 से अक्तूबर, 87 तक मकान किराया भुगतान क्यों किया गया ? क्या सरकार अनियमित मकान किराये भत्ते के भुगतान की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

उक्त विद्यालय के आवास गृह के पुराने तथा टूटे होने के कारण अधिक वर्षा होने पर किसी अप्रिय आकस्मिकता के भय को देखते हुये प्रसार अध्यापक श्री शिवराज सिंह के

अनुरोध पर उन्हें बाहर रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी, और आवास गृह से बाहर रहने की स्थिति में उन्हें इस अवधि का मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के राठ विवार मार्ग (बाधा जलालपुर) उमरिया के पास नाले पर पुल का निर्माण

99—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 297/सा0 नि0 वि0/87 दिनांक 28-7-87 जनपद हमीरपुर के राठ विवार मार्ग (बाधा जलालपुर) उमरिया के पास नाले में पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है ? क्या शासन द्वारा पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा केन नहर अतर्रा ब्रांच के कल्हरा रजबहा की पटरी को पक्का कराने की मांग

100—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-9-87 का पत्र संख्या ए/27/सा0 नि0/87 बांदा जनपद केन नहर अतर्रा ब्रांच के कल्हरा रजबहा की पटरी, लगभग 2 कि0 मी0, आवागमन की सुविधा को देखते हुए पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पक्का कराने हेतु विस्तृत प्राक्कलन एवं सर्वे रिपोर्ट क्या है ? क्या राज्य स्तर से धनराशि आवंटित करके आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद की केन नहर अतर्रा ब्रांच की सर्विस रोड को धनगरा (नरैनी) से अतर्रा तक पक्की कराने की मांग

101—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की केन नहर अतर्रा ब्रांच की सर्विस रोड को स्टेट सेक्टर से धन देकर पक्की सड़क का निर्माण धनगरा (नरैनी) से अतर्रा तक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह कार्य जिला सेक्टर का है ।

बस्ती शहर के समीप लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर पुल का निर्माण

102—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बस्ती शहर के समीप लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर स्थित अमहट का पुल जर्जर होकर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण कार्य की कार्यवाही में विलम्ब होने का कारण क्या है ? उस पर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 के किमी0 195 में कुआनों नदी पर अमहद व गांव में बस्ती शहर से लगभग 2 किमी0 दूर सिंगिल लेन स्टील गार्डर का पुल स्थित है । पुल में लगे स्टील गार्डर प्लेटें तथा लकड़ी के स्लीपर पुराने होने के कारण क्षति-ग्रस्त हो गये हैं जिसकी समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाती रही है । पुल से यातायात गुजर रहा है ।

उल्लेखनीय है कि इस पुल के निकट (दूरी लगभग 200 मीटर नदी के अप स्टीम की ओर) एक नये पक्के कंक्रीट पुल के निर्माण कार्य की कार्यवाही दिनांक 6-11-84 से प्रारम्भ की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है । अतः विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के पुरवा कस्बे की विधवा श्रीमती जगराना देवी के पुरवा पुलिस चौकी के सिपाही गिरीश शंकर पाण्डेय के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

103—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-1-88 के उत्तर में उनके पत्र सं0 78/एम/88 दि0 13-1-88 के सन्दर्भ में जनपद उन्नाव के पुरवा कस्बे के मुहल्ला जोतपुर की श्रीमती जगराना देवी विधवा मन्नू धोबी की शिकायत पर पुरवा पुलिस चौकी के सिपाही गिरीश शंकर पाण्डेय के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीक्षा—

उक्त पत्र के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जा रही है, तथा मामला परीक्षणाधीन है ।

इसी प्रकरण में एक अन्य पत्र के सन्दर्भ में जिलाधिकारी उन्नाव से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिनी द्वारा लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये फिर भी उक्त सिपाही जिसका नाम कदाचित गिरजा शंकर पाण्डेय है का स्थानान्तरण चौकी पुरवा से चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली उन्नाव को कर दिया गया है ।

जनपद बरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड अस्थायी खण्ड व विभागीय निर्माण इकाई का खण्डवार विवरण

104—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में स्थानीय प्रान्तीय खण्ड, अस्थाई खण्ड एवं अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई के मध्य कार्यों का वितरण वर्ष 1988-89 के लिये, प्रत्येक को समान कार्यभार देने को ध्यान में रखकर किया गया है ? यदि हां, तो खण्डवार विवरण देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड, अस्थायी खण्ड व विभागीय निर्माण इकाई (खण्ड) को वर्ष 1988-89 में क्रमशः 112.00 लाख, 100.00 लाख व 96.00 लाख रु0 का कार्यभार दिया गया है जो कि लगभग समान है ।

अवर अभियन्ता अस्थायी खण्ड सा0 नि0 विभाग झांसी द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं की टी0 ए0 सी0 एवं सतर्कता विभाग द्वारा जांच की मांग

105—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 जून, 1985 का पत्र श्री राजेन्द्र तिवारी, अवर अभियन्ता अस्थाई खण्ड सा0 नि0 विभाग झांसी द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा तथा अर्जित सम्पत्ति की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराये जाने सम्बन्धी क्षेत्रीय जनता के शिकायती पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी अनियमितताओं की एवं अर्जित सम्पत्ति सेवा में आने के बाद की, की जांच आख्या से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

छानबीन की जा रही है ।

फारेवेज एण्ड फारेवेज कैम्पबेल एण्ड कम्पनी, बम्बई को अग्रिम भुगतान शर्तें एवं नियुक्ति की जानकारी

106—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम द्वारा फारेवेज एण्ड फारेवेज कम्पनी बम्बई को शिपमेन्ट के कार्य हेतु करोड़ों रुपयों का अग्रिम भुगतान किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या इस कम्पनी की नियुक्ति नियमानुसार ढंग से की गयी थी ? इस फर्म की नियुक्ति तथा काम करने की शर्तें क्या-क्या थीं ? यदि नियुक्ति नियमानुसार नहीं की गई, तो क्या सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

वर्ष 1980-81 से 30 सितम्बर, 1987 तक लगभग 3.90 करोड़ रु0 का अग्रिम भुगतान किया गया है ।

निगम में क्लियरिंग एजेन्ट की नियुक्ति हेतु पंजीकृत डाक द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयी थीं । प्राप्त निविदाओं पर विचार करने के पश्चात् फोरवेज एण्ड फोरवेज कैम्पबेल एण्ड कम्पनी, बम्बई को उनके द्वारा दी गयी न्यूनतम दरों पर नियमानुसार क्लियरिंग एजेन्ट नियुक्त किया गया था ।

इस फर्म द्वारा कार्य करने की शर्तें निम्नलिखित थीं :—

सीमा शुल्क, बम्बई बन्दरगाह ट्रस्ट शुल्क, एवं अन्य वास्तविक व्यय का भुगतान निगम से अग्रिम प्राप्त करके फर्म द्वारा किया जाना था जिसका समायोजन बाद में वास्तविक व्यय के अनुसार होना था ।

फर्म को एजेन्सी फीस के रूप में निम्न धनराशि देय थी :—

5 लाख रु0 तक की मशीनों पर मशीनों की अवमूल्यन लागत एक प्रतिशत ।

5 लाख रु0 से अधिक लागत की मशीनों की अवमूल्यन लागत का 0.8 प्रतिशत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय निर्माण इकाई, लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के कार्यभार तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

107—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85, 85-86, 86-87 तथा 87-88 में विभागीय निर्माण इकाई, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न अवर अभियन्ताओं के पास क्या कार्यभार था प्रत्येक अवर अभियन्ता ने कुल कितने-कितने रुपये का कार्य किया था तथा क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता श्री बी0 के0 श्रोविया ने पूरे खण्ड का आधे से ज्यादा कार्यभार केवल दो अवर अभियन्ताओं को दे रखा है जो कि इस खण्ड में 4 वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत हैं ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87 तथा 87-88 में विभागीय निर्माण इकाई में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के कार्यभार तथा प्रत्येक अवर अभियन्ता के द्वारा किये गये व्यय के विवरण संलग्न तालिका में प्रदर्शित हैं ।

जी नहीं ।

संलग्न तालिका में आवश्यक विवरण दिखला दिये गये हैं ।

(दर्शिये तत्की 'छ' आगे पृष्ठ 220-221 पर)

आंगन बाड़ी प्रशिक्षण संस्थान, दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

108—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने आंगन बाड़ी प्रशिक्षण संस्थान, दोहरीघाट, जनपद आजमगढ़ के भ्रष्टाचार की, श्रीमती प्रेम शर्मा आदि द्वारा

प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-1-87 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

109—श्री राम आसरे वर्मा—

[3 रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक एवं कम छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या उपलब्ध कराने की मांग

110—श्री बाबू राम यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के छात्रों की सर्वाधिक एवं सबसे कम संख्या किन-किन विद्यालयों में है और इसी वर्ग के छात्रवृत्ति पाने वालों की सर्वाधिक एवं सबसे कम संख्या किन-किन विद्यालयों में है ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समस्त पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

111—श्री बाबू राम यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से गत वर्ष विभाग द्वारा कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी ? क्या दिनांक 26 फरवरी, 88 को मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार सभी पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में बाल विकास परियोजना द्वारा स्थापित एवं चालू केन्द्रों की संख्या की जानकारी

112—श्री बाबू राम यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बाल विकास परियोजना के कितने केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं और कितने वास्तविक रूप से चल रहे हैं ?

श्रीमती दीपा—

जनपद मैनपुरी में बाल विकास परियोजना के 196 केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिसमें से 192 केन्द्र वास्तविक रूप से चल रहे हैं ।

113—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[दिनांक 4-10-88 को अता0 प्र0 सं0 166 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती रूपा देवी, दाई, श्रम हितकारी केन्द्र, मुरादाबाद के स्थानान्तरण की मांग

114—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश संख्या—1124/वी0 आई0 पी0/श्रम मंत्री/87, दिनांक 1-6-87 तथा श्रम राज्य मंत्री के आदेश संख्या—291/वी0 आई0 पी0/एम0 एल0/87, दिनांक 16-6-87 के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों तथा किये गये आदेश किस सिलसिले में थे ?

सैयद सईदुल हसन—

प्रश्नगत दोनों संदर्भ श्रीमती रूपा देवी, दाई, श्रम हितकारी केन्द्र, मुरादाबाद को बरेली स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में थे । इसके लिये श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया । प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली जनपद में कोई स्थान रिक्त न होने के कारण श्रीमती रूपा देवी का वहां स्थानान्तरण सम्भव नहीं है ।

काशी कृषक इण्टर कालेज, हरहुआ, वाराणसी के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने में हो रही कठिनाई के निवारण की मांग

115—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी कृषक इण्टर कालेज, हरहुआ, वाराणसी के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिये खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-3-88 के उत्तर में उनके पत्र सं0—305/14/88, दिनांक 15/16-3-88 के संदर्भ में उक्त छात्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो खाता खोलने में हो रही कठिनाई को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स उत्तम इण्डस्ट्रीज कानपुर नामक फर्म द्वारा अनियमित क्रय व फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच

116—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में दूकान निर्माण हेतु 75 (पचहत्तर) रोलिंग शटर मेसर्स उत्तम इण्डस्ट्रीज कानपुर नामक फर्म से एक लाख रुपये में क्रय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त फर्म व उससे सम्बन्धित समस्त कागजात फर्जी हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त फर्म का पता, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन व्यवसाय एवं प्रोपराइटर आदि की उच्च स्तरीय जांच कराकर फर्जी होने की स्थिति में अनियमित क्रय व फर्जी भुगतान करने वाले सम्बन्धित अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) को निलम्बित कर अनियमित भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि की वसूली आदेश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

मेसर्स उत्तम इण्डस्ट्रीज कानपुर से 75 रोलिंग शटर रु0 99,225 में क्रय किये गये थे ।

मामलों की जांच कराई जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद में ओ0 बी0 सी0 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों के विवरण की जानकारी की मांग

117—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1986-87 में ओ0 बी0 सी0 के अन्तर्गत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में किन-किन लोगों को छात्रवृत्तियां मिल रही है ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदेव ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वास्तुविदों को अधिशासी अभियन्ताओं के अनुरूप वेतनमान दिया जाना

118—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कार्यरत वास्तुविदों को अन्य अभियन्ताओं के अनुरूप सेलेक्शन ग्रेड तथा समयबद्ध वेतनमान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी वास्तुविदों को भी अन्य अभियन्ताओं की तरह सेलेक्शन ग्रेड व समयबद्ध वेतनमान दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) की संस्तुतियों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में वास्तुविदों को अधिशासी अभियन्ताओं के अनुरूप वेतनमान तथा समयमान वेतनमान 1-1-86 से देने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर0 बी0 तिवारी निर्माण खण्ड उरई (जालौन) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की सतर्कता विभाग द्वारा की गयी जांच की जानकारी

119—कुंवर भानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री वी0 पी0 भारती विधायक का राज्य मंत्री सा0 नि0 वि0, को सम्बोधित दिनांक 25-7-85 का पत्र अवर अभियन्ता श्री आर0 बी0 तिवारी निर्माण खण्ड उरई (जालौन) के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग

से जांच कराकर कार्यवाही करने के अनुरोध सहित प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी उक्त शिकायती-पत्र तथा उस पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को जांच कराकर आख्या भेजने के आदेश दिये गये थे । मुख्य अभियन्ता से जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[दिनांक 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 183 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद, तहसील सिराथू में रामसहायपुर से पहाड़पुर होकर ग्राम थोन तक सड़क पक्की कराने के सम्बन्ध में कथित पत्र

121—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तहसील सिराथू जनपद इलाहाबाद में अफजलपुरवारी मार्ग जो रामसहायपुर होकर गया था, बदल दिया गया है ? यदि हां, तो रामसहायपुर से पहाड़पुर होकर ग्राम थोन तक मार्ग को पक्का कराने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । तहसील सिराथू जनपद इलाहाबाद में प्रश्नगत रामसहायपुर होकर जाने वाला अफजलपुरवारी मार्ग स्वीकृत ही नहीं किया गया है ।

पहाड़पुर ग्राम की आबादी निर्धारित मानकों से कम होने के कारण यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसको पक्का किये जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति में कम्पल्सरी नोटीफिकेशन आफ वैकेन्सीज एक्ट के तहत अधिसूचना जारी न किये जाने का आरोप

122—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि ता0 17-9-82 से 31-1-84 तक की अवधि में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में 570 से 1100 रुपये के वेतनमान में 12 सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति की गयी थी ? क्या यह सही है कि साक्षात्कार की तिथि हेतु समय इतना कम रखा गया था कि केवल लखनऊ के अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया ? क्या कम्पल्सरी नोटीफिकेशन और वैकन्सीज कानून के तहत इन पदों की अधिसूचना जारी की गयी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती दीपा—

प्रश्नगत अवधि के मध्य 19 सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति की गयी थी ।

जी नहीं ।

19 सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिये कम्पल्सरी नोटीफिकेशन आफ वेकेन्सीज एक्ट के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी, परन्तु सेवायोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे तथा निगम मुख्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्रों को भी सम्मिलित किया गया था इसके लिये श्री मोहर सिंह (31-7-84 से सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक जिम्मेदार हैं ।

जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर विन्ध्याचल मार्ग पर नवीन चित्र मन्दिर के अवैध निर्माण को हटाने की मांग

123—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर–विन्ध्याचल मार्ग पर नवीन चित्र मन्दिर नामक सिनेमा घर द्वारा सड़क की पटरी पर किये गये अवैध निर्माण को हटवाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 9024/ज0पा0/87, दिनांक अगस्त, 87 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अवैध निर्माण हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर विन्ध्याचल मार्ग पर नवीन चित्र मंदिर नामक सिनेमा-घर द्वारा सड़क की पटरी पर किये गये अवैध निर्माण को हटवाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1024/ज0पा0/87, दिनांक अगस्त, 1987 प्राप्त हुआ था ।

मामले की जांच करायी गयी । लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग के कि0 मी0 274 में स्थित नवीन चित्र मंदिर सिनेमाघर के पास 8 फुट चौड़ाई और 122 फुट लम्बाई में अवैध रूप से बनवाये गये खुले प्लेटफार्म तथा चक्के निर्माण को हटवाने के सम्बन्ध में उक्त सिनेमाघर के मालिक को विभाग द्वारा नोटिस दी गयी । इस नोटिस के विरुद्ध अतिक्रमणकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया । इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है । परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक सुनवाई हेतु कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है ।

जनपद फर्रुखाबाद में आई0 टी0 आई0 के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

124—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 10-10-87 को जनपद फर्रुखाबाद में आई0 टी0 आई0 के प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्री रमाशंकर शुक्ल का पत्र प्रधानाचार्य द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

श्री रमाशंकर शुक्ल ने प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फर्रुखाबाद के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 18-8-87 प्राप्त हुआ था । शिकायती पत्र में उल्ले-

स्थित मुद्दों की जांच हेतु निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को आदेशित किया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जनपद इटावा में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कार्यरत लिपिकों एवं सुपरवाइजरों की संख्या की जानकारी

125—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में उनके विभाग में समूह (ग) लिपिक एवं हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से कितने कर्मचारी इसी जनपद के निवासी हैं ? क्या इन कर्मचारियों को तैनाती शासनादेश संख्या 19-12-1977-कार्मिक-1, दिनांक 30 मई, 1977 के प्रस्तर 2(8) के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या संदर्भित शासनादेशों के अनुपालन में इन कर्मचारियों को उनके गृह जनपद से हटाकर अन्यत्र तैनात करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

इटावा जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में समूह (ग) लिपिक के पदों पर 10 एवं हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पदों पर 5 कुल 15 कर्मचारी कार्यरत हैं । इनमें से 8 लिपिक तथा 2 हरिजन कल्याण सुपरवाइजर इटावा जनपद के निवासी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 30-5-1977 के तथाकथित प्रस्तर द्वारा मण्डल में समूह (ग) के कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकने का अधिकार दिया गया है ।

इनमें से अभी तक किसी को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है और अब मध्य सत्र में स्थानान्तरण करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में विमुक्त जाति के कल्याणार्थ योजनाओं में आवंटित धनराशि में अनियमितता होने की शिकायत

126—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में वर्ष 1986-87 में विमुक्त जाति के कल्याणार्थ योजनाओं को आवंटित धनराशि अपात्र व्यक्तियों को स्वीकृत कर धनराशि वितरित कर दी गयी है जो विमुक्त जाति में नहीं आते हैं ? क्या खानाबदोश जातियों के लिये जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित है, को कृषि, बागवानी, कुटीर की योजना हेतु आवंटित धनराशि 30,000 रु0 को केवल 10 व्यक्तियों में वितरित किया गया है जबकि यह 30 लाभार्थियों को वितरित किया जाना था ? यदि हां, तो इन गम्भीर अनियमितताओं के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या शासन दोषी को निलम्बित कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

उक्त योजना के अन्तर्गत अधिकतम् धनराशि 3,000 रुपये प्रत्येक परिवार की दर से अनुमन्य है और उसी के अनुसार जिला हरिजन एवं समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति की संस्तुति के आधार पर दस पात्र व्यक्तियों को रु0 3,000 प्रति व्यक्ति की दर से कुल रु0 30,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप वितरित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण के कथित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0—258 एम 26-3-88-1134/88 हरिजन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 14 जून, 88 के सन्दर्भ में सरकार कोई कार्यवाही सुनिश्चित कर पायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय विकास खण्डों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

128—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद को अकबरपुर तथा जलालपुर विकास खण्ड में नयेपुर से अहलादा तक बनाये गये सम्पर्क मार्ग पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? इस मार्ग के छुई नदी से अहलादा तक का भाग क्या जिला परिषद् द्वारा 1986-87 में बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस बने हुये मार्ग पर भी सा0 नि0 वि0 द्वारा धन खर्च किया जाना दिखलाया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत मार्ग जिसकी लम्बाई 8 कि0 मी0 है, के निर्माण कार्य पर विभाग द्वारा 1.87 लाख रु0 व्यय किया गया है ।

जी हां ।

जिला परिषद् द्वारा वर्ष 1986 में 3.75 कि0 मी0 लम्बाई में कराया गया मिट्टी का कार्य वर्ष 1987 की वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गया था उसे ठीक कराने एवं इम्बैंकमेन्ट को लगभग 30 सेमी0 ऊंचा उठाने में लगभग 68 हजार रुपये सा0 नि0 विभाग द्वारा व्यय किया गया है । यह कार्य जिला परिषद् की सहमति से कराया गया है ।

लोक सेवा अभिकरण (चतुर्थ) के निर्णयानुरूप श्री श्याम लाल सिंह, सहायक अध्यापक को बकाया धनराशि का भुगतान

129—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन व समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अभिकरण चतुर्थ, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष अभिदेश वाद सं0 343/एफ/4/80 के

न्यायिक सदस्य श्री परमात्मा स्वरूप के अभिनिर्णय दिनांक 13-6-85 के अनुसार अवशेष वेतन भुगतान एवं अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल सिंह सहायक अध्यापक, राजकीय प्रमाणित संस्था (मि0 कर्मशाला) वाराणसी का संलग्नक सहित पत्र दिनांक 10-7-85 तथा अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था (मि0 कर्म0) वाराणसी का पत्रांक 865 (रा0 प्र0 स0) 87-88, दिनांक 1-2-88, निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय के परिपालन में उक्त सहायक अध्यापक का वर्ष अप्रैल, 1965 से अब तक का अवशेष वेतन भुगतान करने और 136 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ? शेष वेतन का कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

लोक सेवा अभिकरण (चतुर्थ) के निर्णय के अनुरूप श्री श्याम लाल सिंह, सहायक अध्यापक का 136 दिन का अवकाश स्वीकृत कर अप्रैल, 1965 से वेतन निर्धारण करने एवं अवशेष धनराशि के भुगतान का आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1988 को अधीक्षक, राजकीय प्रमाणित संस्था, वाराणसी को जारी कर दिया गया है ।

जनपद मुरादाबाद में जिला योजनान्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु व्यय किये गये धन का विवरण

130—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद को जिला योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 में शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी तथा उक्त धनराशि से जनपद के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में किन-किन मार्गों का निर्माण किस-किस स्तर के कार्य द्वारा तथा कितनी-कितनी लागत से कराया गया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1985-86 में जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु 138 लाख रुपये आवंटित हुआ था । शेष विवरण माननीय सदस्य महोदय अपनी सुविधानुसार किसी भी कार्यालय दिवस को मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर देख सकते हैं ।

लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या एवं आवंटित धन

131—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? इन केन्द्रों को सरकार से कितनी धन-राशि सहायता के रूप में दी जाती है ?

श्रीमती दीपा—

लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 100 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 95 केन्द्र इस समय संचालित हैं । इन

केन्द्रों को सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में अगस्त तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

दुष्टाहार	4,43,000
प्रशासनिक	2,28,000

132—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[दिनांक 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 189 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद सेतु पर विद्युतीकरण की मांग

133—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र 30 सितम्बर, 1986 के आधार पर गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद सेतु पर विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 पूर्वी क्षेत्र वाराणसी को समुचित कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक हमीद सेतु पर विद्युतीकरण की कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं तथा कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद सेतु का विद्युतीकरण के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 86 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, सा0 नि0 वि0 वाराणसी से समुचित कार्यवाही हेतु कहा गया था ।

प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 लखनऊ को प्राप्त आगणन पर उनके द्वारा कतिपय पृच्छायें/आपत्तियां प्रकट की गयी हैं । मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, सा0 नि0 वि0 वाराणसी से यथा वांछित आगणन प्राप्त हो जाने पर तथा धन की उपलब्धता पर उक्त विद्युतीकरण की कार्यवाही निर्भर है ।

जनपद मुरादाबाद में सरकड़ा खास-सिंगन खेड़ा मार्ग के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर भुगतान

134—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के 5 वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0—1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा इसके प्रतिकर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

मार्ग में ली गयी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में जिला अधिकारी मुरादाबाद द्वारा धारा 4(1) की अधिसूचना शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु राजकीय प्रेस इलाहाबाद को जून, 1988 में भेज दी गयी थी । उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के पश्चात् स्थानीय दो समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन कराया जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के

निराकरण के पश्चात् धारा 6 (1) की अधिसूचना जारी की जायेगी । उसके पश्चात् प्रतिकर का निर्धारण कर प्रभावित भू-स्वामियों को भुगतान कर दिया जायेगा । प्रतिकर के भुगतान हेतु 0.81 लाख रुपया जो अनुमानित प्रतिकर के 80 प्रतिशत के बराबर है, वि0 भू0 अ0 अ0 मुरादाबाद को मई, 1988 में उपलब्ध करा दिया गया था ।

जनपद मुरादाबाद के उपनगर अमरोहा के अमरोहा बिजनौर तथा अमरोहा कांठ रोड को बाई पास से जोड़ने की मांग

135—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के उपनगर अमरोहा में एक बाई पास अमरोहा बिजनौर रोड तथा अमरोहा कांठ रोड को जोड़ने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था और उस बाई पास पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब उक्त बाई पास का निर्माण कार्य किन कारणों वश स्थगित कर दिया गया ? जनता की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये क्या शीघ्र ही पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत बाईपास पर आवश्यक नाप भूमि तथा वन भूमि का हस्तान्तरण सा0 नि0 विभाग को न होने के कारण निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा । मार्ग पर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना वांछित भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम धन स्वीकृत किया जाना

136—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या बी-3-2468/दस-84-1 (11)-79 भवन दिनांक 6 जून, 84 में प्राविधानित 75 मास का वेतन के बजाय अराजपत्रित कर्मचारियों को 25 से 30 हजार रुपये का भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सीमित संसाधनों के कारण भवन निर्माण अग्रिम मद में आवंटित धनराशि पर्याप्त नहो होती । अतः अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रथम बार अराजपत्रित कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु 25 से 35 हजार रुपये का अग्रिम कुछ समय से स्वीकृत किया जा रहा है, परन्तु जिन कर्मचारियों का कार्य इस धनराशि से पूर्ण नहीं होता उन्हें उनके अनुरोध पर पुनरीक्षित करके पूर्व स्वीकृत धनराशि को मिला कर 75 माह के कुल वेतन के बराबर धनराशि स्वीकृत की जाती है । अतः शासनादेश की अवहेलना नहीं की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता श्री भानुप्रताप सिंह गौर प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0, गोण्डा का स्थानान्तरण

137—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री भानुप्रताप सिंह गौर प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, गोण्डा का स्थानान्तरण बहराइच के लिए हुआ था ? यदि हां, तो क्या सही है कि तत्कालीन सचिव, सा0 नि0 वि0 श्री सत्य नारायण शुक्ल ने मई, जून, जुलाई, 1986 में माननीय मुख्यमंत्री को पत्रावली पर नोट लिख कर भ्रष्टाचार एवं राजनैतिक दबाव से स्थानान्तरण कराने के आरोप में उन्हें प्रत्यावर्तित करके निलम्बित करने के लिए संस्तुति की थी ? यदि हां, तो श्री गौर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चालू अनावर्तक हरिजन प्रा0 पा0 की संख्या तथा आवर्ती अनुदान स्वीकृति विषयक मांग

138—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चलने वाले अनावर्तक हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या कितनी है और उन्हें आवर्तक अनुदान दिये जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती दीपा—

अनावर्तक हरिजन प्राइमरी पाठशाला अलग से संचालित नहीं है । अतः इनकी संख्या की जानकारी नहीं है । ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं/पाठशालाओं को, जो मुख्यतः अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चल रही हैं और उनमें अनुसूचित जाति के छात्रों की पर्याप्त संख्या है और साधन की कमी है, विभाग आवर्तक/अनावर्तक अनुदान देता है ।

आवर्ती अनुदान देने का विषय शासन के विचाराधीन है ।

बस्ती जिले में सा0 नि0 वि0 के प्रत्येक डिवीजन में किसानों का सड़कों के बकाये मुआवजे के भुगतान की मांग

139—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में सा0 नि0 विभाग के प्रत्येक डिवीजन का किन-किन सड़कों का मुआवजा किसानों का फरवरी सन् 1988 तक का बाकी है ? कितना, किन-किन सड़कों का मुआवजा बना करके धनराशि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को भेज दी गयी ? कितनी सड़कों का मुआवजा विभिन्न डिवीजनों में बनने को बाकी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गयी है ।

(दीर्घा अनुसूची "ज" आगे पृष्ठ 224 पर)

उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, कुमायूं मण्डल के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

140—श्री कनक सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल के विरुद्ध कितनी जांचें चल रही हैं तथा वर्ष 1986 के बाद नियुक्त जांचों में कितनी जांचों की रिपोर्ट शासन को मिल गयी तथा कितना अभी अपूर्ण स्थिति में है ? उक्त उपनिदेशक को तत्काल वहां से स्थानान्तरित कर जांच तुरन्त प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, कुमायूं मण्डल के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायती-पत्रों पर जांच चल रही है :—

(1) श्री भिलमिट राम, सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र दिनांक रहित ।

(2) श्री रामलाल केवट का शिकायती-पत्र दिनांक 27-3-87 ।

(3) श्री परमानन्द सती, संयुक्त मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, टिहरी गढ़वाल का शिकायती-पत्र दिनांक 21-2-88 जो श्री शूरवीर सिंह सजवाण विधायक के पत्र के साथ प्राप्त हुआ ।

(4) जैन मेटल मुरादाबाद से गढ़वाल मंडल की बाल विकास परियोजनाओं हेतु बरतनों की अनियमित खरीद के कारण सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच ।

वर्ष 1986 के बाद कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । उपनिदेशक के विरुद्ध जो जांच चल रही है वह उनके कुमायूं मण्डल में कार्यकाल से संबंधित नहीं है । अतः उन्हें इस आधार पर नैनीताल से स्थानान्तरित करने का औचित्य नहीं बनता ।

नगर महापालिका, वाराणसी से डिग्री की धनराशि वसूल कर संबंधित श्रमिक को उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

141—श्री राज किशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये अभिनिर्णय विवाद सं0 94/1980 के अनुसार श्रमिकों को उसके पावने की धनराशि नगर महापालिका, वाराणसी से वसूली के लिये जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रेषित उपश्रमायुक्त, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी के पत्र सं0 1528/आर0 आर0 केस सं0 5/1984, दिनांक 7 अप्रैल, 1984 व पत्र सं0 5088, दिनांक जून, 1985 एवं जिलाधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित श्रम संराधन अधिकारी, श्रम कार्यालय, नाटी इमली, वाराणसी के पत्र सं0 9847/बनाम-पी0 डब्ल्यू0 53/81, दिनांक 6-10-83 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नगर महापालिका, वाराणसी से डिग्री की धनराशि वसूल कर सम्बन्धित श्रमिक को उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

दिनांक 31-5-88 को संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संरक्षण गृहों के अन्तर्गत चल रहे उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग

142—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संरक्षण गृहों के अंतर्गत चल रहे उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित न कर मात्र एक केन्द्र अल्मोड़ा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस क्रम में मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, ह0 स0 क0 के पत्र संख्या 598/52-हा, दिनांक 17 सितम्बर, 1985-86-87 के अनुसार यह माना गया है कि ये कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह प्राइवेट फर्मों के कर्मचारियों के समान नहीं करते हैं ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं । अल्मोड़ा जिले के संरक्षण गृह से संबद्ध प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और उसका सभी व्यय भार उत्तर प्रदेश शासन वहन करता है जबकि अन्य जिलों में संरक्षण गृहों के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं के वीक्षक मण्डल द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

संख्या 598/52-हा, दिनांक 17 सितम्बर, 1985-86-87 का कोई पत्र सचिव, ह0 स0 क0 द्वारा जारी नहीं किया गया है ।

जिला स्तर पर बाल विकास परियोजना समितियों के गठन का प्रारूप तथा समिति के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य

143—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगी कि जिला स्तर पर बाल विकास परियोजना समितियों के गठन का प्रारूप क्या है तथा समिति के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है ?

श्रीमती दीपा—

शासनादेश संख्या-1087/26-सेल/87, दिनांक 22-9-87 द्वारा अन्य समितियों के साथ गठित जिला बाल विकास समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1—जिलाधिकारी ।

2—मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी विकास/जिला विकास अधिकारी ।

3—मुख्य चिकित्साधिकारी ।

4—उप मुख्य चिकित्साधिकारी ।

5—जिला प्रबन्धक पी0 सी0 एफ0 अथवा अन्य खाद्यान्न आपूर्ति कर्ता का प्रतिनिधि ।

6—जिला आकांक्षा समिति का अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि ।

7—तीन अन्य महिला सामाजिक कार्यकत्री ।

8—जिला प्रोग्राम अधिकारी अथवा जिला ह0 स0 क0 अधिकारी ।

उद्देश्य तथा कार्यकलाप—

1—शासकीय नीति के अनुसार शुद्ध पुष्टाहार सही मात्रा में व सही समय से उपलब्ध कराना ।

2—परियोजना भण्डार गृहों/आंगनवाड़ी भण्डार गृहों का निरीक्षण ।

3—परियोजना अधिकारी तथा चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी ढंग से संचालन कराना ।

4—अनुश्रवण आदि ।

5—परियोजना के कार्यान्वयन में प्रभावी सुधार लाना ।

फर्म इंजीनियरिंग वर्क्स औद्योगिक स्टेट तालकटोरा, लखनऊ द्वारा कतिपय सामग्री की सप्लाई

144—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि फर्म इंजीनियरिंग वर्क्स औद्योगिक स्टेट तालकटोरा, लखनऊ में वर्ष 83-84 व 84-85 में फर्नीचर व अन्य लोहे के सामान उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को सप्लाई किया है ? यदि हां, तो क्या यह फर्म बिक्रीकर विभाग से पंजीकृत थी । यदि नहीं, तो किस उपयोगिता के आधार पर इस अपंजीकृत फर्म से सामान खरीदा गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आगरा जनपद में आंगनबाड़ी योजना में व्यय किया गया धन एवं जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

146—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1987-88 में आंगनबाड़ी योजना में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस योजना में हरिजन आंगनबाड़ियों के साथ पक्षपात किया जाता है तथा उन्हें निर्धारित देय भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है ? क्या मंत्री जी इन

तथ्यों की जांच परगनाधिकारी, एत्मादपूर द्वारा कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

जनपद आगरा में संचालित 5 परियोजनाओं में निम्न व्यय हुआ :—

(क) स्थापना—23,28,339.00

(ख) पुष्टाहार—25,06,236.00

जी नहीं । जिलाधिकारी के रिपोर्टानुसार हरिजन आंगनबाड़ियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है ।

केवल बाल विकास परियोजना टूण्डला के अतिरिक्त सभी परियोजनाओं में मानदेय नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां, परगनाधिकारी, एतमादपुर तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आगरा से जांच करायी गयी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती विद्यावती गुप्ता को दोषी पाया गया । श्रीमती गुप्ता को स्थानान्तरित कर इन्हें आरोप-पत्र दिया जा रहा है ।

जनपद आगरा में हरिजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

147—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में हरिजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 1987-88 में 1 जुलाई तक कितने प्रार्थियों को कर्जे की स्वीकृति की गई है तथा उनमें से कितनों को बैंकों द्वारा कर्जा दे दिया गया है ?

श्रीमती दीपा—

वर्ष 1987-88 में 1 जुलाई तक हरिजन वित्त विकास निगम द्वारा 407 प्रार्थियों को व्यवसायिक बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया गया है तथा उनमें से 263 व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण का भुगतान कर दिया गया है ।

हरिजन समाज कल्याण आगरा के कार्यालय भवन की मरम्मत एवं फर्नीचर आदि की सुविधा दिलाने की मांग

148—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के कार्यालय भवन का फर्श बिल्कुल टूटा हुआ है और रेत उड़ता है तथा फर्नीचर आदि की भी समुचित व्यवस्था नहीं है तथा यह कार्यालय जनपद आगरा का सबसे अधिक गया बीता कार्यालय प्रतीत होता है ? क्या माननीय मंत्री जी इस कार्यालय को एक अच्छा भवन, फर्नीचर आदि की सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

हरिजन समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय भरतपुर हाउस स्थित मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में ऊपरी मंजिल पर स्थित है । यह भवन पुराना अवश्य है और चूने का बना है लेकिन गर्मियों में आरामदेह है । इस भवन में मुख्य विकास अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, पशुपालन कार्यालय इत्यादि सभी स्थित है और हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को केवल 240 रुपये मासिक किराया देना पड़ता है । कार्यालय के फर्नीचर इत्यादि पुराने हैं परन्तु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पर्याप्त है । फर्श कहीं-कहीं टूटा है लेकिन यह भवन ऐसा नहीं है कि इसको खाली करके भारी किराये पर दूसरा भवन लेना आवश्यक है ।

जनपद गोरखपुर में वृद्धावस्था पेंशन में व्यापक घपले का आरोप

149—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में वृद्धावस्था पेंशन में व्यापक घपले की जांच श्री संजय अग्रवाल प्रभारी अधिकारी, गोरखपुर ने जनवरी, 1987 में की थी और उन्होंने दोषी पाये गये श्री रामफल, पेंशन लिपिक, कलक्ट्रेट, गोरखपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति की थी परन्तु दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उसको पदोन्नति दे दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

प्रश्न में उल्लिखित वृद्धावस्था पेंशन में व्यापक घपले जैसी कोई घटना नहीं हुई थी । केवल एक विधवा को दो बार पेंशन दिये जाने का मामला प्रकाश में आया था जिसके लिए संबंधित कर्मचारी श्री रामफल का स्पष्टीकरण प्राप्त करके उसे सचेत किया गया तथा संबंधित लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ के 6 सूत्रीय मांग-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

150—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ की 6 सूत्रीय मांगों के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-4-88 व मंत्री जी के पत्र संख्या 569/म/88 विधान भवन, लखनऊ/दिनांक 10-5-88 प्रेषित दिनांक मई 2, 1988 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

मांग-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

151—श्री राज किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सिविल सर्विसेज क्वालिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील उ0 प्र0 द्वारा की जा रही जांच

152—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी, अधीक्षिका (निलम्बित राजकीय संरक्षण गृह महिला), लखनऊ के मामले में जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट/निष्कर्ष को सदन के पटल पर रखे जाने की कृपा करेंगे ताकि यह ज्ञात हो सके कि सिविल सर्विसेज क्वालीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील उ0 प्र0 की नियमावली के किन नियमों के अन्तर्गत जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट निलम्बित कर्मचारी के प्रति प्राप्त हो जाने पर निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उ0 प्र0 ने निर्णय न लेकर पुनः दूसरे को जांच अधिकारी बना दिया है ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं । क्योंकि इस मामले की जांच अभी अंतिम नहीं है ।

राजकीय संरक्षण गृह (म), लखनऊ की अधीक्षिका श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी का निलम्बन

153—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-60 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी को निलम्बित करने के उपरान्त किस तिथि को उनको आरोप-पत्र हस्तगत कराया गया है ? क्या शासनादेश सं0 7 (2)—27-कार्मिक, दिनांक जुलाई 19, 1979 के प्रस्तर-6 का अनुपालन किया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को उन्होंने आरोप-पत्र का उत्तर दिया था ? जांच अधिकारी श्री सी0 एल0 वर्मा ने कब, किस तिथि को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ? श्री वर्मा के स्थानान्तरण पर उनके स्थान पर आये नये संयुक्त निदेशक श्री रमाकान्त धुसिया ने कब, किस तिथि को अपनी जांच रिपोर्ट निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत की है ?

श्रीमती दीपा—

श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी को आरोप-पत्र दिनांकित 3-8-85 दिया गया था जिसे उनके चपरासी श्री भगोले ने दिनांक 5-8-85 को प्राप्त किया था ।

जी हां ।

श्रीमती चौधरी ने आरोप-पत्र का उत्तर अपने पत्र दिनांक 28-8-85 द्वारा दिया था जो दिनांक 30-8-85 को प्राप्त हुआ था ।

जांच अधिकारी श्री सी0 एल0 वर्मा रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सके ।

जांच अधिकारी श्री रमाकान्त धुसिया ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 4-2-86 को प्रस्तुत की ।

श्री ध्यान दास (पूर्व में जनजाति निरीक्षक) तथा श्री मलखान, अधीक्षक को निलम्बनावधि में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा बहाल कर उच्च वेतनमान में प्रोन्नति दिये जाने का आरोप

154—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ध्यान दास (पूर्व में जनजाति निरीक्षक) तथा श्री मलखान, अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब और उनको आरोप-पत्र कब दिया गया ? क्या यह सही है कि बिना जांच अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त हुए इन्हें निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 द्वारा बहाल कर उच्च वेतनमान में प्रोन्नत कर दिया गया है ? क्या अब भी इन लोगों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है ? यदि हां, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान किन नियमों के अन्तर्गत उच्च वेतनमान एवं प्रोन्नति की गयी है ?

श्रीमती दीपा—

श्री मलखान, अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को दिनांक 26 अगस्त, 1977 को निलम्बित किया गया था । श्री ध्यान दास (पूर्व में जनजाति निरीक्षक) जो 11-5-77 को निलम्बित हुए तथा जिन्हें 17-2-78 को आरोप-पत्र दिया गया के बारे में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये अतः वह 26-5-78 को बहाल किये गये । इनकी पदोन्नति नहीं हुई है बल्कि चयन के माध्यम से सी0 डी0 पी0 ओ0 के पद पर 29-5-84 को तदर्थ नियुक्ति हुई है ।

श्री मलखान सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलते रहने के आदेश के साथ बगैर जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुये ही दिनांक 16 अगस्त, 1978 को बहाल कर दिया गया था । कतिपय कारणों से उन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया जा सका । उन्हें उच्च वेतनमान में पदोन्नत नहीं किया गया है । इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी जारी है, जिस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 को नियम 301 के अन्तर्गत 59 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 39 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं और शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं । जिसकी सूचनाएं स्वीकार हुई हैं, उनके नाम मैं पढ़े देता हूं । सर्वश्री सुरेन्द्र-पाल वर्मा, मोहम्मद मसूद खां, जगदीर सिंह, सुन्दर लाल, जगराम यादव, असान सिंह, मयंकर सिंह, श्याम बिहारी सिंह, किशन लाल, देव कुमार यादव, काजी कलीमुर्रहमान, नत्थू लाल विकल, अहिबरन लाल, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, त्रिभुवन प्रसाद, शारदानंद अचल, रवीन्द्र नाथ तिवारी, विष्णुदेव, नवाब सिकन्दर अली खां, सत्य प्रकाश विकल, फरीद महफूज किदवई, वीरेन्द्र सिंह (एटा), दीपचन्द सनेकर, फागू चौहान, राजित प्रसाद यादव, राम शरण दास, गोपी नाथ, श्री बदन सिंह, राज किशोर सिंह, दीप नारायण, रामचन्द्र बख्श सिंह, वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, अब्दुल वाहीद कुरैशी, मूलचन्द, बुनियाद हुसैन अंसारी, शारदा प्रताप, गजराज राम, नंगा राम तथा श्री पारसनाथ यादव आदि हैं । ये समस्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी, जो इस प्रकार हैं :—

जिला बांदा की नगरपालिका अतर्रा के सफाई मजदूरों के असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद की नगरपालिका अतर्रा के सफाई मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर देने से अतर्रा नगर में गन्दगी के कारण मोहल्लों में सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, कूड़ों का ढेर लग जाने से संक्रामक रोग भीषण तौर से फैल रहे

नोट —[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं । रास्ते में पड़ी गन्दगी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है । शहर में गन्दगी फैलने से जन-मानस में त्राहि-त्राहि मची है । सफाई मजदूरों की मांग है कि उनको समय से वेतन भुगतान कराया जाय । पी0 एफ0 की धनराशि उनके खातों में अविलम्ब एरियर सहित भुगतान किया जाय । ई0 बी0 क्लास कराई जाय । मृत कर्मचारियों को फण्ड दिलाया जाय । बोनस तथा भविष्य निधि का धन दिलाया जाय । आबादी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा कूड़ा डालने का स्थान निश्चित किया जाय । नगर की आबादी को देखते हुए नगरपालिका को विशेष अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दिया जाय तथा नगर के सुन्दरीकरण के लिये धनराशि दिया जाय ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों को स्वीकार करते हुए अविलम्ब हड़ताल समाप्त करायी जाय ।]

जिला आजमगढ़ की तहसील सदर, फूलपुर और लाल गंज में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां—

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में तहसील सदर, लालगंज, फूलपुर आदि में भयंकर सूखा पड़ा । शुरू बरसात में पानी की कमी को वजह से धान की रोपाई नहीं हो पाई और इस वक्त बरसात न होने और नहरों में पानी व बिजली, ट्यूबवेल वगैरा दुरुस्त न होने की वजह से धान सूख रहे हैं । टेकमा माइनर जो टेकमा आदि शिवराजपुर माइनर जो शिवराजपुर आदि व जमालपुर आदि और मिर्जापुर ब्लाक व रानी की सराय आदि ब्लाकों की नहरों में बिल्कुल पानी नहीं है । ट्रांसफार्मर आदि जल जाने पर किसानों को कई-कई महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाता जिसकी वजह से, बिजली जो कम मात्रा में मिलती है बिल्कुल नहीं मिल पाती, फसल बिल्कुल सूख रही है, शासन व प्रशासन इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है । अकाल की स्थिति हो गयी है, लोग भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं । स्थिति काफी विस्फोटक है यदि ट्रांसफार्मर आदि ट्यूबवेल व बिजली पूरी मात्रा में नहरों में पानी नहीं मिला तो फसलें एकदम से बर्बाद हो जायेंगी और लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर दूसरी तरफ भागना शुरू करेंगे । जनता के अन्दर इस दुर्व्यवस्था की वजह से काफी असन्तोष और आक्रोश है, यदि शीघ्र प्रबन्ध नहीं किया गया तो एक जन-आंदोलन की शक्ल धारण कर सकता है । ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से सदन व शासन का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि फौरन नहरों में पानी, ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था कराई जाय ताकि किसान अपने खेतों को पानी देकर धान की फसल को बचा रख सकें और अगली फसल बो सकें ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा खैर क्षेत्र में पलवल-हरियाणा को जोड़ने वाले बांध से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीर सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर, जनपद अलीगढ़ से एक बाईपास, जो पलवल-हरियाणा जाता है, पर एक जमुना नदी का पुल बना है । हर वर्ष जमुना में बाढ़ आती है और

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरे क्षेत्र के लगभग 20 गांव की हर वर्ष करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट होती रहती है और सरकार बाढ़ नियंत्रण पर लाखों रुपया खर्च भी करती है किन्तु स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है ।

यदि सरकार इस पुल के दोनों ओर 15 कि0 मी0 बन्धा बना दे तो उक्त समस्या का समाधान होगा और 20 गांवों की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को नुकसान से बचाया जा सकेगा । अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से इसकी जांच कराकर बांध बनाने की मांग करता हूं ।]

दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में पदोन्नतियों में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल—

[मान्यवर, उ0 प्र0 शासन के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के जी0 ओ0 सं0 19-10/1974-नियुक्त-3, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 तथा मुख्य सचिव के पत्र सं0 22/51-1982-कार्मिक-2, दिनांक 5 जुलाई, 1984 को तिलांजलि देकर दुग्ध आयुक्त, दुग्ध शाला विकास विभाग, उ0 प्र0 के पत्रांक 264/स्था0-पदोन्नति, 15 फरवरी, 1982 तथा पत्रांक 265/स्था0/दुग्ध-भा/पदोन्नति, दिनांक 15 फरवरी, 1982 को और इसी प्रकार सुश्री मंजूलिका गौतम, दुग्ध आयुक्त ने भी अपने पत्रांक सी-295/स्था0/पदोन्नति, दिनांक 9 मार्च, 88 एवं पत्रांक में दुग्ध निरीक्षक तथा दुग्ध निरीक्षक से वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पदों पर 33 पदोन्नतियां की हैं । जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग सेवा नियमावली में पात्र व्यक्ति थे । इन दोनों अधिकारियों ने आरक्षण संबंधी शासनादेश को ताक पर रखकर एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी है जिससे उक्त वर्गों के कर्मचारियों में भारी रोष एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त है । इन अधिकारियों ने पदोन्नतियों में उक्त कर्मचारियों को आरक्षण न देकर शासन की नीति को चुनौती दी है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति की जाये । शासनादेश को न मानने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

बस्ती जिले के इरेनेज खण्ड प्रथम की नहरों के टूटे होने के कारण सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव—

[मान्यवर, बस्ती जिले के इरेनेज खंड प्रथम के अन्तर्गत बर्डपुर जमींदारी सिस्टम की नहरें मरम्मत के अभाव में अस्त-व्यस्त एवं ध्वस्त हो गई हैं जिसके कारण नहरों से सिंचाई नहीं हो पा रही है । अभी पिछले एक माह से बरसात न होने के कारण धान की फसलें सूखने लगीं और सिंचाई अत्यावश्यक होते हुए भी नहरों के टूटे-फूटे होने के कारण धान की सिंचाई नहीं हो पाई, किसान परेशान होकर वर्तमान व्यवस्था को कोस रहे थे एवं भूतपूर्व कांग्रेस जमींदार की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि जमींदारी सिस्टम की नहरें भू0 पू0 जमींदारों (अंग्रेज) ने बनवाई थी तथा सुव्यवस्थित रूप से सिंचाई करते थे ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यदि सिसवा-जगुआर एवं भैसारी नहर की मरम्मत बरसात से पहले हो गई होती तो अवर्षण में धान की फसल सूखने से बच जाती ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन (सिंचाई विभाग) से मांग करता हूं कि सिसवा-जगुआर एवं भैसाही नहर की मरम्मत चालू वित्तीय वर्ष में करा दें जिससे अवर्षण के समय फसल को बचाया जा सके ।]

इटावा कानपुर प्रखण्ड की नहरों में पानी के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री औसान सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं इटावा व कानपुर प्रखण्डों के गानसी-वासंक-कुरसेन्डा, हरचन्द्रपुर-राजवाहों व अमरैन-पुरैला-रतनपुर-मूरासाहसपुर, बिकुपुर हरचन्द्रपुर-तिलकपुर-नगरिया धमकनी-कराली-कुर्सी कैथावा-महू बीधपुर आदि माइनरों की बाढ़ वर्षा एवं कटिंग से जीर्ण-शीर्ण हालत होने उक्त किसी राजबहा किसी माइनर में पानी सुचारु-रूप से टेल तक नहीं पहुंच पाता है । सिंचाई विभाग की अक्षमता-अयोग्यता, उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता के कारण किसी नहर की खांसी बन्द नहीं की गई जिससे पानी 1-2 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाता है । फसलें पहले सूखा फिर बाढ़ और अब पुनः सूखा से चौपट है किसानों में घोर असंतोष, क्षोभ, निराशा एवं रोष व्याप्त है । मैं शासन से अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद बरेली की फरीदपुर तहसील में बाढ़ राहत कार्यों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद व बरेली के तहसील फरीदपुर में बाढ़ राहत अनुदान शासन द्वारा दिया गया है और दिया जा रहा है । उसका पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है । गरीब दलित व निर्बल वर्ग को छोड़कर बड़े-बड़े कास्तकार 50 बीघा के जमींदारों को दिया गया है । जैसे ग्राम शिसईया, मगनपुर, कितपुर, परेना, हिन्तिरीपुर, कपूरपुर आदि में बड़े लोगों को देकर जनता में अशांति पैदा हो गयी है और बहुत ही जनता परेशान है । मैं मांग करता हूं कि ऐसे कर्मचारी व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच कराके उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।]

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रियदर्शनीनगर व एकतानगर कालोनी के निर्माण में अधोमानक सामग्री के प्रयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह—

[मान्यवर, बरेली नगर में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित कालोनी प्रियदर्शनी नगर व एकतानगर के निर्माण में सामग्री इतनी घटिया स्तर की लगाई गई है कि अभी से छतें टपकने लगी हैं व प्लास्टर गिरने लगे हैं । बिजली की फिटिंग

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गिरने लगी है, सड़क टूटने लगी है व कालोनी के सीवर को मुख्य सीवर में जोड़े न जाने के कारण मैला व गन्दा पानी घरों में भरा हुआ है ।

लोगों ने मकानों का कब्जा ले लिया है वे उपरोक्त खामियों के कारण बहुत परेशान हैं किन्तु विभाग उन्हें राहत दिलाने में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है । बहुत से लोग विशेषकर 20 पत्रकार जिनके लिए भी यहां 20 मकान बनाये गये हैं कब्जा नहीं ले रहे हैं किन्तु एलाटमेन्ट की तिथि से उन सभी से किस्तें वसूल की जा रही हैं । इससे आवंटियों में बहुत रोष व निराशा व्याप्त है । पत्रकार भवनों पर सब्सिडी भी दिलाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कालोनियों के घटिया निर्माण की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों को दण्डित करायें व कमियों को तुरन्त दूर करावें ।]

पीलीभीत के जिला सूचनाधिकारी के विरुद्ध अवांछनीय गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल—

[मान्यवर, जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत, श्री कुलवन्त सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सैनिक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत जिसका स्माई चार्ज इन क्लास था, के अतिथि गृह कल्याण अधिकारी की गैर मौजूदगी मे ताला तोड़ कर सामान गायब कर दिया व वहां की स्टाफ की एक युवती से बलात्कार का प्रयास किया । इस आरोप की रिपोर्ट पीलीभीत के मझोला थाने में धारा 457, 380, 376, 504, 506 के अन्तर्गत कैप्टन पन्त, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत ने दिनांक 29 अगस्त, 88 को लिखाई है । श्री कुलवन्त सिंह के इस कुकृत्य से सरकार की छवि धूमिल हो रही है व नागरिकों में बहुत असंतोष एवं रोष व्याप्त है ।

श्री सिंह पीलीभीत जनपद के ही रहने वाले हैं व गत 4 वर्षों में सभी नियमों की अवहेलना कर अपने पैतृक जिले में इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं तथा अपने उपस्थिति का लाभ उठाकर इस मामले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं ।

अतः अनुरोध है कि उक्त मामले की जांच कराकर श्री सिंह को दण्डित किया जावे व जांच प्रभावित न हो इसलिये इनका यथाशीघ्र स्थानान्तरण किया जावे ।]

जनपद कानपुर के थाना अनवरगंज की चौकी कुली बाजार के इंचार्ज द्वारा नागरिकों की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री देव कुमार यादव—

[मान्यवर, विगत 29 अगस्त, 1988 को थाना अनवरगंज, जनपद कानपुर महानगर के एस0 एस0 आई0 व इसी थाने से सम्बन्धित चौकी कुली बाजार के इंचार्ज, श्री अमीर चन्द व उमाकान्त यादव को तेलियाना रोड में एक चाय की दुकान पर निर्मम पिटाई कर रहे थे । पुलिस की इस निर्ममता के कारण को जब स्थानीय सुनील गुप्ता व राजकुमार राठौर ने पूछा तो पुलिस इन दोनों सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक थाना अनवरगंज ले गयी ।

थाना अनवरगंज में उक्त दोनों लोगों को बहुत पीटने के बाद प्लास से उनके नाखून उखाड़ने का प्रयास किया जाता रहा । बाद में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उन्हें धारा 302 आई0 पी0 सी0 व 25 ए0 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत हवालात में बन्द कर दिया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त दोनों व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और अन्याय व ज्यादती के खिलाफ पुलिस से टकराते आ रहे हैं । इन्हें फर्जी मुठभेड़ में खत्म करने का एक भाग यही कारण है ।

उक्त अमानवीय घटना से क्षेत्र की जनता में गम्भीर आक्रोश व्याप्त है । यदि कोई ठोस कार्यवाही न की गयी तो जन आन्दोलन छिड़ सकता है । इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित करके दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों की प्रतिनियुक्ति अवधि न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व की प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए शासन से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।

उ0 प्र0 सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों की कमी के कारण शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है । लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 ने जो वैयक्तिक सहायकों की परीक्षा 1988 में जो ली थी उसका परिणाम आने में अभी समय लग सकता है ।

उ0 प्र0 सचिवालय के वैयक्तिक सहायक विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं, उनमें से कई लोगों का तीन वर्ष पूरा हो गया है, जिन्हें अविलम्ब बुलाया जाना चाहिये, और किसी भी वैयक्तिक सहायक की प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि बढ़ाई नहीं जानी चाहिए ।

मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर अविलम्ब कार्यवाही की जाए ।]

सहकारी चीनी मिलों में प्री हार्वेस्ट केन में मैच्यूरिटी सर्वे सार्टीफिकेट योग्यता वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नत्थू लाल विकल—

[मान्यवर, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिलों में डिप्लोमा, डिग्री सार्टिफिकेट कोर्स टैक्निकल, साइंस, कामर्स, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव वाले काफी संख्या में कर्मचारी हैं । एन0 एस0 आई0 कानपुर में विभिन्न प्रकार से चीनी उद्योग के कर्मचारियों को कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आधुनिक रूप से चीनी मिलों में उत्पादन बढ़ सके । एन0 एस0 आई0 कानपुर से ट्रेनिंग किये हुये चीनी उद्योगों में मुख्य रसायन विद, मुख्य अभियंता इत्यादि पदों पर नियुक्ति किये जाते हैं । एन0 एस0 आई0 कानपुर से "प्री हार्वेस्ट केन मैच्यूरिटी सर्वे सार्टिफिकेट कोर्स किये हुए केवल 2 या 3 कर्मचारी सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत हैं जिनको कि दिनांक 21-7-87 आदि के सुझावों के अनुसार अनुभव शैक्षिक योग्यता तथा प्री हार्वेस्ट केन मैच्यूरिटी सर्वे सार्टिफिकेट किये हुए हैं । सहकारी चीनी मिलों में गन्ना निरीक्षक/गन्ना अधीक्षक/अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी/गन्ना क्रय अधिकारी के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति किया जा सकता है जबकि सहकारी चीनी मिलों में स्थान रिक्त हैं ।

अतः सदन के माध्यम से एन0 एस0 आई0 कानपुर से प्री हार्वेस्ट केन मैच्यूरिटी सर्वे सार्टिफिकेट कोर्स किये हुये सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को उपरोक्त पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति करने की मांग करता हूं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहकारी चीनी उद्योग की रुग्ण और असाधकारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के गजट संख्या 3158, दिनांक 15 जुलाई, 1982 के अनुरूप कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अहिवरन—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री डी0 के0 मित्तल के कार्यकाल में कर्मचारियों की सहमति पर एक सहकारी चीनी मिल से दूसरी सहकारी चीनी मिल में स्थानान्तरण तथा पदोन्नति की नीति बनाई गयी थी जिससे कि कर्मचारियों तथा सहकारी चीनी मिलों को लाभ था । उत्तर प्रदेश सरकार के गजट सं0 3158/(एच0 आई0) 36-2-101 (1) (एच0 आई0)-79 लखनऊ 15 जुलाई, 1982 श्रम अनुभाग-2 के अनुसार जारी किया गया । दिसम्बर, 1987 एवं जनवरी 1988 में चीनी उद्योगों में कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किये गये जिससे कि चीनी मिलों में उत्पादन पर असर पड़ा । जिसमें विभिन्न मुद्दों के अतिरिक्त उक्त गजट 15 जुलाई, 1982 का भी हवाला था । कर्मचारियों में अब भी असंतोष व्याप्त है जिससे कि कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हो सकते हैं । जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा ।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उक्त गजट के अनुसार एक सहकारी चीनी मिल से दूसरी सहकारी चीनी मिल में कर्मचारी की सहमति पर स्थानान्तरण की नीति तथा वारिसों की नियुक्ति की नीति बनाई जाने की मांग करता हूं ।]

डी0 सी0 यू0 द्वितीय बस्ती सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[मान्यवर, मैंने इसी विधान सभा में नियम 301 के अंतर्गत 6-3-1987 को तथा 26-2-88 और 2-5-88 को डी0 सी0 यू0 द्वितीय बस्ती सा0 नि0 वि0 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दिया था । इसके अतिरिक्त मैंने सा0 नि0 वि0 के मंत्री को तथा मुख्य मंत्री जी को एक विस्तृत पत्र मा0 सा0 नि0 वि0 मंत्री के पत्र ज0 शा0 पत्र सं0 2773/23-6-56 ए0 क्यू0/88 मा0 नि0 वि0 अनुभाग-6 दिनांक 11 जून, 1988 को लिखा है । खेद है कि उसकी जांच बस्ती जनपद के अधिशासी अभियंताओं से करायी गयी, जो उस भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त थे । कृपया मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित मेरे पत्र 27 फरवरी, 1988 जिसकी प्राप्ति की सूचना श्री बंशी लाल उप सचिव ने अपने पत्र 335 एम0 एल0 ए0/23-6-37/इ0 एम0/88 सा0 नि0 वि0 अनुभाग-6 दिनांक 10 अप्रैल, 1988 द्वारा दिया है की भी विस्तृत जांच कराने की भी आवश्यकता है ।

डुमरियागंज में कार्यरत अवर अभियंता श्री अयोध्या शरण गुप्ता का जब चार्ज उनकी फरार स्थिति में एजूम किया गया तो 100 बोरे से अधिक सीमेंट कम पाया गया और अन्य भ्रष्टाचार की अनियमितताएं पाई गयीं । इनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की और भी रिपोर्ट कार्य अधीक्षक महोदय को स्थानिक अभियंता प्रथम ने गोपनीय तौर पर 4-7-88 को अपने कार्यालय से की है । मैं मांग करता हूं कि मेरे द्वारा लिखे गये सभी पत्रों एवं उनके विरुद्ध की गयी रिपोर्टों की जांच किसी उच्च अधिकारी से जो मुख्यालय

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से सम्बन्ध रखता हो कराई जाये और यदि ठोस प्रमाण की आवश्यकता हो तो मुझसे भी संपर्क स्थापित किया जाये ।]

जिला बहराइच के जिलाधिकारी द्वारा कथित रूप से चकबन्दी कर्मियों एवं अन्य विभाग के कर्मियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन प्रसाद—

[मान्यवर, मेरे जनपद बहराइच में माह मई 1988 में लेखपाल व चपरासी चकबन्दी विभाग बहराइच में हड़ताल की थी फिर जिलाधिकारी बहराइच व महासंघ के बीच समझौता हुआ । समझौते के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश हुआ परन्तु एस0 ओ0 सी0 बहराइच एवं अपर आयुक्त चकबन्दी समझौते तथा शासनादेश का पालन न करके कर्मचारियों का व्यापक उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे जनपद बहराइच के समस्त विभागों के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है । नवभारत टाइम्स समाचार पत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 के प्रकाशित समाचार पृष्ठ संख्या 6 से भी स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी महासंघ बहराइच ने उक्त परिपेक्ष्य में आंदोलन की घोषणा कर दी है जिससे सरकार का कार्य ठप्प हो सकता है तथा जनमानस को कठिनाई हो सकती है तथा स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए निवेदन है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर अविलम्ब कार्यवाही की जाये ।]

बलिया जनपद में बाढ़ से हुई क्षति एवं जल निकासी व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल—

[माननीय अध्यक्ष जी, बलिया जनपद के भीषण नदियों की बाढ़ एवं तालों व नालों से जल प्लावन से किसानों की करोड़ों रुपये की क्षति हुई है । कई शासन की ओर से बार-बार मांग के बावजूद कारगर समाधान नहीं हो सका । सीवर विधान सभा क्षेत्र के लोग घाघरा नदी की भीषण बाढ़, हाहा नाला व फरहा नाला और बरसात में समुद्रवत दानवी रूप धारण कर लेने वाला विशाल काम काईली मुहाल ताल से किसानों का हर साल विनाश होता है । सखइला (ताल पसुहारी) लकारी ताल, अवरा ताल, मुडकुल ताल, गौरीताल, विगहताल, बरहुआ, महेन्द्रया, भिण्डताल और जल प्लावन से हर साल किसानों की कमर तोड़कर बेधर कर देते हैं । बाढ़ प्लावन व जल प्लावन के शिकार लोग रोटी दवा और रहने के घर के मोहताज होते ही हैं । दवाओं के अभाव में बीमारियों के शिकार हो जाते हैं । यदि तालों का स्थायी जल निकास और नदी के कटान से बचाव नहीं होता है तो प्रत्येक वर्ष बर्बादी होती रहेगी ।

अस्तु इस कटान को रोकने तथा काईली मुहाल ताल सहित क्षेत्र के तालों के स्थायी जल निकास करने सम्बन्धी लोक महत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं ।]

जिला फैजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनपद फैजाबाद में लगभग एक दर्जन ऐसे प्राईवेट जूनियर हाई स्कूलों की स्थायी मान्यता का प्रकरण काफी अरसे से

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विचाराधीन हैं जिन्हें बहुत पहिले बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अस्थायी मान्यता दी जा चुकी है। इसी प्रकार के एक दर्जन मामलों में स्थायी मान्यता प्रदान करने की संस्तुति के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद ने पत्रावली एडिशनल डायरेक्टर (बेसिक) शिक्षा फैजाबाद के पास भेजा था, जिन्हें उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया है जबकि इससे पहिले अनुचित प्रभाव से जनपद में ऐसे कई विद्यालयों की स्थायी मान्यता प्रदान की गयी है जो प्रागदर्शन में ही स्थायी मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करते। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में इस वर्ष की घाघरा नदी की भीषण बाढ़ से उत्पन्न विषम स्थिति विशेषकर सूर्यपुर दुबारी परसिया बांध के उत्तर बसे गामों सारंगपुर-कचिला नरायनपुर, बसरिया नूरुल्लाहपुर, सिसवा, धर्मपुर, विसुनपुर खेरा देवारा दुबारी-चक्की, मूसाडीही तथा दरियाडीह आदि में भूखमरी की स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इन ग्रामों में घाघरा नदी की बाढ़ से पचीसों वर्ष का रिकार्ड तोड़कर सम्पूर्ण फसल नष्ट कर दिया हजारों घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है कई सौ मकान धराशाई हो गये और कई सौ परिवारों को अपने सामान मवेशियों को लेकर घर छोड़ने को विवश होना पड़ा। घर पटाई भी पूरे क्षेत्र में घरों को न होने से अधिकांश घर वालों को घर छोड़ना पड़ा इन ग्रामों में इस समय भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त ग्रामों में घर पटाई कराने पर्याप्त आर्थिक सहायता दिलाने सारे देय ऋणों को माफ करने बिना ब्याज के ऋण देने मुफ्त खाद बीज देने, तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं।]

नगरपालिका शाहजहांपुर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नवाब सिकन्दर अली खां—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विगत छः माह से नगरपालिका शाहजहांपुर के कर्मचारी वेतन वितरण में होने वाली अव्यवस्था से पीड़ित हैं तथा जुलाई 88 से सितम्बर, 88 (तीन माह) का वेतन न मिलने के कारण समस्त कर्मचारी भयंकर समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं।

यह स्थिति मानवीय संवेदनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए नगरपालिका शाहजहांपुर के कर्मचारियों के आर्थिक संकट निवारण की मांग करता हूं।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा के जमुनापार क्षेत्र में इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल—

[मान्यवर, आगरा महानगर के यमुना पार क्षेत्र में, मोती बाग, कटरा वजीर खां, रामबाग, सीतानगर, रामनगर, ट्रांस यमुना कालोनी, मोतीमहल, यमुना पुल, बघला देवजीत, कछपुरा, गढ़ी हुसैनी, गढ़ी चांदनी, प्रकाश नगर व गौतम नगर आदि बस्तियां हैं। यहां की एक लाख से अधिक की सम्पूर्ण आबादी प्रायः पिछड़े, अनुसूचित व साधारण वर्ग के लोगों की है। हजारों छात्र व छात्राओं को वहां कोई इण्टर कालेज न होने से यमुना के इस पार पढ़ने के लिए आना पड़ता है। उनके लिये न समुचित बस व्यवस्था है और न छात्राओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। वहां के हजारों परिवार जब तक उनके बेटे-बेटियां पढ़कर वापिस नहीं लौट आते हैं, भयंकर रूप से दुश्चिंता ग्रस्त रहते हैं। कालेजों की संख्या कम होने से प्रवेश की भी गम्भीर समस्या रहती है और वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि सरकार यमुनापार क्षेत्र में एक इण्टर कालेज खोले जाने की दिशा में निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।]

प्रदेश के इण्टरमीडिएट व हाई स्कूलों के एडहाक अध्यापकों की सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई—

[मान्यवर, इस समय प्रदेश में करीब 30 हजार शिक्षक ऐसे हैं जो इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल विद्यालयों में एडहाक बेसिस पर लगभग 9 साल से पढ़ा रहे हैं, परन्तु न तो उन्हें इन्क्रीमेन्ट, भविष्य निधि, ग्रुप इन्श्योरेन्स तथा तमाम दूसरी सुविधाएं जो स्थायी शिक्षकों को मिलती हैं, उनसे वंचित रहते हैं। जबकि शिक्षण कार्य में यह लोग किसी स्थायी शिक्षक से कम काम नहीं करते हैं। 12 जून, 1985 से संशोधित अध्यादेश जो शिक्षक सेवा में स्थायी किये गये हैं, वह स्पष्ट मौलिक नियुक्तियों पर नियुक्त किये गये थे। चूंकि यह सभी तदर्थ शिक्षक भी स्पष्ट मौलिक रिक्तियों पर नियुक्त होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अतएव भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समान सेवा शर्तों के लिए समान लाभ में मौलिक अधिकार के तहत शेष बचे हुए तीस हजार से अधिक तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण अवश्य किया जाय। इससे वंचित होने वाले शिक्षकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्याओं का अतिशीघ्र हल किया जाय।]

स्टेट वेयर हाउस देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित समिति की जांच रिपोर्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

[मैं महोदय, मैं आपका ध्यान स्टेट वेयर हाउस देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु मा0 तत्कालीन सहकारिता मंत्री के आदेश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र के कतिपय भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल इस केन्द्र से स्थानान्तरण की मांग की थी । मांग के अनुसार केन्द्र के छः कर्मचारियों का स्थानान्तरण दोबरिया से अन्यत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1987 को कर दिया गया था इसमें से पांच कर्मचारी अपना कार्यभार जाकर ग्रहण कर लिये थे परन्तु एक माह के बाद ही उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके गंभीर भ्रष्टाचार के बावजूद भी पुनः उसी जनपद के केन्द्र बरहज बाजार पर कर दिया गया है जबकि शासनादेश है कि भ्रष्टाचार के आरोप में स्थानान्तरण होने पर पुनः उस जनपद में दोबारा स्थानान्तरण न किया जाय ।

इस प्रकार निगम ने शासनादेश का उल्लंघन किया है । साथ ही उनमें से एक गोडाउन कीपर जिस पर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप थे वह अभी तक दोबरिया केन्द्र से कार्य मुक्त नहीं हुआ है । साथ ही अपने चार्ज के गोदाम में अपने ही एक दिन रात में ताला तोड़कर चोरी कर लिया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट केन्द्र के प्रभारी ने पुलिस में कर दिया था परन्तु पुलिस के सांठगांठ से यह चोरी कराकर अपनी बचत कर ली और अभी तक केन्द्र पर बना हुआ है ।

अतः सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त भ्रष्ट गोडाउन कीपर के विरुद्ध कार्यवाही कर केन्द्र से कार्यमुक्त कराया जाय तथा अविलम्ब रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया जाय ।]

जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज के पुरुष चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

[मान्यवर, जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के पुरुष चिकित्सालय अस्पताल के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तहसील शाहगंज के पुरुष चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मरीजों के साथ मानुषिकता का व्यवहार न करके उन्हें असंसदीय शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है । जब अस्पताल में गरीब जनता अपने दुख का इजहार व अस्पताल के अंदर आयी दवाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करती है उन्हें असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके अधीक्षक द्वारा भगा दिया जाता है । अधीक्षक द्वारा उन्हीं मरीजों को दवा दी जाती है जो उन्हें प्राइवेट रूप से दिखाते हैं तथा उन्हीं मरीजों पर उनका ध्यान रहता है । बाकी मरीजों के साथ अस्पताल के अधीक्षक का सौतेला व्यवहार रहता है । जिससे मरीजों व वहां की जनता में काफी घोर असंतोष व्याप्त होता जा रहा है । इस संबंध में अब तक की गयी कतिपय शिकायतों का परिणाम ढाक के तीन पात ही रहा है ।

उक्त स्थिति में इस अविलंबनीय लोकमहत्व के मामले पर यह मांग करता हूं कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही की जाये तथा भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित किया जाय ।]

फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक की फारेस्ट रेंजरों को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने की संस्तुति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फागू चौहान—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट एण्ड कालेजेज के निदेशक के दिनांक 28 जुलाई, 1983 के पत्रांक-1410/83-डी0 एफ0 ई0/52-62 (पी0 टी0 111) द्वारा राज्य सरकारों से सिफारिश की गयी थी कि जिन फारेस्ट रेन्जरों ने आनर्स के साथ रेन्जर कोर्स पास किया है, उन्हें राज्य वन सेवा प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया जाय । मान्यवर, उक्त आदेशों के क्रम में कई प्रदेश यह व्यवस्था लागू कर चुके हैं । हमारे प्रदेश में अभी तक इस व्यवस्था के लागू न करने से रेन्जर्स में अतिक्षोभ है । जहां एक ओर वन रोपण पर जोर दिया जा रहा है वहीं विभाग के अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहित न किये जाने से अत्यन्त क्षोभ है ।

मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि उक्त आदेशों को तुरन्त लागू कर ऐसे रेन्जर्स को जिन्होंने आनर्स के साथ कोर्स किया है प्रादेशिक वन सेवा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाए ।]

जिला वाराणसी में फर्जी संस्कृत विद्यालयों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंजित प्रसाद यादव—

[जनपद वाराणसी के अन्तर्गत अनेक फर्जी संस्कृत विद्यालयों का मामला प्रकाश में आया है । सरस्वती सेवा समिति संस्कृत विद्यालय, दरवा, वाराणसी केवल कागजों पर चल रहा है । इसमें एक भी अध्यापक नहीं है । इस विद्यालय के प्रबन्धक भारी भ्रष्टाचार करके हजारों रुपया शासन से अनुदान के रूप में विद्यालय के नाम पर लेकर हड़प रहे हैं, जब इसकी शिकायत हुयी तो इस विद्यालय के सभी कागजात सील कर दिए गये और जांच आख्या उक्त विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध भेज दी गयी । लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरह सरस्वती गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, मुनारी, वाराणसी में भी भारी भ्रष्टाचार है, इसमें भी दो अध्यापक फर्जी हैं और अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पर हजारों रुपये छात्र-वृत्ति ली जा रही है । जबकि उक्त विद्यालय में एक भी हरिजन छात्र नहीं पढ़ते हैं । इस तरह शासन के पैसे का इन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से दुरुपयोग हो रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त विद्यालयों के प्रबंधकों तथा इसमें लिप्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित किया जाय तथा इन फर्जी शिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाए ।]

जिला सहारनपुर के साढौली कदीम ब्लाक के 15 गामों को सरसावा गन्ना सोसाइटी के सदस्य बनाकर गन्ना सप्लाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास—

[महोदय, सहारनपुर जनपद के ब्लाक साढौली कदीम के ग्राम बरथा, बरथा असलमपुर, बरथा कारसी, लतीफपुर, भूड़, कस्बागढ़, सैय्यद मोहम्मदपुर, मकसूदपुर, नन्दपुर, जोंडियां, नगली, खेड़ी, मडती, मीरपुर, डूडूवाला आदि लगभग 15 गांव ऐसे हैं जो गन्ना अच्छा पैदा करते हैं परन्तु यह किसी भी चीनी मिल को अपना गन्ना नहीं दे पाते हैं । यह चाहते हैं कि इन ग्रामों के गन्ना किसानों को गन्ना सोसाइटी सरसावा का सदस्य बनाकर सरसावा चीनी मिल में इनका गन्ना सप्लाई कराया जाये—नहीं तो यह मजबूर होकर अपना गन्ना हरियाणा प्रदेश की मिल को दे देंगे ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्रामों के गन्ना किसानों को गन्ना सोसाइटी सरसावा का सदस्य बनाकर इनका गन्ना सरसावा चीनी मिल में सप्लाई कराने की व्यवस्था कराई जाये ।]

जिला फैजाबाद के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के किसानों को अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ—

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए संज्ञान में लाना है कि "टाण्डा" तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद के लिए ग्राम गोकुला तथा ग्राम मखदूमनगर के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का अतिरिक्त प्रतिकर जिला जज फैजाबाद के आदेशानुसार क्रमशः 4 लाख और 10 लाख रुपये दिये जाने के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद उ0 प्र0 ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके भुगतान न करने के लिये स्थगनादेश लिया और स्थगनादेश प्रभावी रहते गत जून 1988 को टाण्डा में हुए उप चुनाव के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री के ग्राम गोकुला के किसानों का 3 लाख से ज्यादा पैसा भुगतान करवा दिया जबकि मखदूमनगर के किसानों का पैसा नहीं मिला । ऐसी स्थिति में किसानों में व्यापक रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों व किसानों के बीच स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण एवं विस्फोटक बनी हुई है ।

अतः माननीय अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि ग्राम मखदूम नगर के किसानों का 10 लाख रु0 तथा ग्राम गोकुला के किसानों का शेष बकाया भुगतान करने के लिए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे स्थिति सामान्य हो सके ।]

जनपद आगरा की तहसील किरावली के कीठम ग्राम के हरिजनों का वर्षा से घर बर्बाद होने से पलायन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम कीठम में सवा सौ परिवार जाटवों, मेहतरों, छोटी जाति के हरिजनों के मकान पांच पोखरों के बीच स्थित निम्न-स्तरीय भूमि पर बने हुए थे । इस वर्ष की घोर वर्षा में जल भराव के कारण उनके सबके सब मकान ढह कर बर्बाद हो गये हैं । जल निकास के लिये खुदे नाले की सफाई न होने के कारण हरिजन आबादी का यह विनाश हुआ है । बेचारे हरिजन अपने ग्राम को छोड़कर कीठम रेलवे स्टेशन के पास खुले आकाश के नीचे पड़े हुए हैं । उनको अभी तक कोई भी आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है । जिला प्रशासन से बार-बार जल निकास के लिए मौजूदा नाले को नीचा खुदवाने के लिए तथा उनके आवास हेतु उच्च स्थलीय आवास बनवाने के लिए कोई भी प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण अब वे ग्राम से पलायन करने को तैयार बैठे हैं ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मांग करता हूं कि हरिजन आबादी में जल भराव के निकास के लिए मौजूदा नाले को नीचा खुदवा दिया जाय और उनके पलायन को रोककर कीठम ग्राम में ही किसी उच्च स्थल पर उनको पुनः आबाद करने के लिए आवासीय सुविधाएं देकर उनके लिए मुफ्त आवास गृह बनवा दिये जांय और उनके जीवन यापन के लिए उनको अधिक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाय ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला वाराणसी में वरुणा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[माननीय, वाराणसी जनपद में स्थित वरुणा नदी के कोरउत घाट पर पुल निर्माण के लिये जनता लम्बे असें से मांग कर रही है ।

उक्त नदी के उत्तर तरफ वाराणसी-जौनपुर रोड तथा दक्षिण तरफ कोटवा-अकेरावा-भदोही व जी0 टी0 रोड है जो वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद जनपदों को एक दूसरे से जोड़ते हैं । उत्तर तरफ पक्के रोड से नदी के किनारे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका है । दक्षिण तरफ नदी तक पक्की सड़क से सम्पर्क मार्ग लम्बा 200 मीटर का बनना है ।

कोरउत घाट पर पुल का निर्माण हो जाने से एक उपमार्ग अस्तित्व में आ जायगा जो सन्दर्भित जनपदों को जोड़ने में सहायक होगा और दूरी कम करने के साथ वाराणसी शहर में यातायात का बोझ हल्का करेगा । पुल निर्माण से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा । सरकारी आय में वृद्धि होगी । नदी आर-पार करने में हो रहे खतरे व दुर्घटनाओं से छुटकारा मिल जायगा ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देकर शासन से शीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।]

जिला आजमगढ़ के थाना महेनगर के निवासी श्री राजेन्द्र प्रसाद सेठ की पुत्री को जलाकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से अति लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ ।

स्व0 कुंती मणि वर्मा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद सेठ, निवासी ग्राम व थाना महेनगर जिला आजमगढ़ की शादी श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री शिव प्रसाद वर्मा, मकान संख्या 21/16 इटावा बाजार कानपुर थाना कोतवाली के साथ जून सन् 86 में हुई थी । दिनांक 23-9-88 को रात को श्री सेठ को सूचना मिली कि उनकी लड़की खाना बनाते समय जल गई है । श्री राजेन्द्र सेठ तुरन्त कानपुर गये और 24-9-88 लगभग 11 बजे दिन उर्सला अस्पताल कानपुर जाकर लड़की को देखा जो मर चुकी थी ।

लड़की द्वारा इसके पूर्व के लिखे पत्रों से सेठ को ज्ञात हुआ कि लड़की खाना बनाते समय मरने की घटना असत्य है बल्कि उसे जलाकर मारा गया है । रिपोर्ट हेतु सेठ थाने गये परन्तु रिपोर्ट नहीं ली गयी । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर से सेठ मिले और वायरलेस द्वारा उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया तब थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गयी । इस मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि पता चला कि क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष की मिली भगत से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है ।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस द्वारा उच्चस्तरीय जांच करायी जाए तथा दोषी व्यक्तियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय ताकि असामाजिक तत्वों का मनोबल गिर सके ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा बायर मुकदमें की सी0 आई0 डी0 जांच में उच्च अधिकारियों द्वारा दखलन्दाजी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जनपद बाराबंकी में थाना जैदपुर की पुलिस ने अपराध संख्या 148/149 सन् 87 में कुछ लोगों का एन0 डी0 पी0 एल0 एक्ट की धाराओं में चालान किया था शासन द्वारा प्रार्थनापत्र पर उक्त मुकदमों में सी0 आई0 डी0 चेकअप के आदेश दिये गये थे । चेकअप में पुलिस का मामला गलत पाया गया अतः पूरी सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये गये । पिछले 3 माह से सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है । परन्तु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी, श्री वी0 के0 सिंह, बाराबंकी, बहराइच न जाकर अपना स्थानान्तरण लखनऊ करा लिया है तथा सी0 आई0 डी0 पर दबाव डालकर जांच में देरी करवा रहे हैं ताकि अदालत में दाखिल थाना जैदपुर की पुलिस चार्जशीट पर मुकदमा चल जाय और सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश ही निरर्थक हो जायं ।

मैं मांग करता हूं कि सी0 आई0 डी0 जांच 15 दिन के अन्दर पूरी कराई जाय, उक्त मुकदमों में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट वापस ली जाय तथा श्री वी0 के0 सिंह पुलिस अधीक्षक (वर्तमान एस0 पी0 एन्टी करप्शन) का स्थानान्तरण लखनऊ से कहीं अन्यत्र किया जाय ।]

कानपुर महानगर में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरेन्द्र नाथ दीक्षित—

[मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना माननीय सदन को प्रेषित कर रहा हूं । कानपुर महानगर में कुछ दिनों से भीषण पेयजल संकट आ गया है । शहर के विभिन्न गरीब इलाकों में जनसम्पर्क करने पर सार्वजनिक नलों के सामने सैकड़ों की संख्या में पानी भरने के लिये बाल्टियां लिये गरीब नागरिक खड़े दिखाई पड़े ।

महानगर में वाटरवर्क्स की व्यवस्था सन् 1892 में हुई थी । जब जनसंख्या दो लाख थी, आज जनसंख्या 22.50 लाख है । महानगर को प्रतिदिन 600 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि जल संस्थान के कथनानुसार जलापूर्ति की क्षमता केवल 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन है । स्थानीय प्रशासन द्वारा एक हजार इन्डिया मार्क-2 ट्यूब वेल लगाये जाने की प्रस्तावना सरकार को भेजी गयी है तथा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्काल राहत के लिये स्वीकृति प्रदान करें एवं विभिन्न नव विकसित कालोनियों में ट्यूबवेल लगाने का कार्य अविलम्ब जनजीवन की रक्षा के लिये प्रारम्भ किया जाये । पानी की घनघोर कमी के कारण महानगर में त्राहि-त्राहि मची है । भयंकर बीमारियां भी फैलने की आशंका है । उत्तर प्रदेश के किसी भी महानगर में पानी की इतनी कमी नहीं है जितनी कानपुर में है ।]

जिला मेरठ की नगर पालिका सरधना वोटर लिस्ट में की जा रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

[मान्यवर, नगरपालिका, सरधना, जनपद मेरठ की वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी की जा रही है, जिसमें कुछ लोग अवैधानिक ढंग से ऐसे वोटर बढ़वा रहे हैं जो न तो

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरधना निवासी हो, न ही कभी रहे हैं बल्कि वे दूसरे ग्राम तथा नगर के निवासी हैं और वहीं की वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे नामों को रोका जाये तथा आदेश दिया जाय कि जो अधिकारी ऐसे गलत नाम को समर्थन देगा वह दोषी होगा तथा दंडित किया जायगा, ताकि चुनाव के समय कोई वाद विवाद पैदा न हो, न ही नुकसेअमन का खतरा पैदा हो तथा जांच कराई जाय ।]

जिला वाराणसी में संग्रह अमीनों की नियुक्ति में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द—

[मान्यवर, जनपद वाराणसी में दिनांक 21-9-88 को जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा कुल 32 संग्रह अमीन की नियुक्ति की गयी है । जो संग्रह अमीन नियमित रूप से तीन वर्ष व चार वर्ष से कार्यरत थे उन्हें निकाल दिया गया है और नये लोगों की नियुक्ति बिना किसी निर्धारित मापदण्ड के मनमाने तौर पर की गयी है ।

मजे की बात यह है कि वर्ष 1973 में मृतक कर्मचारी के आश्रित श्री फालूराम की नियुक्ति 12-9-84 से परगनाधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा की गयी है । वह आज तक नियमित रूप से कार्यरत है और वसूली भी अच्छी है । इन्हें भी निकाल दिया गया है । इस प्रकार शासनादेश का उल्लंघन किया गया है । श्री चन्नी लाल संग्रह अमीन साढ़े तीन वर्ष से लगातार कार्यरत हैं उनकी भी वसूली अच्छी है । इन्हें भी निकाल दिया गया है जबकि यह हरिजन हैं तथा हरिजन कोटे से नियुक्त हुए थे । इसी प्रकार इस जनपद में चपरासी से संग्रह अमीन पद पर पदोन्नति करने के लिए कई चपरासियों की पत्रावलियां लंबित हैं । जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी निर्धारित मापदण्ड के विपरीत नयी नियुक्तियां की गयी । इससे पूरे जनपद के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर तत्काल उचित एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

सीतापुर नगर में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं सीतापुर नगर में पेयजल समस्या बहुत गम्भीर एवं चिन्ताजनक है । विशेष कर पुराना सीतापुर में कई-कई दिनों तक पानी नलों में नहीं आता और जब आता भी है तो इतना गन्दा होता है कि वह पीने योग्य नहीं होता जिसके पीने से बीमारी भयंकर रूप धारण कर रही है । कई लोग अब तक हैजे से मर भी चुके हैं । दूसरी ओर नगरपालिका जलकल विभाग पूरी तरह से विफल हो गया है । अधिकारी एवं कर्मचारी बार-बार कहने पर भी ध्यान नहीं देते हैं । जिससे जनता में बड़ा रोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जावे ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों को लगवाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप—

[माध्यक्ष, लखनऊ जनपद के वे तमाम गांव जो शहरी सीमा में दिनांक 28 फरवरी, 1987 को शामिल किये गये हैं जैसे किला मोहम्मदी नगर, सालेनगर, भदरुख, औरंगाबाद, हुसैनगंज मवैया, पिपरौली, मेहसा, निलमथा, खरिका आदि जिनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पेयजल समस्या हेतु इण्डिया मार्क-2 के हैण्ड पाइप लगाये जा रहे हैं किन्तु यह पाइप स्वीकृत लागत दस हजार रुपये में न लगवाकर अधिशासी अभियन्ता एवं ठेकेदारों द्वारा मात्र पांच हजार रुपये में लगवाकर कार्य समाप्त कर दिया है । यही नहीं लखनऊ जनपद में जल निगम द्वारा लगवाये जा रहे हैण्ड पाइपों की है जो कि मानक के अनुसार नहीं लगाये गये हैं जिससे वे अभी से पानी ठीक नहीं दे रहे हैं और यदि जल स्तर नीचे चला गया तो यह बेकार भी साबित हो सकते हैं । इन हैण्ड पम्पों में ज्यादातर अभी से खराब हो गये हैं या खराब दे रहे हैं जिससे जनता में रोष एवं आक्रोश की भावनायें व्याप्त हैं ।

माननीय अध्यक्ष, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री भगवान सिंह के भवन मानचित्र न पारित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज राम—

[अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा जनहित के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्ड संख्या 37 तथा भूखण्ड संख्या 17 पर सर्वश्री भगवान सिंह तथा एम0 सी0 शर्मा ने भवन निर्माण हेतु भवन चित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1979 में प्रस्तुत किये थे । वर्ष 1981 में श्री भगवान सिंह का भवन चित्र स्वीकृत कर दिया गया किन्तु श्री एम0 सी0 शर्मा का भवन चित्र स्वीकृत नहीं किया गया । वर्ष 1983 में शासन ने अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्डों को अर्जित कर लिया । चूंकि श्री भगवान सिंह ने अपने भूखण्ड संख्या 37 पर नक्शा स्वीकृत होने के उपरान्त भवन बना लिया इस कारण इनका भूखण्ड लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा रहा है । इस मामले में प्राधिकरण द्वारा पक्षपात किया गया है जिस समय श्री भगवान सिंह का नक्शा स्वीकृत किया गया था उसी समय श्री एम0 सी0 शर्मा का नक्शा इनके भूखण्ड संख्या 17 पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कर दिया गया होता तो श्री शर्मा ने भी अपना मकान बना लिया होता और इनका भूखण्ड भी प्राधिकरण अपनी योजना में समायोजित कर लेता । जब इसमें कालोनी का ले-आउट प्लान प्रेसक्राइब्ड अथारिटी द्वारा स्वीकृत है तथा जिसके आधार पर श्री भगवान सिंह का नक्शा स्वीकृत कर दिया गया था, तो उसी समय अर्थात् श्री भगवान सिंह के भवन चित्र स्वीकृत किये जाने के दिनांक को श्री शर्मा का भवन चित्र स्वीकृत क्यों नहीं किया गया । क्या इस सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह के भवन चित्र स्वीकृति के दिनांक से पूर्व श्री शर्मा को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गयी थी ? यदि नहीं, तो श्री शर्मा के भवन चित्र स्वीकृत न किये जाने का कारण क्या है ?

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि श्री शर्मा के भूखण्ड को भी प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जाय ।]

जिला गोरखपुर के थाना निचलौल को थानाध्यक्ष द्वारा जनता के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नंगा राम—

[माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा । जनपद गोरखपुर के थाना निचलौल के थानाध्यक्ष श्री लौटू सिंह सांसकी अपने को राजनैतिक पहुंच वाला आदमी बता कर निरीह जनता को फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है । क्षेत्रीय जनता की शिकायतों पर शासन के आदेश के बावजूद उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

मेरा अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आज ही इस विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत चर्चा करायी जाय ।]

जिला जौनपुर के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव—

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों की कमी है । शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । प्रधानाध्यापकों का पद सृजन न होने से कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है ।

अतः आपसे मांग है कि प्रधानाध्यापकों का पद सृजित करके प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कराने की कृपा करें ।]

सत्र के अन्तिम दिन नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी शेष सारी सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर अभी तक यह परम्परा रही है कि आखिरी दिन सारी सूचनाएं दो सौ शब्दों के अन्दर जो होती सभी स्वीकार कर ली जातीं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन्हें आज स्वीकार कर लीजिए यदि जो सूचनाएं 200 शब्दों में ऊपर नहीं है क्योंकि आखिरी दिन है ।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्ति बनाए रखें । आज आखिरी दिन होने के नाते ही अन्य दिनों के मुकाबले में इतनी अधिक स्वीकार कर ली गयी है, जिनमें कुछ न कुछ कमी रही होगी, रही मजबूरन स्वीकार नहीं की गयी है, शान्ति बनाए रखें ।

श्री [illegible]—

जनहित में कमी क्या होती है, मैंने जो सूचना नियम 301 के अन्तर्गत दी है . . . (व्यवधान)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हरदेव—

मान्यवर मैं जनहित के नाते ही आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यह सूचनाएं जो हैं नियम 301 के अन्तर्गत यह लाखों जनता के हितों से सम्बन्धित हैं, लाखों की सुरक्षा से संबंधित हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया माननीय हरदेव जी विराजें, जितनी स्वीकार नियमानुसार होनी थीं, वह सब स्वीकार कर ली गयी हैं, बाकी में कुछ न कुछ कमी रही होगी, इसलिए स्वीकार नहीं हो सकी हैं ।

(माननीय उपाध्यक्ष के साथ-साथ माननीय हरदेव जी के अपने स्थान पर खड़े होकर भी बोलते रहने पर व्यवधान)

माननीय हरदेव जी अब आप कृपया बैठिए, जो भी आप बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा, कृपया शान्तपूर्वक विराजें ।

(इस पर भी माननीय हरदेव जी के न बैठने और अपने स्थान में खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

कृपया बैठें, जो सूचनायें अपेक्षित की गयी हैं, उनके कुछ न कुछ कारण होंगे ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप हरदेव जी को बैठावें और कृष्णा जी को बाहर भेजें ।

(व्यवधान)

हरदेव जी आप बैठ जाइये ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं मंत्री श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि इस प्रदेश के जाने माने नेता और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान नश्तर का निधन कल रात्रि देर से बरेली में हो गया, जबकि वहां पर जो प्रख्यात उर्स था, उसमें

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाग ले रहे थे, तो हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया । नश्तर साहब इस प्रदेश के दशकों से जाने-माने नेता रहे हैं । इस सदन में भी मंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की और जो काम उन्हें दिया गया, उन्होंने उसे अच्छी तरह से निभाया । इस प्रदेश के भिन्न-भिन्न सामाजिक संगठनों से उनका संबंध रहा है । उन्होंने जो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् है, उसके अध्यक्ष के नाते इस प्रदेश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सेक्युलरिटी और साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत ही योगदान दिया । वह बहुत ही मिलनसार थे और उनका संबंध सभी प्रकार के वर्गों से था, सभी संगठनों से था । वह सभी के थे । कानपुर नगर के वह पिछले 3-4 दशकों से प्रमुख सेवक रहे हैं और कानपुर के नागरिकों में उनका विशेष स्थान रहा है । उनकी आवाज हजारों को प्रभावित करती थी और बाहर लाखों को प्रभावित करती थी । प्रदेश के ऐसे नेता हमें छोड़ गये, इससे जो सेकुलर शक्ति है, प्रगतिशील शक्ति है और देश की जो एकतावादी शक्तियां हैं, उन्हें भारी धक्का पहुंचा है । उन्होंने वह जो एकीकरण परिषद् के चेयरमैन के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे थे, वह भी चिरस्मरणीय रहेगी । मैं आग्रह करूंगा कि सदन हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दे, शोकसभा में उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो शोक श्रद्धांजलि स्वर्गीय नश्तर जी के संबंध में माननीय नेता सदन ने पेश की है, उसमें मैं स्वयं की तथा अपने दल की सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, नश्तर साहब जैसा कि नेता सदन ने कहा हमारे सदन के सदस्य ही नहीं रहे, बल्कि वह कई बार मंत्रिमंडल में रहे और उनका स्वभाव मधुर था । सभी व्यक्ति भले ही वह विरोधी दल का हो, विरोधी दल का हो, सबसे मिलते थे, बड़ी आत्मीयता से पेश आते थे । उनका कानपुर में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में उनका आदर था । इसी प्रकार मान्यवर, वह अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपने जीवन के आखिरी दिनों तक प्रयत्न किया और संघर्ष किया और अचानक उनकी मृत्यु का समाचार मिला । हम लोगों को यकीन भी नहीं था । वे बीमार भी नहीं थे । अचानक यह समाचार मिलने पर प्रदेश के लोग जो उन्हें जानते थे, वे हतप्रभ रह गये । हम सभी लोग आज नश्तर साहब के अचानक निधन से दुखी हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रूप शरण दास—

मान्यवर, मैं अपने को और अपने दल को माननीय नेता सदन और माननीय यादव जी के साथ सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, आज सुबह जब अखबार में मैंने स्वर्गीय नश्तर के निधन का समाचार पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ । मुझे कुछ दिन पहले वे यहीं विधान भवन में मिले थे । ज्यादा तो मेरा उनसे सम्पर्क नहीं रहा क्योंकि मैं विधान परिषद् का सदस्य था और वे यहां सदस्य थे । मंत्री की हैसियत से वे उस सदन में आया करते थे । बड़े हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति थे । मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी जिस पर यह सोचा जा सके कि वे हमारे बीच से इतनी जल्दी उठ जायेंगे । वे एक सेक्युलर दिमाग के व्यक्ति थे और जब ऐसे लोग हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बीच से उठ जाया करते हैं तो समाज में जो रिक्तता आती है उसे हम बहुत दिनों तक महसूस करते हैं । मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय नश्तर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप हमारी इन संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री नश्तर के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और माननीय राम शरण दास जी ने व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं भी अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । आज प्रातःकाल समाचार-पत्रों में स्वर्गीय नश्तर साहब के असामाजिक निधन का समाचार पढ़ा तब मैं निस्तब्ध रह गया । पूरे प्रदेश में अभी उनकी सेवाओं की और दिनों तक जरूरत थी । उनका व्यवहार, उनकी लोकप्रियता, योग्यता इस बात का परिचायक है कि वे अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोकप्रिय थे । मैंने उन्हें एक विधायक की हैसियत से और एक मंत्री की हैसियत से काम करते देखा । उनके अन्दर जो गुण और व्यवहार सन्निहित था वह शायद ही किसी में मिल पाता है । वैचारिक मतभेद हो सकता था लेकिन इस तरह का मैत्रीपूर्ण संबंध लोगों का उनके साथ रहता था कि उनके साथ बात करने की स्वयं लालसा होती थी । ऐसे व्यक्ति के हमारे बीच से उठ जाने से दुख हुआ और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ी भारी रिक्तता आ गई है । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह इस दुख को सहन करने की ताकत हमें दें । इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और मेरी पार्टी की यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय नश्तर साहब के निधन से मुझे और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक दुख हुआ । उनके बारे में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, माननीय गुप्ता जी ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । नश्तर साहब के निधन से इस प्रदेश के और देश के प्रगतिशील समाज को धक्का लगा है कैसे यह कमी पूरी होगी क्योंकि यह दिखाई जा रहा है कि जो लोग चले जा रहे हैं उनकी पूर्ति सही ढंग से नहीं हो रही है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, नश्तर साहब के आकस्मिक निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारी ये संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, आज प्रातःकाल अखबार में यह खबर पढ़कर कि श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर का निधन हो गया हम सभी लोग स्तब्ध रह गये । उनके निधन से इस प्रदेश की राजनीति में जो रिक्तता आयी है उसका पूरा होना कठिन है । नश्तर साहब इस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सदन के सदस्य थे और प्रदेश के मंत्री पद पर भी रह चुके हैं । उनके प्रति जो माननीय नेता सदन और विपक्षी दलों के नेताओं ने शोकोद्गार प्रकट किये हैं और जो भावनायें प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

स्वर्गीय नश्तर साहब के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धापुरुष उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री फजलुल बारी—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने मोहतरम मरहूम नश्तर साहब को जो अकीजे सआदत पेश की है उनसे मैं अपने को जोड़ते हुये कहना चाहता हूं कि नश्तर साहब कांग्रेस दल के एक बहादुर शख्स थे । सन् 1980 के मुरादाबाद के नरसंहार में जो उन्होंने रुख अख्तियार किया जिसके कारण उनको बाद में मंत्रि परिषद् और एम0 एल0 ए0 शिप के टिकट से हाथ धोना पड़ा । लेकिन वह एक बहादुर शख्स की तरह अपनी जगह डटे रहे । आपसे गुजारिश है कि हमारे यह अकीदत के अलफाज उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

मान्यवर, माननीय नश्तर साहब के संबंध में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को जोड़ता हूं । श्रीमन्, मेरा उनसे पिछले 25 वर्षों से संबंध था । वे बड़े पदों पर तो रहे लेकिन उनकी विशेष बात यह थी कि वह गरीब परिवार से उठकर आये थे और नगर महापालिका के सदस्य के रूप में उन्होंने गरीबों की सेवा की । उनका राजनीतिक जीवन व्यावहारिक एवं संकीर्णता से ऊपर था, वह विनम्रता के प्रतीक थे । आज उनके निधन से कानपुर के गरीब वर्ग के लोगों को जो पीड़ा होगी उसको मैं शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हूं । हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, आज सुबह जब मैंने अखबार में यह बात पढ़ी कि नश्तर साहब नहीं रहे तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ । श्रीमन् 59 में जब केवल टाउन्स के चुनाव हुये थे तो मैंने और नश्तर साहब ने एक साथ राजनीतिक जीवन शुरू किया था और 12 साल तक वह और मैं नगर महापालिका के सदस्य के रूप में रहे । विधान सभा के सदस्य और मंत्री पद पर रहकर उन्होंने प्रदेश की सेवा की । नश्तर साहब ने जो काम कानपुर के लोगों के लिये किया उसको कानपुर के लोग कभी नहीं भूलेंगे । आज कानपुर से प्रदेश स्तर के लोग उठते चले जा रहे हैं यह हमारे कानपुर के लिए दुखद बात है । उनके निधन से हम कानपुर के सभी लोग दुखी हैं । हम चाहते हैं कि जो संवेदना माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य लोगों ने व्यक्त की हैं उनसे हमें सम्बद्ध कर उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम निहोर के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम निहोर का निधन 20 सितम्बर, 88 को हो गया । माननीय राम निहोर जी 69 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा के लिए निर्वाचित हुये थे और फिर 1974 के सामान्य चुनावों में उसी दल से भदोही, वाराणसी से निर्वाचित हुए थे । माननीय राम निहोर जी को मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने का शौभाग्य प्राप्त रहा । उन्होंने जिस प्रकार वाराणसी जनपद खासकर भदोही क्षेत्र की सेवा की वह सदैव स्मरणीय रहेगा । वह निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । उनकी सेवायें न केवल वाराणसी बल्कि समस्त पूर्वांचल में दीर्घकाल तक स्मरण की जायेंगी । श्रीमन् श्री राम निहोर जी के निधन से जनपद वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है ।

श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री राम निहोर के संबंध में नेता सदन ने जो शोकोद्गार व्यक्त किया है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम निहोर भदोही क्षेत्र से वर्ष 1969 के मध्यावधि सदन ने जो शोकोद्गार व्यक्त किया है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध पाये थे । हमें भी उनके साथ में बैठने का अवसर मिला था । उनकी विशेषता थी कि समाज के गरीब और शोषित व्यक्तियों की व्यथा को यहां वह हमेशा उठाते रहे और विधान सभा के बाहर भी इन वर्गों के उत्थान और अत्याचार के प्रति बड़ी ही मेहनत के साथ उठाते रहे । उनके निधन से, जैसा कि नेता सदन ने कहा, बनारस जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मसीहा चला गया है और इस प्रकार उनके निधन से जो रिक्तता हुई है उसको निकट भविष्य में पूर्ति होना असम्भव होगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की संवेदनायें स्वर्गीय श्री राम निहोर के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास—

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम निहोर जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वह एक बहुत गरीब हरिजन कार्यकर्ता थे और हमारे दल में थे । हम लोगों ने एक दल में काम किया है । वह सरल स्वभाव के बड़े सीधे-सादे कार्यकर्ता रहे हैं । भदोई क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी । वह रात-दिन गरीबों के लिए कार्य करते थे । एक बार नहीं-दो-तीन बार वह यहां इस सदन के सदस्य चुने गये । उनके न रहने से हम लोगों को व्यक्तिगत तकलीफ हुई है । जब इस तरह के कार्यकर्ता हम लोगों के बीच से निकल जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी बहुत तकलीफ होती है । तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्व0 श्री राम निहोर जी के संबंध में जो शोकोद्गार नेता सदन, नेता विरोध दल तथा श्री राम शरण दास जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्व0 श्री राम निहोर जी इसलिए लोकप्रिय नहीं थे पूर्वी उत्तर प्रदेश या अपने क्षेत्र में कि वह विधायक थे बल्कि उनकी लोकप्रियता का कारण था कि वह समाज के दुर्बल वर्ग और जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और एक समर्पित जीवन उस वर्ग के लिए उन्होंने दिया । आज उनके न रहने से जहां समाज में शोक है वहीं निर्बल वर्ग में विशेष रूप से उनके प्रति सहानुभूति थी और वे शोकाकुल हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल का ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

माननीय, स्व0 श्री राम निहोर के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय, श्री राम निहोर जी एक कर्मठ, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे । वह अपरिपक्व अवस्था में हम लोगों के बीच से चले गये । उनके निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राज किशोर सिंह—

माननीय, राम निहोर जी इस सदन के सदस्य रहे, उनके निधन से मेरे दल को बहुत ही हार्दिक दुख हुआ है । राम निहोर जी हमारे ही जनपद के थे और उनसे हमारे बहुत गहरे संबंध थे । वह बहुत ही सादे ढंग से रहने वाले और सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे । वह बहुत ही गरीब और हरिजन परिवार से थे और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे । जब वह कांग्रेस दल से विधायक चुने गये थे, तो वह बराबर गांवों में जाते थे और जनता के साथ अपना सम्पर्क बनाये रखते थे और उनकी समस्याओं का बराबर हल करने का प्रयास करते थे । उनके निधन से हमारे बनारस जनपद में जो राजनीतिक रिक्तता आई है, उसका पूरा होना सम्भव नहीं है । उनके प्रति जो भावनायें नेता सदन और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनमें मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

*श्री राम [illegible]—

स्वर्गीय राम निहोर जी के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने और अपने निर्दलीय विधायक समूह को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रद्धा के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री फजलुल बारी—

यहां पर श्री राम निहोर जी के निधन पर भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनके परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे बीच श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर जी का निधन हो गया और राम निहोर जी, जो बनारस के रहने वाले थे, उनके भी निधन की अभी सूचना प्राप्त हुई है। नश्तर जी बड़े मृदुल स्वभाव के थे और हंसमुख थे तथा समाजसेवी और मानवता के पुजारी भी थे। वह एक साधारण परिवार से इतने ऊंचे पदों तक रहे अब जहां उनका निवास है, मेरे पड़ोस में ही है। मैं तो उनसे काफी दिनों से बड़ा प्रभावित था—बड़े मृदुल स्वभाव और सीधे, सच्चे मानव के रूप में। राम निहोर जी मेरे साथ 1969 में, जब मैं चुनकर आया था, यह भी चुनकर आये थे। बड़े मिलनसार और समाजसेवी थे तथा एक बहुत ही छोटे परिवार से यह थे। जो क्षति हमारे प्रदेश और देश को नेताओं के निधन से होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। जो भावनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने उनके प्रति व्यक्त की हैं और जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनके साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और जो संवेदनाएं व्यक्त की गयी हैं, उनको उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और श्रद्धा के रूप में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। आएं अब दो मिनट उनके सम्मान में मौन खड़े हो जाएं।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

प्रदेश में चल रही ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल की समाप्ति की सूचना

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि ट्रक आपरेटर्स ने जो हड़ताल 30 सितम्बर की मध्य रात्रि से की थी वह आज प्रातः पांच बजे समाप्त हो गयी है।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जो समझौता हुआ है, उसके लिए सम्पूर्ण सदन ने जो भावनायें व्यक्त की थीं, जो सहयोग दिया उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, जो सम्पूर्ण सदन के माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष की दीवारों को तोड़कर इसका गठन करने की शक्ति दी उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। मान्यवर, मालकर के संबंध में एक समिति बना दी जाएगी वह समिति जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक माल कर स्थगित रहेगा और पुराने समझौतों का पालन किया जायेगा और उत्पीड़न की कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी। यह जो हड़ताल ट्रक आपरेटर्स की टूटी है इसके लिए मैं विशेष रूप से राम शरण दास जी को बधाई देता हूं।

श्री बीर बहादुर सिंह द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह समाचार-पत्रों में भी लिखा था कि बीर बहादुर सिंह जी यहां आये और उन्होंने दस्तखत किये। वह केन्द्रीय संचार मंत्री हैं उनको दिल्ली में रहना चाहिए लेकिन वह यहां आये और उन्होंने दस्तखत किये, तो क्या माननीय नारायण दत्त तिवारी जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी दिल्ली जाकर दस्तखत करेंगे । क्या श्री नारायण दत्त तिवारी जी फिर केन्द्र जा रहे हैं और वीर बहादुर सिंह जी यहां आ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो सदन के सदस्य हैं तो दस्तखत करेंगे ही ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, उन्होंने दस्तखत कर लिए, तो क्या वह विधान सभा में जो दैनिक भत्ता प्राप्त होता है क्या वह भत्ता भी लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, सचिवालय में सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और बाहर नारेबाजी हो रही है, कृपया इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कीजिए, क्या मामला है यह बतायें ? क्यों नारेबाजी हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

पूरा सचिवालय घिरा हुआ है । सचिवालय के कर्मचारियों ने विधान सभा का घेराव कर रखा है और नारेबाजी हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो सुरक्षित हैं कहां घिरे हुए हैं ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इस समय आप सदन से भेज कर दिखवा लें कि विधान सभा का घेराव है या नहीं । किसी प्रकार का घेराव यहां पर नहीं है । कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इनको हर समय सचिवालय कर्मचारियों की चिंता है । किसान है, मजदूर है उनकी चिंता नहीं है यहां केवल सचिवालय कर्मचारियों की चर्चा है दिन भर ।

कतिपय विश्वविद्यालयों के कोर्ट के चुनाव के स्थगन का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं ।

कतिपय विश्वविद्यालयों के कोर्ट के चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 11 बजे से हो रहे हैं ।

इस संबंध में एक पत्र मुझे मिला है संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से । दोनों ने लिखा है कि स्वर्गीय श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर के

आकस्मिक निधन के कारण बहुत से माननीय सदस्य कानपुर चले गये हैं । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों के लिए चुनाव में भाग लेना सम्भव नहीं होगा । हमारा आग्रह है कि चुनाव स्थगित कर दिये जायं । क्या राय है ?

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा ठीक है, कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, स्थगित हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह—

जितने लोग रहेंगे, चुनाव होगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, नामांकन फिर से हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

नामांकन फिर से हो जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

चुनाव बन्द कर दिया जाय मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सहमति हो गयी तो स्थगित हो गया ।

श्री मैनेजर सिंह—

चुनाव चालू है, लोग वोट डाल रहे हैं आप वोट बन्द कर देंगे । नेता विरोधी दल को अपने लोगों को विश्वास में लेना चाहिये । मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अब तो आपने व्यवस्था दे दी है ।

श्री मैनेजर सिंह—

चुनाव चालू है, वोट दे रहे हैं, कैसे बन्द कर देंगे । बिल्कुल गड़िया बर हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन की राय ले लूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था हो गयी है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपकी व्यवस्था नहीं हो सकती । सदन का निर्णय लीजिये । सदन की सहमति होगी तभी तो निर्णय होगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

व्यवस्था का प्रश्न है । जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी तब नहीं चुनाव प्रक्रिया के पहले सुझाव आया होता ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब पत्र आया, मुझे मिला तभी मैंने सहमति दी ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

आपको पत्र नहीं लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब पत्र मिलेगा, पहले सहमति कैसे लेता । आप कहें तो मैं प्रश्न उपस्थित कर दूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

जब व्यवस्था दे दी तो क्यों बार-बार सुन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

चुनाव स्थगित हो गये हैं, सदन को सहमति है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, इस संबंध में या तो अधिनियम को विधान सभा में पहले रिपील करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रश्न उपस्थित किये देता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मेरी आपत्ति है प्रश्न उपस्थित करने पर, या तो इस अधिनियम को बदलिये, या तो आज प्रश्न को नहीं रख सकते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह सदन इस सदन के कार्य से संबंधित जितनी चीजें हैं उसका पूरा मालिक है । उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता । यहां पर आप बैठे हुए हैं, आपने जब एक व्यवस्था यहां पर दे दी, तो यह पूरे सदन का निर्णय और निश्चय हो गया । उसमें कहीं पर कोई रोक नहीं है । मान्यवर, आज निधन का निर्देश एजेंडे पर नहीं था, लेकिन एक एग्रीमेन्ट हुआ माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का, तो उसे ले लिया गया । मान्यवर, जब आपने एक निर्णय दे दिया, आपने एक व्यवस्था दे दिया तो उसमें अब परिवर्तन नहीं हो सकता

(घोर व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, आपने कहां अपनी व्यवस्था दे दी है ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, अधिनियम के अन्तर्गत हो रही कार्यवाही को न्यायालय के आदेश के बिना नहीं रोका जा सकता है । इस मामले में मतदान सदन में नहीं होता है ।

विधान सभा सदस्य होने के नाते, हम सदस्य उसमें मतदाता हैं। अधिनियम के अन्तर्गत हो रही किसी चुनावी कार्यवाही को यदि आप रोकना ही चाहते हैं, तो सरकार उस अधिनियम में संशोधन ले आये, अन्यथा चुनाव रोकना अवैध होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर व्यवस्था हो गयी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

प्रमुखों के चुनाव पर भी आप व्यवस्था दे दीजिये।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ को किसी प्रश्न को प्रस्तुत करने की ग्राह्यता पर विनिश्चय देने का अन्तिम अधिकार है, लेकिन सदन के निश्चय के बारे में तो सदन ही फैसला करेगा। संसदीय कार्य मंत्री तथा नेता विरोधी दल के संयुक्त हस्ताक्षर का एक पत्र मान्यवर को मिला, उस पत्र की सूचना के रूप में सदन में प्रस्तुत करें या न करें, यह तय करना तो आपका अधिकार है, लेकिन इस पर सदन का फैसला लेना अत्यन्त आवश्यक था और बिना सदन के निर्णय के कोई विनिश्चय घोषित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कृपा करके इस पर पुनः विचार कर लें।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

निर्णय सदन का होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि यह प्रस्ताव आया है, अगर सदन सहमत हो, तो प्रस्ताव मान लिया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप कृपा करके उस आसन पर बैठकर गलत बयानी न करें। आप उस प्रस्ताव पर सदन की राय लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप उसको सदन की राय नहीं मानते हैं, तो मैं सदन की राय नहीं लेता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रविन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जरा सोचें।

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप किस प्रस्ताव के ऊपर व्यवस्था दे रहे हैं ? एक तो मान्यवर, चुनाव हो रहे हैं और विधायकगण लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं उस स्थिति में अब थोड़ा समय बाकी रह गया है और इसको स्थगित कर दिया है तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है ।

(श्री विजय सिंह राणा के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इसी पर बहस होगी तो सारा एजेन्डा रह जायेगा ।

प्रश्न यह है कि कतिपय 11 बजे से चुनाव हो रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नेता विरोधी दल ने... (कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान) :

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह संसदीय विद्वान भी हैं और परम्पराओं नियमों को जानते हैं, उनसे आप पूछ लें कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रश्न उपस्थित कर देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने अपनी भूल स्वीकार किया आपको प्रश्न सदन में उपस्थित करना चाहिए था अब आप उपस्थित कर रहे हैं तो करिये । आप उस कुर्सी पर बैठ जायें और मर्द की औरत कह दें तो हां जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जो कह रहा हूं वही आप भी कह रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि कतिपय विश्वविद्यालय के कोर्ट के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 11 बजे से चुनाव हो रहे हैं, वह स्थगित किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

किसी ने हां नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कतिपय विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 11 बजे से चुनाव हो रहे हैं स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर सिंह—

आप फिर उस स्थान की गरिमा के खिलाफ आचरण कर रहे हैं एक बार गलती अनजाने किया फिर अपनी भूल को कबूल किया और फिर वही गलती कर रहे हैं । उस आसन की गरिमा को बनाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलती नहीं है. आपकी समझ की बात है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपको भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी है तो हम क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं उसको ले रहा हूं ।

श्री राम शरण दास—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, कौन सी सूचना दे रहे हैं आप ?

कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गये विषयों को न सुने जाने के संबंध में श्री हृदय नरायन दीक्षित का व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जो भी सदस्य चुनकर आते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने कल बड़ी पीड़ा के साथ माननीय अध्यक्ष के विषय में एक सूचना दी थी । श्री अध्यक्ष आज उपस्थित नहीं हैं । मैंने सूचना में यह कहा था कि जब भी इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्य नियमों का हवाला देकर कोई विषय सदन में उठाने का प्रयास करते हैं तो माननीय अध्यक्ष . . . नियमों के अनुसार बात ही नहीं सुनना चाहते और माननीय मंत्रीगण जिस तरह से चाहते हैं, उनसे बुलवा लिया जाता है । अक्सर देखा जाता है कि नियमावली के कुछ अंश उद्धृत करते हुए कुछ माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं तो उनको अवसर न देकर उन लोगों को अवसर दिया जाता है जिनका नियमों से कोई मतलब नहीं होता । जो लोग जोर से बोलते हैं, न्यूसेंस करते हैं, शोर मचाते हैं उन्हीं को बोलने का अवसर मिल जाता है । इससे मेरे जैसे विनम्र आचरण वाले व्यक्ति के हृदय पर आघात होता है और इससे मुझे प्रतीत होता है जिन आदरणीय मतदाताओं ने हमारे जैसे लोगों को चुनकर भेजा है, मैं उनके साथ विश्वासघात कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न के संबंध में मा0 अध्यक्ष ने जो कहा वह सम्भवतः आपने सुना नहीं । अगर वे जो कहा था, वह आपने सुन लिया होता तो आप ऐसा नहीं कहते ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, जब नियमों के उदाहरण की बात आती है तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी भावनाएं अध्यक्ष जी तक पहुंचा दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, यहां पर क्षेत्र और प्रदेश से सम्बन्धित तमाम समस्याएं उठाई जाती हैं, लेकिन मंत्रीगण उनके संगत उत्तर नहीं देते ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी भावना से मा0 अध्यक्ष जी को अवगत करा दूंगा । कृपया बैठें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, सुन लें । मा0 मंत्रीगण द्वारा सदन को जो उत्तर दिया जाता है वह अक्सर टालू होता है, संसंगत नहीं होता है । हमारी नियमावली की धारा 38 (1) यह बताती है कि प्रश्नों के उत्तर संगत होने चाहिये । परसों मैंने एक सवाल उठाया था कि प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 हजारों बेकार हैं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उस समय मा0 अध्यक्ष जी ने कहा था कि जिस सवाल का उत्तर नहीं आया हो उसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेजने हेतु चिन्ह कर दें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

यहां भी तो बोलने का अवसर मिले । मुझे आपसे कुछ निर्देश मिले हैं इस-लिये मैं यहां धरने का अपना निश्चय वापस लेता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मेरी इन भावनाओं को मा0 अध्यक्ष को भेजने का कष्ट करें । इस सदन को आई0 आर0 टी0 के सदस्यों जैसा न बनाएं और इधर के मा0 सदस्यों का भी सुना करें ।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नियम 299 में (क) जोड़ने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मंगा प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक ही कार्य के लिये दो प्रकार की व्यवस्था इस विधान सभा में दी गयी । यह सही है कि विधान सभा अपने आप में सक्षम है और अपने नियम, उपनियम और परिनियम को संशोधित और विखंडित कर सकती है । इसमें नियम समिति ने प्रस्ताव किया है कि नियम 299 में नियम 299 (क) जोड़ दिया गया है । नियम 299 की व्यवस्था सदन में शान्ति बनाए रखने की है । इसमें लगातार आपको व्यवस्थाएं हैं कि किस तरह से निलम्बन किया जाय, कैसे बाहर किया जाय । इसमें यह भी व्यवस्था है कि पीठ किसी को डीमन करती है तो संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे तथा सदन से मतदान करके किसी को बाहर किया जायगा । लेकिन लगता है कि पीठ को इसमें सन्तोष नहीं हुआ और इसमें 299 (क) जोड़ दिया गया । मान्यवर, नियम 299 (क) जोड़ने का मतलब यह है कि स्पीकर को, पीठ को, यह अधि-कार मिल गया कि कोई माननीय सदस्य अगर आपकी तरफ बढ़ता है और आप उसका नाम ले लेते हैं तो उसी प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत उसे दीडन किया जा सकेगा, जो इस प्रक्रिया के लिये पहले थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन ने इस पर सहमति व्यक्त की होगी, तब ही तो यह आया । जब यह सदन में आया था, उस समय आप कहते ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक कार्य के लिये दो तरह की व्यवस्था कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप संशोधन भेज दीजिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक ही तरह की व्यवस्था रखिये चाहे यह रखिये या यह रखिये । चाहे 299 रखिये या फिर 299 (क) रखिये, यह तो गजब हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, नियम समिति भी तो आप ही की अध्यक्षता में काम करती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम समिति ने जो सिफारिश की होगी, उसे सदन ने स्वीकार किया होगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जो माननीय माता प्रसाद पाण्डेय कह रहे हैं, एक व्यवस्था को रखिये ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम समिति की सिफारिश सदन में आयी होगी, सदन में पास हुयी होगी, तब नियम बना होगा । आप सब लोग बैठें ।

श्री उपाध्यक्ष को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, जो उप नियम बनते हैं, जो शासनादेश जारी होते हैं, उसका व्यावहारिक रूप में जनता के हित में पालन नहीं हो रहा है । मान्यवर, मैंने जो आपको ज्ञापन दिया है, उसमें कई ऐसे शासनादेशों का उल्लेख किया है । इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में ऐसे तमाम शासनादेश जो पारित हुए हैं, जिनका पालन व्यवहारिक रूप में अधिकारीगण नहीं करते हैं । हम लोगों को जनता चुनकर भेजती है, हम लोग यहां पर बैठकर नियम उप नियम बनाते हैं, उनका पालन नहीं होता है, तो यह कैसे चलेगा ? फिर हम लोगों को इस सीट पर बैठने का क्या औचित्य है । शासनादेशों के, उप नियमों के पालन न होने के विरोध में, हम और भाई गोपाल दास यादव जी शांतिपूर्वक यहां धरना देंगे । हम आपकी कार्यवाही को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं । इस बिन्दु को लेकर विधान सभा का यह भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जनहित में यदि आदेशों का पालन नहीं होगा तो जनता हमेशा शांत नहीं रहेगी । हम लोग यहां आकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये)।

गन्ने के भाव की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, जो किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, देश में रहने वालों की समस्याएं हैं, यह कैसे उठें ? मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा करें कि जो बुद्धिमान लोग हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, उनका एक टाइम फिक्स कर दें बोलने का और हम जैसे मूर्ख लोगों को एक समय दे दीजिये। गन्ने के भाव की घोषणा अभी तक सरकार ने की नहीं कि क्या भाव दिये जायेंगे किसान को गन्ने के। गन्ने की उपज का मूल्य 38 रु0 प्रति क्विंटल आता है, हम लोग चाहते हैं कि किसान को 40 रु0 क्विंटल के दाम मिलें। जो इधर और उधर बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, उनको समय दे देते हैं वह बात कह लेते हैं, अब हम मूर्ख लोग और किसान लोग कहां जायें। मैंने जो अपनी सूचना नियम 300 में दी है, उस पर मुझे सुनें। अगर नहीं सुनेंगे, तो मैं भी मजबूर होकर, यह जो लोग सदन के बेल में बैठे हैं, इनसे पहले आकर बैठ जाऊंगा। नियम 300 के अन्तर्गत मेरी सूचना को भी सुनें नहीं तो मैं भी धरने पर बैठूंगा।

(श्री राम शरण दास के भी सदन के बेल में आकर बैठ जाने से सदन में घोर अवधान उत्पन्न हो गया।)

(श्री किरनपाल सिंह व श्री मनोहर लाल के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं सदन को 25 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।

2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से श्री राम शरण दास, श्री गोपाल दास यादव तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन के फ्लोर से उठ कर अपने-अपने आसनों पर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण (क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने देखा कि हमारे दो माननीय सदस्य सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा गोपाल दास यादव सदन में धरना देकर बैठे हुए थे जिसके कारण काफी देर तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी । यह सरकार अपनी हठवादिता के कारण, अपनी बेईमानी के कारण माननीय सदस्यों को मजबूर करती है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ऐसा कदम उठायें और उनको मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ता है ।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी कहते हैं कि सन् 1971 में विकास शुल्क 5 रु0 था, फिर सन् 1981 में यह बढ़ कर 6 रु0 72 पैसे हो गया और उसके बाद यह और बढ़ा कर 6 रु0 90 पैसे कर दिया गया और आज वर्ष 1988 चल रहा है, 17 वर्ष व्यतीत होने के बाद जबकि यह शुल्क 6 रु0 90 पैसे कर दिया गया था, इस समय यह 151 रु0 विकास शुल्क कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 17 वर्ष व्यतीत हो गये । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जरा कागज को देखना बन्द कर दें और मेरी तरफ मुखातिब होकर पहले मेरी बात को सुन लें क्योंकि मेरी बात जरा दिमाग से ताल्लुक रखती है । मैं आपके सामने उदाहरणस्वरूप एक नोटिस प्रस्तुत कर रहा हूं यदि यह बात सही है तो आप देखें कि एक व्यक्ति श्री राम विलास मिश्रा को 9-6-86 को एक नोटिस दी गयी है 6 रु0 90 पैसे के हिसाब से मात्र रु0 2,266.65 की, कि इतने पैसे वे जमा करें । यह 9 जून, 1986 का नोटिस है और ठीक इसके तीन महीने के बाद दूसरा नोटिस उन्हें भेजा जाता है 101 रु0 के हिसाब से, यह नोटिस उसे 19-9-86 को दिया गया है कि 33,666 रु0 उसे जमा करना पड़ेगा । माननीय मंत्री जी बात को सही कहते हैं तो क्या तीन महीने पहले उनके विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को यह बात नहीं मालूम थी कि शुल्क की दर बढ़ गयी है जो उन्होंने ठीक तीन महीने के बाद उसे दूसरा नोटिस भेज दिया ? यह प्रशासन की बेईमानी का प्रतीक है । मा0 श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेई ने कहा कि शुल्क 6 रु0 90 पैसे की दर से लगेगा । इस संबंध में आपके कक्ष में वार्ता भी हुई थी और यह बात होने के बाद भी आपकी नौकरशाही ने कि आपके अंकुश में नहीं है जायज बातों को मानने के लिये उसने यह उदाहरण पेश किया है । 17 साल व्यतीत होने के बाद 101 रु0 हो जाने की बातचीत करके कुछ गलत काम भी हो रहे हैं । पहले 6.90 की दर से नोटिस दिया और तीन महीने के बाद दूसरा नोटिस 101 रु0 के हिसाब से भेज दिया । मैंने तो एक नमूने के तौर पर बात यहां बतलायी है कि ऐसा उसके साथ किया गया किन्तु इस तरह के नोटिस अनेकानेक लोगों को दिये गये हैं और सब लोग इस बात से परेशान हैं ।

मैंने माननीय मन्त्री जी से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य गोपाल दास जी की तथा अनुग्रह नारायण सिंह जी की कुछ बातें हैं जो कि आज आपकी नोटिस में लायी गयी हैं । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चले और माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां रख सकें और सदन का अमूल्य समय बरबाद न होने पाये । यह हमारे सदन में हैं उनकी चर्चा हो जाए । मैंने इन माननीय सदस्यों से अनुरोध किया इन्होंने इस बात को माना । अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले के निदान के लिये किसी दिन बैठ जाएं इसी माह की आखिरी 25 से 27 की तारीखों में और उनमें कुछ अन्य मंत्रीगण जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नगर विकास मंत्री तथा कुछ विधायकगण आदि बैठ जाएं और यदि मेरी भी जरूरत समझें तो मुझे भी बुला लें और शांतिमय

---

*नेता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ढंग से इस महत्वपूर्ण विषय को सुलझा लें हम लोग यह किसी प्रकार से नहीं चाहते कि सदन के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो । यह मामला मान्यवर मात्र इलाहाबाद से ही संबंधित नहीं है, बल्कि अनेकानेक जनपदों की बेइमानी की हालत इसी प्रकार की है, यदि समय रहते इस पर काबू न पाया गया तो आगे चलकर स्थिति और बिगड़ सकती है और माननीय राम शरण दास जी का मामला जो गन्ना किसानों के विषय में है, इस पर भी विचार होना चाहिए और गन्ने के भाव चूंकि आज सदन उठने वाला है, इसलिए इस पर आज ही कोई निर्णय सदन के उठने से पहले-पहले हो जाना चाहिए और माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य कुछ विचार कर सायं तक घोषणा कर दें ताकि जिस गरीब जनता ने अपने प्रति-निधियों को चुनकर यहां भेजा है, उन लाखों किसानों की आंखें इधर ही लगी हैं कि आज क्या इस पर निर्णय होता है, अगर यह निर्णय आज होगा तो वह भी समझेंगे कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि देश-प्रदेश व इसमें रहने वाली जनता के प्रति जागरूक हैं, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इन समस्याओं पर अवश्य कुछ आज ही घोषणा कर दें ।

*संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इससे पहले भी माननीय अनुग्रह नारायण सिंह व माननीय गोपाल दास यादव जी का खत मिला था और इस संबंध में एक बैठक भी हुयी थी, जिसमें नगर विकास मंत्री भी थे, मैं भी था यह बैठक माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में ही हुयी थी, लेकिन उसमें कुछ बातें तय नहीं हो पायी थीं, जिसकी वजह से आज माननीय सदस्यगण को सदन के फ्लोर पर आना पड़ा । माननीय नेता विरोधी दल, नेतासदन तथा माननीय नगर विकास मंत्री और मैं स्वयं भी रहूंगा इसी महीने के आखिर में 25-27 के बीच एक बैठक बुला ली जाए और उसमें इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से विचार कर लिया जायेगा और जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यदि मेरी जरूरत समझी जाए तो मुझे भी बुला लिया जाए, आपकी जरूरत तो हर जगह रहती है और दूसरी बात एक यह आयी कि सरकार इस ओर कुछ करना नहीं चाहती है, ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसा ही होता तो पिछली बार क्यों इस मामले पर बैठते । हम खुद चाहते हैं कि इनकी समस्याओं पर विचार हो, और वहां के रहने वालों की समस्या समस्याएं हल हों । माननीय अनुग्रह नारायण सिंह व माननीय गोपाल दास जी ने जो सुझाव सरकार के स्वीकार किये, इसके लिए धन्यवाद देता हूं । (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इससे पहले भी यहां नेतागण रहे हैं, नेता सदन व नेता विरोधी दल, लेकिन इस प्रकार से सदन की व्यवस्था कभी भी नहीं रही है । यह व्यवस्था शासन की ओर से जानबूझकर क्रिएट की जाती है क्योंकि शासन कुछ करना ही नहीं चाहता है । इस प्रकार की व्यवस्था रोज बरोज बढ़ती जा रही है । इस प्रकार की सदन की कार्यवाही इस सरकार को ही मुबारक हो और मान्यवर आपको (माननीय उपाध्यक्ष) भी मुबारक हो ।

गन्ने के भाव की घोषणा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम शरण दास—

श्रीमन्, हमारी बेल तो पानी की नहीं है, हम बैठ सकते हैं । मैंने नियम 340 में दिया है, आप सुन तो लें । नेता विरोधी दल ने जो कहा है, मेरी जो बात है उसको नेता विरोधी दल नहीं कह पाये हैं । जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं नहीं कह पाये हैं । मैं निवेदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि आपकी सरकार ने चाहे केन्द्र की हो या राज्य की हो गेहू के भाव तय कर दिये है । नवम्बर में बोया जायेगा और अप्रैल के अन्त में मई जून में काटा जायेगा । लेकिन गन्ना तैयार है नवम्बर में कटने जा रहा है । आपका सदन आज ही का है, दो चार घंटे का है, तो हमको मालूम कब हो पायेगा कि गन्ने का भाव क्या तय किया । गन्ने के भाव की बात कब करेंगे, भाव की घोषणा नहीं की है । तो अब की बार भाव के बारे में रिटायर्ड गन्ना अधिकारी द्वारा दिये गये आंकड़े की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हू उन्होंने एक कुन्तल गन्ने पर जो खर्च आता है, वह 33 रु0 कुछ पैसे आता है । मेरी डिमान्ड अगर आप पूरी कर सकें तो गन्ने का भाव 40 रुपये प्रति कुन्तल दो । श्री किरन पाल सिंह ने यह बात कही कि 40 रु0 के बजाय 45 रु0 की मांग करते तो कम से कम 40 रु0 मिल जाते । 45 का मैं तो चाहता हू कि आप 50 कर दो । 31 रु0 से ज्यादा जब लागत आयी थी तब आपने 27 पर लटका दिया और यह भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती है आप और कुछ न करो हमारे प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा है, वहां की सरकार जो भाव गन्ने का दे रही है वही दिला दो । अगर आप हरियाणा की सरकार की बराबर चलते रहेंगे तो हम मानते रहेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गन्ना मंत्री जी आये थे, इस समय वह नही है । संसदीय कार्य मंत्री जी है, बहुत विद्वान मंत्री है । उनके बगल में हुकुम सिंह जी बैठे हैं, वह गन्ना पैदा करते हैं, इनसे पूछ लो कि गन्ने में कितनी लागत लगती है । आज ही गन्ने के भाव की घोषणा कर दो, 40 रु0 कर दो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो भाव हरियाणा सरकार ने गन्ने के तय किये हैं वही भाव यहां पर दिला दो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, गन्ने के भाव के बारे में बात कही गयी है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । आज सदन उठ रहा है । अगली बार जब बैठेगा तो फैक्ट्रियां चल चुकी होंगी इसलिये जो मामला उठाया गया है गन्ने के भाव का, उसे घोषित होना चाहिये । जहां तक गन्ने के भाव की बात है, 40 रु0 के भाव की बात हम अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करते है । सरकार को इस बात का वादा करना चाहिये । गन्ने के मूल्य को सरकार को तुरन्त घोषित करना चाहिये ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, मेरी भी बात सुन लें....

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, गन्ने का मूल्य क्लियर करवा दें । पूरा सदन चाहता है कि गन्ने की कीमत की घोषणा सरकार करे ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, गन्ने के प्रश्न को लेकर कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की और यह कहा कि गन्ने का मूल्य घोषित हो जाना चाहिए मिलों के चलने से पहले । माननीय, गन्ने की दर मिलों के चलने से पहले घोषित कर दी जायेगी, यह मेरा आश्वासन है । दूसरे मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हू कि किसान को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाया जायेगा । जो सुझाव यहां पर दिया गया कि उसका मूल्य 35 रुपया, 40 रुपया या 45 रुपया निश्चित किया जाय उस पर विचार किया जायेगा... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास—

आप हरियाणे का मूल्य निर्धारित कर दें...(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मैं आपको बता रहा हूं । हरियाणा का भी बता रहा हूं । आपके सामने हरियाणा के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता । माननीय राम शरण दास जी प्रदेश के 57/58 जिलों को तो देख नहीं पाते, केवल जमुनापार हरियाणा ही नजर आता है । मान्यवर, यदि गत वर्ष की दरों का आकलन करते हम बहस करने के लिये तैयार हैं । उत्तर प्रदेश के किसान को हरियाणा के किसान से अधिक गन्ना मूल्य दिया गया...(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जयदीप सिंह दरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हम बहस करने के लिये तैयार हैं । तो उसके लिये आप समय निर्धारित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठ जांय....(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मैं आपको बताना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं...

श्री राम शरण दास—

उन्होंने कहा कि बहस कर लें । माननीय मंत्री जी अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर किसानों के साथ बहस कर लें । अगर वे सन्तुष्ट हो जांय तो मैं मान जाऊंगा...(व्यवधान)

श्री मनेजर सिंह—

माननीय राम शरण दास जी मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में उनकी ससुराल में बहस करेंगे...(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । पहले मंत्री जी को कह लेने दीजिये...(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं और जिस समय गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जायगा उस समय यह भी विचार किया जायगा कि गन्ने का लागत मूल्य क्या है । अगर गन्ने के लागत मूल्य पर विचार नहीं किया जायेगा तो उसका लाभकारी मूल्य किसानों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।...(व्यवधान) मान्यवर, एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने वाली बात हो जाती है । उत्तर प्रदेश में जब पिछले वर्ष गन्ने का मूल्य 27 रुपये दिलवाया

गया तो उसमें काटेंज 50 पैसा ही काटा गया था, जबकि हरियाणा में गन्ने का मूल्य 28 रुपये निर्धारित किया गया, तो उसमें किसान से 2 रुपया काटेंज काटा गया । केवल बोल देने से काम नहीं चलता । रिकार्ड चीनी का उत्पादन किया गया क्योंकि ज्यादा गन्ना पैदा हुआ और ज्यादा गन्ना मिलों में आया । जब हम किसानों के गन्ने के मूल्य की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि प्रदेश के अन्दर जो 12 करोड़ कन्ज्यूमर हैं, उनको चीनी मिल सके । हमारे यहां की लगभग 2/3 चीनी की पैदावार दूसरे प्रदेशों में जाती है जिसका पैसा प्रदेश के विकास के लिये आता है । उत्तर प्रदेश आइसोलेशन में गन्ने का मूल्य तय नहीं करता । जितने भी और प्रदेश हैं, हरियाणा है, तामिलनाडु है, जहां गन्ना पैदा होता है, तमाम चीजों के परिपेक्ष में गन्ने का मूल्य और नीति तय की जाती है । वह मूल्य व नीति जल्दी घोषित की जायगी । किसान गत वर्ष संतुष्ट रहा लेकिन कुछ लोगों के प्रयास के बावजूद भी एक भी किसान ने एक दिन भी गन्ना मिल में हड़ताल नहीं की । और जो मूल्य हमने गन्ने का दिया था उससे पूर्णतः किसान संतुष्ट थे । अब जो मूल्य घोषित किया जायेगा प्रदेश का पूरा गन्ना किसान उससे संतुष्ट होगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

मुझे भी कहने का मौका दें ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम अौतार दीक्षित)—

अब क्या कहना है ।

श्री किरन पाल सिंह—

आप तो गन्ना किसान की तकलीफ से वाकिफ नहीं हैं

श्री राम अौतार दीक्षित—

हमारे यहां भी गन्ना होता है, मैं भी पैदा करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने नीति की बात की । उनको इस वक्त सदन में घोषणा करने में क्या दिक्कत है । आज आखिरी दिन है और गन्ने की पिराई शुरू होने वाली है । आज तक गन्ने के दाम क्यों नहीं तय हुये जब नीति स्पष्ट थी तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है ।

शोध

दूसरी बात गन्ने की कीमत जो गन्ना शोध संस्थान में आ रही है तो क्या उस कीमत से ज्यादा किसान को दिलायेंगे क्योंकि आपने कहा है कि लाभप्रद मूल्य दिलायेंगे । तो जो सरकारी शोध संस्थान है आपके गन्ना संस्थान में जो लागत आती है उससे ज्यादा किसान को दिलायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, किरन पाल सिंह जी उस वक्त यहीं थे जब मैंने कहा था कि लाभप्रद मूल्य दिया जायेगा उसमें अब संशोधन की आवश्यकता नहीं है । अब आपने मेरा परीक्षण लेना शुरू कर दिया कि शोध संस्थान में जो लागत आती है या दूसरी जगह क्या होती है ? मैंने कहा लाभकारी मूल्य देने के लिये सब बातों पर विचार होगा । अब आप शोध संस्थान की बात मत करें गन्ना पैदा करने वाले किसानों की बात करें । गन्ना किसान की लागत के साथ साथ यह बात भी तय करते हैं कि किस प्रकार चीनी उद्योग को जिंदा रखना है ? तीसरे पूरे राष्ट्र के परिपेक्ष में गन्ने के दाम क्या होने चाहिये यह भी देखा जाता है । मैं पुनः राम शरण दास जी से फिर कहता हूं कि बाहर के प्रदेशों में नजर न रखें ।

श्री राम शरण दास—

मैं कहता हूं कि जितनी फैक्ट्रीज आपकी हैं वह सब हमें दे दीजिये और हम 40 रुपया किसान को भी देंगे और फैक्ट्रीज में घाटा भी नहीं होगा । हमें नहीं तो आप हरियाणा को दे दीजिये वह आपको 20 करोड़ रुपया भी दे देगा ।

उससे बढ़ाकर दाम देने के लिये मंत्री जी से आप कहलवा दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मिल का रेट 27 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का था और 50 पैसे कार्टेज का काटते थे, इस प्रकार किसानों को 26.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था जबकि हरियाणा राज्य में गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 28 रुपये था लेकिन ट्रान्सपोर्टेशन और कार्टेज का 2 रुपये प्रति क्विंटल काटते थे इस प्रकार वहां 26 रुपये ही किसानों को मिला था । इस प्रकार हम गन्ने का मूल्य किसानों को ज्यादा देते थे । लेकिन इस वर्ष इसी परिप्रेक्ष्य में विचार हो रहा है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन इस सत्र का यह आखिरी दिन है और हम सभी इस पर चिंतित हैं कि गन्ने का क्या मूल्य घोषित करेंगे, धान का क्या मूल्य घोषित करेंगे । चूंकि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो उससे पहले गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी होगी और धान किसान बेच चुका होगा । इसलिये मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि गन्ने के मूल्य की घोषणा कब तक आप कर देंगे और धान का समर्थन मूल्य क्या घोषित करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस वर्ष के लिये धान कामन वैराइटी का मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल, फाइन का 170 रुपये और सुपर फाइन धान का मूल्य 180 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जा चुका है । गन्ने के मूल्य के बारे में 2-4 दिनों में घोषणा की जायेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे । श्री राम शरण दास और श्री किरन पाल सिंह ने तर्क दिया कि गन्ना शोध संस्थान का लागत रेट जो आता है वही दे दें लेकिन आपने सभी को नकार करके लाभकारी मूल्य देने की बात कही । तो लाभकारी मूल्य की परिभाषा यह है कि लागत मूल्य क्या है, यह मालूम होने पर ही लाभकारी मूल्य देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि लागत मूल्य क्या है, उसका मापदंड क्या मानेंगे ? मापदंड विशेषज्ञों का मानेंगे या केन रिसर्च का मानेंगे, आप बता दें कि मापदंड क्या मानेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मापदंड की बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही, तो शोध संस्थान या शोध विश्वविद्यालय में जो मापदंड होते हैं वह हर फसल पर लागू होते हैं चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो या गन्ना हो अथवा अन्य फसलें हों, शोध केन्द्र और विश्वविद्यालय में जो भी लागत मूल्य आता है वह कभी भी किसानों की फसल के लागत मूल्य से मेल नहीं खाता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और इसीलिये वह व्यवहारिक नहीं होता है । हमारे पास क्या मानक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा फील्ड स्टाफ इस काम में लगा है, वह स्टैटिस्टिक्स एकत्र करके प्रदेश मुख्यालय पर भेजता है जिसका यहां परीक्षण होता है और उसके बाद लागत मूल्य, फील्ड और अपनी जानकारी के आधार पर आती है उसका समावेश करने के बाद मूल्य तय करते हैं कि क्या लागत हो । उसी का परिणाम है कि इस सरकार ने जब भी किसान के गन्ने का मुल्य घोषित किया है वह सदैव लाभकारी रहा है ।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और किरन पाल सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं कि हम वह मूल्य नहीं देंगे जिसको लेकर किसान 10—12 सालों तक अपनी अर्थ व्यवस्था को भूल नहीं पाया था और मजबूर होकर गन्ने को अपने खेतों में ही किसान को जलाना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

सरकार कोई उचित नीति गन्ने और धान के बारे में घोषित नहीं किया इसलिये हम अपने दल के साथ इस सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री राम शरण दास ने अपने दल के साथ सदन त्याग किया)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, सरकार को धान का मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करना चाहिए जो नहीं किया और गन्ने की लागत मूल्य नहीं बता रहे हैं जबकि गन्ने का लागत मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करना चाहिए था . . . . । लेकिन यह सरकार और मंत्री जी धान और गन्ना दोनों के मूल्यों पर टालमटोल कर रहे हैं । वह किसानों के हित में नहीं उनके विरोध में सारे कार्य कर रहे हैं । इसलिए मैं स्वयं अपने दल के सदस्यों के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के साथ सदन त्याग किया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सरकार किसानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, उस हेतु धान और गन्ने के मूल्यों से सम्बन्धित प्रश्न का वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है, गन्ने की कीमतों के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं अपना रही है । इसलिए मैं भी अपने दल के सदस्यों के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं भी सरकार की हठधर्मी के विरुद्ध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौशिक रमाशंकर ने भी सदन त्याग किया)

श्री जयदीप सिंह बरार—

गन्ने की फसल और गेहूं की फसल के पूर्व सरकार के रेट आ जाने चाहिए, किन्तु सरकार यह नहीं कर रही है, जिससे किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा । यह सरकार इस हेतु मिलमालिकों से मिल गई है और इसका लाभ उनको दिलाना चाहती है । यह मिल मालिकों के साथ मिल कर इसे तय करना चाहती है । सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं अपने साथियों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह दरार अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग किया ।)

डी0 एम0 बलिया के विरुद्ध आयुक्त द्वारा जांच न किये जाने तथा सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा राजस्व परिषद् के सदस्यों द्वारा जांच कराये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा के विगत सत्र में मेरे जनपद के पूर्व जिलाधिकारी, श्री अशोक कुमार के बारे में कई दिन चर्चा हुई थी और उसी को लेकर तीन दिन तक सदन की कार्यवाही काफी देर तक स्थगित हुई थी । बलिया के समस्त विधायकों ने उन पर गम्भीर आरोप लगाए थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुक्त को जांच सुपुर्द किया था । इसी सदन में माननीय विधायकों ने आपत्ति किया था कि वह आयुक्त जिलाधिकारी से मिला हुआ है, उसकी जांच का भरोसा नहीं है । उस समय यहां पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बार-बार आश्वस्त किया था, इस सदन को आश्वस्त किया था यदि आयुक्त की जांच से सदस्यगण सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो राजस्व परिषद के किसी वरिष्ठ अधिकारी से सरकार जांच करा देगी । उन्होंने बार-बार सदन को आश्वस्त किया था और सदन के सम्मानित सदस्यों से कहा आप विश्वास रखें, आयुक्त की जांच होने दें, उससे आप सन्तुष्ट नहीं होंगे तो राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी से हम जांच करा देंगे । लेकिन श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि माननीय मुख्य मंत्री के आदेश के विपरीत आयुक्त वाराणसी ने उस मामले की जांच नहीं की । वे वहां बलिया कभी गये ही नहीं । इस तरह से उन्होंने सरकार की अवमानना की है और यही नहीं सदन की और आपकी उन्होंने अवमानना की है । वे बलिया गये नहीं, किसी भी व्यक्ति या शिकायत कर्ताओं से कोई जानकारी या पूछताछ कभी नहीं की गई । अभी सात दिन पहले वह गये थे बलिया में रंगरलियां मनाने । ऐशो आराम करने गये थे । वह एक दिन जांच हेतु गये नहीं, कोई जांच नहीं किया ।

हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने अपने आश्वासन के अनुसार राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच के आदेश नहीं दिये । इसलिए मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सरकार के मंत्री जो सदन में आश्वासन देते हैं, उसके खिलाफ आचरण करते हैं और सदन की अवमानना करते हैं । संसदीय कार्य मंत्री इस सदन की अवमानना के अधिकारी हैं । इन्होंने बार-बार कहा था कि यदि माननीय सदस्य कमिश्नर की जांच से सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो वह इस मामले की जांच राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे । लाखों लाख रुपया जो निर्माण कार्यों का था, उसे अल्प बचत योजना में कलेक्टर ने जमा कर दिया और बराबर वह वहां बड़े ऐशो आराम के साथ भ्रष्टाचार करके रहता रहा । उसने अपने बंगले में स्वीमिंग पुल बनवाया और जब उसका वहां से ट्रांसफर हुआ तो वह चार ट्रक सामान और नगरपालिका के पंखे और लाईट्स लेकर चला गया है । इस बारे में आप हरदेव जी से भी पूछ लें, वह भी इस बारे में कहना चाहते हैं । आप इस सबके बावजूद हमारी बात को न माने तो अपने सदस्य की बात सुनकर उस पर विश्वास कर लें । संसदीय कार्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया था, उसके अनुसार कार्य न करने के सम्बन्ध में यह अपनी सफाई यहां दें, वह आरोपों की जांच करा रहे हैं या नहीं ?

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उपाध्यक्ष जी, सदन को उस समय मैंने सूचित किया था कि कमिश्नर से जांच कराई जाएगी और उसकी जांच से सन्तुष्ट नहीं होंगे तो राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ मेम्बर से उसकी जांच कराई जायेगी । जो बात मैंने उस वक्त कही थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । माननीय मैनेजर सिंह जी ने स्वयं कहा कि उस कमिश्नर को आदेश मिल गये और गया नहीं । मैंने इसको आज ही मंगवाया है अगर जांच हुई है तो जांच के तथ्य श्री मैनेजर सिंह को बता दिये जायेंगे । अगर जांच नहीं हुई है तो उसकी जांच राजस्व परिषद् के मेम्बर से कराई जायेगी । मान्यवर, चूंकि यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है कि जांच हुई है या नहीं हुई है रिपोर्ट आई है या नहीं आई है तो उसके आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जो शिकायतकर्ता था उनसे सम्पर्क नहीं किया गया अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है तो वह बेईमानी की रिपोर्ट है वह बलिया में गये ही नहीं हैं । अगर वह कोई गोपनीय रिपोर्ट है तो वह बेईमानी की है उसको मानना नहीं चाहिए आपको अपने कहे अनुसार राजस्व परिषद के वरिष्ठ सदस्य से जांच करानी चाहिए ।

(श्री हरदेव जी के खड़े होने पर ।)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, हरदेव जी को सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरदेव—

(x x x)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मनोहर लाल जी को बुला लिया है । मनोहर लाल जी आप बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हरदेव जी आप बैठ जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हरदेव जी आप क्या बोल रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप क्यों सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया जाय ।

माननीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 88 को चमड़ा मजदूरों के सम्बन्ध में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिये गये निर्णयों के विपरीत शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल मंत्रिमंडल का गठन करते हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है और आप कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करिए । मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर श्रम विभाग का एक मामला उठाना चाहता हूं । 10 मार्च, 1988 को श्रम मंत्री ने चमड़े और चमड़े से संबंधित काम करने वाले लोग जो हैं उनकी एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी । उसमें मैं भी था । यह मीटिंग मंत्री जी ने 18 मार्च, 1988 को अपने कक्ष में बुलायी थी । उसमें तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चमड़े से संबंधित कारखाने हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनको दिसम्बर 87 से 78 रुपया माहवार अंतरिम सहायता दी जायगी । इस फैसले को 1 दिसम्बर, 1987 से लागू करने की बात थी । उसके बाद इस संबंध में एक राजाज्ञा निकाली गयी । यह राजाज्ञा 25 जून, 1988 को निकाली गयी । यह श्रम अनुभाग-2 से निकाली गयी । इसका नंबर है 1962 एच0 आई0/36-2103, दिनांक 25 जून, 1987 । इसमें कहा गया है कि चमड़ा उद्योग में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको 78 रुपये की जगह पर 52 रुपये दिये जायेंगे और दिसंबर, 1987 के स्थान पर मार्च 88 से दिये जायेंगे । श्रीमन्, एक तरफ तो घोषणायें की जाती हैं दूसरी तरफ उनका पालन नहीं किया जाता है । नियम 301 के अंतर्गत मैंने इस सवाल को 3 मई, 1988 को उठाया था । वह स्वीकृत हुआ था और उसका उत्तर मिला था कि जो श्रम मंत्री जी ने घोषणायें की हैं उनके मुताबिक जी0 ओ0 निकाला गया । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके विपरीत चमड़ा मजदूरों के साथ विश्वासघात करके 25 जून, 1988 को जो जी0 ओ0 निकाला उसमें 52 रुपये कर दिये और दिसंबर, 1987 की जगह पर मार्च, 1988 कर दिया । तो यह गंभीर मामला में औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार जो वादे करती है, घोषणायें करती है उसको लागू नहीं किया जाता है । इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इस सारे प्रकरण को देखकर उचित कार्यवाही करूंगा ।

श्री मनोहर लाल—

अब क्या कार्यवाही करेंगे, यह कोई दरोगा है या कोई चीफ है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । मैंने कहा कि उचित कार्यवाही करेंगे ।

दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को सदन में प्रश्नोत्तर के समय एतमादपुर में डकैतों को पुलिस के संरक्षण के सन्दर्भ में तत्कालीन गृहमंत्री द्वारा डी0 आई0 जी0 से जांच कराये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने यहां जो कहा था उस संबंध में मेरा स्पष्ट आरोप है कि खन्दौली तथा एतमादपुर में पुलिस डकैतों को खुला संरक्षण दे रही है । उस समय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी जांच डी0 आई0 जी0 से करायेंगे । हमारा आरोप यह है कि सरकार सदन में आश्वासन देती है लेकिन पूरा नहीं करती । किसी भी डी0 आई0 जी0 को जांच करने के लिये नियुक्त नहीं किया गया । इसलिये यह परिणाम हुआ कि एतमादपुर और खन्दौली में डकैतों का आतंक व्याप्त है और पुलिस डकैतों को खुला संरक्षण दे रही है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मंत्रि परिषद् को निर्देशित करें कि सदन में जो आश्वासन दिये जायं उसकी पूर्ति हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करें ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट के लिये सुन लें ।

मान्यवर, यह विधान सभा की 4 अप्रैल, 1988 की कार्यवाही है । इसके पृष्ठ 148 पर लिखा है । हमारा प्रश्न चल रहा था । माननीय मुलायम सिंह जी ने पूछा था कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी जांच किससे करायेंगे तो माननीय गोपी नाथ दीक्षित जी ने जवाब दिया था जिससे आप चाहेंगे । माननीय मुलायम सिंह जी ने फिर कहा था कि किसी डी0 आई0 जी0 को लखनऊ से आप भेजें तो गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था—ठीक है, डी0 आई0 जी0 से जांच करा ली जायगी । तो मान्यवर, इसमें कहीं पर इफ एण्ड बट नहीं लगा है । साफ-साफ कहा गया कि डी0 आई0 जी0 को लखनऊ से भेजकर जांच करायी जायगी । मैं यह जो कार्यवाही 4 अप्रैल की है उसको आपके पास भेज रहा हूं । 4 अप्रैल, 1988 को जो आश्वासन दिया गया था आजतक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । मेरा निवेदन है कि सदन के अंदर मंत्रिगण जो आश्वासन देते हैं, उसको पूरा करना चाहिए । यह सरकार अपने आश्वासनों की पूर्ति नहीं करती है । इससे मान्यवर, इस सदन की और आपकी स्वयं अवज्ञा है । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आज तक डी0 आई0 जी0 से जांच नहीं कराई गई । आज स्थिति यह हो गयी है कि वहां पर सैकड़ों काण्ड हो गये हैं, शेर खां को मारा गया, कई डकैतियां वहां पर डाली गयीं । वहां के स्थानीय नेता भी इन डकैती के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसकी जांच डी0 आई0 जी0 द्वारा कराई जानी चाहिए । मान्यवर, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित ने जो सदन में आश्वासन दिया था कि इसकी जांच डी0 आई0 जी0 से कराई जायगी, उस कार्यवाही का अंश मैं आपके पास भेज रहा हूं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री मईदुज्जमा)—

मान्यवर, जो माननीय राणा जी ने कहा है, उसको दिखवा लिया जायगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । मान्यवर, यह हमारी नियमावली है और यह सदन की कार्यवाही है, यह मान्यवर औचित्य का प्रश्न तो बनता ही है । डी0 आई0 जी0 द्वारा जांच क्यों नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कराई गई । 4 अप्रैल का वादा जब पूरा नहीं हुआ है, तो आज का वादा कब पूरा होगा ? मान्यवर, सदन में आश्वासन दिये जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किये जाते हैं ।

मान्यवर, इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कि इसकी जांच डी0 आई0 जी0 द्वारा कब तक करा दी जायगी ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, शीघ्र से शीघ्र जांच करा दी जायगी ।

श्री राम औतार दीक्षित—

आप तो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसके बाद आप यह भी पूछेंगे कि किस डी0 आई0 जी0 से जांच कराई जायगी ?

श्री अमर चन्द—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि इसकी जांच करा लीजिए और उसमें यह पता लगा लीजिए कि कौन-कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको संरक्षण मिल रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही करा दीजिए ।

शासन द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, अभी तक तो आपके सामने एक मामला था कि सरकार ने एक आश्वासन दिया और उसको पूरा नहीं किया । मान्यवर, आपकी पीठ से जो निर्देश हुए हैं, उनमें से एक का भी अनुपालन नहीं हो रहा है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि पिछले सत्र में कार्य-स्थगन के मामले पर आपकी पीठ से जितने निर्देश दिये गये थे, उनमें से कितने निर्देशों का अनुपालन हुआ है । मान्यवर, विशेषाधिकार की सूचना जिनके खिलाफ जाती है, आपके कार्यालय में तो समय के अन्दर जवाब मांगा जाता है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जाता है । पिछले सत्र में माननीय अध्यक्ष ने गुस्से में आकर कह दिया था कि एक महीने के अन्दर यदि जवाब नहीं दिया जायगा, तो उसे आटोमेटिक विशेषाधिकार में भेज दिया जायगा । मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन आप स्वयं नहीं करा पायेंगे, तो कैसे इसका अनुपालन हो पायेगा ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आज स्पष्ट आपसे विनती करता हूं कि सरकार को स्पष्ट निर्देश देने और कार्य-स्थगन के मामलों में जहां पर आप शासन का ध्यान निर्दिष्ट करते हैं उसमें निश्चित अवधि के अन्दर कार्यवाही करके किसी न किसी शक्ल में उसकी सूचना, जानकारी सदन को मिलनी चाहिये और विशेषाधिकार के मामले में भी निश्चित अवधि के अन्दर जवाब आ जाना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि जो यहां फैसला होता है या जो आपके आदेश निर्देश होते हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो निर्देश या आदेश वह समझते हैं कि उनका पालन नहीं हुआ है, वह बता दें, उनका पालन किया जायेगा । जो

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके आदेश होते हैं या निर्देश दिये जाते हैं, पूरी तरह से शासन उसको शिरोधार्य करता है और उन आदेशों का पालन करता है ।

श्री फजलुल बारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं 300 के माध्यम से अम्मार रिजवी साहब के चेहरे से नकाब हटाना चाहता हूं ।

खादय एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, चेहरा तो इन्हीं का है, इनका (श्री अम्मार रिजवी) नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, उर्दू शायरी में एक माशूक हुआ करता था उसके सेक्स के बारे में आज तक पता नहीं चला कि मुखन्नस है या मुतस्सर है ।

(हंसी)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप कृपया यह तय कर दें कि माशूक का सेक्स क्या होता है ?

श्री फजलुल बारी—

माशूक के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है उसका सेक्स तय होता है ।

श्री अम्मार रिजवी—

जब पता नहीं है तो सेक्स क्या कहने चले हो ।

श्री मधुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, गृह मंत्री के भी दाढ़ी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, दाढ़ी आपके भी नहीं है ।

सदन में बुनकरों की समस्या के बारे में बैठक करके हल निकालने की घोषणा किये जाने के बावजूद शासन द्वारा समस्या का हल न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, वादा जो करेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे ।

मान्यवर, अम्मार रिजवी साहब और किसी वायदे को पूरा करते हों या न करते हों लेकिन इस विशेषता को पूरा कर रहे हैं । आज इत्तिफाक से मौका ऐसा हुआ कि हमने तय किया कि आज 300 दंगे और उसमें इत्तिफाक की बात हुई कि सारे 300 इन्हीं के वायदों के वफा न करने से संबंधित पेश हो गये तो एक तो इससे हमारा मामला मजबूत हो गया ।

मान्यवर, मैं अर्ज कर दूं बुनकरों का मसला था । यहां हम लोगों ने यह सुना कि सीतापुर से तशरीफ लाये हैं वह बुनकर की समस्याएं जानते होंगे (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां पर सबने कमी का इजहार किया जिससे जो बन पड़ा । मान्यवर, आपने इस बात की हिम्मत फरमाई थी कि वह यहां पर कुछ कहें तो उन्होंने कहा कि वारी साहब हमारे साथ एक बैठक कर लें तो उनका मामला तय कर दिया जायेगा तो 6 जून, 1987 को बैठक हुई तो इन्होंने नेहरू की झलक दिखाई और कहा कि फुरसत नहीं है, 11 तारीख को बैठेंगे, मान्यवर, उस दिन सुना और हमने अर्ज की तो कहने लगे कि आज हमको मौका नहीं है मुख्यमंत्री के साथ दूसरी बैठक करा देंगे । मुख्य मंत्री के साथ बैठक कराने के इंतजार में तो दाढ़ी के बाल भी सफेद होते जा रहे हैं । मान्यवर, आधे हो गये। मगर साहब वह मुलाकात न हो पायी और मसला जहां था वहीं रहा । होना यह चाहिये था कि आज तक मीटिंग नहीं हो पायी, मीटिंग न करते हों, समझते हों कि हम इस लायक नहीं है, लेकिन मान्यवर, बुनकरों की समस्या का समाधान करना दर-किनार, उनके ऊपर जो कर्ज था वह भी इनकी बेईमानी और लाचारी है । कर्ज इसलिए बढ़ गया था कि सरकार की गलत नीतियों और पालिसी के बिना पर जब वे कर्ज लेकर आये उस समय बाजार में सूत के भाव दूगने, तिगुने हो गये । नतीजा यह हुआ कि कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और वह गरीब से गरीबतर हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आधा समय मुशायरे में गुजर गया तो आधे में बात तो कहने दें । बात यह है कि मान्यवर, सरकार को चाहिये यह था कि अपनी नीतियों के मुताबिक यह जब उनकी समस्या का समाधान न कर लेते, इन्साफ यही था कि उनसे कर्ज वापस लेना ही नहीं चाहिये । माफ कर देना चाहिये । अगर नहीं करेंगे तो हम उन तमाम बुनकरों को इस बात के लिये आमादा करेंगे कि इस सरकार ने जो कर्ज दिया, बाजार में बिचौलिये मालिकों से सूत का भाव बढ़वाकर उनको गरीब से गरीबतर बना रहे हैं, हम उनको आमादा कर देंगे कि इस सरकार के कर्ज का पैसा न वापस करें । वह उनका कर्ज नहीं, उनका हक है । यहां पर नहीं करेंगे तो सड़कों पर करवा देंगे । इसलिये मीटिंग करके तय कर लें । तय करेंगे तो और भी बात बतायेंगे । बुनकर घर छोड़कर गया, तमाम जगह हाथ जोड़े तब जाकर कहीं 15 दिन के लिये माफी मिली कि एक महीने के बाद वसूली होगी । मैं कहना चाहता हूं कि या तो मीटिंग कर हाउस में ऐलान करें कि बुनकरों का कर्ज सरकार की गलत पालिसी की बिना पर है, इसलिये तमाम कर्ज माफ किया जाता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । बुनकरों के अलावा और भी बहुत सी जरूरी बातें हैं । प्रदेश में बाढ़ से 690 व्यक्ति मर गये । एक हजार मस्तिष्क-ज्वर से मर गये । इन सब पर आज चर्चा निर्धारित हुई है । मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्यसूची के आइटम नम्बर 32, 33 और 34 को पहले ले लें । हजारों आदमी मर गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मुझे सुन लें । इस कमेटी में मैं भी बैठा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

और भी मामले हैं । केवल यही मामला हो तो इसी पर चर्चा करा दूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, हमारा बहुत ही गम्भीर मामला है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, माता प्रसाद जी ने एक बात कही, वह बात अपनी जगह बहुत ही गम्भीर है । आप हमारी बात सुन लें । मेरा कहना है कि इसके अलावा जो बुनकरों की समस्या है, जिसको उठाने के लिये बुनियाद हुसैन अंसारी साहब कह रहे हैं, यह भी प्रदेश की गम्भीर समस्या है । इस पर भी चर्चा करावें लेकिन कम से कम श्री अम्मार रिजवी से जो इस समय सदन के मालिक भी हैं, इनसे कम से कम कह दें कि पिछली बार जो आश्वासन दिये गये थे कि बुनकरों की समस्या का समाधान करेंगे । ये लोग बगैर इन्टरेस्ट के, उनके ऊपर जो लोन है, वह कर्जा अदा करना चाहते हैं । हर महीने सूत के दाम बढ़ते जा रहे हैं । बुनकरों की हालत खस्ता हो गयी है । सरकार स्पष्ट रूप से जो रियायतें देना चाहती है उसकी चर्चा करे ताकि बुनियाद हुसैन साहब और बारी साहब ने जो विषय उठाया है और जो इस संबंध में समस्या है उसका समाधान हो सके ।

श्री गोपीनाथ—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बुनकरों की हालत इस समय बहुत ही खराब है, जो उनके कर्जे थे, उनकी वसूली के लिये वारंट जारी हो रहे हैं, उनके घरों की कुर्की हो रही है, तमाम बुनकर भाई जेलों में बंद हो गये हैं । जब तक बुनकरों की समस्याओं के संबंध में और कर्जों के संबंध में कोई निर्णय न हो जाय, तब तक के लिये उनकी वसूली रोकी जाय, वारंट न इश्यू किये जायें, घरों की कुर्की न हो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इसका निर्देश दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, बुनकरों का यह विषय सदन में उठा था और पीठ ने सरकार को उचित मार्गदर्शन के निर्देश दिये थे । उसके संबंध में एक मीटिंग बुलायी गयी थी, उसमें मैं भी शामिल रहा । मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मौका दें दें, बस संक्षेप में कहूंगा सुन लें । सरकार से कहना चाहता हूं कि—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"तेरे वायदे पर कोई कहां तक जाय, कर कोई ऐसा नया बहाना कि मेरी आस टूट जाय ।"

सरकार ने मीटिंग की लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ, फिर चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की बात आयी, वह मीटिंग नहीं हो सकी । मान्यवर, तीन बार मीटिंग का समय निर्धारित किया गया, हम लोग दूर-दूर से उसमें शामिल होने के लिये आये । लेकिन, सरकार की मंशा है इसे टालने की, कोई निर्णय नहीं लिया । आज बुनकरों को, वसूली के सिलसिले में, जेलों में डाला जा रहा है । मान्यवर, बीस लाख बुनकरों की समस्या है । जो उन्हें कर्जा दिया है, कुछ उसमें राहत देकर, आसान किस्तों में वसूल करें । लोन का इन्टरेस्ट माफ कर दें । सरकार को स्पष्ट आज सदन में घोषणा करनी चाहिये कि बुनकरों के मामले में यह निर्णय कर लिया है । स्पष्ट बयान आना चाहिये आज सदन में । मान्यवर, आज जो बुनकरों की दयनीय स्थिति है, उसमें वह कर्जा अदा कर पाने की स्थिति में नहीं है । सरकार को उनके कर्जे माफ करना चाहिये ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था और इस पर काफी विचार भी हुआ था और उसी चर्चा के बाद मैंने निवेदन किया था आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, विशेषकर बारी साहब और बुनियाद साहब, बैठ कर और इसमें परामर्श कर लें कि किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । इस सिलसिले में दो बैठकें भी हुईं । माननीय बारी साहब ने कहा कि एक बैठक में मैं जल्दी उठकर चला गया था । मान्यवर, लेकिन माननीय उपमुख्य मंत्री (तत्कालीन) पूरे समय उस बैठक में बैठे रहे थे । फिर दूसरी बैठक हुई जिसके अंदर पूरी बातचीत भी हुई । मान्यवर, इसमें वित्तीय बातें भी जुड़ी हुई थीं । उसमें यह हुआ था कि वित्तीय क्या भार होगा यह परामर्श करके फिर बैठेंगे । उसके बाद बैठक नहीं हो सकी उस मामले में । माननीय बारी साहब, माननीय बुनियाद साहब, माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे सदस्यों की जो इस विषय पर चिन्ता है, मान्यवर, मैं भी उसमें अपने को सम्बद्ध करता हूं । बुनकरों की समस्या काफी गंभीर है ।

मान्यवर, उनकी समस्याओं के सिलसिले में अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलायी थी उसमें विस्तारपूर्वक विचार किया गया कि किस प्रकार सूत दिलाया जाय, किस प्रकार से कर्जे उनके माफ किये जायं या लोन में बदला जाय या आसान किस्तों में किया जाय । मान्यवर, आप भी जानते हैं कि जब रेवन्यू का मामला आता है, तो एक दम से माफ करने की बात कहना उचित नहीं है । लेकिन बहुत से विकल्प सामने आये थे और शासन पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक बुनकरों के मामले में विचार कर रहा है और इस सिलसिले में हम लोग कोई शीघ्र निर्णय लेंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके ।

श्री गोपीनाथ—

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(श्री गोपीनाथ, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी तथा श्री मूलचन्द्र सभी खड़े होकर अपनी बात कहने रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

श्री फजलुल बारी—

मैं भी सदन छोड़ता हूं ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी तथा श्री फजलुल बारी ने सदन का त्याग किया ।)

श्री मूलचन्द्र—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठें ।

श्री मूलचन्द्र—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री नरेन्द्र देव के खड़े होने पर ।)

आपका मामला अध्यक्ष जी के विचाराधीन है, आप खड़े न हों ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं अपनी बात कह भी नहीं सकता । एक परम्परा है, जिसके तहत आप मेरी बात तो सुन लें । मान्यवर, नियम तो सबके लिये एक है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठ जाइये । जब आपका मामला अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे ?

श्री नरेन्द्र देव—

आपने मुझे पहले तो सूचना नहीं दी थी ।

नोट :—[X X X] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(समय 3 बजकर 55 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब तो आपको बता रहा हूं कि आपका मामला विचाराधीन है ।

सिंचाई मंत्री से सियोल ओलम्पिक खेलों में भारत की हार के कारण तथा इसमें सुधार हेतु सदन को जानकारी देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, जो राजनीति के समस्या से हटकर स्पोर्ट्स से सम्बन्धित है । अभी हाल में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ओलम्पिक खेल हुये । हमारे एथलीट्स व हाकी की टीम वहां गयी थी, लेकिन जो परिणाम रहे वे बहुत ही डिजास्टर रहे । माननीय सिंचाई मंत्री जी वहां पर भेजे गये थे आब्जर्वर के रूप में । इससे पहले भी हम ओलम्पिक में भाग लेते रहे हैं । इस बार जो स्यिोल ओलम्पिक हुआ, उसमें छोटे-छोटे देश केन्या सोमालिया का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, तो फिर क्या कारण है कि हमारा देश इस ओलम्पिक में कोई पदक हासिल नहीं कर सका ? इस पर माननीय सिंचाई मंत्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगे और सुझाव देंगे कि कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं ? सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर वह अपना एक स्टेटमेन्ट दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, श्री लाल प्रताप सिंह जी जितनी मीठे तरीके से अपनी बात कहते हैं, सच्चाई उससे दूर हट जाती है । आप ही के दल के अध्यक्ष का यह फैसला है, 1985 से 1990 तक के लिये जो यह विधान सभा का गठन हुआ है, उसी सदन के माननीय अध्यक्ष का यह फैसला है कि जब सदन चलता हो तो किसी भी मंत्रि परिषद् के सदस्य को विदेश दौरे पर नहीं जाना चाहिये । अगर वह दौरे पर गया है तो उसे माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर जाना चाहिये । अगर वह अनुमति नहीं ले पाया हो तो कम से कम उसकी सूचना तो उसको दे देनी चाहिये । इसलिये मान्यवर, आपसे कहना है कि यदि उन्होंने माननीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी होगी तो उसकी सूचना आपके पास होगी । जहां तक मुझे जानकारी है वह अनुमति लेकर नहीं गये हैं । मैं इस सवाल को उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन श्री लाल प्रताप सिंह जी के इस विषय को उठाने की वजह से मुझे यह प्रश्न उठाना पड़ा । हम यहां पर कोई पराजय का वर्णन सुनने के लिये नहीं आये हैं । इतने बड़े देश की टीम हारकर आई है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है ? प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, दूसरी तरफ हम पराजय का वर्णन सुनें । ऐसी स्थिति में भारत सरकार के खेल मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा को इस्तीफा दे देना चाहिये । उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाकी को लेकर गन्दी राजनीति हो रही है । अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेकर कोई बयान यहां पर देना चाहती है तो हम तैयार हैं सुनने के लिये, यदि केवल पराजय का वर्णन सुनाना है तो वह हमें नहीं सुनना है । सिंचाई मंत्री जी यदि कोई बयान देना चाहते हैं तो वह इसकी जिम्मेदारी लेकर बयान दें ।

श्री राम रतन राम—

मान्यवर, श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने तो खेल टी0 वी0 पर देखा, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कहां पर कई खेल खेले होंगे, जो और खेल खेले हैं, उनके बारे में

*व्यक्ता ने भाषण का पूर्नवीक्षण नहीं किया ।

बतायेंगे तो अच्छा रहेगा, कहने का मतलब यह है कि उनका भी वर्णन हो जाय । कई होटलों में टिके होंगे । जोड़ों में टिके होंगे या अकेले टिके होंगे आदि आदि । माननीय श्री त्रिपाठी जी तो मेरी उम्र के हैं । हो सकता है वह मुझसे बड़े हों या कुछ दिन छोटे मैं जानता हूं कि ये इस किस्म के नहीं हैं । लेकिन हमारे यहां से जो कबूतर व कबूतरियां वहां गई थी, उनके कारनामों को कहने में आपको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ताकि उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा और आज हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं ? छोटी-छोटी चिड़ियों जैसा देश सूरीनाम वहां हमारे ही यहां के लोग रहते हैं, मोरक्को एक छोटा सा देश वह भी स्वर्ण पदक ले गया, आपको तो किसी ने चमड़े का पदक भी नहीं दिया, आप तो चमड़े का भी नहीं लेकर आये, मिट्टी का भी नहीं लाये, रबड़ का भी नहीं लाये । मेरी निश्चित जानकारी है कि 150 लड़के और लड़कियां सरकारी खर्चे पर सियोल ओलम्पिक देखने गये, आपकी ही किसी संस्था के हैं । यह अखबारों में आया है, यह चर्चा का विषय है । देश की सम्पत्ति और इज्जत को लूटा रहे हैं विदेशों में जाकर । त्रिपाठी जी, आप महान आदमी के पुत्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं । आप उसी घराने से हैं । आप यही बता दें कि आपको तकलीफ हुई या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मैं जिस तिथि को गया भारत से उस समय तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सत्र बुलाने का कोई आदेश नहीं था अन्यथा हमारे जोशीले छोटे भाई वाराणसी कैण्ट के माननीय सदस्य को प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं होती । मैं जब मुख्य मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से इजाजत ले सकता हूं तो जिस सदन में हूं उसके अध्यक्ष से भी इजाजत ले लेता । यह सही है कि भारतवर्ष से 12 खेलों में भाग लेने के लिये कहा गया । यह भी सही है कि हमको 1988 के होने वाले 28 वें ओलंपिक में कोई पारितोषिक नहीं मिला लेकिन यह क्रोधित होने का विषय नहीं है । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी सत्यपाल जी नेता विरोधी दल और माननीय हरीश जी, ये उस जिले के रहने वाले हैं जहां कुश्ती होती थी और उसको "फ्री स्टाइल रेसलिंग" कहा जाता था । खेद का विषय है कि हमारे देश के ही कुछ लोगों ने उसको बढ़ावा नहीं दिया । सियोल में न हम आये न पाकिस्तान आया । भारतवर्ष में हाकी राष्ट्रीय खेल माना जाता है । ऐसा सौभाग्य तो नहीं हुआ कि कई स्वर्ण पदक मिले हों इसको, लेकिन पदक तो मिले और स्वर्ण भी मिला किन्तु जब हाकी में नहीं मिला तो सारे देश में खामोशी छा गया । यह सही है कि हाकी का स्तर हमारे देश में बहुत गिर गया है । किसी की कोशिश नहीं है, किसी ने प्रयास नहीं किया कि हाकी का स्तर गिरे लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय जगत में खेल का कानून ऐसा बनाया गया जिससे योरोप और श्वेत देश के लोगों का वर्चस्व हो जाय । भारत में परम्परागत हाकी मैदान में खेली जाती है, 1974 के बाद हाकी एस्ट्रो टर्फ पर आ गयी, एक एस्ट्रो टर्फ के मैदान की लागत एक करोड़ रुपये आती है । कितने एस्ट्रो टर्फ लगा सकता है भारत में और अगर छुटपन से बच्चों को हम साधारण मैदान में खिलावें और एकदम से एस्ट्रोटर्फ पर खेलने के लिये कह दें तो नतीजा यही होगा जो हुआ है ? माननीय शतरुद्र प्रकाश जी चले जायं मैदान में घास पर या सड़क पर तो जितनी देर में आप वहां दस चक्कर लगा सकते हैं एस्ट्रो टर्फ पर एक ही चक्कर आप लगा पायेंगे । उस पर पिंडलियां और जांघ बहुत जल्दी भर जाते हैं । उसके लिये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी । आपके यहां कितने एस्ट्रो टर्फ के मैदान हैं ? तीन ? दो ? एक ? एक एस्ट्रो टर्फ था दिल्ली में । इसके लिये मारग्रेट अल्वा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है दिल्ली में, बल्कि हमारे देश के और प्रदेश के नवयुवकों को इसमें जागरूक

होने की आवश्यकता है क्योंकि विदेश के छोटे-छोटे देश भी इसके लिये दृष्ण हैं, हमारा देश अभी इसमें माहिर नहीं है ।

हां हमारा देश एक चीज में माहिर है, सन्तान पैदा करने में और किसी बात में यह माहिर नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यहां से ज्यादा आबादी तो चीन की है, मोरक्को और वियतनाम की है और ये देश भारत से ज्यादा पिछड़े हुये हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन यदि ये चीन में होते तो ये वहां विरोधी दल में न होते । चीन में जो कानून है वह यहां लागू नहीं हो सकता है । कहां गये हमारे मौलाना साहेब ? देश को चार भाग में बांट दिया ।

श्री फजलुल बारी—

कमीशन न लीजिये तो सब हो जाय ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

हां, हम तैयार हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह बातें आपको प्रधान मंत्री से कहनी चाहिये थी, यहां पर नहीं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिस दिन हमको यह सौभाग्य होगा, हम दिल्ली चलें और लोक सभा के सदस्य बनें तब यह बात हम प्रधान मंत्री से भी कह सकते हैं । अभी तक यह सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है । आज इस पवित्र मन्दिर में हम खड़े हैं, जो हम बोल रहे हैं उसे आपको सुनना चाहिये । मैं मानता हूं कि भावना भी कोई चीज होती है और भावना होना एक महत्वपूर्ण बात है लेकिन केवल भावुक बनने से ही लाभ नहीं होता है । क्या हुआ ? भारत हार गया । इसे कभी यों सोचा गया कि भारत क्यों हार गया ? आज हम, हमारा देश खेलने गया है, जिस खेल से देश का सम्मान समाप्त हो उस खेल का क्या महत्व है ? लेकिन हम भूल गये, हम उनके मुकाबिले में खेलने जा रहे हैं जिनके बच्चे एस्ट्रो टर्फ पर खेलते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप पी0 टी0 ऊषा को क्यों ले गये जबकि उसका पैर ठीक नहीं था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पी0 टी0 ऊषा का ट्रायल किया गया था, उसमें वह सही पायी गयी । हमारे पास कोई दूसरा उसके मुकाबिले का था नहीं । हम गत दो सालों में उस जैसा तैयार नहीं कर पाये । दो साल पहले वह स्वर्ण पदक पा चुकी थी । जब वह खड़ी हुई तो बीमार थी, लगता था कि वह ठीक हो गयी तभी ले गये थे और दूसरा कोई तैयार नहीं हो सका था उसके मुकाबिले के लिये । यही नहीं मान्यवर हमें हर चीज सही दृष्टि से और सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये । (घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

पी0 टी0 ऊषा जब फिजिकली फिट नहीं थी तो वहां (विदेश) ले ही क्यों गये ?

घोर व्यवधान

श्री मैनेजर सिंह—

यदि आप श्री शतरुद्र प्रकाश और अनुग्रह नारायण सिंह आदि को वहां ले गये होते तो यह सदन भी ठीक ढंग से चलता और वहां भी विजय प्राप्त होती ।

(हंसी)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यदि यह लोग पंडित को कुछ दान-दक्षिणा दिये होते, तो अवश्य इस पर कुछ सोचा जा सकता था, परन्तु अब पंडितों को दान-दक्षिणा देने का प्रचलन कम होता जा रहा है (हंसी) तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि वहां आज भी उनके बच्चे 8 वर्ष की आयु से ही खेल के मैदान में उतर जाते है, और ऐसे बच्चों के पौष्टिक आहार का प्रारम्भ से ही ध्यान रखा जाता है ।

श्री फजलुल बारी—

यहां के पौष्टिक आहार में मिलावट अधिक होने के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है, हर चीज में मिलावट (व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यदि हम मिलावट को कम या खत्म करना चाहते हैं तो औलादों को कम पैदा करना भी शुरू कर दें । तो मिलावट अपने आप कम हो जाये श्रीमन् मैं यह कहना चाहता था कि वहां 8 वर्ष, 6 वर्ष की आयु से ही उन खिलाड़ी बच्चों को पौष्टिक आहार देना प्रारम्भ होता है और हमारे यहां खेल शुरू होने से मात्र 4-6 माह पूर्व यह आहार दिये जाते हैं (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)—

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अब यह बन्द कर दीजिये, इस तरह से काम तो नहीं हो पायेगा अभी एजेंडा भी काफी है, हम अब मद लेते है । मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि यहां मात्र 4-6 माह खेल प्रारम्भ होने से पूर्व ही खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार दिये जाते हैं, तो यह व्यवस्था किसने बनाई है, इससे पहले से आहार देने से आपको किसने मना किया है और आज आजादी के 40 वर्ष करीब पूरे हो गये, यह गवर्नमेन्ट जो चाहती इस ओर कर सकती थी, इसको कौन रोकने वाला था, शुरू से ही हर क्षेत्र में इनकी नीति यही रही है । (व्यवधान)

विधानसभा के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र (दिनांक 23 फरवरी, 1988 से 2 मई, 1988 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र (दिनांक 23 फरवरी, 1988 से 2 मई, 1988 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश चिटफण्ड नियमावली, 1988††

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की अधिसूचना संख्या आडिट 345/दस-88-605 (22)-77, दिनांक 30 जनवरी, 1988 के साथ प्रकाशित

---

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित चिट फण्ड अधि-नियम, 1982 की धारा 89 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं वर्ष 1980-81††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं वर्ष 1980-81 को ज्ञापन सहित संविधान के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1985-86 (वाणिज्यिक)††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1985-86 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्रीसमरपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग 1 की अधिसूचना सं0—1845-सी (आई0 एफ0 सी0)-12-सी-1-भू-71-76, दिनांक 28 मार्च, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1983-84 एवं 1984-85††

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम आंतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1983-84 एवं 1984-85 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1981-82 एवं स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा 1981-82, 1982-83 1983-84, एवं 1984-85††

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1981-82 एवं स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 को विलम्ब के कारणों सहित, दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा 11 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का पंचम प्रतिवेदन।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

माननवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (15) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, कि धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (15) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मद सं0 12 छूट गयी है मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो वक्तव्य वाली मदें हैं, 35 से 54 तक वक्तव्य देने हैं, तो पहले वक्तव्य ले लिये जायं और बाद में दूसरी मदें ली जायं । इसमें कुछ है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन एजेन्डा के अनुसार चलेगा ।

---

† छापी नहीं गयी ।
††छापा नहीं गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री सूर्य प्रताप शाही की देहरादून तथा गढ़वाल मण्डल के राजकीय शिक्षण संस्थायें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी श्री राजकिशोर सिंह की वाराणसी तथा प्रदेश के कई जिलों में धान की फसल में कीट के प्रकोप, सूखा एवं बिजली की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी श्री बदन सिंह की मथुरा रिफाइनरी में प्रदूषण से आस-पास के गांवों में बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा की शिकोहाबाद-एटा मार्ग पर लोक राष्ट्रीय डिग्री कालेज, जसराना में दो छात्रों की बस से कुचल कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। पांचवीं श्री राम शरण दास की सहारनपुर के सरपना एवं गोह के अनेकों गांवों में अपात्र लोगों को भूमि के पट्टे दिये जाने के सम्बन्धों में, छठीं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की जनपद सीतापुर के कस्बा लहरपुर में मरीजों की जबरदस्ती नसबन्दी करने के सम्बन्ध में, सातवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की प्रदेश में क्षेत्र समिति के अध्यक्षों के चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रत्याशी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं श्री शारदा प्रताप की लखनऊ जनपद के ग्राम हसनपुर खेजरी के पुरवा के पास बिजली का तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं श्री चन्द्रभान मौर्य की आगरा के जवाहर पुल की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं श्री किरनपाल सिंह की नरौरा बुलन्दशहर में ऑटोमेटिक बिजलीघर की स्थापना के विरोध में जनता तथा सरकार में मतभेद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं श्री शकीकुर्रहमान बर्क की उ0 प्र0 राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों कर्मचारियों द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बारहवीं श्री मूलचन्द्र की तहसील शाहपुर, वाराणसी के रिकर्ड रूम में जमा मान कागजातों में हो रही जालसाजी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तेरहवीं श्री सरदार सिंह की प्रशासनिक अक्षमता के कारण हाथरस शहर, जिला अलीगढ़ में उत्पन्न अशांति के सम्बन्ध में, चौदहवीं श्री मनोहर लाल की कानपुर तथा प्रदेश के अन्य जिलों में नकली दवाइयों के बनाने व सप्लाई किये जाने से जन-जीवन में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं श्री अशोक वाजपेयी की प्रदेश के प्राइवेट बस चालकों द्वारा बसों को हड़ताल किये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में, सोलहवीं श्री देवकुमार यादव, श्री फागू चौहान, श्री दीनबन्धु सोनकर और श्री राजित प्रसाद यादव की जनपद कानपुर थाना अनवरगंज की पुलिस द्वारा नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, सत्रहवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, डा0 दिनेश जौहरी, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री सत्यप्रकाश विकल, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कुंवर मानवेन्द्र सिंह की हिन्दू जागरण मंच के प्रदर्शन में शासन द्वारा बाधा पहुंचाने एवं प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठारहवीं श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की सहायता प्राप्त अरबी मदरसा के अध्यापकों के साथ अन्याय किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं श्री शारदानन्द अंचल, श्री बालेश्वर यादव, श्री रामजनम की बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र की जल समस्याओं के सम्बन्ध में किये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में, बीसवीं श्री अकबर हुसैन बाबर की बस्ती जनपद के खलीलाबाद पुलिस द्वारा अल्पसंख्यकों की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं श्री राम आसरे वर्मा की अलका काण्ड के हत्यारों को जेल न भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बाइसवीं श्री मित्रसेन की जनपद हमीरपुर के थाना श्रीनगर ग्राम बिलारी में पुलिस द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तेइसवीं श्री

गोपी नाथ की जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर में स्थापित दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर प्रा० लि० द्वारा अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

उपरोक्त सभी 23 सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं (व्यवधान) । मैंने सभी पर शासन का ध्यान आकर्षित करा लिया । कृपया बैठ जायं ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन विधेयकों से पहले वक्तव्य ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं । एजेन्डे के अनुसार ही चलें ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है । मान्यवर, यह जो अध्यादेश आया है इसमें देखने के लिये तो बहुत छोटी सी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है लेकिन जो परिस्थिति वहां पर विद्यमान है उसको देखते हुये समय बढ़ाने की अनुमति देना मैं समझता हूं मंदिर जिस उद्देश्य के लिये स्थापित हुआ था, उसके खिलाफ होगा । व्यवस्था यह है कि उसका जो प्राधिकरण है वह सरकार द्वारा अनुमोदित है जिसमें कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और उसमें इस आदरणीय सदन के सदस्य भी हैं जो व्यवस्था करते हैं । अगर सरकार समझती है तो उसे भंग कर सकती है । जब नियम बने थे उस समय यह ध्यान दिया गया था कि अगर सरकार भंग करने का इरादा रखती है तो उसे 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया जाना चाहिये । सरकार को एक बहाना मिला है और उस अधिनियम में परिवर्तन करना चाहती है मंदिर की व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से सहमत हो सकता हूं लेकिन वहां जो स्थिति है उससे मैं इस समय परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं हूं । इसमें दो चीजें हैं एक तो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने हिन्दू धर्म को सम्पूर्ण देश में प्रतिष्ठित करने और देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने का अभिनव प्रयास किया और उसके अनुसार चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की और बताया कि जब तक चारों धामों की यात्रा मनुष्य नहीं करेगा उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । इस तरह से उन्होंने देश को हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधा ताकि हमारे अन्दर प्रान्तीयता की भावना न आये । इस उद्देश्य से मठों की स्थापना की थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ा सूक्ष्म में कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं समय को देखते हुये संक्षेप कर रहा हूं । आदि शंकराचार्य ने जो पूजा अर्चना की विधि निर्धारित की थी उसमें इस समय की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है । वहां यह व्यवस्था थी कि षोडसोपचार वहां पर होंगे और विष्णु सहस्त्रनाम और वेद मंत्रों का अनवरत पाठ वहां होता रहेगा । लेकिन आज जो वहां गये होंगे, मुझे भी वहां जाने का कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

समय पूर्व मौका मिला था । तो वहां इस समय केवल प्रातःकाल ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है और पूरे दिन वहां सन्नाटा रहता है । इसी तरह जितने वहां शिलाखण्ड हैं जैसे गरुड़ शिलाखण्ड, नारद शिलाखण्ड उनमें अलग-अलग अर्चना होंगी लेकिन वह भी बन्द कर दिया गया है । आदि शंकराचार्य ने वहां जो धर्मसम्मत पूजा अर्चना की विधि अपनाई थी उसमें परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता है । इस बिन्दु पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

इसके अलावा वहां जो जाने का मार्ग है वह भी बड़ा कठिन है देश के दूर-दूर कोनों से जो आदमी वहां आते हैं उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है । पर्यटन विभाग गढ़वाल विकास निगम के माध्यम से वहां आवास व्यवस्था करता है लेकिन वह पैसे वालों के लिये ही होता है क्योंकि 60, 50, 30 रुपये देने पर ही आवास स्थल की व्यवस्था वह निगम करता है जो एक आम आदमी नहीं दे सकता है । जो हमारे गरीब वर्ग के लोग वहां जाते हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और वह फिर उन्हीं पण्डों के सहारे रहते हैं । लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया । बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी उन यात्रियों की सुख-सुविधा का कोई ध्यान नहीं देती है ।

केदारनाथ आप गये होंगे यात्रियों के जाने का अभी तक कोई अच्छा रास्ता वहां नहीं बनाया गया है । डांडी और घोड़ों के सहारे वहां जाना पड़ता है । उसमें भी घोड़े डांडी की जो व्यवस्था करते हैं उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है । मजदूरों का मेजर सेयर जो होता है उसको ठेकेदार खा जाते हैं ।

इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आदि शंकराचार्य ने जो रिचुवल रिसाइटेशन की प्रथा निर्धारित की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है । इसलिये जो आप अधिनियम यहां लाने वाले हैं उसके द्वारा जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं उसके लिये मेरा प्रस्ताव है कि उसको प्रस्तुत करने से पहले इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें और उसके सामने यह बात जाय जो इन सब बातों को देखे और जो आदि शंकराचार्य का लक्ष्य था उसको सही माने में स्थापना हो और जो अद्वैत दर्शन उन्होंने दिया था उनके उस साहित्य का प्रचार हो । इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की ओर से जो अनेक संस्कृत पाठशालायें चलती हैं उनके सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था भी इसमें की जानी चाहिये तथा यात्रियों की सुविधा की भी व्यवस्था होनी चाहिये । इस अधिनियम में इन सब बातों की व्यवस्था होनी चाहिये और वहां एक शंकराचार्य पीठ की स्थापना होनी चाहिये और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति सही रूप से प्रचारित, प्रसारित करने के लिये पैसे की व्यवस्था होनी चाहिये ।

मान्यवर, रावल प्रशासनाधिकारी के बारे में जो आरोप लगाये गये थे कि संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके बारे में आज तक सरकार ने जांच नहीं कराई है जो होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अध्यादेश का अनुमोदन करता हूं और अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि नया विधेयक जो आने वाला है वह और सुन्दर रूप से आये जिससे अधिनियम सही माने में आ सके । इसलिये आप माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो विचार करने के बाद सुन्दर ढंग से विधेयक सदन में प्रस्तुत करें । इसी के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, बहुत सी बातें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कह दी हैं, इसलिये संक्षेप में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये 2-3 बातों को कहना चाहता हूं । मान्यवर, सरकार किस तरह से काम करती है वह जो विधेयक प्रस्तुत होने वाला है उससे आपको पता चल

जायेगा । मान्यवर, 17 अगस्त, 1988 को अचानक अध्यादेश यह ले आये जिसमें 30 सितम्बर, 1988 तक समय बढ़ा दिया जाये, मांग किया क्योंकि जो समिति भंग कर रखा है और इसलिये जो प्रशासक हैं उनका समय बढ़ा दिया जाये । क्या 17 अगस्त को इनको इनको ज्ञात नहीं था कि 30 दिसम्बर तक पूरा कर पायेंगे कि नहीं ? तो सरकार को पता नहीं है कि एक महीना 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं कि नहीं ? नये विधेयक में 30 सितम्बर तक समय मांगा है । इसलिए सरकार जो अपनी क्षमता को नहीं जानती है कि सवा महीने में प्रारूप विधेयक का नहीं दे पायेंगे । इसलिये सही विधेयक कैसे आयेगा । मैं जानना चाहता हूं कि जब इस मंदिर की प्रबन्ध समिति है, उसका जो कांस्टीट्यूशन है उसमें 2 विधानसभा के सदस्य, जो हिन्दू हों उसमें चुनकर जाते हैं, एक विधान परिषद् से सदस्य जाता है, चार वहां के पर्वतीय क्षेत्र के सदस्य चुनकर जाते हैं और कमेटी का प्रेसीडेन्ट एवं 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं । प्राविधान भी है कि जो कमेटी होगी उसमें कम से कम 8 सदस्य इलेक्टेड और नामिनेटेड होना जरूरी है जो सेक्शन 5 में दिया है । तो कौन कठिनाई थी परिषद् और यहां सेशन जबकि हो रहा था तो तीन सदस्य यहां से चले जाते । इस प्रकार वहां व्यवस्था बनी रहती । इसलिये सरकार ने नीति बना लिया है कि सभी विधेयक लोकतांत्रिक ढंग से नहीं प्रस्तुत करेंगे । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1988 तक सरकार नये विधेयक के प्रारूप पर विचार कर रही है और जानना चाहती है और इससे पहले विधेयक में है कि दो मा0 सदस्य विधान सभा के और एक विधान परिषद् का सदस्य चुना जायेगा, तो आपको क्या कठिनाई है कि इस विधेयक के प्रारूप जिस पर विचार कर रहे हैं इसको सदस्यों में सरकुलेट करते और उनके सुझाव लेकर अगला विधेयक बना लें, यह आश्वासन सरकार दे दे तो मैं अपने संशोधन को वापस ले सकता हूं । लेकिन सरकार कोई लोकतांत्रिक कार्य करने के लिये तैयार नहीं है ।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो यह नया अधिनियम सरकार बनाना चाहती है, जो विधेयक प्रारूप तैयार करना चाहती है 15 दिनों में उसको माननीय सदस्यों में सरकुलेट कर दे चूंकि 7 अक्टूबर हो चुका है अध्यादेश 30 सितम्बर तक प्रभावी था इससे वहां प्रबन्ध समिति अथवा प्रशासक जो हैं एक-एक वैधानिक मान्यता में कार्यरत हैं । वहां कोई इनको अधिकार नहीं है और समिति कोई कार्य नहीं कर सकती है और जो किया है उसका करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 30 सितम्बर से आज तक एक बड़ा वैधानिक शून्य पैदा हो गया है । तो यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो इस मंदिर की प्रबन्ध व्यवस्था के लिये आप ला रहे हैं, उसमें इस सदन के सम्मानित सदस्यों की और अन्य परिषदों के सदस्यों की राय जानने के लिये एक महीने के लिये सरकुलेट कर दें और अगले सत्र में यह विधेयक ले आयें । इतना आश्वासन आप दे दें, तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हूं ।

*न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश शिवाजिनी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है । बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो प्रबन्ध व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चलाने के लिये वहां पर एक कमेटी गठित है और यह अधिनियम सन् 39 से बना हुआ था । उसके पैरा 5 में एक छोटा सा संशोधन करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात है । चूंकि वह सुपरसीड है उसका समय 31 दिसम्बर, 88 तक बढ़ाने के लिये सदन की आज्ञा चाही है ।

अब प्रश्न यह है, चूंकि राजेन्द्र कुमार गुप्त और बरार जी ने दो एक बातें उठाई हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी । जैसा कि इसमें अधिनियम के उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि इसको पूरी तरह से परिवर्तित करने का इरादा था । अब परिवर्तन क्यों जरूरी था । आपने देखा कि यह 1939 के समय का अधिनियम था, लेकिन उसके बाद सन् 70 और 80 वाले दशक में तिरुपति बाला जी का एक नये परिवर्तित रूप में हमारे सामने आया जिससे प्रबन्ध समिति और कार्य करने की प्रणाली हमारे सामने उदाहरण स्वरूप आई । तो यह लगा कि जिस भावना से तिरुपति बाला जी की समिति कार्य करती है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनका गुप्त जी ने उल्लेख किया, उनका भी समावेश कर लिया जाये । क्योंकि जो हमारी पुरानी समिति थी, उसके कार्य क्षेत्र थोड़े से सीमित थे । वैसे इसके लिए भी उसमें धर्मशालायें बनवाने का और यात्रियों को सुविधायें देने का प्रावधान था, लेकिन उसका दायरा सीमित था और इनके लिये माननीय विधायकों और दूसरे लोगों के सुझाव बराबर आते रहते थे कि इसको व्यापक रूप से किया जाये । तो उसको थोड़ा सा व्यापक करने के लिये और उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिये तथा उसकी समिति में क्या किया जाये, जिससे शंकराचार्य जी के लिटरेचर और प्रवचन आदि को प्रकाशित किया जाए, यह किया गया है । केदारनाथ जी में जो उनका स्मारक बना हुआ है, उसको और ज्यादा सुसज्जित कर दिया जाये, यात्रियों को सुविधा दी जाये, तिरुपति बाला जी में विद्यालय और यूनिवर्सिटी वह चला रहे हैं, वैसे यह भी संस्कृत विद्यालय आदि चला रहे हैं तो यह सारी चीजें थोड़े व्यापक और अच्छे ढंग से कर सकें, इसको एक्जामन करने के लिये इसमें समय लिया गया है । चूंकि हमको तिरुपति बाला जी का भी देखना था कि उनका अनुभव क्या रहा है इसमें समय की जरूरत पड़ी है । इसमें हो सकता है कि यमुनोत्री और गंगोत्री को भी हम ले लें । बहुत सारे परिवर्तन हैं, जो हमारे जेहन में थे । तो कोई चीज न रह जाये, इसलिये समय की आवश्यकता थी और कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसका समय सदन से लेने के लिये आज यह आया है । इसको व्यापक बनाने के लिये यह किया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि गुप्ता जी इसको वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने और माननीय बरार जी ने दोनों ने इस बात पर बल दिया है । यह बहुत बड़ा विधेयक नहीं है हिन्दू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इसे कैसे उपयोगी बनाया जाये । हमने कहा था कि आप सब सदस्यों को न भेज पायें तो सदन की एक कमेटी बना दें । केरल में रिलीजस इन्डाउमेन्ट लागू है, इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसने इस बात को विस्तार से दर्शाया है कि सरकारी समिति ने किस तरह से मूल भावनाओं को नष्ट कर दिया है । उस पर जो टिप्पणी उन्होंने की है वह पुस्तकालय में मौजूद है आप उसको देख लें । सम्पत्ति का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है । मान्यवर जोशीमठ का प्रथम मन्दिर आदि बद्रीनाथ जो है उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं वह किस दशा में है । मान्यवर, अगर मंत्री जी कमेटी बनाने को तैयार हैं तो हम इसे वापस लेने को तैयार हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सदन की जो भावनायें थीं उसका समावेश इस बिल में है । इस बिल में वह सारी की सारी बातें हैं जो आप चाहते हैं । इसमें जो सुझाव दिये गये थे वह इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने जिसमें पहाड़ के लोग भी दिये थे शामिल थे तो उन्हीं के सुझाव के आधार पर यह किया जा रहा है । इसमें समिति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह 17 अगस्त, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (2-क) में, शब्द "छः मास के भीतर" के स्थान पर शब्द "31 दिसम्बर, 1988 तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1988

निरसन और अपवाद

(3)—(1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-2, खंड-3, खंड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री भगौती सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि अपर नगर मैजिस्ट्रेट प्रथम, लखनऊ से आज सूचना प्राप्त हुयी है कि आज दिनांक 7-10-1988 को श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा, **लखनऊ को धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत विधान सभा** मार्ग, लखनऊ के गेट नम्बर 1 के पास अपरान्ह 1 बजे गिरफ्तार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 1988

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

अगर विधेयक भी प्रस्तुत हो जाय तो दोनों पर मैं एक साथ बोल लूंगा ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

आप बोलिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

यह जो अध्यादेश आया था उसको रिप्लेस करने के लिये यह विधेयक आ रहा है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह घोषणा की गयी थी कि इस अध्यादेश के संरूप और इस विधेयक के प्रारूप के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से सलाह मशविरा करेंगे, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर यह बनाया गया था । मैं समझता हूं कि यहां इस प्रदेश के उत्तम अधिवक्ता मौजूद थे, उन्होंने सलाह दी होगी और उचित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सलाह दी होगी, उससे अधिक सलाह मैं नहीं दे सकता । लेकिन एक विन्दु की ओर अपनी बात कहना चाहता हूं वह वादकारी के हित के संबंध में है । इस अध्यादेश में धारा 9 में वकालतनामे के ऊपर कल्याणकारी स्टाम की बात कही गयी है और धारा 10 में कल्याणकारी स्टाम्प के मुद्रण के बारे में कहा गया है । धारा 9 के अनुसार यह जो स्टाम्प लगेगा उसका पैसा अधिवक्ता की जेब से जायेगा ऐसी व्यवस्था की गयी है लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई कचहरी जाता है वहां एप्लीकेशन बनती है, वकालतनामा लगता है तो अधिवक्ता वादकारी से पैसा नहीं लेता है बल्कि उसका जो मुंशी होता है वह पैसा लेता है । अब जो व्यवस्था की गयी है तो अधिवक्ता इस पैसे को नहीं देंगे और मुंशी इस पैसे को वादकारी से वसूलेंगे । यह पैसा अपरोक्ष रूप से वादकारी से ही वसूल किया जायगा । सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि इस पैसे को वादकारी से न लिया जाय तो इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि धारा 10 में आप अमेन्डमेन्ट कर लें, यहां कर लें या बाद में नियमों में कर लें । जहां पर यह लिखा है कि कल्याणकारी स्टाम्प मुद्रित होगा उसके नीचे एक लाइन बढ़ा लें, यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं ताकि वादकारियों की जेब से यह पैसा न जाय, कल्याणकारी स्टाम्प मुद्रित होगा उसके नीचे एक लाइन यह बढ़ा दें कि इसका मूल्य वादकारी से नहीं लिया गया है । इसके नीचे अधिवक्ता अपने हस्ताक्षर करें । तो कम से कम इतना सुनिश्चित हो जायगा कि अधिवक्ता के स्टेटमेन्ट से कि इसका पैसा वादकारी से नहीं लिया गया है । मुझे इतना ही कहना था । मैं समझता हूं कि मैंने कोई बड़ी मांग नहीं की है यह व्यावहारिक मांग है इसलिये इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे और यहां पर इसकी घोषणा करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, जैसा कि अभी बरार साहब ने कहा, यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिये एक प्राविडेंट फण्ड जैसी व्यवस्था की जाय ।

इसी के लिए यह 1974 का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम जो है, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, इसमें अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा निधि योजना, जिस पर आज यह सम्मानित सदन अपनी आज्ञा देगा स्थापित की गयी है । इसमें अधिवक्ताओं के लिए इस योजना के तहत आवश्यक होगा कि इसके सदस्य बनें और इसके सदस्य के लिए वार्षिक चन्दा देना होगा । इसके साथ ही हमारी जो निधि है, उस निधि को बनाने के लिए बार कौंसिल 1 लाख रु0 देगी और फिर प्रति वर्ष जो वकीलों के पंजीकरण से राशि आयेगी, उसका 25 प्रतिशत उस निधि में, फण्ड में जमा होगी और इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए इस निधि में 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश शासन भी देगा । इसके साथ ही हाई कोर्ट और ट्रिब्युनल में 5 रु0 और इसके अलावा जो जिला कोर्ट्स और दूसरे कोर्ट हैं, उनमें 2 रु0 का टिकट वकालतनामा के ऊपर अधिवक्ता अपने पास से लगायेगा और वह भी जाकर उस निधि में जमा होगा ।

इसमें श्रीमन् एक और प्राविधान किया गया है कि 5 वर्ष के बाद इसकी जो गणना होगी, वह प्रति वर्ष 1 हजार रु0, जो अधिकतम 50 हजार रु0 से अधिक न होगा, 1 हजार रु0 प्रति वर्ष के हिसाब से वकील को जो इसके सदस्य होंगे, उनको

श्रीमन् दिया जायगा और यदि पांच वर्ष के अन्दर वह अपने इस फण्ड को वापस लेना चाहते हैं, भविष्य निधि को, जो उन्होंने जमा किया होगा, तो वह उन्हें वापस मिल जायेगी । अभी माननीय बरार साहब ने एक संशोधन प्रस्तावित किया कि वह जो स्टाम्प लगेगा, उस स्टाम्प के ऊपर या उसके नीचे प्रत्येक अधिवक्ता एक शपथ की तरह यह लिखेगा कि यह उसने बादकारी से इस टिकट को कास्ट नहीं ली है ।

यह श्रीमन् अजीब सी विडम्बना ही है कि जो समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग है, उस वर्ग को इस दायरे में हमारे बरार जी ने खड़ा कर दिया है और उस वर्ग को इतना अविश्वसनीय बना दिया है कि उसकी प्रति दिन अगर 10 वकालतनामे जमा करने पड़ें, तो उसे 10 बार यह शपथ लिखनी पड़ेगी । श्रीमन् मैं यह नहीं समझता कि ऐसी भावना उनके अन्दर कैसे आई । इस योजना के तहत पहले भी अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना की सुविधा थी, परन्तु कोई डिस्एबुल हो जाता था, तो उसे प्रति माह दिये जाने की सुविधा थी, पुस्तकालय की भी सुविधा थी । यह जब प्रावीडेंट फण्ड की योजना की बात आई, तो उस समय बिहार, मध्य प्रदेश, केरल में भी यह व्यवस्था चूंकि मौजूद थी, तो उनके अनुभवों को भी देखा गया, काफी वकीलों से, एम0 एल0 सी0 जो हैं, उनसे सबसे परामर्श लेकर यह बनाया गया । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज्यादा विवाद है । यह अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना है, इसे सब लोग स्वीकार करें ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने तो अध्यादेश के ऊपर कह दिया था, अगर बृहमदत्त द्विवेदी जी इसके ऊपर कह दें, तो ज्यादा उचित रहेगा ।

*श्री बृहम दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा ही माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा ही एक प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था और आश्वासन भी सदन में दिया था कि कुछ कमियां रह गयी हैं और उसके लिए शासन सजग है, अगर कोई बहुमूल्य सुझाव आते हैं तो उसे स्वीकार करेंगे और अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी तो करेंगे । इस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव प्रेषित किया है । उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूं कि इसको देखने से लगता है कि मानों उत्तर प्रदेश के 80 हजार अधिवक्ताओं के लिये बहुत ही अच्छी योजना है, कल्याणकारी है लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिस प्रकार की कल्पना की गयी थी और जिस प्रकार की माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, मैं भी उनसे मिला था उसमें जो वार्ता हुई थी और उसमें जो आश्वासन दिये गये थे वह इससे पूरे नहीं होते ।

यह योजना उन्हीं के लिए लागू है जो इसके सदस्य हैं इसमें सदस्यता शुल्क 100 रुपये रखा गया है जो उसको वापस नहीं किया जायेगा । 50 वर्षों के बाद अगर उसको कलक्लेट करें । आप इंदिरा बचत पत्र खरीदें या और भी योजनाएं हैं, 100 रुपया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमा किया जायेगा तो 5 वर्ष में 200 रुपया हो जायेगा और 10 वर्ष में 400 रुपया हो जायेगा और 15 साल में 800 रुपया हो जायेगा । इस तरह से अधिवक्ता का 50 वर्ष में एक लाख दो हजार चार सौ रुपये हो जाता है और 50 वर्ष में आप देंगे क्या मात्र 50 हजार रुपये । इसी प्रकार प्रथम वर्ष जब 50 रुपये जमा करेंगे तो 50 वर्ष के बाद 50 रुपये 51,200 रुपये हो जाता है । इस प्रकार 100 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क और 50 रुपये जो उसने जमा किया है मिलाकर डेढ़ लाख रुपये हो जाता है । इस तरह से 50 वर्ष उस अधिवक्ता के सदस्य बने रहने पर पूरा 4 लाख रुपया हो जाता है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत केवल 50 हजार रुपये दिया जायेगा इस प्रकार से साढ़े तीन लाख रुपया रह जायेगा तो या तो उसको साढ़े तीन लाख रुपये और दिये जांय और नहीं दे सकते हैं और निधि में जमा रखना चाहते हैं तो तीन हजार रुपये वार्षिक उसकी पेंशन भी हो सकती है और दी जा सकती है ।

मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि इसमें यही हाल है कि चौबे गये छब्बे बनने और दुबे होकर लौटे । बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा-ए-खूं निकला । तो मान्यवर, जो सीनियर वकील हैं वह इस योजना के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि जिनकी 20 साल, 25 साल, 30 साल या 32 साल की प्रैक्टिस हो गयी है उनको इससे कोइ लाभ नहीं है । महाराष्ट्र में एक योजना है उसमें जो पुराने अधिवक्ता हैं उनको भी इस योजना का सदस्य बनाने के लिए एक ऐसी लाभकारी योजना रखी गयी कि जिसने 32 साल की वकालत कर ली हो और आज भी वह सदस्य बनता है तो उसको 32000 का चौथाई यानि 8000 रुपये देना होगा । लेकिन आपके यहां ऐसी योजना नहीं है और इसीलिए इस योजना में सीनियर एडवोकेट सदस्य नहीं बनना चाहता ।

जो नये हैं, उनके ऊपर आपने महाराष्ट्र में जो योजना है उससे अलग जो आज वकालत शुरू करने जा रहे हैं उसके ऊपर 50 रुपये की बंदिश लगा रखी है । उनके पास अपने खाने को नहीं है, 50 रुपये कहां से देंगे । महाराष्ट्र सरकार ने जो वकीलों के लिये यह कल्याणकारी योजना लागू की है उसमें 5 वर्ष तक अधिवक्ताओं से एक भी पैसा नहीं लिया जायगा, यहां पर 50 रुपये लिये जायेंगे । वहां पर 5 से 10 वर्ष तक के अधिवक्ताओं से 100 रुपया और 10 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं से 250 रुपया लिया जायगा । तो एक ओर तो महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में मंत्री जी बता रहे हैं कि उसका अध्ययन किया और उसके सुझावों का समावेश किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के लोगों से मात्र 50 रुपये लिये जाएंगे और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों से 100 रुपये लिये जाएंगे । यह एक ऐसी योजना है जिसमें आप अधिवक्ताओं से रुपया लेंगे और उसके व्याज से उनको पैसा देंगे । उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में यह बात उठ रही है कि हमारा पैसा है और इस पर ब्याज मिलेगा । इसमें उनको लाभ के साथ ही बोनस भी दिया जाय । इस तरह से इसमें बहुत सी त्रुटियां रह गयी हैं । मैंने इसमें खण्डशः संशोधन भी दिये हैं । इसमें श्रीमन् त्रुटियां रह गयी हैं । इसके संबंध में उत्तर देते समय मा0 मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया था कि त्रुटियां हैं । अगर वास्तव में शासन सचेष्ट है और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के 80 हजार अधिवक्ताओं को लाभान्वित किया जाय, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, उनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहती है तो इन कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि मा0 मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि सारी बातों का अध्ययन करके, खामियां दूर करने के बाद वह समिति जो प्रस्ताव रखे, उसमें कोई विवाद नहीं

होगा और उसको स्वीकार करने में आपको भी दिक्कत नहीं होगी । इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसको स्वीकार कर लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि आज जो तीन चर्चाएं लगी हैं, इस विधेयक के बाद इन चर्चाओं को ले लें । क्योंकि सरकार कोरम का आभाव करके सारी चर्चाओं को समाप्त कराना चाहती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के बाद इन चर्चाओं को ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर दूं । उत्तर भाषण का मौका तो देना ही पड़ेगा । हम लोग वाणी पर संयम रख लें तो जल्दी हो जायगा । वरना एजेंडे को बदलने का अधिकार नहीं है । हमारे नियमों में प्रावधान है लेकिन उसके तहत प्रस्ताव आए तो मैं विचार करूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, नियम 110 में ले आवें ।

श्री अधिष्ठाता—

चेयर तो प्रस्ताव नहीं करेगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माता प्रसाद जी विश्वास रखें जितनी इन वक्तव्य और चर्चाओं में रुचि इनकी है, उतनी ही हमको भी है । उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जायगा ।

लेकिन मान्यवर, यह जो विधेयक आ रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें आपके द्वारा और सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि कम से कम समय लें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खुद एक एडवोकेट हूं और इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं । बहुत दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी वकील साहबान की परेशानी और उनके विचार को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पेश किया गया है । मा0 द्विवेदी जी ने बताया है, इसे चलते-चलते देखा जाय कि क्या कठिनाई है वह एक्जामिनेशन में मालूम होगा । इन दि लाइन आफ एक्सपीयरेंस मंत्री जी ने कहा कि विचार करके दूर किया जायेगा, पूरी तरह से देखा जायेगा कि हमारे लायर्स ब्रदर्स जो नये आते हैं, उनको पूरा संरक्षण मिले । मान्यवर, 1955-56 में मैंने वकालत शुरू की थी, लेकिन तब से और आज में बहुत परिवर्तन आ गया है । इसको देखना जरूरी है, ऐसा कोई माहौल बनता जा रहा है जिससे वह जूडिशियल सिस्टम खुद ही कोलेप्स करता जायेगा । आन दि वर्स आफ कोलेप्स, इसलिये हम लायर्स को भी कुछ दूर तक सोचने की आवश्यकता है । एक तो यही सोचने की आवश्यकता है कि हमारा परिवार इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका क्या होगा ? आये दिन परेशानियां पैदा हो रही हैं, आये दिन कचेहरियों में, बैंच और बार में झंझट होते हैं, आये दिन स्ट्राइक होती है । माननीय द्विवेदी जी वकील हैं दुनिया की एक भी मिसाल बता दें कि लायर्स ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोर्ट का बहिष्कार किया हो ? लायर्स इम्पलाइज नहीं हैं, तब लायर्स किसी के खिलाफ स्ट्राइक क्यों करते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जुडिशियल सिस्टम कोलेप्स होने जा रहा है, उसको बचाने के लिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

उसे तो हम सबको बचाना है, जो आपने बात कही । यह पापुलर सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है इसलिये इस तरह का विधेयक रखा है । जब हम वकालत करते हैं, तो एक इंडेपेंडेंट प्रोफेशन में घुसते हैं, जहां 4-5 साल तक मामूली आमदनी होती है, बड़ा संघर्ष का जीवन बिताना पड़ता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है । फिर शनैः-शनैः एक वकील अपनी हैसियत बनाता है । कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात जाने दें, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि क्या पोजिशन होती है । रेवेन्यू कोर्ट्स की हालत बहुत खराब है । पहले जो इसमें वकील प्रेक्टिस करते थे, बड़ी शानदार पोजिशन होती थी, लेकिन वह भी अब कोलेप्स करता गया । इसी तरह की पोजिशन सिविल कोर्ट्स में हुई है, कोलेप्स पर जा रहा है । वकीलों की भी कभी काफी प्रतिष्ठा थी, मान्यवर एक समय था जब कांग्रेस अधिवेशन में सबसे ज्यादा संख्या में वकील आये थे । वकील को समाज में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था, लेकिन वह सारी की सारी बातें खत्म होती जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लाल प्रताप जी एक मिनट यह बता दें कि यह जो प्राविडेंड फंड की व्यवस्था है, उनके सम्मान में गिरावट की वजह से है या आर्थिक कारणों से है ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके बहुत से कारण हैं, इसका कारण हम वकील खुद भी हैं । मुझे याद आता है

श्री मिश्रसेन—

मान्यवर, इसी पर लम्बी बहस चलेगी, तो दूसरी मदें रह जायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मुझे याद आता है कि एक समय नेपोलियन ने कहा था कि सारे वकीलों को खड़ा करके समाप्त कर देना चाहिए । मान्यवर, यह जो विधेयक रखा हुआ है, बहुत ही लाभ के लिये लाया गया है । जो त्रुटियां सामने आयेंगी वह भी धीरे-धीरे दूर की जायेंगी । साथ ही साथ वकीलों को अच्छी तरह से स्थिति को समझना चाहिये, वकीलों के बीच में फासिस्ट फोर्सेस बहुत तेजी से घूमती चली जा रही है । अब तो बार कौंसिल के प्रेसीडेंट भी वकीलों के बीच में घूम-घूम कर उनमें उत्तेजना पैदा कर स्ट्राइक का वातावरण बनाते हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा । ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा, जैसा इस प्रदेश में अब हो रहा है । मुझे आपसे यह भी कहना है कि जो स्ट्राइकें हुई हैं, उनका कोई कारण नहीं है । कहीं कोई मर गया, कहीं कुछ हो गया बस हो गयी स्ट्राइक । हर दिन, हर रोज हमारे यहां स्ट्राइक होती है । यह पेशा गिरता चला जा रहा है । इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा होने से इसे बचायें ।

आज सबसे बड़ा जो खतरा उत्पन्न हो गया है वह है कि हम इसे फासिस्ट फोर्सेस से बचाये, जो आज इस पेशे के अन्दर घुस गयी है। मुझे आशा है कि हमारे विद्वान लायर साथी इस पर ध्यान देंगें और इस पेशे को वह स्थान दिलवाने का प्रयास करेगें, जो आज से पहले इसको प्राप्त था, तभी वह सच्चे अर्थों में समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई कारण नहीं होता, लेकिन स्ट्राइकें की जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यदि इसमें कोई त्रुटि रह गयी हो, तो उसे दूर किया जायगा।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपको तो अपने आर्डीनेन्स वाले मामले पर बोलने का मौका मिलेगा, आप अभी बैठें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, यह जो अध्यादेश यहां पर लाया गया है, उसे आप आज विधेयक के रूप में पास कराने जा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि इसे यहां लाने से पहले अधिवक्तागणों से बात की गयी होगी, उनके सामने यह जरूर परिचालित हुआ होगा, उनके प्रतिनिधियों ने शासन से भी अवश्य बात की होगी। मुझे केवल दो सुझाव यहां पर देने हैं और मैं समयाभाव के कारण इस पर कल संशोधन भी न रख सका। इसमें दो चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि बरार साहब ने कहा और मान्यवर, आप इसके सेक्शन 10 (1) को देखें। इसमें लिखा है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कल्याणकारी स्टाम्प ऐसी डिजाइन में और ऐसे अंकित मूल्य का, जैसा वह उचित समझे, जिस पर शब्द "कल्याणकारी स्टाम्प" मुद्रित होगा, मुद्रित करायेगी। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इसकी जगह अगर यह व्यवस्था मंत्री जी कर सकें, कि जो भी स्टाम्प लगाया जाये वह वकील अपने पास से लगाये और वर्ष के अन्त में उस वकील से उसका सारा रुपया वसूल करके सरकार के खाते में जमा कर दिया जाये, इसके लिये न्यायालय में पूरा रिकार्ड रखा जाये। इससे यह बचत होगी कि हर दिन कल्याणकारी स्टाम्प खरीदकर चिपकाने की समस्या से बचा जा सकेगा, इसका निर्धारित पैसा भी होना चाहिये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिये, इसमें स्वतः प्रेरित सदस्यता नहीं होनी चाहिये। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो इसके सदस्य बनेंगे, वहीं इसका लाभ उठा सकेंगे। यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि जो अधिवक्ता रजिस्टर्ड होगा, उसे इसका सदस्य होना अनिवार्य होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपका समय नहीं लेता। लेकिन मंत्री जी ने मुझ पर एक आक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा। मान्यवर, किसी ने कहा है कि,

"हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।

मान्यवर, आप धारा 9(2) देख लें, इसमें लिखा है कि कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य किसी वाद या कार्यवाही में खर्च के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जायगा और किसी भी दशा में वादकारी से वसूल नहीं किया जायगा। इसमें आगे लिखा है किसी सदस्य द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन उसे योजना के साथ से वंचित कर

देगा और उसे अवचार समझा जायगा और न्यासी समिति समुचित कार्यवाही के लिये मामले की सूचना स्टेट बार काउन्सिल को देगी । मान्यवर, हर न्यायालय में लिखा रहता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है अगर आपको मेरी बात से आपत्ति है, तो आप स्टाम्प पर मुद्रित करवा दें, कि इसका मूल्य वादकारी से नहीं लिया गया है, उसके ऊपर अधिवक्ता अपना हस्ताक्षर करें । यह मेरा सुझाव था, इसी बात पर मंत्री जी कहते हैं कि मैंने किसी की नियत पर संदेह कर दिया, जबकि सरकार ने विधेयक में ही इसे अवचार घोषित कर रखा है । अभिचार घोषित कर दिया, पेंशन योजना से खत्म करने की बात कह दी है । अगर आप मंत्री जी चाहते हैं कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार होता रहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अगर मेरे सुझाव को उचित समझें, तो इसे सम्मिलित करा दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब अभी श्री लाल प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वह एक अधिवक्ता के रूप में नहीं अपितु कांग्रेस के एक स्पोक्स मैन के रूप में बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं । वह यह भूल गये हैं कि जब यह सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, जिससे मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो या कोई असंवैधानिक कार्य हो रहा हो या फिर पुलिस का जुल्म हो रहा हो, तो समाज का एक प्रतिष्ठित व संवेदनशील नागरिक होने के नाते उसे हड़ताल करनी पड़ती है । वह जन-जागरण के लिये आगे आता है ।

मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन के पटल पर आपने कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं । यह आपने स्वीकारा है । तो फिर बिना उन त्रुटियों के निवारण किये आपको इसे पारित नहीं करना चाहिये । अभी लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि पूरा जुडीशियरी सिस्टम कोलेप्स होने जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि वकील ही एक ऐसा वर्ग है, यदि उसने किसी का केस लिया तो फिर वह दूसरे का केस नहीं लेता है, भले ही उसे एक लाख रुपए क्यों न मिल रहे हों । यह आपके आफिसर कर सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता वर्ग नहीं कर सकता है । इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले वर्ष बार काउन्सिल को 1 लाख रुपये दिये जायेंगे, इसके बाद जो हमारे अधिवक्तागण हैं और जो नये-नये सदस्य बनेंगे, उनकी जो धनराशि इकठ्ठी होगी, उसका वन-फोर्थ प्रति वर्ष इस निधि में दिया जायेगा । 500 रुपए में से 125 रुपए अधिवक्ता को देना पड़ेगा. इसके अनुसार उसका 1 लाख 30 हजार रुपए खुद का जमा हो जायेगा, 100 रुपए प्रवेश शुल्क के हिसाब से उसका 1 लाख 2 हजार रुपए हो जायेगा । इस प्रकार कैलकुलेट किया जाय तो प्रत्येक अधिवक्ता को 5 लाख रुपए खुद जमा करने पड़ेंगे । इसी कारण आपके जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वह इस ओर आकर्षित नहीं हो पायेंगे और जो नये सदस्य होंगे, वह जमा नहीं कर पायेंगे और आपका यह अधिनियम धरा का धरा ही रह जायेगा । यह चलेगा नहीं । श्री लाल प्रताप सिंह जी जो अधिवक्ताओं के विरोधी हैं । माननीय मंत्री जी इस पर सरकार की नियत साफ होनी चाहिये । अधिवक्ताओं के लिए भविष्य के लिए अच्छी योजना होनी चाहिए । शासन इस पर विचार करे । मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं कोई अधिवक्ताओं का विरोधी नहीं हूं । मैंने तो अपनी वेदना रखी ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आप अधिवक्ताओं के विरोधी हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जैसा कि अभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने कहा, उन्होंने कुछ अपने मैथेमैटेकल कैलकुलेशन भी लगाये और अपनी बात कही । यह सही है कि यह वकीलों के लिये सामाजिक सुरक्षा के लिये यह निधि बनायी जा रही है । इसमें उत्तर प्रदेश शासन ने एक लाख रु0 भी दिया है । इसमें एक-दो बातें पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में ऐसा कोई प्रोवीडेंट फण्ड है, जिसमें व्यक्ति से कटौती न होती हो, अपना अंश न देना पड़ता हो । चाहे राज्य कर्मचारियों को ले लें या किसी को ले लें, सब भविष्य निधि में अपनी ही कटौती जमा करते हैं । आपने कहा महाराष्ट्र, बिहार वगैरह । इस तरह का बिहार में भी है, उन्होंने स्टाम्प भी लगाया है, नये वकीलों पर फीस भी 50 रु0 और 100 रु0 रखी है । यह अच्छा होता अगर माननीय सदस्य कोई मौलिक बात बताते । उन्होंने अल्पसूचित प्रश्न की बात कही । उसमें भी यही कहा कि बिहार को देखा, महाराष्ट्र को देखा । हमने देखा जो उनके यहां व्यवस्थायें थीं, जो अच्छी थीं, उनको एडाप्ट करने की कोशिश की, 100 रु0 का यदि कैलकुलेशन लगायें । कोई भी वकील यदि 23, 24 या 25 साल की आयु में प्रैक्टिस शुरू करता है और उसी दिन से 100 रु0 प्रति वर्ष देता है, जैसा द्विवेदी जी ने कहा, अगर वह 20 वर्ष तक देता रहेगा तो 2000 रु0 देगा । उसी दिन अगर विदड्रा करना चाहेगा तो उसे 20,000 रु0 मिलेगा । अगर उसी को उस खाते में जमा कर देता है, जिसमें उसने 100 रु0 जमा कराया था तो 50 साल के बाद 1,03,400 रु0 हो जाता है । 20 वर्ष के बाद 20,000 रु0 मिला, 30 वर्ष बाकी हैं । इसको कैलकुलेट करें अगले 5 वर्ष बाद 40 हजार रु0 मिला, उससे अगले 5 वर्ष बाद 80 हजार रु0 मिला, इसके बाद अगले 5 वर्ष के बाद 1 लाख 60 हजार रु0 मिला, उसके 5 वर्ष बाद 3 लाख 20 हजार रु0 मिला, उसके 5 वर्ष बाद 6 लाख 40 हजार रु0 मिला और जब उसके बाद 5 साल पूरे होंगे तो 12 लाख 80 हजार रु0 मिलेगा । यह तो कैलकुलेशन है । अगर कोई आदमी कैलकुलेटेड या नियोजित जीवन शुरू कर सके तो अच्छी बात है । इसमें वह नियोजित है या नहीं इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि एक गारण्टी रहे, यही वकीलों की मांग भी थी कि जब वे रिटायर होते हैं तो उनको भी एक लम्पसम फण्ड मिले । इसीलिये सामूहिक बीमा योजना शुरु की थी, यदि असामयिक मृत्यु भी हो जाती है तो भी लाभ मिल सके इसीलिये शुरू किया गया था ।

आपने, बरार साहब ने, लाल प्रताप जी ने और श्री माता प्रसाद जी ने सुझाव दिये । जब समस्या पैदा होती है तो समाधान होता है लेकिन यह अन्तिम नहीं होता है । यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण है और आगे कुछ नहीं हो सकता । दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है । इसमें जो भी सुझाव आज आये हैं और आगे आयेंगे, यह तो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, विकास होता रहता है, आदमी पढ़ा-लिखा होता जा रहा है । इस हिसाब से कभी यह नहीं कहा जा सकता है कि कल्याणकारी शासन या सरकार अच्छे सुझावों का समावेश नहीं करेगी, लेकिन चूंकि यह पहला प्रयास है, सबके सामने आया है, मैं नहीं समझता था कि इस बात से असहमति प्रगट करेंगे और कहेंगे कि वकीलों के लिये ठीक नहीं है । मैं नहीं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता है, इसलिये मैं श्री द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय द्विवेदी जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

नहीं मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जयदीप सिंह बरार जी, क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि क्या यह सदन उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(ङ) 'कल्याणकारी स्टाम्प' का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट स्टाम्प से है ;

(च) 'वकालतनामा' के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या राज्य सरकार का प्रति-

निधत्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है ।''

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

''(खख) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना, जिसे आगे योजना कहा गया है, को आयोजित करना, जो ऐसे अधिवक्ताओं के लिये होगी जो योजना के सदस्य बन जायं ;''

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

''(ज) राज्य सरकार द्वारा धारा 10 के अनुसार अन्तरित स्टाम्प का विक्रय आगम ;

(झ) धारा 11 के अनुसार योजना की सदस्यता के लिये प्राप्त समस्त प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा और उस पर ब्याज, यदि कोई हो ।''

और अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और खण्ड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

धारा 8 का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

स्टेट बार कौंसिल द्वारा अभिदान

''8—स्टेट बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के दिनांक को निधि में एक लाख रुपये और तत्पश्चात् वर्ष के दौरान उसके द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के निमित्त वसूल की गई फीस के पचीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का प्रतिवर्ष अभिदान करेगी ।

वकालत नामा पर कल्याणकारी स्टाम्प

9—(1) योजना का प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर उच्च न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में पांच रुपये के और किसी अन्य स्थिति में दो रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे सदस्य के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो ।

(2) कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य किसी वाद या कार्यवाही में खर्च के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जायगा और किसी भी दशा में ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षकार से वसूल नहीं किया जायगा ।

(3) किसी सदस्य द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन उसे योजना के लाभ से वंचित कर देगा और उसे अवचार समझा जायगा और न्यासी समिति समुचित कार्यवाही के लिए मामले की सूचना स्टेट बार काउन्सिल को देगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन वकालतनामा पर लगाया गया प्रत्येक कल्याणकारी स्टाम्प न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 में उपबंधित रीति से रद्द किया जायगा ।

10—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कल्याणकारी स्टाम्प ऐसी डिजाइन में और ऐसे अंकित मूल्य का, जैसा वह उचित समझे, जिस पर शब्द "कल्याणकारी स्टाम्प" मुद्रित होगा, मुद्रित करायगी ।

(2) राज्य सरकार कल्याणकारी स्टाम्प के वितरण और विक्रय का नियंत्रण न्यायालय फीस स्टाम्प के विक्रय के लिये अपने द्वारा नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, जो वह उचित समझे, करेगी ।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कल्याणकारी स्टाम्पों के विक्रय आगम का अन्तरण उसमें से स्टाम्पों के मुद्रण, विक्रय और वितरण में उपगत खर्च को काटने के पश्चात् निधि के लेखा में करेगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे अन्तरण के तीन मास के भीतर न्यासी समिति को एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें मुद्रित और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च और निधि के लेखा में इस धारा के अन्तर्गत अन्तरित धनराशि का ब्योरा दिया जायगा ।

11—(1) कोई अधिवक्ता योजना का सदस्य बनने के लिए योजना को सद-स्यता सचिव, न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन कर सकता है ।

(2) प्रत्येक आवेदक, आवेदन-पत्र के साथ एक सौ रुपये की प्रवेश फीस विहित रीति से एक मुश्त देगा ।

(3) न्यासी समिति आवेदन-पत्र और प्रवेश फीस प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और या तो आवेदक को योजना को सदस्यता में सम्मिलित करेगी या ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगी और प्रवेश शुल्क के प्रति भुगतान की गयी धनराशि को वापस कर देगी :

परन्तु कोई आवेदन-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो ।

(4) इस प्रकार सम्मिलित किये गये आवेदक की सदस्यता उस वर्ष की, जब आवेदन-पत्र दिया गया था, पहली जनवरी को या अधिवक्ता के रूप में आवेदक के नामांकन के दिनांक को, जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रारम्भ हुई समझी जायगी ।

(5) योजना का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये उस वर्ष के इकतीस दिसम्बर को या उसके पूर्व—

(क) पचास रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो ;

(ख) एक सौ रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अधिक किन्तु 10 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो ;

(ग) दो सौ पचास रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 10 से अधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो ;

की दर से वार्षिक चन्दा विहित रीति से देगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

(एक) अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के अन्तर्गत विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अधीन प्लीडर या अन्य विधि व्यवसायी के रूप में नामांकित या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल) की नामावली में दर्ज अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय करना भी है ;

(दो) विधि व्यवसाय की अवधि की गणना उस कलेण्डर वर्ष के जिसके लिये चन्दा देय हो, प्रथम दिवस से या विधि व्यवसायी या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के दिनांक से इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जायेगी ।

सदस्यता की समाप्ति और पुनः प्रवेश

12—(1) योजना का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा, यदि—

(क) उसकी मृत्यु हो जाय ;

(ख) उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली से हटा दिया जाय ;

(ग) वह अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दे ;

(घ) उसके पास दो वर्ष या इससे अधिक अवधि का वार्षिक चन्दा बकाया हो और न्यासी समिति उसे कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त कर दे ।

(2) किसी ऐसे अधिवक्ता को जो योजना का सदस्य नहीं रह गया है, उसके लिखित आवेदन-पत्र पर और ऐसे वार्षिक चन्दे के जिसका उसने भुगतान किया होता यदि उसकी सदस्यता बनी रहती, बकाया का और उस पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने पर, योजना का पुनः सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली में यथास्थिति, पूर्ववत् कर दिया जाय या बना रहे ।

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

13—(1) योजना का कोई सदस्य, सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा :—

(क) अपने द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि, यदि वह पांच वर्ष से कम अवधि के लिये सदस्य रहा हो ।

(ख) अपनी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये 1000 रुपये की दर से संगणित धनराशि, यदि वह पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिये सदस्य रहा हो किन्तु अधिकतम 50,000 रुपये ।

(2) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि का भुगतान उसके नामांकिती को या जहां कोई नामांकिती न हो, वहां उसके विधिक वारिसों को किया जायगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी सदस्यता न रह जाने के पश्चात् किन्तु उपधारा (1) के अधीन भुगतान प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाय ।

सदस्यों के हित के संक्रामण, इत्यादि पर निर्बन्धन

14—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, योजना के किसी सदस्य या उसके नामांकिती या विधिक वारिसों का धारा 13 के अधीन निधि से कोई धनराशि प्राप्त करने के अधिकार या हित का न तो अन्य संक्रामण किया जायगा, न भारित किया जायगा और न किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन उसकी कुर्की की जा सकेगी ।

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण

15—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से की गयी या की जाने के लिये आशयित कार्य के किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न्यासी समिति या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति

16—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है—

"(क) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना की सदस्यता के लिये आवेदन-पत्र दिया जा सकता है;

(ख) योजना की सदस्यता के लिये प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा देने की रीति;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना के सदस्यों की सूची रखी जायगी और उसकी प्रतियां या उद्धरण न्यायालयों को भेजे जायेंगे, जिससे कि वे धारा 9 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें;

(घ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान के लिये आवेदन-पत्र दिये जायेंगे और ऐसे भुगतान के लिये न्यासी समिति द्वारा की जाने वाली जांच, यदि कोई हो, की प्रक्रिया;

(ङ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिये नामांकन किया जाय;

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।"

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11(2) में शब्द "एक सौ रुपए" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (2) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11(5) के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय।

मान्यवर, इस संबंध में कुछ मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। मेरी मंशा केवल यह है कि जो नये वकील वकालत शुरू करने वाले हैं वह इस वित्तीय भार को अधिक न प्रतीत करें और उनके लिये कहीं यह सबस्क्रिप्शन देना असम्भव न हो इस योजना के चलते। मैं चाहता हूं कि यह योजना चलती रहे माननीय मंत्री जी ने कंक्रीट सुझाव आमंत्रित किया था तो यह मेरा कंक्रीट सुझाव है, इसे आप मान लें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया है कि इसमें सारी चीजें आ गयी हैं । आप बिहार की बात कह रहे थे उसे भी मैंने देख लिया है । अब इसे आगे चलने दें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (5) के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (5) के उपखण्ड (ख) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिया जाय और इसकी द्वितीय पंक्ति में आये अंक "10" के स्थान पर अंक "15" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1988 के खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (5) के उपखण्ड (ख) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिया जाय और इसकी द्वितीय पंक्ति में आये अंक "10" के स्थान पर अंक "15" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता निधि

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (5) के उप खण्ड (ग) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायं तथा अंक "10" के स्थान पर अंक "15" रख दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी (श्री ओम प्रकाश रिछारिया) आपको इस पर कुछ कहना है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय द्विवेदी जी, क्या इसे आप वापस लेते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं मान्यवर, बल्कि बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 11 (5) के उप खण्ड (ग) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिए जायं तथा अंक "10" के स्थान पर अंक "15" रख दिया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

साथ ही माननीय द्विवेदी जी, क्रम संख्या-5 के बारे में मुझे यह सूचना देनी है कि चूंकि यह वित्तीय स्वीकृति का मामला है जिसे आपने 50,000 रुपयों के स्थान पर एक लाख किए जाने की बात कही है । यह स्वीकृति जब तक महामहिम राज्यपाल की पहले नहीं आ जाती तब तक इस पर विचार यहां नहीं हो सकेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जब इसकी स्वीकृति महामहिम से प्राप्त नहीं हुयी तो इसे एजेंडे में ही नहीं लाना चाहिए था ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं ऐसी बात नहीं है जब भी किसी ऐसे मामले जिसमें वित्तीय भार निहित हो, उसकी अनुमति राज्यपाल महोदय से पूर्व में प्राप्त करनी होती है और जिम्मेदारी उसी की होती है जो संशोधन यहां पटल पर रख रहा है, लेकिन यह दायित्व सचिवालय ने अपने ऊपर ले लिया, अगर यह जिम्मेदारी न लेते तो इसमें यह न आता, लेकिन यह एजेंडा कल बना है और यह संशोधन भी कल ही महामहिम राज्यपाल के यहां स्वीकृति हेतु गया, इसे एजेंडे में इस आशय से रख दिया गया कि कल इस पर चर्चा होगी तो हो सकता है उस समय तक यह स्वीकृति आ जाए, इसलिए जब मैं यहां पर आया और इसे देखकर जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि अभी यह स्वीकृति नहीं आयी है, इसलिये यहां पर इसमें तो यह लिख दिया गया है अंतिम बार, लेकिन मैंने इसे ऐसी स्थिति में लेना उचित नहीं समझा । अब प्रश्न मैं उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

निरसन 5—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, सन् 1988

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गणपूर्ति के लिए व्यवस्था का प्रश्न

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इतने महत्वपूर्ण नियमों को आप पारित करने जा रहे हैं, और अगर इस समय आप देखें तो सदन में कोरम पूरा नहीं है, ऐसे कम उपस्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण नियमों का पारित किया जाना उचित नहीं है, यदि आप चाहें तो गिनवा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है कोरम के लिए घंटी बजाई जाए ।

(कोरम की घंटी बजायी गयी)

(गणपूर्ति होने पर)

(इस समय 5 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक, मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अनुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 (जारी)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बरार जी पहले मंत्री जी बोल लें, तब आप रखियें ।

*जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

आज की कार्य सूची की मद संख्या 23 से 31 तक स्थगित किये जाने की मांग

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, नियम 112 के अन्तर्गत मैंने प्रस्ताव दिया है कि मद सं0 23 से लेकर 31 तक स्थगित कर दिया जाय, इनको दूसरे दिन ले लिया जाय और इनके स्थान पर दूसरे विषय ले लिये जायं । इस पर आपने क्या निर्णय दिया है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, जो प्रस्ताव पाण्डेय जी ने दिया है वह सभी दृष्टि से उपयोगी होगा । जो वक्तव्य दिये गये हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं । इस लिये इनको रोक कर आगे के विषय ले लिये जायें ।

(संसदीय कार्य मंत्री) श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो एजेन्डा का क्रम है, उसी से चलें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, पहले मैं जो प्रस्ताव श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने रखा है उसके समर्थन में कहना चाहता हूं कि अगर यह अधिनियम आज नहीं पारित होंगे तो सरकार अध्यादेश लाकर काम चला लेगी । जो महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं उनको आप ले लें । यह तो अपनी कार्यवाही को अध्यादेश से चला लेगें लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो पायेगी ।

ये इसी तरह से सारे काम करते आये हैं ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का सवाल है । विरोध पक्ष ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर कितना चिन्तन करता है यह इनकी संख्या से ही महसूस हो रहा है । इसलिए मान्यवर, आप एजेंडे के अनुसार ही कार्य करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैंने प्रस्ताव 112 में रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रश्न रख देता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

नियम 112 में दिया है कि अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, पुनःस्थापित किया जा चुका हो, अथवा कार्य-स्थगन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर अथवा संकल्प पर विचार को उसी सत्र में ऐसे कार्य के लिये उपलब्ध किसी भावी दिन अथवा भावी सत्र में अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे प्रस्ताव को तत्समय सभा के सम्मुख अन्य प्रस्तावों पर अग्रता होगी । अध्यक्ष, प्रस्तावक को तथा यदि प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने का अवसर देने के बाद और आगे वाद-विवाद के बिना उस पर प्रश्न उपस्थित कर सकेंगे । इस प्रकार आप सत्रावसान करके आप पुनः अध्यादेश ला सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कि आज की कार्यसूची की मद संख्या 23 से 31 तक स्थगित की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अनुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 (क्रमागत)

श्री मैनेजर सिंह—

हां या ना करने में क्या है । यह सरकार अपने विधेयकों को प्राथमिकता देती है और गांवों में जो सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं उनको प्राथमिकता नहीं दे रही है ।

यह कार्यक्रम कार्यमंत्रणा समिति से निर्धारित होता है । वहां पर आकर भी आप लोग अपना हाथ उठा देते हैं और हम लोग यहां पर दिन भर बहस करते हैं और आप कार्यक्रम चलने नहीं देते हैं । शाम को कहीं आपकी नींद खुलती है । अपने विधेयक पास हो जायेंगे और फिर ये लोग भाग जायेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने देखा कि जब कोरम के लिये घन्टी बजी तो कितने लोग लाबी से यहां आये और आपकी तरफ से कितने लोग बाहर गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

बरार साहब आप बोलें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, दो संशोधन मैंने रखे हैं । एक अध्यादेश के अनुमोदन का प्रस्ताव है और दूसरा जो विधेयक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में है । होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड अधिनियम, 1951 में बना । 8 अगस्त, 1977 को शासन ने उसे इसलिये भंग कर दिया कि वह सही काम नहीं कर रहा था । उस बोर्ड में कितने लोग होते थे मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें 7 सदस्य होते हैं जो सरकार द्वारा नामांकित होते थे, तीन सदस्य होम्योपैथिक रिकग्नाइज्ड 10 साल की प्रेक्टिस वाले होते हैं, इन्स्टीट्यूशन है, उससे होते हैं, 5 होमियोपैथी के डाक्टर 10 साल की प्रैक्टिस वाले होते हैं, एक कानपुर यूनिवर्सिटी से, होम्योपैथी के डिप्टी डाइरेक्टर तथा प्रिंसिपल, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के उसमें सदस्य होते हैं । उसमें जो चेयरमैन होता है वह राज्य सरकार नामांकित करती है । उस बोर्ड को 8 अगस्त को सरकार ने भंग कर दिया । उसमें कुछ अनियमितताये रही होंगी, इसलिये किया होगा । सन् 77 से अब तक 11 वर्ष तक आप उसमें नियंत्रक बिठाये हैं उसमें इतनी

क्षमता नहीं हुई कि वह इस बोर्ड का गठन नियमित और विधिवत तरीके से कर सके । मैं जानना चाहूंगा कि इस बोर्ड का जो तीन साल के लिये चुना गया था उसको भंग कर दिया लेकिन नियंत्रक जो 11 वर्ष तक भी कुछ नहीं कर पाया उसको भी आप भंग कर दें । उसे वहां पर बैठने का कितना अधिकार है यह आप समझ सकते हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी बात है । इनके नियंत्रक का कार्यकाल 7 अगस्त 85 को समाप्त हो गया है और इस सरकार को यह भी पता नहीं है कि कब तक का उनका समय है और यह आज तक सोते रहे और तीन वर्ष कुछ महीने तक इनको पता नहीं चला तो इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति इस सरकार के लिये क्या हो सकती है और इनके नियंत्रक ने भी कुछ नहीं कहा और सरकार भी सोती रही । इससे ज्यादा नालायकी और बेवकूफी और क्या हो सकती है । धारा 53 में साफ था और उसके अनुसार उस नियंत्रक का कार्यकाल अगस्त 85 में समाप्त हो गया और उसके बाद भी वह कार्य करता रहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में कहें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं अगर सरकार अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसके लिये क्षमा मांगे और कहे कि 3 साल तक अवैध कार्य हुआ है और यह आश्वासन दे कि 31 मार्च, 1989 तक होम्योपैथी मेडिकल बोर्ड का गठन वह करा देंगे । अगर वह इसके लिये तैयार हैं तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, हमारे मित्र बरार साहब ने बड़े महत्वपूर्ण विषय में चर्चा की । कल तक तो यहां पर बड़ी मासूमियत की बातें हो रही थी और आज यह बड़ा शोर मचा रहे हैं । मान्यवर, यह एक सूक्ष्म और छोटा सा संशोधन है इसमें समय बढ़ाने की बात है । समय का बीच में जरूर गैप हो गया है उसको पूरा कर रहे हैं और अब सिर्फ 7 अगस्त, 1989 का समय बढ़ा रहे हैं । इस बीच में हम चुनाव करा देंगे ।

श्री उपाध्याय—

क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

नहीं मान्यवर, यह अपनी गलती के लिये क्षमा याचना और खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह क्षमा करें इस बोर्ड को 1977 में इनकी ही सरकार ने भंग किया था । उसके बाद की बहुत सी त्रुटियों को हम आज भी ठीक कर रहे हैं । हमने ग्राम सभाओं के चुनाव कराये हैं, ब्लाकों के चुनाव करा रहे हैं नगर पालिकाओं के चुनाव करा रहे हैं जिनको इन्होंने भंग किया था उन संस्थाओं के चुनाव करा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वह सदन उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

पहले मंत्री जी से प्रस्ताव तो कराइये उसके बाद इसे लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले रख दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसको पहले ही पुट करा दिया है । आप बैठ जांय । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह 7 सितम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम 1951 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में उपधारा (1) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द 'बारह वर्ष' रख दिए जायेंगे ।

बचाव

3—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 53 के अधीन कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रक नियुक्त न किया जाय, 8 अगस्त, 1985 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने वाले नियंत्रक को, उक्त दिनांक से उपर्युक्त धारा के अधीन नियंत्रक नियुक्त किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा 8 अगस्त, 1985 और इस अधिनियम के

प्रारम्भ के दिनांक के बीच के रूप में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1988

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करते हुए अधिक नही कहना चाहूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हैं । एक-दो बातों की और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, वह ठीक है क्योंकि 11 वर्ष के बाद अब पुन: जिला परिषद् के गठन की प्रक्रिया चल रही है और कहीं ऐसा न हो कि जैसे 1982 में हुआ था । मान्यवर, एक तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस सदन में एक टाइम टेबिल की घोषणा कर दें कि किस तारीख तक जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे और किस तिथि तक जिला परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव करा देंगे । चूंकि लोकतांत्रिक ढंग से जिला परिषदें गठित हो रही हैं, सदस्य चुनकर आयेंगे इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार आश्वासन दे कि जिला परिषद् में राज्य सरकार द्वारा कोई सदस्य नामित नही किये जायेंगे ।

तीसरी चीज चाहूंगा कि गहराई से विचार कर लें कि चुनाव व्यवस्था जिसमें हम ब्लाक प्रमुखों के चुनाव कर रहे हैं, जिला परिषदों के सदस्यों का भी चुनाव करेंगे उसमें प्रधान मतदाता हैं, कुछ सदस्य हैं, जो कोआपशन अर्थात् अनुमेलन द्वारा लिए गये हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वह प्रभावशाली, और आतंकवादी प्रवृत्तियों के आदमी हैं, प्रधानों और मतदाताओं को पकड़ कर बंद कर रहे हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है या सीधे मतदाता द्वारा अगली दफा चुनाव कराने के संबंध में आश्वासन दें कि सरकार इस पर भी अध्ययन करेगी । ऐसी बात है तो वह कहें तो उनके विधेयक को हम पास कराने में सहमत हो सकते हैं ।

*(ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री) श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह बहुत ही एक छोटा और महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1977 की धारा 2, उपधारा (1) के अधीन जिला परिषदों के सभी अधिकार और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में 30 सितम्बर, 1988 तक के लिये निहित थे, यह कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसके पहले जिला परिषदों का चुनाव संभव नहीं हो सका क्योंकि पहले गांव सभाओं का चुनाव कराना था जो सम्पन्न हो चुके हैं और आखिरी चुनाव गांव सभाओं का 14 जुलाई, 1988 को सम्पन्न हुआ और इसके बाद क्षेत्र समितियों का गठन होना है, क्षेत्र समितियों के गठन के बाद क्षेत्र समितियों से एक सदस्य जिला परिषद् के लिए चुना जाता है, वह चुनाव होना है । जिला परिषद् में अनुमेलन की कार्यवाही होती है । ग्राम प्रधानों के चुनाव के बाद हमारे पास इतना कम समय था कि यह 30 सितम्बर, 1988 तक गठित नहीं की जा सकीं । इसलिए आवश्यक हुआ कि 31 दिसम्बर, 1988 तक के लिए यह अधिकार और कर्तव्य जिला परिषदों के पुनः और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास रहें । जैसी कि आशंका बरार साहब ने प्रकट की है कि पिछली बार ब्लाक प्रमुखों के चुनाव के बाद जिला परिषदों का गठन नहीं हुआ । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हर हालत में अब जिला परिषदों के चुनाव सरकार को कराने हैं । उसके लिए शासन ने तिथि भी तय कर दी है कि ब्लाक प्रमुखों और जिला परिषदों के चुनाव कब होगा । जैसा कि आप सभी को विदित है 16 अक्तूबर को ब्लाक प्रमुख का चुनाव होगा उसके बाद 21 अक्तूबर को क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनाव हेतु नोटिस जारी किये जायेंगे, और नाम निर्देशन और जांच 26 अक्तूबर को और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 28 अक्तूबर को होगा । उसी प्रकार मान्यवर, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो जिला परिषदों में होता है, उसके लिए 15 अक्टूबर की सूची की प्राप्ति और उसका प्रकाशन होगा और मतदान 31 अक्तूबर तक सम्पन्न हो जाएगा ।

जिला परिषदों में जो अनुमेलन की कार्यवाही नियम 4 में होती है, उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा 21 नवम्बर, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना 21 नवम्बर को होगी और नाम निर्देशन, परीक्षण, नाम वापसी, मतदान और गतगणना की कार्यवाही दिनांक 26 व 27 नवम्बर को सम्पन्न होगी । इसी तरह से जिला परिषदों के संगठन की अधिसूचना जारी होगी 6 दिसम्बर को और सदस्यों की सूची का प्रकाशन होगा । 8 दिसम्बर को, अधिसूचना तथा सार्वजनिक नोटिस (डाक द्वारा) 10 दिसम्बर को, नाम निर्देशन और जांच 15 दिसम्बर, नाम वापसी 17 दिसम्बर, और मतदान 18 दिसम्बर, 1988 को सम्पन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जाएगा । इस प्रकार सभी तिथियां इस संबंध में निश्चित कर ली गई हैं और सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि हर हालत में दिसम्बर, 88 समाप्ति से पहले हम चुनाव करा लेंगे । इसलिए अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें और बरार जी अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जो ब्लाक प्रमुखों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हालत यह है कि हर शरीफ आदमी आज चुनाव से हट रहा है । क्योंकि इसमें बहुत से दुर्दान्त किस्म के आदमी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में जोरों से भाग ले रहे हैं और भोले भाले लोगों पर वह अपना आतंक फैला रहे हैं और बहुत सी जगहों पर प्रधानों को ले जाकर 5-5 सौ मील पर रखा गया है । इसमें अब जो अपने साथ सहायक रखने की व्यवस्था कर दी गई है, उसकी आड़ में भी यह अपराधी तत्व घनप रहे हैं इसमें । इसलिए आप ऐसी कोई कारगर व्यवस्था करें कि जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सकें और मतदाता अपनी स्व प्रेरणा से वोट दे सकें ।

श्री मनोहर लाल—

जो ब्लाक प्रमुखों के चुनाव 16 अक्तूबर को होने जा रहे हैं, उसमें अपराधी लोग भारी संख्या में भाग ले रहे हैं, यह माता प्रसाद की बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है । इसमें जो पुलिस है वह भी अपना रोल अदा कर रही है और वह थानों में प्रधानों को बुलाकर रख रही है । वहां पर उत्तर प्रदेश के अन्दर उन्नाव और खीरी लखीमपुर में थानों के अंदर प्रधानों को एक दिन पहले पुलिस ने बुलाकर रख लिया था और चुनाव के दिन ठीक समय पर इनकी चुनाव के स्थान पर ले गये । इसलिए आप निष्पक्ष और ईमानदार लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में भेजें, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सकें, यही मेरा कहना था ।

श्री विजय सिंह राणा— उ

यह सही है कि 15-15 हजार रुपये में एक-एक प्रधान को खरीदा जा रहा है । ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग इसमें आ रहे हैं मेरा एक सुझाव था 15 हजार रुपये में जिस प्रधान को खरीदा गया है और उसे कैद में रख रहे हैं अगर इसकी तारीख आप दो तीन बार बढ़ाते, तो उसे प्रधान को छोड़ना पड़ता और फिर दुबारा 15 हजार उसको देना पड़ता । अगर आप इसकी डेट नहीं बढ़ाते हैं तो आप इसमें खुद मिले हुए हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सारी प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है नियमों में नामांकन करने का प्रावधान है । जो भी चुनाव हों हम निष्पक्ष चाहते हैं चाहे वह जिला परिषद् के चुनाव हों, चाहे विधान सभा के चुनाव हों चाहे संसद के चुनाव हों वह निष्पक्ष होने चाहिए । इसमें शासन की ओर से पूरी व्यवस्था की जायेगी । जिला परिषद् के, ब्लाक प्रमुखों के सारे चुनाव निष्पक्ष रूप से हों, इसमें शासन का पूरा प्रयास होगा । इसमें सभी का दायित्व है । सभी का कर्तव्य है, सभी चाहते हैं कि अच्छे लोग चुनकर आयें अच्छे लोग जिला परिषद् के हों, अच्छे ब्लाक प्रमुख हों ।

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा व्यवस्था करायेंगे कि जो बैड एलीमेन्ट है वह चुनकर न आ पाए क्योंकि पैसे और पुलिस के बल पर यह लोग चुनकर आ जाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे का भी एजेन्डा लेना है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर जब किसी प्रकार के चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर निकाले जाते हैं । लेकिन जो अनुमेलन इन्होंने कराया उसमें बैलेट पेपर नहीं दिए गये उसमें लिखने की व्यवस्था की गई, जो लोग कम पढ़े लिखे थे या जो लिखना नहीं जानते थे उनकी सहायता के लिए लिखने वालों को दिया गया जिसकी वजह से वह अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सके ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि जैसी सबकी भावनाएं हैं अगर सब लोग अपने ईमान में आ जाएं । राजनीतिक लोग गुण्डों को प्रमुख बनाने के लिए न खड़ा करें, तो निश्चित रूप से गुण्डे नहीं आ सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वोटर को डराया धमकाया न जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

बरार साहब क्या आप वापस ले रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो अनपढ़ लोग हैं जो लिख नहीं सकते क्या उनके नामों के साथ सिंबल भी एडाप्ट करेंगे ताकि अनपढ़ मतदाता को किसी की सहायता न लेना पड़े क्या ऐसा प्राविधान करेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, बरार जी हमारे विद्वान सदस्य हैं । यह जो ब्लाक प्रमुखों के चुनाव होते हैं यह चुनाव प्रीफरेंशियल वोट के जरिये होते हैं इसलिये इसमें सिंबल का सवाल नहीं है, सिंबल नहीं हो सकता । जहां तक माता प्रसाद जी ने कहा कि वोटर को अक्सर डराया धमकाया जाता है तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों का स्वागत करूंगा कि वह मेरे कक्ष में आ जायं और इसे दूर करने के लिए क्या वयवस्था बन सकती है, उस संबंध में जो आपके बहुमूल्य सुझाव आयेंगे मैं उनका आदर करूंगा और उस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाऊंगा । मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि प्रधानों को ही प्रमुखों के चुनाव में खड़ा किया जाय इससे कठिनाइयां कम हो जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह 17 अगस्त, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1988

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 व खंड 3, खंड—1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अनुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अनुमोदन करता है ।

मान्यवर, आज जो 5 विधेयक आये हैं 5 में से 4 एसे थे जिसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने का प्राविधान था उसकी इस शासन ने हत्या करने की स्कीम बनायी है और श्रीमन् सबसे बड़ी बात आप इस विधेयक के बारे में यह देखें कि बहुत से पिछले विधेयकों के बारे में तो इन्होंने जनता सरकार को दोष दे दिया कि 1977 में आप और इन्होंने यह कर दिया । मान्यवर ढाई साल का रोना 8 साल तक रोते रहे । इस विधेयक को आप देखें, यह जिस मूल अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में संशोधन करने के लिए लाया गया है, वह वर्ष 1964 में पारित हुआ था और उसमें मण्डी समितियों को लोकतांत्रिक ढंग से गठित करने की व्यवस्था की गयी थी । 1964 में किसकी सरकार थी ? 1977 तक किसकी किसकी रही तथा 1977 के बाद किसकी रही ? तो किसकी जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे ? 1964 में श्रीमन् अगर कोई पैदा भी होता, तो 24 वर्ष में वह भी मतदाता बन गये होते, परन्तु खेद है कि 24 वर्ष में भी जिन लोगों का मण्डी समिति के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाने का अधिकार था, उन्हें वह नहीं दिया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह इस बात को न देखें कि किसने भंग किया था । जिन्होंने गलती की है, तो उससे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि एक दफा किसी ने गलती की है, तो 10 दफा हम गलती करें । माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं । आज से पहले कृषि मंत्री बनने से पहले वह इसके विषय में बहुत चिन्तित थे । उनका कहना था कि नगरपालिकाओं में लोकतांत्रिक ढांचे के स्थान पर प्रशासक नियुक्त होने के कारण नगरपालिकायें नर्क पालिकायें बनी हुई हैं । मण्डी समितियों में 1964 से जो किसानों का रुपया इकट्ठा हुआ है, उसको आज तक प्रशासक ही लूटते रहे हैं । वहां पर आपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बैठाया । ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, वही प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं । अब अगर हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी प्रयास करके ब्लाक प्रमुखों और जिला परिषदों का चुनाव करा सकते हैं, तो आप में क्या कमी है कि आप मंडी समितियों का लोकतांत्रिक ढंग से गठन नहीं करवा

सकते ? क्या आप उनसे कम योग्य हैं ? मान्यवर, मण्डी समितियों के माध्यम से करोड़ों रुपये की चोरी हो रही है । पंजाब और हरियाणा में जाकर देखें, वहां पर हर न्याय पंचायत स्तर पर पक्की मण्डी स्थल बना हुआ है, जहां किसान अपना माल लाता है और गेहूं और धान की खरीद के लिये सरकारी खरीद एजेन्सियां खुद उसका माल खरीदने आती हैं, किसान को दर-दर भटकना नहीं पड़ता । मान्यवर, महत्वपूर्ण चर्चाओं की वजह से मैं सारी बातों को उजागर नहीं करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि इसके बाद माननीय कृषि मंत्री जो जो 1987 में इधर इस बेंच पर बैठ कर स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित करने की वकालत करते थे, वह आज घोषणा करें कि 31 मार्च, 1989 तक मंडी समितियों के चुनाव अवश्य करा देंगे, नहीं तो क्या यह समझा जाय कि जैसे नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी को 18 वर्ष बाद पता चला कि धरती ऊबड़-खाबड़ और चपटी नहीं, बल्कि गोल है, क्या उन्हें भी मंत्री बनने के तत्काल बाद धरती अब गोल दिखाई देने लगी है तथा जिन सिद्धान्तों की वह वकालत एक वर्ष पूर्व करते थे, उन सिद्धान्तों को वह आज मान्यता नहीं देते हैं, नहीं तो हम यही समझेंगे कि धरती गोल उन्हें इसीलिये दिखाई दे रही है कि उनकी मण्डी समितियों में जो 24 वर्षों से गोलमाल हो रहा है, वह उन्हें भी प्रिय हो गया है ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह बोलेंगे ?

श्री शिव बालक पासी—

माननीय राणा जी, मैं समझता हूं कि आपके लिये काफी हूं । (हंसी)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय पासी साहब को अपनी काबिलियत पर गर्व है ।

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत विधेयक अपने आप में बहुत स्पष्ट और जनकल्याणकारी विधेयक है । मान्यवर, मण्डी समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था को पूर्ववत् बनाये रखने के लिये इस विधेयक के जरिये माननीय सदन से केवल एक साल का समय बढ़ाने का निवेदन किया गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम 1972 की धारा 2 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि मंडी समितियों के कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन और उसके अधिकार का उपयोग जिला-धिकारियों के जरिये होगा । मान्यवर, इस व्यवस्था को बढ़ाते हुये 23 मई, 1983 को इसका द्वितीय संशोधन किया गया और उसमें यह उपबन्धित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तदर्थ समिति या निर्वाचन द्वारा निर्वाचित समिति इनमें से जो भी पहले हो उसको एक वर्ष का कार्यकाल दिया गया उसके द्वारा मंडी समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था होगी और अगर यह होनों न हो सके तो पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी । मान्यवर, इस बात में मुझे भी अफसोस है कि यह व्यवस्था बार-बार बढ़ानी पड़ी और अन्त में 22 मई, 1988 तक के लिये इस माननीय सदन की ओर से समय दिया गया था ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

मान्यवर, चूंकि माननीय वर्मा जी मैं चाहता था, हमारे बुजुर्ग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जा नहीं रहे हैं ।

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, चूंकि 22 मई, 1988 को यह समय भी समाप्त हो गयी और चूंकि मण्डी समितियों का संचालित रहना आवश्यक समझा गया है । मान्यवर, इस विधेयक के जरिये माननीय सदन से यह निवेदन किया गया है और एक साल के लिये उसकी पूर्व व्यवस्था कायम रखने के लिये समय स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, संक्षेप में कह दीजिये । चूंकि विधेयक छोटा है, संशोधन छोटा है इसलिये संक्षेप में निवेदन कर दीजिये ।

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, छोटा कर देता हूं । मैंने भाई बरार जी को सुना उन्होंने लोकतंत्र के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है । मान्यवर, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं लेकिन मान्यवर, इसमें एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि बरार जी जब हम लोगों के साथ पूर्व चश्मा देकर बोलते थे तो इधर की उपलब्धियां नजर आती थीं लेकिन आज चश्मा बदल गया है तो इनको कमियां नजर आने लगी हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, इन्होंने 8 बार वायदा किया कि चुनाव करा देंगे । 8 दफे वायदा खिलाफी करने के बाद इनको नंगा न करूं तो क्या करूं ?

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, चूंकि छोटा करने के लिये आदेश दिया गया है, अतः मैं उसकी ओर आ रहा हूं । मान्यवर, इसमें आपने जो कहा कि ढाई साल के लिये जनता रिजीम में उसकी व्यवस्था नहीं हो पायी, उसको दोष देते हैं । इस पर मैं बता दूं, अभी तो यह भी नहीं कहा है कि तदर्थ समितियां क्यों नहीं बनाई । मान्यवर, जितनी चिन्ता बरार जी को है लोकतंत्र के प्रति, हम भी कम नहीं सोचते हैं । हमको भी काफी चिन्ता है । मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे सामने क्या अड़चनें हैं । बरार जी को नहीं मालूम । हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि मण्डी समिति का निर्वाचक मण्डल पूरा नहीं है । इसके पूरा होने पर चुनाव करा दिया जायेगा । मुझे लोकतन्त्र की काफी चिन्ता है । सरकार को काफी चिन्ता है । इसलिये मैं सा0 सदन से निवेदन करता हूं कि कृपापूर्वक इस पर विचार करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपकी कृपा से मैं अपने दोनों कृषि मंत्रियों को नये मुहकमे की बधाई पहले से देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मुहकमें में लोकतंत्र की भावना के अनुरूप संचालन करने की कृपा करेंगे । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन

मण्डी समितियों का निर्माण किसानों को उचित कीमत दिलाने और व्यापारियों और किसानों के बीच में जो शोषण होता था उसको रोकने के लिये किया गया था । जब कृषि उत्पादन मण्डी समितियों का निर्माण हो गया तो उसमें यह व्यवस्था की गयी, विधान सभा की मंशा यह थी कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि बैठें और उनकी सुख सुविधा के बारे में विचार करके इन मण्डी समितियों का संचालन होना चाहिये । उनका संचालन किसान के हाथ में होना चाहिये । लेकिन यह व्यवस्था 1979 से अब तक नहीं की जा सकी और मण्डी समितियां पूरी तरह से प्रशासकों के हाथ में चली गयीं और भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयीं । मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 1979 से 1988 के बीच में, 1980 से 1988 के बीच में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की ओर से कितने सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ । मेरी जानकारी के अनुसार 40-50 करोड़ रुपया समितियों का पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट में पड़ा रहा है । किसानों का पैसा संपर्क मार्गों के निर्माण में नहीं लगा, पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट में पड़ा रहा और प्रशासकों की सुख सुविधा पर खर्च होता रहा । ये प्रशासक सफेद हाथी बन गये । यदि आज यही लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था आप बताते हैं तो आपकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है । आप मण्डी समिति का निर्वाचक मण्डल तय कीजिये । उसकी प्रक्रिया और स्वरूप निर्धारित करने में आपको लम्बे समय की आवश्यकता नहीं है । इसमें आप जल्दी कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

कितना बड़ा अहित है कि मण्डी समिति के रुपयों से सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं कर रहे हैं । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में पिछले साल 2.80 लाख रुपया मण्डी समिति को तिरपाल और पैट्रोमैक्स आदि खरीदने के लिये दिया गया वह सारा पैसा हाथरस की एक फर्म को दे दिया गया और उस फर्म ने 30 परसेंट कमीशन दिया है । मैंने प्रशासक के बारे में अल्पसूचित प्रश्न किया, अभी तक जवाब नहीं आया । इसी प्रकार से आगरा मण्डी समिति में तिरपाल की खरीद की गयी । वहां पेट्रोमैक्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है । श्रीमन्, इसमें जांच की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसमें निर्वाचक मण्डल का चुनाव करावें और मण्डी समिति का पैसा सम्पर्क मार्गों पर खर्च करना सुनिश्चित करें ।

श्री मैनेजर सिंह—

राज्य मंत्री जी ने बड़ी तैयारी के साथ अपना भाषण शुरू किया था, लेकिन उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया । 24 साल पहले इस सदन में जब मण्डी समिति का विधेयक प्रस्तुत था, उस समय मैं इस सदन में मौजूद था । जो उस समय उस पर विवाद हुआ था, माननीय मंत्री जी उस कार्यवाही को निकलवा कर देखिये उनका मनन कीजिये कि जिस उद्देश्य के लिये मण्डी समिति का निर्माण हुआ था, उसकी तरफ आप कुछ कदम बढ़ाये हैं ? माननीय कृषि मंत्री जी पर हम सबका भरोसा है, पूरे सदन को भरोसा है कि वे कुछ करेंगे । मण्डी समिति जो शोषण का एक अड्डा बन गयी है, वह शोषण का अड्डा न बनें, किसानों की सेवा का स्थल बनें, इस ओर ध्यान देंगे और, जो इसके गठन के पीछे उद्देश्य था, उसको अवश्य पूरा करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी सूक्ष्म में कहें, समय कम है ।

*(कृषि मंत्री डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)—

मान्यवर, माननीय बरार जी ने दो बातें खासतौर से रखीं । पहले तो भ्रूण हत्या का उन्होंने बार-बार जिक्र किया, लगता है बरार साहब भ्रूण हत्या के विशेषज्ञ हो गये हैं । हर जगह इनको भ्रूण हत्या नजर आती है । इनका चश्मा बदल गया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

बिना डाक्टर के सहयोग के भ्रूण हत्या होती नहीं । (हंसी)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

यह विषय डाक्टर का था और बरार साहब ने ले लिया । यही बरार साहब आज से चन्द महीने पहले बड़े जोश-खरोश के साथ, 1977 से 1980 के बीच में जो भ्रूण हत्या की गयी थी लोकतंत्र की, उसकी बार-बार दुहाई देते थे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें, मैंने लोकतंत्र की हत्या के लिये कभी किसी पर ब्लेम नहीं लगाया ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

विधान सभा की कार्यवाहियां साक्षी हैं पिछली कार्यवाहियां, आपके भाषण देख लिये जायं, उसमें कितनी बार आपने यही आरोप हमारे सामने बैठे साथियों पर लगाये थे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, कभी नहीं, कभी कोई आरोप नहीं लगाये । मैंने तात्कालिक सरकार को बात कही ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री जी अब समाप्त करें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, सूक्ष्म में बोलकर समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने भी कुछ बातें कहीं, अगर फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार की बात हम कहें, तो बड़े नाराज से हो जाते हैं । फिरोजाबाद में कोयले का काम, चूड़ी का काम, तमाम काम होते हैं । माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो ध्यान आकृष्ट किया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं । जो कमियां हैं और जो काम अभी होने बाकी हैं, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि शासन ने यह फैसला ले लिया है कि हम इस आगामी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मण्डी स्थलों का निर्माण करायें, मण्डी/उप मण्डी बनायें और भंडारण की क्षमता हम किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा बना सकें । जहां तक सडकों की बात कही गयी, समय कम है, नहीं तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आप केवल 1980—88 के बीच में जितनी सड़कें बनीं, उनको बता दें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय वर्मा जी, इसीलिये ही मैंने कहा कि समय कम है नहीं तो पिछले वर्षों में हुये कार्यों की चर्चा विस्तार से करता । यह बताना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण करायेंगे, सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेंगे । उन सम्पर्क मार्गों पर जहां पहले कच्चा काम हो चुका है, जहां मिट्टी का काम विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से हो चुका है, वहां पक्का काम करायेंगे । मण्डी समितियों के स्थल पर आटोमेटिक वेट मशीन लगायेंगे ताकि किसानों को आसानी हो सके और उसमें पर्ची कटकर बाहर आ जाय कि इतना बोझ है । इसी तरह से मार्केट इंटेलिजेंस की बात है ताकि विभिन्न जगहों के रेट्स किसानों को मालूम हो सके । ताकि किसानों का उत्पीड़न न हो सके । श्रीमन् इतना ही नहीं, जैसा कि इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो भी राजस्व प्राप्ति होगी, उसको किसानों की भलाई के लिये खर्च करने के लिये सरकार कृतसंकल्प है और खर्च करेगी । जैसा कि माननीय वर्मा जी ने बताया, जो पैसा पिछले दिनों खर्च नहीं हो पाया और जो काम पूरे नहीं हो पाये, उन कामों को भी हम इस साल पूरा करायेंगे और मैं माननीय बरार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव की । हमारा जो निर्वाचक मण्डल इसमें होता है, उसमें लोकल बाडीज के होते हैं, सहकारी समितियों के होते हैं, वह प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है, उसके साथ यह प्रक्रिया भी आपके आशीर्वाद से अब शुरू होगी । यह बहुत छोटा सा बिल है और हमारी नियत बिलकुल साफ है । आप कृपया अपना संशोधन वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पारित करायें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने कहा, सहकारी समितियों के सदस्य होंगे, एम0 एल0 ए0। एम0 एल0 सी0 होंगे । यह जो आपकी प्रक्रिया है, उसके मुताबिक इसे नवम्बर तक पूरा हो जाना चाहिये । तो फिर आज क्यों नहीं मंत्री जी घोषणा करते हैं कि इन चुनावों को 31 दिसम्बर तक करा देंगे । अगर यह ऐसा करना चाहें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1988 का निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या—31

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगौती सिंह सदस्य विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है कि आज दिनांक 7-10 1988 को श्री भगौती सिंह, सदस्य, विधान सभा को धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत विधान सभा मार्ग, लखनऊ के गेट नम्बर 1 के पास अपराह्न 1 बजे गिरफ्तार किया गया था और आज ही लगभग 3.30 बजे अपराह्न में धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त व शान्ति भंग की सम्भावना न होने के कारण मुक्त कर दिया गया है ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन द्वारा नियम 32 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है कि चर्चाओं के लिये जो एक-एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया है, उसे थोड़ा-थोड़ा कम करके सभी चर्चाओं को ले लिया जाये जिससे सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल जाये ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, सौभाग्य से माननीय कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । हम लोग भी चाहते थे कि यह विभाग एक ऐसे योग्य व जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में चला जाय, जिसके रहते विभिन्न संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उससे निपटने के लिये वह पूरा प्रयास करें । मैंने अपने क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय जो स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी जैसे समाजवादी व देशभक्त व्यक्ति के नाम से स्थापित है, में व्याप्त कुछ आर्थिक व प्रशासनिक अनियमितताओं से सम्बन्धित विन्दुओं की चर्चा इस सदन में करना चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी मे मेरा निवेदन है कि इस चर्चा के बाद बहुत सी चर्चायें लगी हुई हैं, सभी माननीय सदस्य कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी मुख्य-मुख्य बातें ही कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जिन मुख्य-मुख्य बिन्दुओं को उठा रहा हूं और कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि वह उन बिन्दुओं पर चाहे 3 सदस्यीय कमेटी जांच हेतु बैठा लें या कोई कमीशन बैठा लें, क्योंकि इस औद्योगिक शिक्षण संस्था में उत्पन्न हजारों पौधे जो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में जायेंगे, बरबाद न हों । यहां पर एक स्वच्छ प्रशासन व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे ।

पहला, बिन्दु यह है कि 1984-85 में 25/26 मार्च को 3,47,500 रुपये के मेसर्स ए0 एस0 एम0 आई0 आटोविजुएल कारपोरेशन, कमरा नम्बर-9 तीसरी मंजिल, नारदेव लेन, बाम्बे से एक रंगीन टी0 वी0, वी0 सी0 आर0 व आटोविजुएल कैमरा खरीदा गया । कम्पनी से जो कोटेशन मंगा गया था, वह 35 हजार रुपये का था, लेकिन 3 दिन के

अन्दर ही टेलेक्स व टेलीफोन पर बम्बई से सामान मंगवाया गया और 3 लाख रुपये का इसमें घोटाला किया गया । आपके वित्त नियंत्रक श्री के0 सी0 मिश्रा ने भी इसे वित्तीय अनियमितता बताया है और रिपोर्ट में अंकित किया है । इसे आप अवश्य दिखायें । जो लोग दोषी पाये जायें, उन्हें अवश्य दण्डित किया जाय ।

दूसरा, इस वी0 सी0 आर0 के इस्टेब्लिसमेन्ट पर 32,500 रुपये का अनावश्यक खर्च किया गया । अग्रिम के रूप में धन दे दिया गया । कमेटी की कोई अनुमति नहीं ली गयी । वी0 सी0 महोदय की विशेष रिकमेन्डेशन से इसे अग्रिम भुगतान कर दिया गया, जबकि वित्त नियंत्रक देना नहीं चाहते थे ।

तीसरा, 1,13,750 रुपये के मेसर्स कास्मेटिक इण्टरप्राइजेज, बनारस से बकरियों के बच्चे खरीदे गये । जो मुश्किल से 6 महीने व 9 महीने के होंगे, जिनका वजन 10-15 किलो होगा और ये कई परिक्षेत्रों में भेजे गये । कहा जाता है कि बनारस से ही ये सीधे अन्य परिक्षेत्रों में भेजे गये । दिखाया यह गया है कि उनको कुआरगंज, फैजाबाद लाया गया, अनावश्यक रूप से 10 हजार रुपये बैरीकैटिंग व 2 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से एडवान्स के रूप में खर्च किया गया । यह भी एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । . . .

(इस समय 6 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुये)

श्री मित्रसेन—

इसी तरीके से दूसरी वित्तीय अनियमितता जो की गयी, वह 2,50,000 रु0 मेसर्स के0 एस0 आर0 इण्टरप्राइजेज, फतेहगंज, फैजाबाद से जी0 आई0 सी0 के पास 4 ट्रांसफार्मर की खरीद की गयी, एक 100 के0 वी0 ए0 का था, दो 250 के0 वी0 ए0 के थे । जो फर्म थी वह ट्रांसफार्मर बेचने के लिये अधिकृत नहीं है, दूसरी बात चार के स्थान पर तीन खरीदे गये । इसमें कम से कम एक लाख रु0 का घोटाला किया गया । यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है ।

प्रसार निदेशक जो आर0 पी0 सिंह हैं, कुलपति के मौसेरे सगे भाई हैं, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है । 1982 से 88 तक इन्होंने 36 लाख रु0 का एडवान्स लिया है, जिसमें से अभी तक 18 लाख रु0 का एकाउण्ट फार नहीं हुआ है । बड़ी-बड़ी रकमें ली गयी हैं । सार्वजनिक धन का जैसा दुरुपयोग इस संस्था में हुआ है, कहीं नहीं हुआ है ।

आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे वहां की प्रबन्ध परिषद् में रहने का मौका मिला । क्षेत्र में रहने के नाते इसकी कार्यविधियों को समझने का मौका मिला । जो वहां के रिसर्चस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसको समझने का मौका मिला । मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें काफी पैसे का गबन हुआ है ।

प्रसार निदेशक को इतने बड़े अधिकार दिये गये हैं कि जितनी गाड़ियां हैं, उसके वह इन्चार्ज हैं, यूनिवर्सिटी में जो निर्माण हो रहा है, उसके भी निदेशक हैं । विश्व-विद्यालय में अधिशासी अभियन्ता हैं दीक्षित, उनको उपेक्षित कर दिया गया है इसलिये कि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में कमीशन लेने का माध्यम आर0 पी0 सिंह हैं, लाखों करोड़ों रुपये का कमीशन लिया जा रहा है । वहीं सुरक्षा अधिकारी हैं, निर्माण के इन्चार्ज हैं, वही उप कुलपति भी हैं । मैं चाहूंगा कि जो अनियमिततायें हैं, ये गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हैं, इनकी अवश्य जांच करायें ।

कुछ लोगों को छूट दी गयी है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी होते हुये भी वे अपना रोजगार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, विश्वविद्यालय में एक महीने में एक दिन आते हैं और अपना वेतन लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। एक हैं एस0 पी0 सिंह भूटानी, सहायक कीट विशेषज्ञ, यह अपना ईंट का भट्ठा चलाते हैं। एक हैं एल0 बी0 सिंह यह गाड़ियां चलवाते हैं, इनकी गाड़ियां अपराधिक कामों में लगी हुई हैं। कई जगह पकड़ी भी गयी हैं। हमारे ऊपर 30 अगस्त, 1987 में जो हमला हुआ था तो इन्हीं की गाड़ियों में बैठकर लोग आये थे। एक हैं कृष्ण मुरारी सिंह इसके अलावा और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे कर्मचारी हैं। एक ड्राइवर है, ये सब लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं और बेजा तरीके से उनको छूट दी गयी है। अब मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनियमितताएं की गयी हैं। अभी मैंने 5-7 वित्तीय अनियमितताएं आपको बतलायी हैं, मैं कोई छोटी बात नहीं करना चाहता हूं किन्तु नियुक्तियों में जो अनियमितताएं की गयी हैं उस इंस्टीट्यूट में, जबकि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के प्रस्तर 13 में यह व्यवस्था की गयी है कि टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिये 5 सदस्यों की चयन समिति होगी जिसमें एक कुलपति होगा जो कि अध्यक्ष होगा, डीन होंगे और जिस विषय के लिये चयन किया जा रहा होगा उस विषय के विभागाध्यक्ष होंगे इस तरह से पांच सदस्यों के जरिये से यू0 जी0 सी0 को समिति के जरिये से चयन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, लेकिन वहां पर इसका पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है। 61 पदों का चयन उन्होंने डीन और कुलपति दोनों पदों पर अपने को रखते हुये किया है। वे वहां स्वयं ही इन दोनों पदों पर बैठे हुये हैं और दो आदमियों को और ले लिया और अपने आप ही निर्णय ले लिया अपने विवेक से, इस तरह से चयन किया गया है।

उसके बाद फिर 40 पदों का और चयन किया गया जिसमें डाईरेक्टर एक्सटेंशन पर जो थे, प्रसार निदेशक उनके जरिये से चयन कराया गया, जो कि अधिकारी हैं और उनको इसका अधिकार भी नहीं है, लेकिन जानबूझ कर प्रसार निदेशक को जो कि उनके सगे मौसेरे भाई भी हैं, उनके द्वारा पदों को भरा गया है। कुछ लोगों के नाम मैं आपको बतला रहा हूं कि जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं वे हैं :—डाक्टर जय प्रकाश सिंह, डाक्टर भूपेन्द्र नाथ सिंह, डाक्टर ओ0 पी0 सिंह, डाक्टर शारदा सिंह, डाक्टर राम अवतार सिंह, डाक्टर रंजन सिंह, डा0 बी0 बी0 सिंह आदि। इन तमाम लोगों को जिनका अनुमोदन प्रबन्ध परिषद् की 53, 54, 55 तथा 56 की बैठकों में नहीं लिया गया है। इन बैठकों में मैं भी मौजूद था और इसमें मैंने टिप्पणी भी की थी।

हमारे जो शोध निदेशक हैं आर0 के0 सिंह यह भी इनके रिश्तेदार हैं कीर्ति सिंह, आर0 के0 सिंह और राम गुलाम सिंह इन तीनों का गुट है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी, अब आप संक्षेप करिये।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, यही नहीं 138 ऐसे पदों पर जो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, जिनका वेतनमान 1700—3400 तथा 1900—4000 आदि हैं, पर एक विशेष जाति के लोगों को ही रखा गया है। इसी प्रकार से 1200 अन्य पदों पर 400 लोगों की नियुक्तियां विशिष्ट जाति के लोगों की ही की गयी है, यह क्या है मान्यवर जातीय-द्वन्द्वता की भावनाओं को खुले आम बढ़ावा दिया जा रहा है यह भ्रष्टाचार नहीं है फिर क्या है, यदि इस पर समय रहते रोक न की

गयी और यदि अंकुश न लगाया गया तो यह बात हर जगह फैल रही है, इस पर शासन ही अंकुश लगा सकता है, और यही भावना वहां पर आने वाले शिक्षणार्थियों में भी उजागर होगी, वह वहां से क्या भावनाओं को लेकर जायेंगे, और वे विद्यार्थी क्या राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, और किस प्रकार यह कृषि तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे चलकर वह क्या काम करेंगे, यदि इन सारी बुराइयों पर समय रहते रोक न लगाई गई तो स्थिति भयंकर हो सकती है ।

साथ ही एक सूचना और आपको दूंगा कि 54 तदर्थ नियुक्तियां नीचे के पद पर जिस नाटकीय ढंग से की गयी है, वह भी देखने योग्य है और यह नियुक्तियां आज भी धड़ाधड़ हो रही है । आप वहां गये, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझसे मिले भी थे, वहां पहुंचकर जो जानकारी आपको दी गयी, वह सब की सब अधूरी है, बड़ी होशियारी से आंखों पर पर्दा डाला गया है क्योंकि जो भी मदारी होता है, वह बहुत ही होशियार भी होता है, तो इतने मजमे में बड़े-बड़े तमाशे दिखाता है, जो बिल्कुल सत्य से परे होते हैं, इसी प्रकार से यह मदारी भी कम नहीं है, जो पेड़ आपको दिखाये गये, वह जड़ से अन्दर पेवस्त नहीं है केवल कुछ गहरा गड्ढा खोदकर, गोबर, खाद व पिपराईट डालकर वृक्ष ऐसे ही गाड़े गये हैं, इन मसनूई पेड़ों पर श्रीमन् 10-10 हजार रु0 खर्च हुये हैं, इन सारी बातों की यदि जांच करा ली जाये तो स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जायेगी । साथ ही जो लेबर वहां पर काम कर रही है मस्टर रोल पर, दिखाये जाते हैं जहां पर 100 आदमी और वास्तविक रूप से काम कर रहे होते हैं मात्र 50 आदमी, तो इस तरह से मजदूरों के नाम पर गरीबों के नाम पर हजारों रुपये रोजाना मार खा रहे हैं, इसी प्रकार से आर0 ई0 एस0 के कार्यों में भी खूब गड़बड़ी की गयी है, जिन लोगों ने इसमें काम किया, उनको कोई पैसा नहीं बांटा गया, इन मामलों की जब जांच हुई तो बात स्पष्ट हुई, जिनके मैं नाम व पते भी यदि आप अलग पूछें तो बता सकता हूं और उनके फोटो भी दिखा सकता हूं । तो इस प्रकार के वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चन्म ले रहे हैं और कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है । यदि आप चाहते हैं यह पवित्र संस्था जिस पवित्र आदमी के नाम से (आचार्य नरेन्द्र देव) भूतपूर्व स्व0 प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों वर्ष 1974 में स्थापित हुई है, सही रूप से चले और इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे राष्ट्र स्तर पर अपना और देश का नाम बढ़ावें तो इसमें उत्पन्न हुई खराबियों की जांच कराकर दूर करना होगा और इसके दूर करने के लिये आपको अवश्य सोचना पड़ेगा, यह जांच जितनी जल्दी आप करायें चाहे किसी रिटायर्ड जज के द्वारा या शासन के किसी भी विशेष या संयुक्त सचिव द्वारा तो अवश्य ही कुछ ही समय में सारे तथ्य स्पष्ट रूप में सामने आ जायेंगे बस, इतना ही निवेदन है मेरा आपसे ।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी कृपा से मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं वास्तव में इस विश्वविद्यालय की स्थापना आचार्य नरेन्द्र देव की पुण्य स्मृति में की गयी थी, लेकिन जिस मंशा से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी वह नष्ट हो रही है । यहां का जो वाइस चान्सलर है, किसी अन्य जाति के छात्र का एडमिशन नहीं लेता है, उनको मार कर भगा दिया जाता है, चाहे वह हरिजन हों, अल्पसंख्यक हों, ब्राह्मण हों या मुसलमान हों । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह विश्वविद्यालय एक ही जाति का विश्वविद्यालय है ? क्या यह विश्वविद्यालय हमारा है या आपका है ? मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसे भ्रष्ट और बेइमान वाइस चान्सलर को किसकी संस्तुति पर वाइस चान्सलर बनाया गया है । इसको हटाने की बराबर मांग की जाती रही है, लेकिन फिर भी उसको वाइस चान्सलर बनाये हुये हैं । यह अपने को इंग्लैण्ड का बी0 एस-सी0 ए0 जी0 बताते हैं, यह डिग्री इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फर्जी है और वह वाइस चान्सलर बने बैठे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी ही जाति के 277 आदमियों को रख लिया है, उनकी नियुक्तियां कर ली हैं । 21-22 लोग इनके परिवार के ही हैं और विश्वविद्यालय के धन और दौलत को नष्ट कर दिया है । सारे कागजात मेरे पास हैं । मैं इनको प्रधान मंत्री तक पहुंचाना अपना सौभाग्य समझूंगा । ऐसी व्यवस्था न हो कि सामंतवाद की परम्परा चल जाये और प्रजातंत्र समाप्त हो जाये ।

तिलहन, बकरी खरीदते हैं, उसमें कीर्ति सिंह ने लूट मचा रखी है । मैं चाहूंगा कि इस भ्रष्ट और बेईमान वाइस चान्सलर को अब दुबारा मौका राज्यपाल न दें, इसको फिर वाइस चान्सलर न बनाया जाये । मैं आपसे मौन करता हूं कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण सचिव, कृषि सचिव और न्याय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाये, जो विश्वविद्यालय के इन घटनाओं की जांच करे । मेरे पास सारे कागजात हैं, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं, कृपया इन्हें देखें और इस पर समुचित कार्यवाही करें । अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1320 आदमियों में 18 आदमी चतुर्थ श्रेणी के हरिजन हैं, जो बकरी चराने के लिये रखे गये हैं । यह विश्वविद्यालय क्या दूसरी जाति के लिये नहीं है ? मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है और मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, आप इस भ्रष्ट और बेईमान वाइस चान्सलर को तुरन्त हटायें, तभी मैं अपना सौभाग्य समझूंगा । इसको अब दुबारा वाइस चान्सलर न बनाया जाये, तुरन्त हटाया जाये । आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी, आप इन मंत्री जी को दे दें ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस चर्चा को प्रारम्भ करते हुये माननीय मित्रसेन जी ने कई आर्थिक अनियमितताओं की चर्चा की । उन्होंने वहां पर की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में कई बातें कहीं । उनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन शिकायतों की जांच करावें और यदि गड़बड़ी है तो उचित कार्यवाही करें । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं । हमारे साथी माननीय मित्रसेन जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी वहां से देखकर आये हैं कि पौधे जो हैं वे जाल में फंस गये हैं नाटो के । वहां जो रेह की जमीन है उसमें एक मीटर गड्ढा खोदकर खाद देकर उसमें पौधे लगा दिये गये हैं । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछले दो साल से एक एग्रीकल्चर कालेज खोलने का प्रयास अपने जिले के लिये कर रहा हूं और मुझे इसी सिलसिले में दो बार फैजाबाद आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला । मैंने वहां के कार्यकलाप को भी देखा और उसके निर्माण कार्य को भी देखा । जिस लूट लीला की चर्चा मित्रसेन जी ने की उसमें भी घन्टों घूमकर देखा । एक बार मेरे साथ हमारे रघुवर दयाल वर्मा जी भी वहां गये थे । हमने देखा कि वहां पर कमाल का काम हुआ है और हो रहा है ।

आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय के अन्दर इस तरह का काम हो रहा है जिसके लिये उसकी प्रशंसा होनी चाहिये थी । ऊसर भूमि में रेह की भूमि में और वह भी एक अजीब किस्म की क्रौप छोटे नाटे आंवले, बेर, बेल के वृक्षों की पौध लगाई गई है, अंगूर की पौध

वहां पर विकसित की जा रही है, पपीते की नई वैराइटी निकाली गयी है । यह सही है कि जहां आर्थिक अनियमिततायें हुई हों जहां कोई गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको देखना चाहिये लेकिन जो अच्छे कार्य वहां हुये हैं उसके लिये उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री हरदेव—

[x x x] ।

श्री अधिष्ठाता—

जो हरदेव जी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं जायेगा ।

श्री हरदेव—

[x x x] । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बैठ जायं कुछ नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

उनको राणा बाबू के जिले में जाना चाहिये । श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिये । मैं चाहूंगा कि माननीय हरदेव जो विश्व-विद्यालय में जायं और वहां देखें । लेकिन मुझे अफसोस है कि यह विश्वविद्यालय माननीय मित्रसेन जी के इलाके में है । यह उनका कार्यक्षेत्र है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है । उन्हें इसको देखना चाहिये । वे इस विश्वविद्यालय के संचालक मण्डल के सदस्य भी हैं । लड़ाई लड़ते रहते । आपको उस क्षेत्र में देखना चाहिये था कि वहां पर क्या काम हो रहा है । आपको सन् 84 के बाद उसमें बुराइयां नजर आईं । सन् 80-81 के पहले कोई बुराई नजर नहीं आयी । जितने सवाल आपने उठाये वे 80-81 के थे जबकि कीर्ति सिंह और गुलाम हुसैन वहां पर थे । उसके पहले आपने कोई सवाल इस बारे में किया था ? जातीय भावना से प्रेरित होना निन्दनीय बात है । पंतनगर के पूर्व कुलपति डाक्टर डी0 पी0 सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति प्रदेश से चले गये और हमारा प्रदेश उनके ऐसे विद्वान लोगों से वंचित हो गया । एक कर्मठ विद्वान से प्रदेश वंचित हो गया ? पंतनगर में पूर्वी, जाट और स्थानीय लोगों का झगड़ा खड़ा कर दिया गया और पंतनगर विश्वविद्यालय चौपट हो गया । (व्यवधान) इस तरह से जातिवाद फैला रहे हैं । सिंह शब्द समाजवादी है, सिंह ब्राह्मण भी लिखता है, भूमिहार भी सिंह लिखता है, यहां लखनऊ में कायस्थ भी सिंह लिखते हैं, जाटव भी सिंह लिखते हैं, हमारे नरेन्द्र सिंह हैं, पश्चिम के बहुत से भाई ऐसे हैं जो सिंह लिखते हैं । सिंह लिखने से सबको ठाकुर समझना गलत है ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, यह तथ्य को छिपा रहे हैं, वह गलत आदमी हैं हम यह बरदास्त नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी आप बैठें, आपस में बात न करें मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, जो आप बोल रहे हैं नहीं लिखा जायेगा ।

नोट—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरदेव—

[x x x] : (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह क्या हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जी आप कृपया हरदेव जी को बैठायें ।

श्री मैनेजर सिंह—

हमारे हरिजन भाई भी सिंह लिखते हैं । सारे सिंह का मतलब यह नहीं है कि ठाकुर हो गये (व्यवधान) इससे क्या आप जातिवाद की भावना उभारना चाहते हैं ।

श्री हरदेव—

[x x x] :

श्री अधिष्ठाता—

बिना इजाजत के आप नहीं बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

तुम्हारी ही बात सुनें औरों की न सुनें यह कैसे होगा । क्या किसी की यहां बपौती है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यगण आपस में बात न करें । मैनेजर सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मित्रसेन जी ने यह कहा कि डा0 कीर्ति सिंह आर0 पी0 सिंह के मौसेरे भाई हैं । यह सही नहीं है । यह जौनपुर जाकर मालूम करें, जांच कर लें कि आर0 पी0 सिंह और कीर्ति सिंह का आपस में कोई रिश्ता है । हमारे कांग्रेसी एम0 एल0 ए0 वहां के बैठे हैं उनसे पूछ लें किराकत के रहने वाले हैं । हमारे हरिजन साथी केराकत विधायक हैं उनसे पूछें और जांच करायें कि क्या दोनों रिश्तेदार हैं ? दोनों ठाकुर होने से, क्या रिश्तेदार हो गये ? इसकी जांच आप विधायकों से करायें ? डा0 कीर्ति सिंह विद्वान नहीं हैं क्या हरदेव विद्वान हैं । डा0 कीर्ति सिंह अपने विषय के विद्वान हैं इसमें क्या शक है ? कीर्ति सिंह की शिकायत करते हैं, मैं उनको जानता हूं, उनके परिवार को जानता हूं, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपसे ज्यादा जानता हूं और कह सकता हूं कि डा0 कीर्ति सिंह ईमानदार और विद्वान हैं और यदि दोषी हैं तो उन्हें दंडित करें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि समझदारी से बात करें और जो अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ करें और जो अनियमितता हुई है उसकी जांच करायें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, नियम 52 के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार एवं आर्थिक घोटाला तथा विश्वविद्या-

---

नोट—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लय ने जो काम किये हैं उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी कृषि विश्वविद्यालय की सफलता या विफलता का आंकलन उसके द्वारा अर्जित उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है । श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से इसको मानता हूं कि हार्टिकल्चर और ऊसर सुधार के मामले में इस विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है । लेकिन वहीं यह भी कहूंगा कि जिस समय इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी उस समय हमारा सपना क्या था ? सही बात यह है कि यह विश्व-विद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां का पानी, इन सब चीजों में जो भिन्नता है प्रदेश के दूसरे अंचलों से, इसलिये इसकी स्थापना की गयी थी कि यहां का यह विश्वविद्यालय कुछ नई जातियां पैदा कर सके ताकि यहां की कृषि का विकास हो सके । मैं सरकार से जानना चाहता हूं विशेषकर जब इस बारे में डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल से बात हुई और पुनः फिर यहां कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों के अन्दर धान की कौन नई प्रजाति इस कृषि विश्वविद्यालय ने दिया जिस पर हम गर्व कर सकें और कह सकें कि इस विश्वविद्यालय ने कृषि के रथ को आगे बढ़ाकर गेहूं, धान, तिलहन और गन्ने की नई जाति दिया है । यदि इन मामलों में कुछ आगे विश्वविद्यालय बढ़ा है तो बतायें जिससे निश्चित रूप से उस जानकारी के बाद उनसे हम सहमत हो सकें । लेकिन कहने में मुझे शर्म लगती है कि जब हमारे जिले में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के जगह-जगह बोर्ड लगते हैं कि पंतनगर के बीज यहां से ले जायें । यह हमारे ऊपर तमाचा है, इससे हमारा अपमान है ।

मान्यवर, इसी तरीके से पशुपालन का है । उसमें भी मुर्गी पालन को छोड़कर दूसरी फील्ड में आपने क्या किया है । इस विश्वविद्यालय की वह भी जानकारी दे दें तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा । श्रीमन्, मेरी निजी धारणा है कि दूसरे विश्वविद्यालयों के मुकाबले में हमारा कृषि विश्वविद्यालय बहुत पीछे है । इसका कारण कृषि मंत्री बता-येंगे कि कितना अनुदान दूसरे विश्वविद्यालयों को दिया 10 सालों में और कितना अनुदान इस कृषि विश्वविद्यालय को दिया । जो मिलना चाहिये वह नहीं मिला है, ऐसा क्यों ? यह दोहरा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया गया है ? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं । कृषि विश्व विद्यालय के अधिकारीगण जिम्मेदार हैं, यह सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं । यह बात भी इस चर्चा में सामने आनी चाहिये । मैं यह निवेदन माननीय कृषि मंत्री जी से करना चाहता हूं । जहां तक आर्थिक अनियमितता की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, आर्थिक अनियमितताओं के बारे में मित्रसेन जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने यदि आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं और आंकड़े दिये हैं तो निश्चित रूप से शासन को उसकी जांच करानी चाहिये । क्योंकि वह हमारे सदन के पुराने और गम्भीर सदस्य हैं । उनकी बात को शासन को गम्भीरता से लेना चाहिये और उसकी उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिये । उसमें आरोप सही पाये जाते हैं तो कोई कितना भी कुलीन क्यों न हो, बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, और अगर यह आरोप गलत है, तो वह भी तथ्य सामने आने चाहिये, जिससे कि किसी के चरित्र हनन की बात है तो वह भी बात सामने आ जाय । इस मामले में मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, इसलिये इस सम्बन्ध में मैं कोई साक्षिकार इस चर्चा के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं ।

जहां तक जो जातिवाद का आरोप लगा है, मैंने उसका रजिस्टर नहीं देखा है । केवल एक बार उस विश्वविद्यालय में गया था, जब श्री रामनरेश जी मुख्य मंत्री थे और वह उस कृषि विश्वविद्यालय के एक फंक्शन में गये थे । लेकिन एक आम शिकायत सुनने में आती है और माननीय कृषि मंत्री जी से अपनी बात के समय भी कहा था कि हम हार्टीकल्चर और ऊसर सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन वह जो एक आम चर्चा है, उस ओर भी

आपको अवश्य ध्यान देना चाहिये और उन्होंने हमारी शिकायत को स्वीकार भी किया था और कहा था कि मैं इसे देखूंगा और मेरी भी जानकारी में कुछ ऐसी बातें आई हैं। तो ज्यादा न कह कर मैं मात्र दो तीन बातों के बारे में अनुरोध करूंगा, आप देखें कि जिन उद्देश्यों के लिये यह विश्वविद्यालय बना था—धान, गेहूं, दलहन व तिलहन के बारे में उसने क्या किया है। गन्ना, जो पूरे ईस्टर्न यू0 पी0 की कैश क्राप है उसके बारे में उसने क्या दिया और नहीं दिया तो इस असफलता के लिये जिम्मेदार कौन है ?

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया।

*(कृषि मंत्री) डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, इस चर्चा में जिन सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय तिवारी जी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि कृषि विश्वविद्यालय की सफलता या विफलता उसकी उपलब्धि पर निर्भर करती है और श्रीमन्, मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय हैं—कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे चल रहे हैं, उन सबमें सबसे कम उम्र का पूर्वांचल का नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय आता है। मुझे पिछले दिनों इत्तिफाक हुआ वहां जाने का और जितने समय तक मैं उस विश्वविद्यालय कैम्पस में रहा और उनके द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उनको भी मुझे नजदीक से देखने का अवसर मिला। मान्यवर, प्रशिक्षण और प्रसार के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य इस विश्वविद्यालय ने किया है, इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है, श्रीमन्, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि अपने आप में बेमिसाल भी है। अगर आप लखनऊ से कुमारगंज जायं और रास्ते में उस प्रशिक्षण और प्रसार के कार्यक्रम को देखें—धान की फसल लहलहा रही है इस समय किसानों के खेतों में। इन किसानों के खेतों में हमारे वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनको जो ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया और उनके बगल में जो बिना प्रशिक्षण के किसानों के खेत हैं, उनमें साफ भेद नजर आता है। वहां के किसानों से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि जबसे यह कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारी तिगुनी पैदावार हो गयी है। यह सारी जमीन विश्वविद्यालय को दी गयी थी। चार हजार एकड़ जमीन यह थी और सारी की सारी ऊसर जमीन थी। उस ऊसर सुधार के कार्यक्रम में, मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि बयान करने से ही सही स्थिति सामने नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य वैज्ञानिकों के कार्य को देखें कितने सराहनीय कार्य किये गये हैं। जमीन से दो फुट की ऊंचाई पर फल की ऐसी प्रजातियां पैदा की हैं। जामुन का जो पेड़ होता है इस पर नौ-दस साल बाद फल आता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दो ढाई फुट की ऊंचाई पर जामुन पैदा की है। बड़े-बड़े बेर डेढ़ फुट की ऊंचाई पर पैदा किये हैं। पपीता और अमरूद ऐसे तमाम फल और प्रजातियां उन्होंने तैयार की हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यह हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं हुआ है क्या वह बधाई के पात्र नहीं हैं, अभी हमारे माननीय तिवारी जी ने फरमाया कि कौन सा बीज नया हुआ धान में क्या उपलब्धि हुई। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि साकेत—52, नरेन्द्र—1, नरेन्द्र—2 ऐसी प्रजातियां धान के अन्दर पैदा की हैं जिससे दुगुनी ही नहीं तिगुनी पैदावार हुई है। मान्यवर, यह पहला कृषि विश्वविद्यालय है जहां न छात्रों में यूनियनबाजी है न अध्यापकों में और न कर्मचारियों में यूनियनबाजी है। आप हिन्दुस्तान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं चले जायें आपको अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों सब जगह यूनियनबाजी मिलेगी। केवल यही एक नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय ऐसा है जहां यूनियनबाजी नहीं है। वहां एक पारिवारिक वातावरण बना हुआ है इसके लिये श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मित्रसेन जी जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और बड़े भाई भी हैं से कहना चाहूंगा कि आज जो भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति पैदा की गयी है उसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। वैज्ञानिकों का मनोबल नीचा करेंगे तो आज जो उनके हरित क्रान्ति की ओर बढ़ते हुये कदम हैं वह रुक जायेंगे। यही कारण है कि प्रदेश के बहुत से प्रतिभावान लोग भारतवर्ष को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। क्योंकि उनको सही वातावरण नहीं मिल रहा है। आज हमारे विश्वविद्यालयों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे कम उम्र का विश्वविद्यालय यही है। श्रीमन्, पन्तनगर विश्वविद्यालय जो है इसको बाहर से काफी पैसा मिला है। कानपुर विश्वविद्यालय को बाहर से पैसा मिला है, लेकिन बहुत ही सीमित साधनों में रहकर इस विश्वविद्यालय ने अपने कार्य को चलाया है। माननीय, जो आरोप मित्रसेन जी ने लगाये हैं मैं चाहूंगा कि उनको यह सूची बनाकर मेरे पास भेज दें। इस विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच शासन के विशेष सचिव से कराई जायेगी। आप हमें सूचना दीजिये हम उस सूचना को विशेष सचिव के पास भेजेंगे जो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो जांच रिपोर्ट आयेगी उसके बाद फैसला होगा। रिपोर्ट यहां आयेगी आप उसको देखने के हकदार होंगे और सही जानकारी मिल सकेगी। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्राविधान नहीं है। अगर नियुक्तियों में कोई अनियमितता हुई है, धांधलेबाजी हुई है तो उसके लिये प्राविधान यह है कि कोई व्यक्ति विशेष जो उसमें क्षुब्ध है वह कुलाधिपति के पास जाकर शिकायत कर सकता है और वह अपने विवेक से उस मामले में अपना निर्णय लेते हैं और शासन को किसी भी स्तर पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

जहां तक खरीदारी में अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत क्रय समिति बनी हुई है और क्रय समिति द्वारा क्रय किया जाता है। यही नहीं श्रीमन्, हमारे आय-व्यय का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षक और महालेखाकार के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। शासन ने 1981-82 से 1984-85 तक का विशेष आडिट कराने के आदेश दिये हैं। मैं और विस्तार में इसलिये नहीं जाना चाहता हूं कि माननीय मित्रसेन यादव जी ने कथित नियुक्तियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है। जब यह मामला न्यायालय में लम्बित है तो हमको थोड़ा सीमाओं के अन्दर रह कर देखना होगा कि कहीं हम न्यायालय के अधिकारों में अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। न केवल इस मामले में, मित्रसेन बनाम उत्तर प्रदेश शासन, बल्कि दो अन्य मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन हैं। यह विधिक प्रसंग है इसलिये मैं ज्यादा विस्तार से इस विषय पर कोई बात नहीं कहना चाहूंगा और जैसा मैंने अभी आपसे अनुरोध किया शासन का यह निश्चित संकल्प है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी है तो उसे दंडित किया जाय और दंडित किया जायेगा। लेकिन श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्यों से साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे वैज्ञानिक का मनोबल इस प्रकार से गिरायेंगे तो हमारा जो हरित क्रांति का लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पायेगा। जहां हमें गलत काम करने के लिये प्रताड़ित करें, जांच करें, दंडित करें वहीं हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जो वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं जो शोध कार्यों में लगे हैं, अनुसंधान में लगे हैं उनको प्रोत्साहन भी दें। उनकी पीठ भी थपथपायें ताकि वह और अधिक मेहनत करें और हरित क्रांति में योगदान दें जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छी किस्म की प्रजातियां, बीज

पैदा कर सकें और पैदावार बढ़ सके । इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि शासन ने आदेश दिया था और विशेष सचिव जांच कर रहे हैं इसलिये आपके पास अगर कोई विशिष्ट इस प्रकार के मुद्दे हों तो भिजवा दें । हम उनको जांच अधिकारी को दे देंगे ताकि वह और विस्तार से इसकी जांच और समीक्षा कर सके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें ।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

एक घंटे का समय पूरा हो चुका है । सीमित करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

और हम जो लोग बैठे हैं क्या राणा के जमाई हैं । हम लोग बैठे-बैठे तपस्या कर रहे हैं, हमारा क्या होगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, कुछ मामलों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट की बात कही गयी मैं उन मामलों के बारे में जिक्र नहीं करता जो हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं । मान्यवर, यह जो पुस्तिका है, एक्ट है अगर इस हिसाब से परीक्षण करा लें और अनियमितताओं के जो मुद्दे उठाये गये हैं यदि उनकी जांच करा लें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । मंत्री जी ने कहा कि विशेष सचिव इसकी जांच कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक व्यक्ति के बजाय 3 आदमियों की एक कमेटी बनायें तो जांच को ज्यादा बल मिलेगा और जांच स्वच्छ होगी । मेरा निवेदन यह है कि मैं रिसर्चिस्ट के मनोबल को गिराना नहीं चाहता, हम तो उनके मनोबल को उठाना चाहते हैं । लेकिन हो सकता है कि इन्हीं अनियमितताओं के वरण रिसर्चिस्ट के मनोबल गिर रहे हों । ऐसा आप क्यों मानते हैं कि जांच से मनोबल गिर जायेगा ? हो सकता है जांच की कार्यवाही से उनके मनोबल बढ़ें । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं, इस विधान सभा के पैड पर, सादे पैड पर मैं हस्ताक्षर करके आपको दे देता हूं, अगर मेरा आरोप झूठा पाया जायगा, तो आप मेरा इस्तीफा मान लीजिये । मान्यवर, अगर मंत्री एक भी शिकायत झूठी मिल जायगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे दें । मैं यह भी कहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह को भी उस जांच कमेटी में कर दें । माननीय मंत्री जी को अगर मेरी एक भी बात का संदेह है, तो यह पूरी यूनिवर्सिटी की जांच आर्थिक बिन्दु पर करा लें । अन्त में मेरा निवेदन है कि जांच के लिये तीन सदस्यीय कमेटी बना दी जाय ।

श्री गोपी नाथ—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय में जिन कास्तकारों की भूमि ले लिया है, क्या उन कास्तकारों की कोई सूची बना रखी है ? यदि बना रखी है, तो उनके परिवार वालों को नौकरी दी जा रही है या नहीं । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि जिन कास्तकारों की जमीन ली गयी है, उनके परिवार वालों को नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि फर्जी सूची बनाई जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

कृषि मंत्री जी कोई उत्तर देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं तो आपका अनुशासित सदस्य हूं । मैंने मंत्री जी के सामने चुनौती दे दी है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी नहीं चाहते कि माननीय मित्रसेन की प्रेजेंस से यह सदन वंचित रह जाय और ये इस्तीफा दे दें ।

(व्यवधान)

(इस समय 7 बजकर 34 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

श्री मित्रसेन—

कोई लम्बी रकम मिल गयी है, इसलिए मंत्री जी भाग रहे हैं । मंत्री जी वहां पर क्योंकि गये थे, इनको कोई लम्बी रकम मिल गयी है, इसलिए वह अपने दामन को छिपा रहे हैं ।

प्रदेश में बाढ़ से धन-जन की भारी हानि तथा पर्याप्त राहत कार्य के अभाव के सम्बन्ध में सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, सूर्य प्रताप शाही एवं आंसान सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बड़ी गम्भीर स्थिति में हम चर्चा प्रारम्भ करने जा रहे हैं । मान्यवर, जिस हिन्दुस्तान की जमीन को हरी-भरी और शस्य श्यामलां भूमि कहीं गयी, आज वह हमारी भूमि अत्यन्त वीरान होती जा रही है । आज बाढ़ और सूखा प्रत्येक वर्ष प्रदेश में आता रहा है । अगर हम औसत निकालें, तो प्रत्येक वर्ष दैवी आपदा में पूरा हिन्दुस्तान जहां 16 प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक बाढ़ और सूखे से प्रभावित होता है, वहीं हमारे प्रदेश का आंकड़ा उस औसत से बढ़ जाता है ।

मान्यवर, मैंने केवल 3 साल का औसत निकाला है और यह तीन साल 83, 84 और 85 उसमें हमारी बाढ़ से प्रतिवर्ष औसत एक करोड़ बासठ लाख जनसंख्या प्रभावित होती है । यह तीन साल का जो हमने आंकड़ा निकाला है । जो सरकार आंकड़ा तैयार करती है वह मान्यवर, बहुत सी बातों को छोड़ देती है और उसको छोड़ने के बाद जो उनको मूलभूत बातें मिल जाती हैं उन्हीं तक वह अपने को सीमित रखकर हानि का आंकड़ा दे देते हैं । अगर उस हानि को देखें तो प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब रुपये की सम्पत्ति बाढ़ के नाम पर बरबाद होती है । मान्यवर, मैं बिलकुल संक्षेप में कहूंगा, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सर हिला रहे हैं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस प्रदेश में इतनी बड़ी जनधन की हानि हो उस प्रदेश में बाढ़ से बचने के लिए कुछ करना चाहिए । हमारी सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई सुचारू रूप से जिससे कि हम इससे पूरी तरह से निपट पाते जब कि अन्य प्रदेशों ने अपने बचाव के लिए काफी प्रयास किये हैं ।

हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में जो योजना आयोग ने स्वीकृत दी थी वह थी एक अरब 70 करोड़ रुपये की बाढ़ से बचाने के लिए लेकिन यह सरकार एक अरब 30 करोड़ रुपयं बाढ़ रोकने के लिए हमारी सरकार ने स्वीकार किया लेकिन यही नहीं परिव्ययों को देखें एक अरब अट्ठानवे करोड़ रुपये से ज्यादा बाढ़ पर नहीं खर्च किया

जायेगा । मान्यवर, केन्द्रीय बाढ़ आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश को तटबन्धों के रखरखाव के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए लेकिन यह सरकार कभी भी दो ढ़ाई करोड़ से ज्यादा तटबन्धों के रख रखाव पर नहीं खर्च कर सकी है । मान्यवर, हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कितनी विडम्बना है यह सरकार में बैठे लोग, जिस प्रदेश के 690 लोग बाढ़ में डूब कर मर गये हो । इस सरकार की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई थी कि जनता के लोग मरते रहें । सरकार का यह उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि प्रदेश के रहने वाले लोगों की, उनके जान की सुरक्षा करे और उनको जीने का पूरा अवसर प्रदान करे लेकिन यह सरकार यह अवसर नहीं प्रदान कर सकी 690 आदमी पूरे प्रदेश के डूब गये । केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय भजन लाल जी ने यह बात बताई भारत के संसद में और बाहर के संसद में कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जो धन बाढ़ से बचाने के लिए दिया जाता है, राहत के लिए दिया जाता है वह दूसरे मदों में खर्च कर देती है । इसलिए हमारे प्रदेश में जो बचाव कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है । हमारी नदियां, गंगा, राप्ती, घाघरा, रामगंगा, यमुना, गंडक और छोटे-छोटे नालों से यह प्रदेश जलप्लावित हो जाता है । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में नैपाल का पानी आ जाता है और उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश डूब जाता है । इससे बचाव की योजना नैपाल सरकार से वार्ता करके बननी चाहिए थी लेकिन वह आज भी कार्यान्वित नहीं हो सकी जिसका परिणाम है कि गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया इन सारे जिलों में बाढ़ का पानी आ जाता है नैपाल से ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है । इस बाढ़ को रोकने के लिए जो हमारी योजना बननी चाहिए वह ठीक से नहीं बनती जिससे क्या होता है कि एक तरफ तो बांध बनता है और दूसरी तरफ नहीं बनता है जिससे बगल के गांव डूब जाते हैं । इसके लिए जो मास्टर प्लान बनना चाहिए वह यह सरकार नहीं बना सकी । मान्यवर, यह जो हमारा 88 का एनुअल प्लान उसके पेज 101 में लिखा हुआ है कि हमें जितना बाढ़ से बचाना चाहिए जितनी जमीन को उसका हम कुछ ही प्रतिशत कर सके हैं, हरियाणा 50 प्रतिशत कर सका है जबकि हमने 18.6 प्रतिशत किया है । कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं है क्योंकि उसका खर्च ज्यादा आयेगा जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा आयेगा । उसको तो छोड़ दिया जाय, लेकिन जो बचाने योग्य है उनमें से 18.6 प्रतिशत को ही बचाया है, जबकि हरियाणा ने 50 प्रतिशत बचा लिया और बिहार ने भी हमसे ज्यादा कर लिया । मा0 मंत्री जी इसको पढ़ लें । जनता जब बाढ़ से डूबती है, मरती है तो वहां राहत क्या दी जाती है । मैं राहत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बाढ़ के समय जो राहत पहुंचाई जानी चाहिये उसकी कोई स्थायी योजना नहीं है । अनेक गांवों में नावें नहीं हैं । बहुत से गांव ऐसे हैं जो जरा सी बाढ़ आते ही पानी से घिर जाते हैं, उनको स्थायी रूप से नावें देना चाहिये । नाव की व्यवस्था की जाय । दूसरे आप जब मई से योजना बनाना शुरू करते हैं, बाढ़ आने पर गांव डूब जाते हैं तो बस्ती से फैजाबाद कलेक्टर चलता है । मा0 नरेन्द्र-देव जी तो मिर्जापुर से आए हैं, ये बाढ़ का मतलब नहीं समझते । तो कलेक्टर साहब फैजाबाद का दौरा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पाण्डेय जी कृपया सूक्ष्म कर दें ।

श्री दाता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं केवल सुझाव देकर सूक्ष्म कर दूंगा । मान्यवर, जिन गांवों को नहीं बचाया जा सकता है उनको कम से कम एक नाव छूट पर दे दें । दूसरे जहां बाढ़

आ जाती है, गांव का सर्वेक्षण होता है । जहां का लेखपाल 50—60—70 प्रतिशत लिख देता है, उसको आप राहत देते हैं । हमारे यहां चकबन्दी हो गयी है । कहीं सर्वेक्षण में पूरा गांव नहीं आया तो राहत नहीं देते हैं । मेरा कहना है कि खेतवार राहत दिलवाएं जिसमें खेती का नुकसान न हो, उसको न दिलवाएं । जिसका नुकसान हुआ हो, उसी को राहत दिलवाएं । आप 50 परसेन्ट से ज्यादा जिसमें पूरे गांव में नुकसान नहीं हुआ हो तो उनको राहत नहीं देते हैं । इसमें आप कानून में संशोधन करके खेतवार राहत दिलवाने की व्यवस्था करें । दूसरे राहत देने में जो आप 3 1/8 प्रतिशत देते हैं, इस प्रकार की कोई सीमा न रखें । राहत कायदे से राहत होनी है । राहत में केवल दो किलो चना और दो किलो मिट्टी का तेल देना सही नहीं है । आप राहत की उस सम्पूर्ण धनराशि को गांव के विकास पर खर्च करके बाढ़ रोकने की योजना बना सकते हैं । कई गांव ऐसे हैं जहां केवल 5 हजार रुपया खर्च करके बाढ़ से बचा जा सकता है । चौथा सुझाव यह है कि जब बाढ़ में गांव डूब जाता है, तब आप राहत की बात करते हैं । कुछ गांव ऐसे हैं, जहां पहले से ही पता रहता है । गांवों में दवा की बात आती है । बाढ़ के समय गांव के कुएं डूब जाते हैं तो उन कुओं में स्थायी रूप से दवा डलवाने की व्यवस्था बाढ़ आने से पूर्व से ही होनी चाहिये । हमें पता रहता है कि बलरामपुर में बाढ़ आयी तो कौन-कौन से गांव डूबेंगे । तो इसके लिये व्यवस्थाएं शुरू से ही कर देनी चाहिये । ऐसा न करें कि जब बाढ़ आ जाय तब राहत का काम किया जाय । मैंने संक्षेप में ये सुझाव दे दिये हैं । मैं चाहता हूं इसमें और भी साथी हिस्सा लें । आप चाहेंगे तो मैं बाद में भी बोल लूंगा ।

*श्री आंसाराम सिंह—

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 52 में हमारी चर्चा की मांग को स्वीकार करके बाढ़ जैसे संकट के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह हो सकता है, यह सरकार इतनी हृदयहीन है कि यह मानसून अधिवेशन है, वर्षा-कालीन अधिवेशन है, लेकिन इसमें वर्षा और बाढ़ का कहीं नाम भी नहीं आया । इस सरकार को चाहिये था कि सबसे पहले प्रदेश में आयी हुई भयंकर बाढ़ की समस्या पर चर्चा कराते और एक दिन, दो दिन चर्चा कराती । विस्तृत चर्चा कराती । कितने मा0 सदस्यों के सुझाव उन पर मिलते । लेकिन मान्यवर, यह सरकार कितनी हृदयहीन है कि इसने एक मिनट भी बाढ़ पर चर्चा कराने की बात को स्वीकार नहीं किया । यह तो आपकी कृपा है कि आपने नियम 52 में एक घंटे की चर्चा करा दी और हम सदस्यों को कुछ कहने का अवसर मिला । मान्यवर, इस वर्ष जैसी बाढ़ आयी है वैसी विगत कई वर्षों से नहीं आयी । सन् 80 में भयंकर बाढ़ आयी थी लेकिन इस वर्ष की बाढ़ ने सन् 80 के रिकार्ड को भी तोड़ दिया है । लाखों लोग बेघरबार हो गये, हजारों लोगों की जानें चली गयी, हजारों पशु मर गये और भयंकर बीमारियां फैल गयी, मस्तिष्क ज्वर, हैजा, मलेरिया फैल रहा है । लेकिन, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और न ही सरकार की ओर से इस दिशा में कोई स्थायी समाधान खोजा जाता है । मान्यवर, प्रतिवर्ष कोई न कोई दैवीय आपदा से इस प्रदेश की जनता प्रभावित होती रहती है । गत वर्ष भयंकर सूखा पड़ा । इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा । इस वर्ष बाढ़ की समस्या सामने आयी । कभी ओले पड़ते हैं, कभी पाला पड़ता है, इन सब दैवीय आपदाओं से गांव के गरीब किसानों की, लोगों की, हालत बहुत खराब है । गांव के आदमियों का जीना दूभर हो रहा है । मान्यवर, इन सबके रहते गांव वीरान हो रहे हैं और शहर आबाद हो रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । गांव के भीतर रहने वाले किसान पर क्या बीत रही है, इस सरकार को इसकी जानकारी तक लेने की फुर्सत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री आंसान सिंह—

मान्यवर, मेरा क्षेत्र पांच नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है । इस वर्ष 5 नदियों की भीषण बाढ़ ने मेरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है । इस साल सैकड़ों गांव 15 दिन तक बाढ़ से घिरे रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्यवाही समय रहते नहीं की । मैंने नावों के लिये कहा, 15 दिन के बाद नावें पहुंच सकी । उसमें भी बहुत सी नावें ठीक नहीं थी । मान्यवर, इन्हीं सब कारणों से जिला प्रशासन की लापरवाही से गांव नल्लासिंह में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, लेकिन आज तक उन मृतकों के परिवारों को अहेतुक सहायता नहीं मिली । मान्यवर, मैंने आपके सामने एक समिति की बैठक में जब राहत आयुक्त से कहा तो उन्होंने उसी दिन टेलीफोन पर जिला मजिस्ट्रेट इटावा से बात की । उसके बाद भी अब तक उन लोगों को आज तक अहेतुक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है । इससे ज्यादा उपेक्षा की बात क्या हो सकती है कि जिला प्रशासन ने यह रिपोर्ट दी कि यहां बाढ़ की स्थिति नहीं है, जल भराव की स्थिति है । जबकि मेरा स्पष्ट मत है कि 5 नदियों की भयंकर बाढ़ ने मेरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है । मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति है वहां लगान, अदायगी को माफी की जाए, जो लोगों ने लोन लिये हैं, उनको ब्याज मुक्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मा0 आंसान सिंह जी अगला विषय भी आपका ही है, अब बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, मैं समय का ध्यान रखते हुए सूक्ष्म में 7 सूत्रीय सुझाव देकर बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, देश को आजाद हुए 40 वर्ष बीत गये लेकिन आज तक बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई प्रभावी काम नहीं हो पाया । मेरा एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में 13 खण्डों में बाढ़ आती है अलग-अलग । इन 13 खंडों में बाढ़ नियंत्रण के संबंध में, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, कुछ अवकाश प्राप्त विशेषज्ञ इंजीनियरों और कुछ वर्तमान क्षेत्र के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए, बाढ़ नियंत्रण के संबंध में सम्मेलन करायें । इन 13 स्थानों पर सम्मेलन आयोजित करके, बाढ़ नियंत्रण के संबंध में आज तक जितने भी सर्वेक्षण हुए हों उनको वहां पेश किया जाय और उनका वहां अध्ययन हो । और बाढ़ नियंत्रण के काम को शासन हाथ में लेकर, बाढ़ नियंत्रण का काम कराये । गोरखपुर का एक केन्द्र जरूर चाहूंगा, उससे लगा हुआ मेरा क्षेत्र है । सरयू राप्ती नदी से वहां बाढ़ की भीषण विभिषिका रहती है । मान्यवर, बस्ती में जल भराव की भीषण स्थिति है । मान्यवर, बस्ती में 7 बड़ी नदियां 51 बड़े नाले और 135 बड़े ताल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में कहकर समाप्त करें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मेरा क्षेत्र 521 गांवों का है, जिसमें 400 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ और जलभराव से पीड़ित हैं । इसलिये बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ जल भराव की समस्या का निदान भी तत्काल खोजा जाना चाहिये और उस सम्मेलन में इस जल भराव की समस्या पर भी विचार किया जाना चाहिये । दूसरी बात यह सम्मेलन जनवरी फरवरी माह में होना चाहिये । इसी तरह से बाढ़ बचाव के संबंध में कहना चाहूंगा कि अप्रैल महीने में ही बाढ़ बचाव के सारे प्रबन्ध पूर्ण कर लिये जाने चाहिये ।

मान्यवर, , जो बाढ़ से संबंधित काम किये जाने हों, उन्हें जून, जुलाई से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिये । मान्यवर, इस समय बाढ़ आई है, बड़ी विनाश लीला हुयी है । मैं कहना चाहता हूं कि एक काम यह कर दिया जाये कि जो बाढ़ में मर गये हैं, उनको उसकी क्षतिपूर्ति की जायगी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से ग्राम टेकापार का श्री लल्लू उर्फ लाले, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, दिनांक 9-7-88 को इसी बाढ़ में मर गया । हुआ यह था कि गांव को ऊंचा करने के लिये जो हाथी जैसा गड्ढा खोदा गया था, उसके किनारे उस बच्चे का घर था, वह उसमें डूबकर मर गया । तहसीलदार कहते हैं कि वह बाढ़ से मरा और ए0 डी0 एम0 कहते हैं कि वह बाढ़ से नहीं मरा ।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन है कि एक गांव गुल्हरिया लाला कुल्हडिया तहसील बासी में है, जो राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित है, उसके तटबन्ध में छेद था, और जो महिलायें उधर शौच के लिये जाया करती थी, रात में राप्ती नदी का पानी बन्धा के बराबर आ गया, जिससे गांव गुलहरिया लाला की श्रीमती कल्पा, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, दिनांक 19-8-88 को बहकर मर गयीं । इस सम्बन्ध में भी तहसीलदार कहते हैं कि वह बाढ़ से मरीं, ए0 डी0 एम0 कहते हैं कि वह बाढ़ से नहीं मरीं । मान्यवर, जिनके मकान गिर गये हैं, उन लोगों को आज तक गृह अनुदान नहीं दिया गया, तमाम मकान बाढ़ से और वर्षा से गिर गये । मान्यवर, एक शासनादेश गया था कि जो गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे होंगे, उनको राहत दी जायगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस शासनादेश को सुधार लें क्योंकि जिन किसानों की पूरी फसल डूब गयी है, नष्ट हो गयी, उनके पास तो कुछ बचा नहीं, इसके अलावा चाहे गांव 3 तरफ से ही घिरे हों, उनको भी पूरी राशन सहायता दी जाये और गांवों को ऊंचा कराया जाये और उन्हें बन्धे के बाहर लाकर गांव वालों को बसाया जाये । हमारे यहां राप्ती और सरयू नदी अभी भी भयंकर कटान कर रही हैं । अन्त में, मेरा निवेदन है कि जनवरी-फरवरी के महीने में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 13 स्थानों पर सेमिनार करने का प्रयास किया जाये और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये उचित समाधान ढूंढने की कोशिश की जाये ।

*श्री हरि शंकर तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 123 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और 12 व्यक्तियों की मौतें हुयी हैं । पूरनिया नाम की एक औरत बाढ़ के कारण बिना खाने के मर गयी और कोई भी राहत सामग्री आज तक बाढ़ से प्रभावित लोगों को, गांवों को नहीं मिल पायी है । बार-बार मेरे आग्रह करने पर, सिंचाई विभाग को जो पैसा खर्च करना चाहिये था, वह नहीं किया गया और न ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुरक्षा उपाय के काम नहीं किये गये । मेरे यहां राप्ती नदी की बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में गांव डिस्कौलिया में 6 मकान गिर गये तथा एक मन्दिर बिल्कुल नष्ट हो गया तथा अभी भी घाघरा और राप्ती नदियों की बाढ़ के कारण कटान जारी है । इसके अतिरिक्त तमाम गांव इन नदियों की धारा में विलीन हो गये हैं । हमारे यहां के गांव कोठा, गड़ई, भेड़ी, बिजकरवाला, रकहट, गरयाकोल, असोनपाल, पुल, मझौलिया, कुठवार, ददरी, सिमरा, डिस्कौलिया, अल्लीहावलपुर, मोहन सोहरिया आदि तमाम गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं । इन गांवों में जो काम प्रस्तावित थे, उनको नहीं कराया गया ।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी सुरक्षात्मक काम कराना प्रस्तावित हो, वह मई से पहले शुरू करा दिये जायें, जिससे जब बाढ़ आती है, तो गांवों को बचाया जा सके । होता यह है कि जब बाढ़ आ जाती है तो अधिकारीगण सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिये जाते हैं और औनेपौने काम करके चले जाते हैं । इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया है, उनके स्थान पर जिन अधिकारियों को चार्ज लेना है, उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया । पहले के अधिकारियों ने कोई काम नहीं कराया, चार्ज न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप जांच कराकर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें । जहां मकान गिर गये हैं, मन्दिर गिर गया है, वहां के जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर का स्थानान्तरण हुआ और जिनको वहां पर नियुक्त किया गया, उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया, बाद में जब उसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी, तब उन्होंने चार्ज लिया । मान्यवर, मेरे यहां राप्ती और घाघरा नदियों की बाढ़ में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों गांव महाविनाश का पहुंचते हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में जो गांव कट रहे हैं, उनको कटने से रोका जाये और सिमरा से सरया सीधे गौर से ढोढ़िया बांध का बन्धा बनवाया जाये और तरना नाले की खुदाई करके दोनों तरफ डौनाडोह के पास रेगुलेटर बनवाकर उसे पूरा कराया जाय ।

*श्री बदन सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी दिनांक 24 सितम्बर को ताजेवाला हेड से 6 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने के कारण मथुरा, आगरा, इटावा आदि जिलों में जमुना जी के किनारे में बाढ़ आ गई है । केन्द्रीय बाढ़ आयोग को सूचना पहुंच जाने के कारण विशेषत: आबादी को व किनारे पर बसे हुए गांवों व मकानों को ज्यादा क्षति नहीं हुई है, लेकिन यह सही है कि जमुना के किनारे पर जो खरीफ की फसल खड़ी थी जैसे तिल, उरद आदि की, वह सभी नष्ट हो गई है और रबी की फसल में जो सरसों व लाई बोई गयी थी वह भी पूर्णत: नष्ट हो गई है । हमारे क्षेत्र जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम जुगसैना, सींगना, भागरौल गूजर, असौरा, रुनकटा, नगला संदले, नगला मंसोदरी की पूरी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है । रबी में भी जो फसल बोई गई थी वह भी नष्ट हो गई है । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगला मंसोदरी में जो निषाद जाति के लोग जमुना के किनारे पर बसे हैं, उनके 30 घरों में से 23 घर नष्ट हो गये हैं । आगरा में बहुत निचले जगह पर भी पानी आ गया है, जिसके कारण 30 गांव प्रभावित हुए हैं । इस लिये मैं शासन से मांग करता हूं कि जिन किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, अब रबी की फसल के लिये उन्हें बीज व खाद आदि देने की व्यवस्था की जाय । उनको ऋण व बीज आदि देने पर विचार किया जाय, ताकि वे लोग समर्थ हो सकें । निषाद जाति के जो लोग हैं, उनको मकान बनाने हेतु सहायता दी जाय या फिर उन्हें किसी ऊंचे स्थान पर उनकी इच्छानुसार पुनर्वासित किया जाय साथ ही सहायता भी दी जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, हमारे देश में हमेशा बाढ़ व सूखे की समस्या रहती है । बाढ़ आती क्यों है, हमें इनके कारणों को खोजना चाहिए । हमेशा यह कहा जाता है कि तट बन्धों को ऊंचा किया जाय । मैं तो कहना चाहता हूं कि नदियों के तलों को गहरा किया जाय और उनसे नहरें निकाल करके उन्हें बीहड़ों में ले जाया जाना चाहिए तथा वहां पर तालाब बनाये जाने चाहिए ताकि बरसात में पानी उनमें इकट्ठा किया जा सके और समय पर सिंचाई की जा सके । इसमें व्यापक रोजगार लोगों को मिलेगी । इसके लिए तभी नहीं सोचना चाहिए जब बाढ़ आती है । इसके लिए साल भर सोचना चाहिए और योजना बननी चाहिये । नदियों से पानी ले जाकर, उसे बाहर के स्थानों पर तालाबों में जमा करना चाहिए और गर्मी के दिनों में उस पानी से सिंचाई का काम लिया जा सके ।

मान्यवर, टुकड़ों-टुकड़ों में उपाय सोचना था, उसका खेत बह गया, मकान बह गया सहायता मिली या नहीं इससे समस्या हल नहीं होगी । हमको एक साथ सम्पूर्ण रूप से सोचकर साल भर प्रयास करना चाहिये ।

*राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बाढ़ के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सुझाव दिये, उनका आभारी हूं । माननीय हरीश जी ने जो सुझाव दिये हैं कि 13 केन्द्रों में बाढ़ को छोड़कर मीटिंग की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अंसार सिंह—

मान्यवर, अपने एक घण्टे को चर्चा स्वीकार की है और 2-2 मिनट का समय दे रहे हैं, हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय बहुत हो गया, अभी एजेण्डा में और भी काफी काम पड़ा हुआ है, इसलिये ऐसा किया है ।

श्री माता प्रसाद—

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि उस समय पर क्या देते हैं मुझे देते हैं उससे अच्छा यह है कि उसी बात को सोचा करें, मैं बराबर चलता हूं जो लोग बाढ़ में घिरे रहते हैं उनको तात्कालिक सहायता देने का काम है इस विभाग का इसलिये चूंकि इस मौके पर बहुत से लोगों को कोई चीज खाने के लिये नहीं मिलती है अतः तत्काल आहेतुक [illegible] का प्रावधान है ।

कई सदस्यों ने कहा कि तटबन्ध ही क्यों, नदियों के सम्बन्ध में । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसने 25 मई को ही सभी जिलाधिकारियों, कमिश्नरों को आदेश कर दिया था और सभी जिलों में अतिवृष्टि/बाढ़ तथा अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी और उसमें जो सम्भावित बाढ़ की सम्भावित तैयारी के सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये, 24 जून को चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलायी, सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का समन्वय किया, सेना के लोग भी उसमें बुलाये गये, केन्द्रीय जल आयोग के लोग बुलाये गये, दूसरी भी गैर सरकारी संस्थाओं के लोग बुलाये गये । लखनऊ सचिवालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना निश्चित हुआ और उसके द्वारा प्रति दिन सभी जिलों की इसमें सभी सूचनायें दी जाती हैं ।

जुलाई के महीने में मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई । आपने स्वयं कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री भजन लाल और राज्य मन्त्री श्री श्याम लाल जी यहां आये और बाढ़ का सर्वेक्षण किया । मुख्यमंत्री और कई मन्त्रियों ने भी बाढ़ का सर्वेक्षण किया । कई माननीय सदस्यों ने भी बाढ़ का निरीक्षण किया और काफी सहायता की । गत वर्ष सूखा था इस वर्ष जून, जुलाई, अगस्त में औसत से ज्यादा वर्षा हुई । जुलाई में 28 जिलों में अगस्त में 34 जिलों में एक दिन में 50 मि0 मी0 वर्षा हुई, 7 जिले ऐसे थे जहां एक दिन में 100 मि0 मी0 वर्षा हुई जैसे मथुरा, मैनपुरी, एटा, फर्रूखाबाद आदि ऐसे 7 जिले थे । अतिवृष्टि के कारण प्रदेश की बहुत सी नदियों में बाढ़ आ गयी बहुत विनाश लीला हुई, 57 जिलों में इस बाढ़ की विनाश लीला से 46 जिले प्रभावित हुए, 22843 गांव प्रभावित हुए, 1,41,90,019 जनसंख्या प्रभावित हुई और 16,,08,641 हेक्टेयर कृषि भूमि उससे प्रभावित रही । 3,18,452 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 695 मनुष्य मरे और 1928 पशु मरे हैं । सार्वजनिक सम्पत्ति 29 करोड़ 28 लाख की क्षतिग्रस्त हुई है और फसल बरबाद हुई है । इस सम्बन्ध में सरकार ने सभी जिलों में यह आदेश भेज दिया है कि जो जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हुई है, वहां के जिलाधिकारी को कह दिया गया है कि 31 मार्च, 1989 तक के लिये जितनी भी वसूली है वह चाहे भू-राजस्व की हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे कृषि तकावी की हो, बीज गोदामों की हो, सबको स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं ।

अभी माननीय औसान सिंह जी ने फीस माफी की बात कही है तो जिन जिलों से भी रिपोर्ट आयेगी, वहां पर माफी की भी कार्यवाही करेंगे ।

प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच गोण्डा आदि जनपदों में अगस्त 1988 से अब तक 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के संबंध में सरकार द्वारा की गई लापरवाही और उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री औसान सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

श्री औसान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने नियम 52 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इस वर्ष बाढ़ के बाद मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ है और इस प्रलयकारी बीमारी ने लोगों को काल कवलित कर दिया है । गोरखपुर में 1600 लोग बीमार हुए, वहां पर हैजे का और मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ । देवरिया जिले में हजारों लोग इस बीमारी से मर गये हैं । हर वर्ष लोगों की मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु होती है और यह हृदयहीन सरकार आज तक इसके लिए कोई एक इंजेक्शन का भी प्रबंध नहीं कर पायी है । अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, डाक्टर नहीं है । जब बाढ़ आयी और हैजे का प्रकोप हुआ तो अछल्दा, ढिबियापुर, शहर में डाक्टर उपलब्ध कराये गये जो कि वहां से

आते हैं और गाड़ी छूटने के डर से जल्दी भाग जाते हैं । यह सब डाक्टर कानपुर से अप और डाउन करते हैं । कहने को डाक्टर वहां आते हैं परन्तु कोई भी एक मिनट के लिए अस्पतालों में नहीं जाता है । चारों तरफ हैजे का प्रकोप है और कोई मरीजों को देखने वाला नहीं है । अस्पतालों में मवेशी और सुअर टट्टी कर रहे हैं, वहां आदमी का खड़ा होना मुश्किल है इतनी ज्यादा गन्दगी है वहां पर । सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, यहां भी मैं बाढ़ की चर्चा की ही तरह केवल चार-पांच सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं आपके माध्यम से । माननीय मंत्री जी गोरखपुर में बाढ़ ने जो तबाही मचायी, हम लोगों ने इस संबंध में अखबारों में वक्तव्य भी दिये, बाढ़ के बाद वहां पर मस्तिष्क ज्वर आरम्भ हो गया, हैजे का प्रकोप हुआ । मान्यवर, ध्यान देने की बात है । न तो कुओं में ब्लीचिंग पाउडर और न ही पोटाश डाला गया । मान्यवर इस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । दूसरे मान्यवर, गांवों, गलियों तथा शहरों आदि में डी0 डी0 टी0 का छिड़काव भी नहीं किया गया और न ही इन बीमारियों की रोकथाम के लिए अस्पतालों में दवाओं का प्रबन्ध । सूपा हमारे क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है, जिस जगह पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी । अगर यह जुलाई व अक्तूबर में ही इस स्थिति से निपटने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए थोड़े-बहुत भी प्रयास किये गये होते तो स्थिति यहां तक न पहुंचती और जो सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है एक-एक गांव में, न होती और आज की स्थिति भी इन अस्पतालों की ठीक नहीं है, वहां दवाएं आज भी नहीं हैं, मरीज पड़ा असहाय स्थिति में मर रहा है, कर्मचारियों व डाक्टरों से कहा तो वे कहते हैं कि हमारे पास दवाएं नहीं हैं, इसलिए सारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज भी यदि सरप्राइज विजिट किसी अस्पताल की कर लें तो सारी स्थिति स्वयं आपके सामने आ जायेगी, कहीं भी दवाएं किसी अस्पताल में नहीं हैं और बड़ी दयनीय स्थिति इन अस्पतालों की है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि स्वयं जाकर किसी दिन निरीक्षण कर लें अन्यथा इन सारे अस्पतालों में दवाएं जो इसके लिए जरूरी हैं, व्यवस्था करा दें दूसरे गांवों, गलियों व शहरों इत्यादि में, व कुओं में पोटाश, ब्लीचिंग पाउडर व डी0 डी0 टी0 के छिड़काव की व्यवस्था अवश्य करा दें यदि आप अब भी इस मस्तिष्क ज्वर से लोगों को बचाना चाहते हैं, तो यह कदम अवश्य उठायें, तो अभी भी कुछ जनता का भला हो सकता है और उस बड़ी तादाद में लोग मरने से बच सकेंगे, अब तक तो मर गये वह मर गये, परन्तु अब इस पर पूरी तरह से उन आठों जिलों में नियंत्रण करने की आवश्यकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी आज आपकी विशेष कृपा से हम कई चर्चाओं में भाग ले सके इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, इन पूर्वी प्रदेशों के जिलों में यह मस्तिष्क ज्वर की बीमारी कोई नयी नहीं है । आज भी ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी के इकट्ठा होने से काफी संख्या में मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जब से इनसे बीमारी फैलती है, तो वहां पर चूंकि आवागमन के इतने साधन नहीं हैं, जिससे इस प्रकार के मरीज आकर शहरों में डाक्टरों से सम्पर्क कर सकें और अपने लिए कोई उचित उपचार प्राप्त कर सकें, एक तो यह उसे समझ भी नहीं पाते हैं, जहां इनको बुखार हुआ, इन्होंने

इधर-उधर की बुखार की गोलियां खाई, जिनसे जब कोई फायदा नहीं हुआ और जब बेहोश होने लगे तो समझ में आया कि मामला बड़ा गम्भीर है, तो ऐसी स्थिति में मरीज को लेकर जाते-जाते बीच में ही दम तोड़ देते हैं, आवागमन के सही साधन न होने की वजह से । मुझे मान्यवर, व्यक्तिगत रूप में तीन अपने गांवों के बारे में जानकारी है एक तो इटवा (बस्ती) दूसरे हनुआपुर और तीसरे खनियापुर ब्लाक, जहां पर इस बीमारी से दिन प्रतिदिन 100-100 लोग मरे हैं उससे पहले हैजे की बीमारी का प्रकोप आम होता था और सैकड़ों लोग पल के पल में साफ हो जाते थे, वही स्थिति मान्यवर इस मस्तिष्क ज्वर में देखी गयी है, इसके जहां और बहुत से कारण है, वहीं पर यह भी कारण है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में सरकार द्वारा पहले से कोई प्रचार व प्रसार नहीं किया गया, लोगों के इसके उपचार व इस बीमारी के लक्षण के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी गयी और यही नहीं जब इस बीमारी का प्रकोप हर जगह फैला तो भी यह सरकार सचेत नहीं हुई और न ही स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिन दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह भी नहीं हुई । बस्ती जिले में आश्चर्य है कि कल जब सेक्रेटरी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 29 आदमी मरे हैं । मैं तो 100 आदमियों के नाम अपने ही क्षेत्र में गिना सकता हूं । दवा एक पैसे की उपलब्ध नहीं है । इटवा में केन्द्र खोला गया, वहां पर ग्लूकोश नहीं है । वह मरीजों को खरीदना पड़ता है, मैंने चन्दा करके खरीदवाया है । इससे गरीब आदमी बहुत प्रभावित है । युद्ध स्तर पर आप लाउडस्पीकर से इसका प्रचार करायें कि जिस को बुखार आये वह तुरन्त स्वास्थ्य केन्द्र पर आये, बस यही निवेदन है ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मस्तिष्क ज्वर के संबंध में जो चिन्ता प्रकट की गयी है, वह चिन्ता-जनक स्थिति है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो जनपद इससे प्रभावित है, पिछले 10 वर्षों से इस प्रकार की बीमारी के शिकार होते आये हैं और इसका मुख्य कारण यह रहा है कि वहां पर जल भराव होता है, इस वर्ष अधिक वर्षा हुई है, जैसा कि सदस्यों ने उल्लेख किया है । अधिक वर्षा के कारण मच्छरों की उत्पत्ति अधिक होती है और यही ऐसी बीमारी है जो हमारे प्रदेश के कुछ जनपदों में, देश के कुछ भागों में है और दुनिया के दूसरे देशों में भी है । आज तक जिस तरह से अभी तक कोई कैंसर की बीमारी के उपचार का पता नहीं पाया है, जबकि दुनिया के डाक्टर इसकी दवा की खोज में लगे हैं । इसी तरह से मस्तिष्क ज्वर का उपचार भी नहीं निकाला जा सका है । जापान में एक वैक्सीन निकाली गयी है, जिसका टीका लगाया जाता है, वहां से 20 हजार टीकों के लिए 5 लाख रुपये की वैक्सीन मंगायी गयी थी और उनका उपयोग किया गया । हिमांचल प्रदेश के कसौली में उसी प्रकार की वैक्सीन बनना प्रारम्भ हो गया है वहां से 2 लाख टीकों के लिए 25 लाख की वैक्सीन आ गयी है और वह टीके सभी प्रभावित पूर्वी जनपदों में लगे हैं और जनपदों के जिला मुख्यालय पर और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर इस दवा को उपलब्ध कराया जा रहा है और उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है । सम्मानित सदस्य पाण्डे जी ने ठीक ही कहा है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत समय तक लोग इसको फसली बुखार समझते हैं और जो जल्दी उपचार के लिए पहुंच जाता है, वह अच्छा हो जाता है । इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है । होता यह है कि ज्यादातर लोगों

को यह विश्वास है कि मेडिकल कालेज में अच्छा उपचार होता है । इस लिये यह भी व्यवस्था की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला हेड क्वाटर से तत्काल मरीजों को मेडिकल कालेज लाने का प्रबंध किया जाये और जितने वाहन हैं उनका इस्तेमाल किया जाये, चाहे राजस्व का हो, पुलिस का हो या ग्राम्य विकास का हो । मान्यवर, इसके अतिरिक्त अगर इन वाहनों के मिलने में कठिनाई होती है तो टैक्सी से अस्पताल में पहुंचाया जाये । इस काम के लिये सी0 एम0 ओ0 को 10-10 हजार रुपया टैक्सी का किराया दे दिया गया है और 40 लाख रुपया चिकित्सा व्यवस्था के लिए भेज दिया गया है । इसके साथ ही साथ दो डाइरेक्टर आर0 एस0 पान्डे और आर0 एस0 बाजपेई, यह दो निदेशक गोरखपुर में इसलिए भेजे गये हैं कि गोरखपुर का जो मण्डल हेडक्वाटर है, वहां पर बैठकर संबंधित जिलों में जायें और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जायें और यह सुनिश्चित करें कि दवा और मरीजों को लाने का प्रबन्ध है या नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता कि जापान जहां से दवा मंगाई गयी थी, इस बात का अनुभव किया गया कि जिस बीमारी की उत्पत्ति सुअरों से होती है, उनको रखने के लिए बाड़े बनाये गये हैं, और उनमें रखे गये हैं, उनको टीके लगाये जा रहे हैं । इस प्रकार से जो भी व्यवस्था होगी, उसको करने में कोई उपाय नहीं बाकी रखा जायेगा और इस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास पूरी तरह से जारी है ।

सदन में कोरम के अभाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हो जायेंगे । इस समय सदन में कोरम पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

घन्टी बजा दी जाय ।

(कोरम के लिये घन्टी 5 मिनट तक घन्टी बजायी जाने पर भी कोरम पूरा न होने पर)

कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 25 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

7 अक्टूबर, 1988

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर) ।

जिला	परगना	मौजा	प्लाट नं0	लगभग क्षेत्रफल एकड़ हेक्टेयर		
1	2	3	4	5		
बाराबंकी	कुर्सी	नरायनपुर				
			91	0	13	10
			92	0	7	10
			132	0	0	5
			134	0	7	10
			135	0	17	10
			137	0	0	5
			140	0	5	0
			174	1	1	0
			175	0	7	10
			177	0	17	10
			178	0	0	5
			232	0	0	16
			233	0	1	14
			238	0	1	10
			241	0	4	8
			243	0	4	4
			245	0	4	18
			246	0	3	12
			250	0	17	10
			251	0	11	2
			योग ..	8	6	9
					या	
					5·20	
					एकड़	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर) ।

तालिका

विकास दीप के भवन के निर्माण के लिए निर्माण निगम को समय-समय पर उपलब्ध करायी गयी धनराशियों की तालिका ।

दिनांक	धनराशियां
	रु0
4-1-83	25,00,000.00
20-5-83	25,00,000.00
12-4-83	10,00,000.00
15-9-83	5,00,000.00
15-9-83	5,00,000.00
15-9-83	15,00,000.00
12-10-83	3,50,000.00
12-10-83	1,50,000.00
24-12-83	5,00,000.00
13-1-84	2,00,000.00
13-1-84	8,00,000.00
8-3-84	10,00,000.00
31-3-84	20,00,000.00
19-6-84	3,00,000.00
19-6-84	2,00,000.00
22-6-84	4,04,200.00
13-8-84	20,00,000.00
21-1-85	20,00,000.00
19-4-85	30,00,000.00
29-4-85	67,300.00
1-1-86	10,00,000.00
योग ..	2,24,71,500.00

टिप्पणी—उपर्युक्त धनराशियों के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रुपये 32.80 लाख मूल्य की सीमेन्ट तथा लोहा भी निर्माण निगम को उपलब्ध कराया था।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथमा शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री हर्षवर्धन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर में उल्लिखित सूची ।

(1) जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर निर्मित प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले के संबंध में विवरण ।

उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें 15 अगस्त, 1986 से 31 अगस्त, 1986 के मध्य कक्ष आवंटित किये गये	अवधि	उन व्यक्तियों के नाम जो 15 अगस्त, 1986 से 31 अगस्त, 1986 के मध्य ठहरे
1—श्री पी0 के0 सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग	17-8-86 से 19-8-86	श्री पी0 के0 सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता ।
2—श्री एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग	19-8-86 से 22-8-86 तक	श्री एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता ।
3—श्री बी0 एन0 वैश्य, ए0 आर0 ओ0, सा0 नि0 विभाग	22-8-86 से 23-8-86 तक	श्री बी0 एन0 वैश्य, एन0 आर0 ओ0 ।
4—श्री एस0 सी0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग	23-8-86 से 24-8-86	श्री एस0 सी0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता ।
5—श्री आर0 पी0 पाण्डे, डिप्टी केन कमिश्नर	28-8-86 से 30-8-86	श्री आर0 पी0 पाण्डेय, डिप्टी केन कमिश्नर ।
6—श्री पी0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग	30-8-86 से 31-8-86	श्री पी0के0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ।
7—श्री एस0 सी0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग	30-8-86 से 31-8-86	श्री एस0 सी0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता ।
8—श्री संजय अग्रवाल, एस0 डी0 एम0	19-8-86 से 30-8-86	श्री संजय अग्रवाल, एस0 डी0 एम0 ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर से सम्बन्धित में विन्दुवार आख्या :—

पत्र में निहित प्रश्न	उत्तर
1	2
बिन्दु क (II) अधीक्षण अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के आशुलिपिक के पद पर, वेतनमान 515-860 में श्री धर्मवीर सिंह को कार्य करने हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा ही पद की पूर्ति की गयी ।	श्री धर्मवीर सिंह, जो खण्डीय संवर्ग के आशुलिपिक हैं, को मध्य क्षेत्र से सम्बद्ध किये जाने के आदेश कार्यहित में दिये गये थे ।
बिन्दु क (III) (वैयक्तिक सहायक) मध्य क्षेत्र के साथ कार्यरत श्रीमती शीला गुरनानी, आशुलिपिक को वेतनमान 515-860 दिया जाता था, जबकि वह श्री धर्मवीर सिंह से कनिष्ठ थी । श्रीमती गुरनानी को प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 1-9-84 द्वारा वापस ले लिया गया और उनका कार्यभार श्री सिंह को 20-9-84 को दिया गया ।	श्रीमती शीला गुरनानी, आशुलिपिक, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सा0 नि0 वि0 संवर्ग की आशुलिपिक हैं, जबकि श्री धर्मवीर सिंह, खंडीय संवर्ग के आशुलिपिक हैं । वेतन अपने-अपने संवर्ग के सन्दर्भ से मिलता है ।
बिन्दु ख आशुलिपिक की शैक्षिक योग्यता, चयन की प्रक्रिया शार्टहैण्ड एवं टाइप की गति एवं अन्य योग्यताएं मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों के समान हैं । क्या श्री सिंह विभाग में उक्त आशुलिपिक से ज्येष्ठ हैं ? यदि हां, तो श्री सिंह को उक्त पद का पूरा लाभ दिया जाना नियमानुसार उचित होगा ।	ज्येष्ठता अपने-अपने संवर्ग में मिलती है, और वेतन श्री संवर्गानुसार ही मिलता है । श्री सिंह खण्डीय कार्यालय संवर्ग के आशुलिपिक हैं । अतएव, वे मुख्य अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के वेतनमान के हकदार नहीं हैं ।
बिन्दु ग इसी प्रश्न के प्रथम भाग में विभाग ने यह माना है कि अधीक्षण अभियंता मध्य क्षेत्र के आशुलिपिक का स्वीकृत पद वेतनमान 515-860 का है तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-34 में स्पष्ट किया है कि प्रथम पद मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र का रु0 570-1100, दूसरा पद अधीक्षण अभियंता मध्य क्षेत्र रु0 515-860 तथा तीसरा पद अन्य अधिकारी के लिये रु0 470-735 का है । इसी प्रश्न के भाग में स्पष्ट किया है कि मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र से सम्बद्ध आशुलिपिक रु0 570-1100, अधीक्षण अभियंता एवं	यह कथन सही नहीं है कि क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य अधिकारी से सम्बद्ध (जिसका अभिप्राय अधिशासी अभियन्ता/वैयक्तिक सहायक से है ।) आशुलिपिक रु0 515—860 का है, क्योंकि ऐसे आशुलिपिक का वेतनमान रु0 470—735 ही है । अतः प्रश्न संख्या-34 व 11 के उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है ।

1	2
अन्य अधिकारी से सम्बद्ध आशुलिपिक रु0 515-860 हैं । इस प्रकार एक ही प्रश्न में तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 34 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या-11 में परस्पर विरोधाभास है, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है और सदन को गलत उत्तर देकर गुमराह किया गया है ।	
बिन्दु ब श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक, अधीक्षण अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के साथ प्रमुख अभियन्ता के आदेशों से तैनात किये गये थे ।	
बिन्दु स इस तीसरे पद को वेतनमान 470-735 में भरने के लिये श्री अब्दुलहक जुबेरी का स्थानान्तरण वाराणसी से प्रमुख अभियन्ता के आदेशों से करके भरा गया, जो श्री सिंह से कनिष्ठ हैं । श्री जुबेरी अपने पद पर यथावत तैनात हैं ।	
बिन्दु प्रस्तर-3 श्री धर्मवीर सिंह को अधीक्षण अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के आशुलिपिक का वेतनमान रु0 515-860 में नियुक्ति की तिथि से तैनात करने का आदेश दिया जाय ।	
बिन्दु प्रस्तर-3 (1) क्या पत्र सं0-10088-व्यस/307-व्यस/82, दिनांक 8-4-85 द्वारा नियुक्त आशुलिपिक हिन्दी और अंग्रेजी (द्विभाषी) था ?	
(2) क्या उसकी नियुक्ति प्रमुख अभियन्ता द्वारा की गयी ?	
(3) क्या उक्त आशुलिपिक श्री धर्मवीर आशुलिपिक से वरिष्ठ हैं ?	
	जी हां । मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता किसी कर्मचारी से कार्यहित में, उसकी योग्यतानुसार, जहां कार्य लेना चाहें ले सकते हैं ।
	श्री जुबेरी की ज्येष्ठता का निर्धारण अभी विचाराधीन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह श्री सिंह से कनिष्ठ हैं ।
	यह कहना सही नहीं है कि श्री सिंह की तैनाती मध्य क्षेत्र, लखनऊ में की गयी थी । चूंकि श्री सिंह को मध्य क्षेत्र कार्यालय से सम्बद्ध किया गया था, और पदोन्नति होकर किया गया था, अतः रु0 515-860 के वेतनमान में उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।
	प्रश्नगत पत्र द्वारा तैनात श्रीमती उमा वर्मा, द्विभाषी आशुलिपिक हैं और श्री जुबेरी द्विभाषी आशुलिपिक नहीं हैं । जी हां ।
	श्री धर्मवीर सिंह, खण्डीय वेतनमान/संवर्ग के आशुलिपिक हैं । अलग-अलग संवर्ग होने के कारण पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता ।

1	2
(4) क्या श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक हिंदी व अंग्रेजी (द्विभाषी) आशुलिपिक हैं ?	श्री धर्मवीर सिंह से केवल हिन्दी आशुलिपि का कार्य लिया जा रहा है और उन्हें द्विभाषी भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।
(5) क्या श्री सिंह की नियुक्ति प्रमुख अभियंता द्वारा की गयी ?	जी हां । श्री सिंह की नियुक्ति खण्डीय आशुलिपिक के पद पर मुख्य अभियन्ता के का0 ज्ञा0 सं0 1539/55व्यग-36, दिनांक 22-12-76 द्वारा की गई ।
(6) क्या श्रीमती शीला गुरनानी आशुलिपिक, श्री सिंह से वरिष्ठ हैं ?	दोनों आशुलिपिकों के संवर्ग के अलग-अलग होने के कारण पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता ।
(7) क्या अब्दुलहक जुबेरी, आशुलिपिक को वर्तमान 470-735 में मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) कार्यालय में तैनात किया गया तथा उनका वेतन मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) कार्यालय से आहरित किया जाता है ? यदि हां, तो श्री सिंह आशुलिपिक, अधीक्षण अभियन्ता (म0 क्षे0) में जब तैनात थे तो उनका वेतन प्रान्तीय खण्ड लखनऊ से क्यों आहरित किया गया ?	चूंकि श्री जुबेरी, आशुलिपिक को मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) में तैनात किया गया, अतः उनके वेतन का भुगतान मध्य क्षेत्र से किया जाता है । परन्तु श्री सिंह को मुख्य अभियंता (म0 क्षे0) से सम्बद्ध मात्र किया गया था, अतः उनका वेतन प्रान्तीय खंड, लखनऊ से दिया जाता था, जहां उनकी मूल तैनाती थी ।
(8) क्या विभाग में श्री अब्दुलहक जुबेरी, आशुलिपिक, श्री धर्मवीर सिंह से वरिष्ठ हैं ? यदि नहीं तो मुख्य अभियन्ता (म0 क्षे0) कार्यालय में क्यों और किस आधार पर तैनात किया गया ?	श्री जुबेरी की ज्येष्ठता का निर्धारण विचाराधीन है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि वह श्री धर्मवीर सिंह से वरिष्ठ हैं या कनिष्ठ हैं ।
(9) क्या सा0 नि0 वि0 में बिना कार्यहित के स्थाई तौर पर नियुक्ति की जाती है ? यदि नहीं तो मध्य क्षेत्र में अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी को जारी रखना उचित होगा ? यदि नहीं तो किन आदेशों के अन्तर्गत ?	सा0 नि0 वि0 में अलग-अलग संवर्गों में अस्थाई नियुक्तियां कार्य हित में की जाती हैं, जिन्हें बाद में नियमानुसार स्थायी किया जाता है और उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति की जाती है । मध्य क्षेत्र में नियुक्त अस्थायी कर्मचारी को नियमानुसार अनुपलब्धता भी लाभ दिया जाता है ।
(10) क्या इन अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं की गयी है, अतः कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी नहीं है । फलस्वरूप किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नत्थी 'इ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

सदस्य विधान सभा

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उ0 प्र0 शासन लखनऊ ।

मान्यवर,

संलग्न शिकायत-पत्र के प्रत्येक पहलू को गम्भीरता से देखा परखा और क्षेत्र भ्रमण में जनता द्वारा मत्स्यापित किया तो अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि गरीबों, हरिजनों और निराश्रितों, विधवाओं को आश्रय देने की जिम्मेदारी वाले विभाग में उप निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी श्री आर0 एम0 शर्मा ने गरीबों के नाम का बजट बारे-न्यारे कर दिया है और अपने कारनामों के साथ अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ना चाहता है ।

अतः श्री शर्मा का शीघ्र स्थानान्तरण करवाकर इनके काले कारनामों को उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करें ।

सादर ।

(ह0)

शूरवीर सिंह सजवाण,
विधायक, टिहरी गढ़वाल
5/6 "ए" दारुल शफा,
लखनऊ

फोन नं0—40111

दिनांक कांग्रेस कमेटी (ई) टिहरी गढ़वाल (उ0 प्र0)
संयुक्त मंत्री—परमा नन्द सती, ग्राम—सौन्दाड़ी पो0—पालकोट

पत्रांक : दिनांक 21-2-88

सम्माननीय मुख्य मंत्री जी,

मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान गढ़वाल मण्डल में तैनात उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पद पर कार्यरत श्री आर0 एम0 शर्मा0 द्वारा करती जा रही अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि श्री शर्मा द्वारा गढ़वाल मण्डल में भ्रष्टाचार का आतंक फैला रखा है और अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग पर नाजायज दबाव डाल कर कर्मचारियों को उत्पीड़ित कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर

1—वर्ष 1986-87 में आहरित अवशेष धनराशि जो जिला योजना एवं जिला अधिकारी के निवर्तन पर स्वीकृत है, को बिना जिलाधिकारी को

रहे हैं । तथ्य निम्न प्रकार है :—

अनुमति/स्वीकृति के गढ़वाल मण्डल की सभी बाल विकास परियोजनाओं जिसमें जाखड़ीधार (टिहरी गढ़वाल) की परियोजना भी हैं के लिये सामग्री क्रय कर धनराशि का भुगतान किया गया एवं किया जा रहा हैं ।

2—उप निदेशक को कोई अधिकार नहीं हैं कि वह परियोजनाओं के लिये सामग्री क्रय करने के आदेश करें । यह अधिकारी सम्बन्धित जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोग्राम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को हैं ।

3—उप निदेशक, बलात दबाव डाल कर परियोजनाओं की मांग ली और आदेश में ही शर्तनामा लगा दिया कि जैन मेटल मुरादाबाद से भेजा गया सामान किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया गया । और भुगतान कर सूचना उनको दी जाय ।

4—खरीद-फरोख्त आदेश में नमूना रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की आपूर्ति किये गये सामान का मिलान करना नमूने के बगैर सम्भव नहीं था ।

5—उनके आदेश में इस बात का प्रावधान हैं कि चम्मचों पर नाम खुदाई छोड़कर सभी वस्तुओं पर खुदवाई का भुगतान फर्म को किया जाय ।

6—गढ़वाल मण्डल की जिन परियोजनाओं में चम्मच आपूर्ति किये गये चम्मच की कीमत 85 पैसा प्रति हैं तो उस पर नाम खुदवाई कीमत प्रति चम्मच 1-50 पै0 हैं । इसका आशय हैं कि "गढ़ाई से ज्यादा मढ़ाई पर" धनराशि उप निदेशक द्वारा व्यय की गयी हैं । उप निदेशक द्वारा उक्त खरीद फरोख्त में लगभग 8 लाख रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया हैं ।

7—इनके द्वारा जारी पर्चेज आदेशों में समान की ढलाई करवाने की व्यवस्था थी । ऐसे में अगर कनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने से ऊपर अधिकारी का आदेश/निर्देश का पालन सुनिश्चित प्रचलित नियम/व्यवस्था के अन्तर्गत कोई दोष अथवा अपराध हैं तो कर्मचारियों को शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया हर दण्ड स्वीकार हैं । अन्यथा इस ट्रांजक्शन में कोई दोष अथवा अपराध सिद्ध होता हैं तो उस अधिकारी पर होना चाहिए जिसने जिला योजना के धन से बर्तन खरीदने के आदेश प्रदान ही नहीं किये बल्कि अपने उत्तरदायित्व पर मूलतः पर्चेज आदेश की जबरदस्ती जारी किया हैं ।

अतः मेरा अनुरोध हैं कि इसके जांच किसी आई0 ए0 एस0 सम्वर्ग के अधिकारी से करवायी जाय एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कर दंडित किया जाय ताकि इस प्रकार की अनाधिकार चेष्टा को रोका जाय और प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाया जा सके । और गढ़वाल मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सके ।

सादर ।

भवदीय

(ह0)

(नागेन्द्र सदै)

प्रतिलिपि :

नत्थी 'ब'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री मित्रसेन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-92 के उत्तर से संबंधित सूची :—

1—पत्र संख्या-112/श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86

उपरोक्त पत्र द्वारा श्री आर0 बी0 सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की गई है। बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) श्री आर0 बी0 सिंह, अवर अभियन्ता, खण्ड से दिनांक 5-6-86 से अवमुक्त होने के बाद हजारों रुपये का मैक्सफाल्ट एवं सीमेन्ट आदि स्टोर से लिये।

(ख) अवर अभियन्ता द्वारा स्टोर से उठाये गये सामानों का रिकार्ड भी स्टोर एकाउन्ट में उपलब्ध नहीं है।

(ग) दिनांक 5-6-86 से 30-6-86 तक की अवधि में संबंधित अवर अभियन्ता को निर्गत सामानों का आर0 एम0 आर0 भी नहीं है।

(घ) विभागीय ट्रकों की लाग-बुक अवर अभियन्ता द्वारा नहीं भरी गयी।

(ङ) अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 24-5-86 एवं 29-5-86 को लिया गया सामान कहां खर्च किया गया।

2—पत्र संख्या-113/श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86

उपरोक्त पत्र द्वारा श्री के0 एन0 सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की गई है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है :—

खण्ड से अवमुक्त होने के बाद भी अवर अभियन्ता द्वारा लगभग 2½ लाख रुपये की स्टोर सामग्री का निर्गत करना।

3—पत्र संख्या-114/श्रमिक-86, दिनांक 30-12-86

उपरोक्त पत्र मूल शिकायती पत्र संख्या-107/श्रमिक-86, दिनांक 19-12-86 का अनुस्मारक है, जिसके द्वारा श्री एन0 के0 तिवारी, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की गई है। शिकायती बिन्दुओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

श्री एन0 के तिवारी, अवर अभियन्ता द्वारा बसखारी-जलालपुर अथवा न्यौरी-जलालपुर मार्ग पर कि0मी0 16 में 20-6-86 तथा कि0मी0 17 में 21-6-86 से 25-6-86 तक रोलर संख्या 078 द्वारा रिनीवल कोट पेंटिंग दिखाकर हजारों रुपये का फर्जी भुगतान करना।

अनुबंध

(देखिये असा० प्र० सं० 107 का

विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) लखनऊ के अवर अभियन्ताओं

वर्ष 1984-85

क्रम-संख्या	अवर अभियन्ता का नाम	खण्ड का वर्षवार आवेदन	अवर अभियन्ता को खण्ड में तैनाती अवधि	कार्यभार (लाख रु० में)	व्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	श्री एस० सी० गोविल	वर्ष 1984-85	15-7-1981 से 24-4-1985	20.00	23.11
2	श्री एम० सी० गोयल	351.57	8-7-1983 से 8-7-1985	30.00	29.00
3	श्री ए० यू० अन्सारी	लाख	6-7-1981 से 7-7-1986	40.00	46.00
4	श्री जी० पी० चौधरी	वर्ष 1985-86	3-7-1982 से 23-4-1985	40.00	44.71
5	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव	514.41	18-8-1984 से	40.00	40.64
6	श्री मोहम्मद नबी	88.00 लाख	10-2-1984 से	46.00	42.90
7	श्री आर० डी० माथुर	वर्ष 1986-87	19-7-1980 से 6-7-1986	35.00	34.75
8	श्री असफाक अहमद	400.62 लाख एवम्	1-10-1988 से 14-7-1988	30.00	28.00

"ङ"

उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

के कार्यभार एवं व्यय का विवरण (लाख में)

वर्ष 1985-86		वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88		टिप्पणी
कार्यभार	व्यय लाख में	कार्यभार (लाख में)	व्यय (लाख में)	कार्यभार (लाख में)	व्यय (लाख में)	
7	8	9	10	11	12	13
3.00	3.00	..	..	..	..	वर्ष 1986-87 में सेतु निगम को 175.00 लाख रु0 का भुगतान किया गया जो किसी अवर अभियन्ता से सम्बन्धित नहीं है ।
1.80	1.80	..	..	..	..	
60.00	62.24	..	..	..	..	
10.00	10.00	30.00	35.00	40.00	41.00	वर्ष 1987-88 में 40.00 लाख रु0 का भुगतान विद्युत् विभाग को किया गया जो किसी अवर अभियन्ता से सम्बन्धित नहीं है ।
5.00	60.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
55.00	59.00	20.00	21.00	..	..	
40.00	35.00	20.00	19.10	6.00	5.47	
50.00	45.06	..	..	..	..	उपरोक्त दोनों ही व्ययशिष मार्ग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण एवं विद्युत के खम्भे हटाने हेतु किया गया ।

1	2	3	4	5	6
9	श्री आर० पी० सिंह	वर्ष 1987-88	2-7-1982 से 24-4-1985	20.00	18.00
10	श्री एस० सी० पन्त	296.60	9-5-1981 से 7-7-1986	25.00	28.86
11	श्री एस० एस० सिंह	..	3-7-1982 से 24-4-1985	2.00	2.00
12	श्री विपिनेश कुमार जैन	..	10-11-1984 से 23-4-1985	6.00	6.00
13	श्री आर० पी० सिंह	प्रे० सहायक	19-7-1985 से	..	..
14	श्री एस० आर० अग्रवाल	..	30-10-1975 से	..	..
15	श्री के० के० गोयल	..	29-8-1985 से	..	..
16	श्री बी० पी० ओला	..	30-9-1975 से	..	..
17	श्री बी० के० भोला	..	1-1-1985 से 24-7-1986	..	..
18	श्री डी० डी० प्रजापति	..	7-7-1986 से 10-2-1987	..	..
19	श्री एम० सी० अग्रवाल	..	1-7-1986 से	..	..
20	श्री जका उल्ला खां	..	30-6-1986 से	..	..
21	श्री देवेन्द्र नाथ	..	8-9-1986 से	..	..
22	श्री ओ० पी० माथुर	..	29-8-1987 से	..	..
23	श्री बी० के० गुप्ता	..	9-9-1986 से 1-6-1988	..	..
24	श्री प्रवीन चन्द्र पन्त	..	7-5-1987 से	..	..
25	श्री अब्दुल वसील	प्रशिक्षक	25-8-1987 से 29-7-1987	..	..
			योग	..	343.97

7	8	9	10	11	12	13
..	..	20.00	20.00	..	..	
50.00	53.03	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	
2.00	2.00	20.00	23.00	20.00	25.00	
40.00	37.25	20.00	21.00	10.00	14.00	
22.00	22.00	14.00	13.25	10.00	15.00	
26.00	20.06	25.00	28.00	20.00	24.00	
20.00	18.50	..	4.00	..	..	
40.00	42.00	..	..	..	..	
..	..	40.00	40.00	..	..	
..	..	10.00	12.00	20.00	24.00	
..	..	..	..	20.00	20.00	
..	..	..	35.00	38.00	..	
..	..	..	..	15.00	20.00	
..	..	..	..	0.50	0.50	
..	..	..	..	2.00	2.00	
..	..	..	..	1.00	1.10	
482.04		273.25		271.07		

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1988 के 1ले शुक्र के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण

मार्ग का नाम जिनका मुआवजा फरवरी, 1988 तक बाकी था	मुआवजा निर्धारित हो गया है अथवा नहीं	वि० मू० अ० अ० को उपलब्ध करायी धनराशि	निर्धारित मुआवजे की धनराशि	किसानों को कुल भुगतान की गयी धनराशि	मुआवजा निर्धारित न होने के कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		रु०	रु०	रु०	रु०	
1—राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 के किमी० 195 पर कुआनो नदी पुल का पहुंच मार्ग	निर्धारित हो गया है।	35,56,415.97	43,76,000.00	28,87,383.96	..	शेष मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
2—डुमरियागंज घाट पर पुल राप्ती सेतु का पहुंच	तदेव	26,45,278.64	25,50,070.77	20,08,949.98	..	स्वामित्व के विवाद के कारण शेष प्रतिकर का विवरण नहीं हो पा रहा है।
3—बढ़नी–देवरुआ सोहरगढ़ मार्ग	तदेव	2,11,182.79	3,00,000.00	सम्पूर्ण प्रतिकर का भुगतान कर दिया है	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4—बांसी धानी मार्ग	तदेव	6,72,602.33	10,00,000.00	..	..
5—मेनसिर मीलनापुर मार्ग का शेष भाग	मुआवजा निर्धारित नहीं हुआ है	..	2,00,000.00	..	भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है
6—मैनसिर मीलनापुर खजुरही हरनही मार्ग	तदेव	..	2,00,000.00	..	तदेव
7—कप्तानगंज पिपरा गौतम मार्ग	तदेव	..	2,00,000.00	..	तदेव
8 पटना घाट पुल का सम्पर्क मार्ग	तदेव	..	4,00,000.00	..	तदेव
9—करमैनी घाट पुल का सम्पर्क मार्ग	..	..	..	..	..
10—मोहाना लोटन मार्ग	..	..	..	1,04,893.88	.. भूमि का मूल्य आपसी समझौते से फरवरी/मार्च, 1988 में किसानों को कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
11—मेंहदावल लोहरसन मार्ग	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0	मार्ग में ली गयी भूमि का आंशिक प्रतिकर किसानों को दिया जा चुका है। भूमि की दरों के सम्बन्ध में कृषकों से समझौता वार्ता चल रही है।
12—लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर फजितवा नाले पर सेतु के पहुंच मार्ग	..	..	..	..	..	मार्ग में ली गयी भूमि का मूल्य आपसी समझौते से भुगतान करने के सम्बन्ध में कृषकों से चल रही वार्ता में मतभेद हो जाने के कारण राजस्व अधिकारियों से संस्तुति प्राप्त की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—19 वि0 स0—दिनांक 13-12-88—813 प्रतियां लाइनो)।